सत्यमेव जयते

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

प्राक्कथन		vii
कार्यपालिक सारांश		ix
अध्याय I: विहंगावलोकन		
अनुच्छेद संख्या		**पृष्ठ संख्या**
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	3
1.3	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	4
1.3.1	वित्तीय स्थिति का सारांश	7
1.3.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश	8
1.4	राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	9
1.4.1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	15
1.5	लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण	16
1.5.1	लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा	16
1.5.2	लेखापरीक्षा के पश्चात-समग्र देयता	17
अध्याय II: राज्य का वित्त		
2.1	वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव	19
2.2	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	20
2.3	राज्य के संसाधन	21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	23
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ और वृद्धि	23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	31
2.3.3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	37
2.3.4	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	38
2.4	संसाधनों का अनुप्रयोग	38
2.4.1	व्यय की वृद्धि एवं संरचना	38
2.4.2	राजस्व व्यय	41
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	42
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	43
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व	47
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य	48
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	50

विषय सूची

2.4.3	पूंजीगत व्यय	52
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	52
2.4.3.2	पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता	53
2.4.3.3	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	55
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	56
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय	57
2.5	लोक लेखा	58
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	58
2.5.2	आरक्षित निधियां	60
2.5.2.1	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	61
2.5.2.2	प्रत्याभूति मोचन निधि	63
2.5.2.3	उपकर/अधिभार का संग्रहण	63
2.6	लोक देयता का प्रबंधन	64
2.6.1	देयता रुपरेखाः घटक	65
2.6.2	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और पुनर्भुगतान	69
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	71
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियां	76
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	77
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	78
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	81
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
3.1	बजट प्रक्रिया	83
3.1.1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का सारांश	85
3.1.2	बचतों एवं संवितरणों का सारांश	86
3.1.3	बजट लक्ष्यवेधित्व	87
3.2	विनियोग लेखे	87
3.3	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता	88
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	88
3.3.2	निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन	89
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	90
3.3.4	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण	94
3.4	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	95
3.4.1	बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	95
3.4.2	प्रमुख योजनाओं का गैर-क्रियान्वयन	98
3.4.3	व्यय का प्रवाह	99

विषय सूची

3.4.4	जेंडर अनुकूल बजट	101
3.4.5	चाइल्ड बजट	102
3.4.6	चयनित अनुदानों की समीक्षा	104
3.4.7	लेखों में अन्य अनियमितताएँ	118
3.5	प्रशंसनीय कदम	123
3.6	निष्कर्ष	123
3.7	सिफारिशें	123
अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथायें		
4.1	ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना	125
4.2	राज्य सरकार की बजट से इतर उधार	126
4.3	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण	127
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	128
4.4.1	अनुदानग्राही संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज किये जाने की सूचना का अभाव	130
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	131
4.6	निजी निक्षेप खाते	132
4.7	लघु शीर्ष-800 का संचालन	138
4.8	प्रमुख उचंत और डीडीआर शीर्षों के तहत बकाया शेष	140
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	142
4.10	नकद शेषों का मिलान	143
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	143
4.12	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	144
4.13	स्वायत्त निकायों के लेखों/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	145
4.14	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	146
4.15	छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन	146
4.16	निष्कर्ष	149
4.17	सिफारिशें	149
अध्याय-V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
5.1	प्रस्तावना	151
5.2	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	151
5.3	अधिदेश	151
5.4	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या और वित्तीय विवरणों की स्थिति	152
5.5	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और राज्य के सकल राज्य घरेलु उत्पाद में योगदान	153
5.5.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	154
5.6	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	154
5.6.1	सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	154

विषय सूची

5.6.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	155
5.7	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनर्गठन, विनिवेश और निजीकरण	157
5.8	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए बकाया ऋणों का विश्लेषण	157
5.8.1	31 मार्च 2023 को बकाया दीर्घावधि ऋण	157
5.8.2	ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	157
5.9	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्रतिफल	158
5.9.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ	158
5.10	हानियों में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	160
5.10.1	दर्ज हानियां	160
5.10.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल संपत्ति का क्षरण	161
5.11	निवल लाभ/हानि अनुपात	163
5.11.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान	163
5.12	ऋण भुगतान	165
5.12.1	ब्याज का आवृत	165
5.13	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन	166
5.13.1	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	166
5.13.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अंश पूंजी पर प्रतिफल	167
5.13.3	निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर	169
5.14	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	170
5.14.1	सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	170
5.14.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	171
5.14.2.1	समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता	171
5.14.2.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता	171
5.14.3	सीएजी का निरीक्षण- वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	172
5.14.3.1	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	172
5.14.3.2	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	173
5.14.3.3	सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	173
5.15	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	173
5.15.1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा	173
5.15.2	वित्तीय विवरणों का संशोधन	174
5.15.3	लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का संशोधन	174
5.15.4	प्रबंधन पत्र	174
5.16	निष्कर्ष	174
5.17	सिफारिशें	175

अनुलग्नक

परिशिष्ट-1.1	राज्य के प्रमुख संकेतक	177
परिशिष्ट-1.2	राज्य के वित्तीय आंकड़े	178
परिशिष्ट-1.3	31 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	179
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	181
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार की वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	184
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	187
परिशिष्ट-3.1	बजट संबंधित शब्दों की शब्दावली	188
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	191
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	193
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	195
परिशिष्ट-3.5	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 1 करोड़ या अधिक का पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रह गया	196
परिशिष्ट-3.6	ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	211
परिशिष्ट-3.7	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	214
परिशिष्ट-3.8	जेंडर बजट की योजनाओं में कोई व्यय नहीं होना	218
परिशिष्ट-3.9	वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत शीर्षों के तहत अनियमित बुकिंग	221
परिशिष्ट-4.1	राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ	222
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2022-23 तक के बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	224
परिशिष्ट-4.3	31 मार्च 2023 को निजी निक्षेप खातों में शेष राशि (₹ 100 करोड़ से अधिक) दर्शाने वाला विवरण	225
परिशिष्ट-4.4	वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संधारित निजी निक्षेप खातों में "शून्य" शेष रखने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	226
परिशिष्ट-4.5	वर्ष 2021-2023 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	229
परिशिष्ट-4.6	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	233
परिशिष्ट-4.7	उपयुक्त लघु शीर्ष के प्रावधान में अनियमितताएं	235
परिशिष्ट-4.8	विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण	238
परिशिष्ट-5.1	सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	239
परिशिष्ट-5.2	30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम	243
परिशिष्ट-5.3	31 मार्च 2023 तक ऋणात्मक निवल मूल्य वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण	247
परिशिष्ट-5.4	31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) का विवरण	249

अनुलग्नक		
परिशिष्ट-5.5	31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल दर्शाने वाला विवरण जिसमें राज्य सरकार का प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश है	251
परिशिष्ट-5.6	वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ निवेश का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	253
परिशिष्ट-5.7	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण जहां प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे	255
परिशिष्ट-5.8	संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	256

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृतियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल है।

3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित है। राजस्थान सरकार से जहां भी आवश्यक हो, सूचना प्राप्त की गई है।

4. अध्याय IV "लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिर्पोटिंग प्रथाओं" पर चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

5. अध्याय V "राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन" सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है जैसाकि उनके नवीनतम लेखों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

6. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष और सांविधिक निगमों, बोर्ड एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों तथा राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों के निष्कर्ष वाले प्रतिवेदन को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यपालिक सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन तथा लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालिक सारांश इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं पहलुओं के सारांश के माध्यम से, राजकोषीय धारणीयता, बजट भावना के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व तथा व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2018-19 में ₹ 9,11,519 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 14,13,620 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 16.04 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 1,87,524 करोड़ से 31.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ हो गया।

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 6.02 प्रतिशत बढ़ी और जीएसडीपी पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 में 15.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 13.79 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 16.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2021-22 में ₹ 2, 34,563 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 2,46,452 करोड़ हो गया। इसमें से, राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 से 7.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा वर्ष 2021-22 की तुलना में 21.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 25,870 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,491 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में ₹ 48,238 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 51,028 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत जैसे राज्य का स्व-कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्य के हिस्से का हस्तांतरण, सहातार्थ अनुदान और संघ सरकार से हस्तांतरण एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (संपत्ति सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.75 प्रतिशत के साथ ₹ 1,37,873 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,94,988 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 36,110 करोड़ से घटकर ₹ 35,264 करोड़ रह गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 14.53 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 15.31 प्रतिशत हो गया, जो

भारत सरकार पर बढ़ती निर्भरता का संकेत है। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 14,554 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत संरचना और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 1,66,773 करोड़ (जीएसडीपी का 18.30 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 2,26,479 करोड़ (जीएसडीपी का 16.02 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (88.93 से 91.90 प्रतिशत) बना रहा।

एकल नोडल एजेंसी को निधियां

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली की शुरूआत की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी लेखों के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 13,826.93 करोड़ अपने कोषालय लेखों में प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, कोषालय लेखों में प्राप्त ₹ 15,483.89 करोड़ (पूर्व शेष सहित) और राज्य का हिस्सा ₹ 11,632.42 करोड़ सरकार ने एसएनए को हस्तांतरित कर दिये। ₹ 27,116.31 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, ₹ 13,990.79 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 5,160.06 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 325.08 करोड़ पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से, ₹ 7,327.54 करोड़ निजी निक्षेप खाते के माध्यम से और ₹ 312.84 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (डब्ल्यूएएम) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) एसएनए-01 रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 9,095.98 करोड़ अव्ययित पड़े थे, जो सरकारी लेखों के दायरे से बाहर है।

साधन से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 28,900 करोड़ (जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 31,491 करोड़ (जीएसडीपी का 2.23 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत मद में केवल ₹ 19,798 करोड़ व्यय किये। यह वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 8.03 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधार का केवल 5.10 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 34,473 करोड़ (जीएसडीपी का 3.78 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 51,028 करोड़ (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। वर्ष 2018-19 (55 प्रतिशत) और वर्ष 2022-2023 (51 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 51-56 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 91,881 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,15,757 करोड़ हो गया {वर्ष 2021-22 (₹ 1,08,609 करोड़) से 6.58 प्रतिशत बढ़ा}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान अलोचनीय व्यय राजस्व व्यय के 20.38 प्रतिशत से बढ़कर 28.49 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। अलोचनीय व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 63,251 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,525 करोड़ हो गया, जिसमें 2.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय ₹ 1,80,282 करोड़; राजस्व व्यय का 79.60 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

अर्थ-सहाय्य गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत, अर्थ-सहाय्य की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो वर्ष 2018-2019 में ₹ 21,540 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 26,166 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का एक बड़ा हिस्सा 96.20 प्रतिशत से लेकर 98.44 प्रतिशत के मध्य बिजली अर्थ-सहाय्य का रहा।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देयताएं

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2021-22 में ₹ 95,868 करोड़ से 9.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ हो गई और सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) का 53.76 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई।

उपकर/अधिभार का संग्रहण

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक छह आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 5,664.49 करोड़ कम हस्तांतरित किए।

राजकोषीय धारनीयता

राजकोषीय धारनीयता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, प्रत्याभूतियाँ, अर्थ-सहाय्य इत्यादि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण बाधा प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अलोचनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधि में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि भी शामिल हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके अन्तर्गत, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना था या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार दसवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्षित आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा (जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत) के भीतर था। बकाया देयताएं 38.20 प्रतिशत की सीमा के समक्ष 34.92 प्रतिशत थी और दी गई प्रत्याभूतियाँ 60 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के समक्ष 31.01 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, यदि बजट से इतर उधार की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देयताएं (लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित) जीएसडीपी का 35.01 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृत्तियों के अनुसार, राज्य के वित्त पर भारी दबाव है।

राजस्थान का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2018-19 में 25.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 26.63 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में ऋण स्थिरीकरण जटिल हो सकता है ।

प्राथमिक घाटा सभी पांच वर्षों में नकारात्मक रहा और वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 20,426 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2020-21 के दौरान जी-आर (डोमर अंतर) नकारात्मक था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी रही परिणामस्वरूप जीएसडीपी में नकारात्मक वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप सकारात्मक जी-आर (डोमर अंतर) आया, जिससे संकेत मिलता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर आ जाएगा। हालाँकि, पिछले दो वर्षों में लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण प्राप्ति अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास इतना मजबूत नहीं है कि ऋण पुनर्भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक राज्य का लगातार नकारात्मक प्राथमिक संतुलन रहा है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (वर्ष 2021-23 से जी-आर> 0 के रूप में अभिव्यक्त है) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और इस प्रकार, दो साल के सकारात्मक डोमर अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण स्थिरीकरण की राह पर है।

जैसा कि ऊपर चर्चा किये गए विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, राजस्थान राज्य की चिह्नित वित्तीय स्थिति देयताओं (ऋण, प्रत्याभूति, अर्थ-सहाय्य इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति ऋण धारणीयता और ऋण स्थिरता के लक्ष्य के लिए जोखिम पैदा करती है।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (-) 3.91 प्रतिशत था। यह 36 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 11 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य, चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के मध्य और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व अनुभाग की तीन अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (+) 35.02 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और नौ अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत अनुभाग की 18 अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 18 मामलों में ₹ 6,769 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

अनुदान/विनियोजन से अधिक्य का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण कराना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 में दो अनुदानों के तहत ₹ 21,069.61 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत प्रकटीकरण

राज्य सरकार ने सहायतार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत ₹ 614.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया था एवं स्वायत्त निकायों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में ₹ 493.60 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इस व्यय को भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस), सरकारी लेखा नियम (जीएआर) और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एण्ड एआर) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से राजस्व के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

राजस्व की पर्याप्त प्राप्ति के बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान अदावाकृत जमा राशि ₹ 3,000 करोड़ में से ₹ 1,000 करोड़ अपनी राजस्व प्राप्तियों में हस्तांतरित किए। हालाँकि, यह राशि सरकार द्वारा कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी जैसाकि निर्धारित किया गया था। गत वर्ष 2021-22 के दौरान भी

₹ 1000 करोड़ की सामान्य प्रावधायी निधि की अदावाकृत जमा राशि को कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किए बिना राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में मुद्रास्फीति रही एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक के विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि विभिन्न मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं पहुंचा था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रणाली की आवश्यकता होनी चाहिए।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में वो मदें, लेनदेन और घटनाएं सम्मिलित है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में विलम्ब के मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामले जैसेकि निधियों का रोकना और देयताओं के कम या गैर-भुगतान पर भी प्रकाश डालता है।

बजट से इतर उधार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के द्वारा लिया गया उधार जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुआ, लेकिन बजट के माध्यम से पुनर्भुगतान और अदायगी किया जाना राज्य सरकार को आवश्यक है। वर्ष 2022-23 में, राज्य सरकार ने बजट से इतर उधारों के पुनर्भुगतान और अदायगी के लिए ₹1,279.39 करोड़ की सहायता/अनुदान प्रदान किया। यह सरकार द्वारा पुनर्भुगतान और उधार पर दिए गये ब्याज के अतिरिक्त था।

अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एण्ड एआर) के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान के आंकड़ों के साथ मिलान आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 3,72,189.96 करोड़ और (ii) ₹ 3,55,989.15 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंकमिलान सम्पन्न किया गया। वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का शत-प्रतिशत अंकमिलान सम्पन्न करने में सफल रही है।

भारत सरकार लेखा मानकों का अनुपालन (आईजीएएस)

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने **आईजीएएस-2: सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण** में निर्धारित प्रारूप में सहायतार्थ

अनुदान का प्रकटीकरण नहीं किया और **आईजीएएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम** में निर्धारित राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का आंशिक प्रकटीकरण किया।

पीडी खातों का संचालन

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 133 पीडी खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था और कोषालय के स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में उपयोग के लिए लंबित वृहत अवशेष पड़ा हुआ है । इसके अलावा, बैंक खाते में निधियाँ रखने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों की उचित स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

सशर्त अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,107.25 करोड़ के 895 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 21 करोड़ के 85 सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 10.15 करोड़ की राशि के 10 विस्तृत आकस्मिक बिल 2021-22 तक की अवधि से संबंधित हैं।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित करने से लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 58 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 10,515.26 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 4.27 प्रतिशत था, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, लेखों के 44 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12,013.42 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.16 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

गबन, चोरी और हानि

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों में ₹ 126.01 करोड़ की सरकारी धन की गबन, चोरी और हानि के 732 प्रकरण दर्ज किए, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा न करना; सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल जमा न करना; आईजीएएस-2 और आईजीएएस-3 का अनुपालन न करने और व्यय को उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज न करने से

लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 43 सरकारी कंपनियों (जिनमें से 3 निष्क्रिय कंपनियां हैं), तीन सांविधिक निगमों और पांच सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके 62 लेखे बकाया थे, ने वित्तीय विवरण जमा करने में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया था। 27 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹ 1,248.15 करोड़ के कुल लाभ में से 71.73 प्रतिशत का योगदान केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया गया था। 17 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की गई ₹ 18,813.91 करोड़ की कुल हानि में से, पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 18,756.14 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया लेखों के निपटान की सख्ती से निगरानी हेतु प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार सभी घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामकाज की भी समीक्षा कर सकती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से क्षरण हो गई है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह 7 संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.71 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम थी। इसके अतिरिक्त, साक्षरता दर 66.10 थी जो कि अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। राज्य के प्रमुख संकेतक ***परिशिष्ट 1.1*** एवं ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए हैं।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृतियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के साथ जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धन) की वृद्धि दर और जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.1** और **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	भारत					
1.	जीडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	1,88,99,668	2,01,03,593$	1,98,29,927Σ	2,34,71,012£	2,72,40,712@
2.	जीवीए* (वर्तमान मूल्यों पर)	1,71,75,128	1,83,81,117$	1,81,88,780 Σ	2,14,38,883£	2,47,42,871@
3.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-) 1.36	18.36	16.06

क्र. सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4.	गत वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-) 1.05	17.87	15.41
5.	प्रति व्यक्ति जीडीपी* (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
	राजस्थान					
6.	जीएसडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	9,11,519	9,98,679	10,19,442$^{\Sigma}$	12,18,193$^{£}$	14,13,620$^{\#}$
7.	जीएसवीए* (वर्तमान मूल्यों पर)	8,59,091	9,44,197	9,56,492	11,34,115	13,10,750
8.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
9.	गत वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.06	9.91	1.30	18.57	15.57
10.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी* (₹ में)	1,18,619	1,28,277	1,29,271	1,52,675	1,75,252

* *केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार*

Σ *संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, # अग्रिम अनुमान*

$ *संशोधित अनुमान-III, @ अनन्तिम अनुमान*

वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 16.04 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹ 14,13,620 करोड़ रुपये थी। जीएसडीपी की 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से मामूली कम थी। इसके अलावा, 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹ 1,75,252 प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹ 1,96,983 (2022-23) से कम थी। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (47.74 प्रतिशत) समान अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) से अधिक थी।

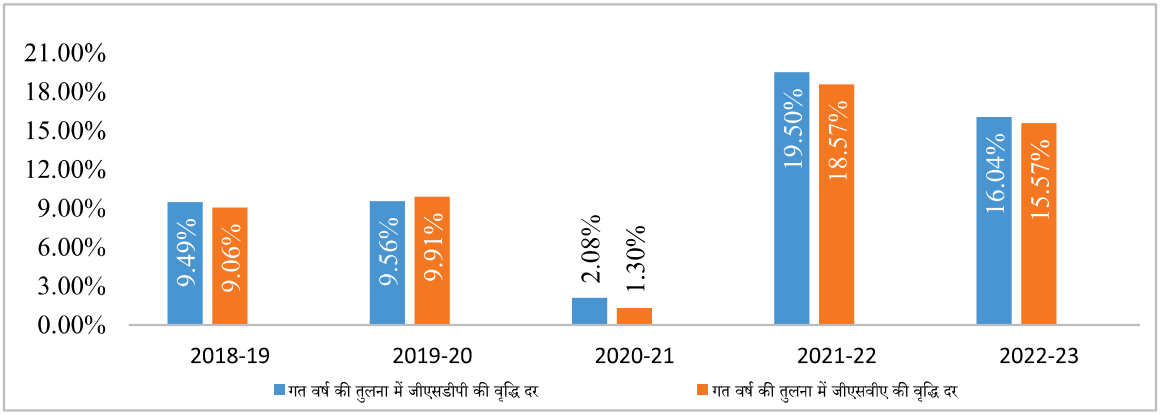
तालिका 1.1 से यह भी देखा जा सकता है कि 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए ₹ 13,10,750 करोड़ था और 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर जीवीए ₹ 2,47,42,871 करोड़ था। **वर्ष** 2022-23 के दौरान, जीएसवीए में 15.57 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई जोकि जीवीए की वृद्धि दर (15.41 प्रतिशत) से मामूली अधिक थी।

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और अर्थ-सहाय्य के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जबकि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करने वाला निवेश व्यय शामिल है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन

स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

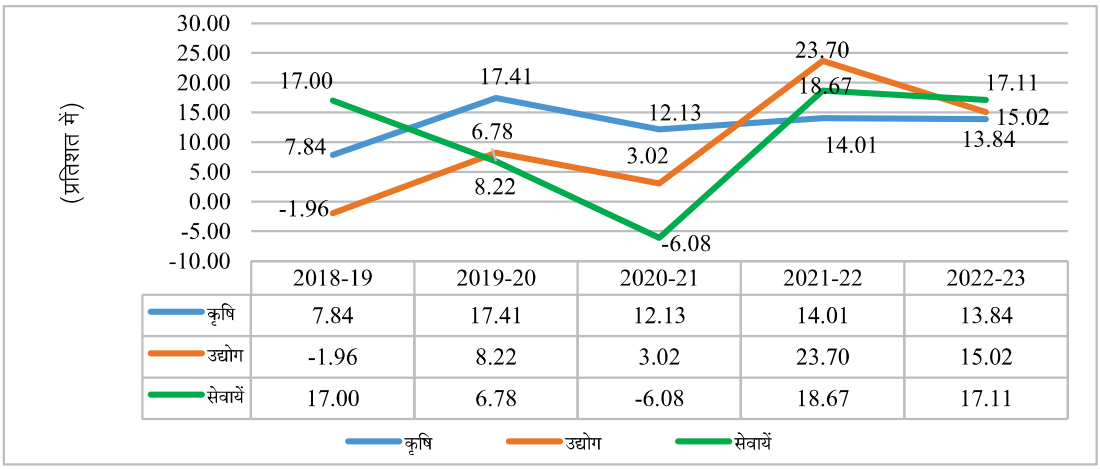
वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृति को नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के साथ जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)



स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार ।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2018-19 से 2022-23)



स्रोतः आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु

प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा भेजे गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- वर्ष के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ लेखांकन);
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौहदवें वित्त आयोग (XIV-एफसी), पन्द्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) की सिफारिशों, छठा राज्य वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम), भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशि शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और अप्रत्याशित व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशि, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और अंतिम समायोजन लंबित है) सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

बजट दस्तावेज

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट को राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य व्ययों से अलग करना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

• **ऋण प्राप्तियां**: बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि; और

• **गैर-ऋण प्राप्तियां**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां आदि।

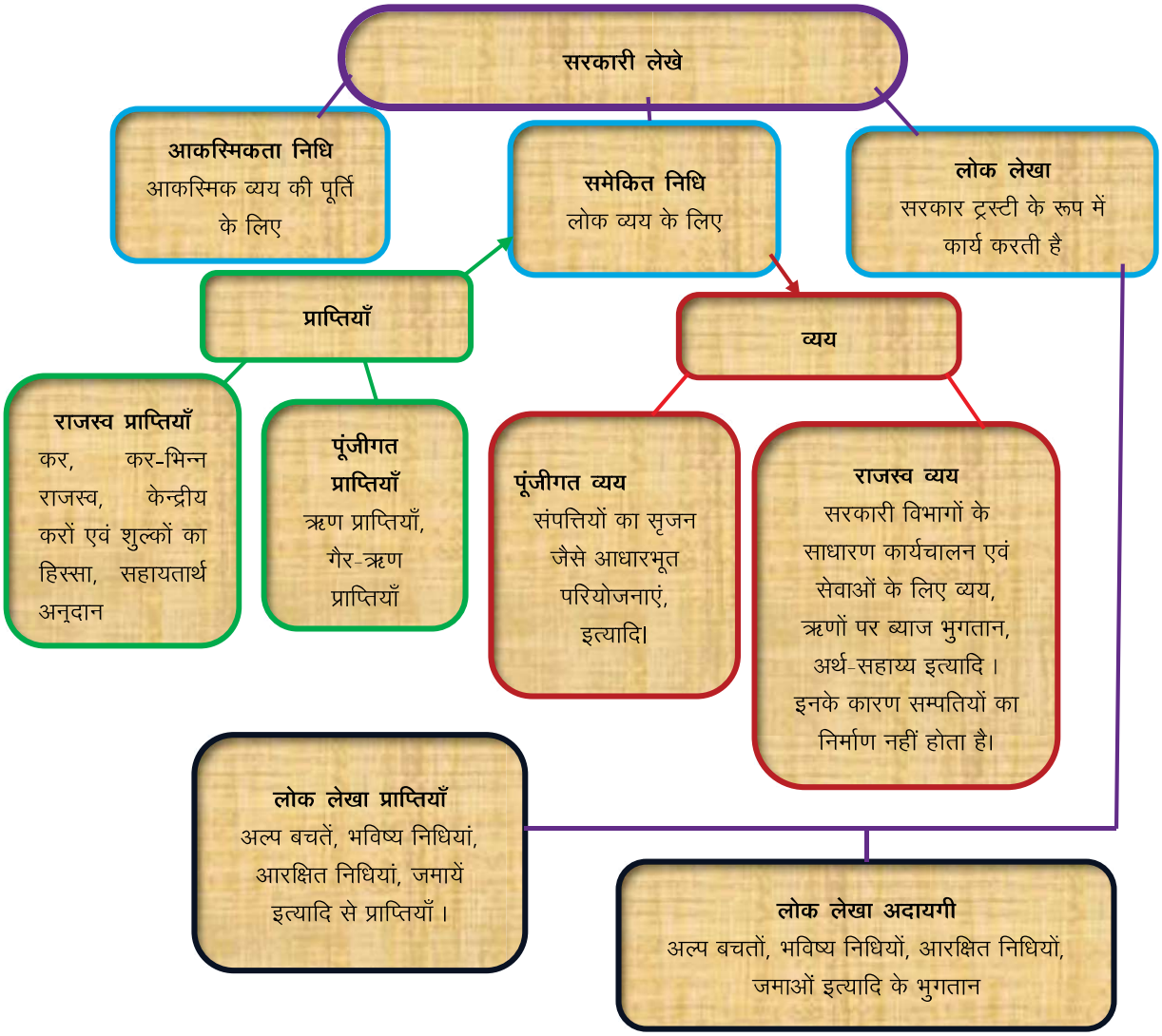
पूंजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण पर व्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप- कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में अन्तर्निहित संख्यातर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि । आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना



लोक ऋण और लोक दायित्व: इस रिपोर्ट में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 - लोक ऋण को लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में कोषालयों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा वृतों के बीच हस्तांतरण लेनदेन जैसे समायोजन मात्र को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में 'मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेनों के साथ लोक दायित्व' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत लेनदेनों को सम्मिलित किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरण अनुदान/विनियोग की मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है ताकि समेकित निधि से आवश्यक राशि का विनियोजन किया जा सके।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया है।

1.3.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों और जीएसडीपी की तुलना के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.2: वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	**कर राजस्व**	1,28,839	1,47,505	1,44,577	98.01	10.23
(i)	स्व-कर राजस्व	74,808	98,294	87,346	88.86	6.18

क्र. सं.	घटक	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
(ii)	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	54,031	49,211	57,231	116.30	4.05
2	कर-भिन्न राजस्व	18,755	22,154	20,565	92.83	1.45
3	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	36,326	45,318	29,846	65.86	2.11
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,83,920**	**2,14,977**	**1,94,988**	**90.70**	**13.79**
5	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	2,374	264	420	159.09	0.03
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	31	15	16	106.67	0.00
7	उधार और अन्य देयताएं (ब)	48,238	58,212	51,028	87.66	3.61
8	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**50,643**	**58,491**	**51,464**	**87.99**	**3.64**
9	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**2,34,563**	**2,73,468**	**2,46,452**	**90.12**	**17.43**
10	**राजस्व व्यय जिसमें**	**2,09,790**	**2,38,466**	**2,26,479**	**94.97**	**16.02**
11	ब्याज भुगतान	28,100	28,838	**30,602**	106.12	2.16
12	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	579	-	267	-	0.02
13	**पूँजीगत व्यय जिसमें**	**24,773**	**35,002**	**19,973**	**57.06**	**1.41**
14	पूँजीगत परिव्यय	24,152	34,809	19,798	56.88	1.40
15	ऋण और अग्रिम	621	193	175	90.67	0.01
16	**कुल व्यय (10+13)**	**2,34,563**	**2,73,468**	**2,46,452**	**90.12**	**17.43**
17	**राजस्व घाटा (4-10)**	**25,870**	**23,489**	31,491	**134.07**	**2.23**
18	**राजकोषीय घाटा {16-(4+5+6)}**	**48,238**	**58,212**	51,028	**87.66**	**3.61**
19	**प्राथमिक घाटा (18-11)**	**20,138**	**29,374**	20,426	**69.54**	**1.44**

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएंः लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखों का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 6.02 प्रतिशत बढ़ीं, यद्यपि यह बजट अनुमान से 9.30 प्रतिशत कम रहीं। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) से अधिक राजस्व व्यय (₹ 2,26,479 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ हो गया।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं आरक्षित निधियां से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। **तालिका 1.3** और ***परिशिष्ट 1.3*** में गत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ऐसी परिसम्पत्तियों और देयताओं का सार दिया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें					परिसम्पतियाँ				
		2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	3,21,807.34	3,50,961.67	9.06	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,42,183.05	2,61,965.13	8.17
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	31,748.73	37,422.20	17.87	ब	ऋण एवं अग्रिम	8,213.06	7,968.22	(-) 2.98
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		**1,000.00**	**1,000.00**	-			-	-	-
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	58,786.37	64,122.93	9.08	अ	अग्रिम	3.17	3.14	(-) 0.95
ब	जमायें	44,174.53	45,622.77	3.28	ब	प्रेषण	-	-	-
स	आरक्षित निधियां	12,587.26	15,058.62	19.63	स	उचंत एवं विविध	85.73	137.72	60.64
द	प्रेषण	1.51	0.54	(-)64.24	**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**		**14,669.09**	**7,671.53**	(-) **47.70**
	पूर्णांकन के आधार पर समायोजन प्रविष्टि	(-) 0.01	-	-	**योग**		**2,65,154.10**	**2,77,745.74**	**4.75**
					प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य		**2,04,951.63**	**2,36,442.99**	**15.37**
योग		**4,70,105.73**	**5,14,188.73**	**9.38**	**योग**		**4,70,105.73**	**5,14,188.73**	**9.38**

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियां 4.75 प्रतिशत बढ़ी जबकि देयताएँ 9.38 प्रतिशत बढ़ी।

1.4 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे में

राजकोषीय नीति का संचालन और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के द्वारा राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया था।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुयेः

(i) राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2022-23 तक लगातार दस वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है ।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों को **तालिका 1.4** में सारांशीकृत किया गया हैः

तालिका 1.4: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	बजट अनुमान	(-) 13,528	(-) 17,455	(-) 27,015	(-) 12,346	(-) 23,750	(-) 23,489
2.	संशोधित अनुमान	(-) 20,166	(-) 24,825	(-) 28,041	(-) 41,722	(-) 35,689	(-) 32,310
3.	वास्तविक	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

टिप्पणीः वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य को उदय[1] के प्रभाव सहित दर्शाया गया है ।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 23,489 करोड़) से अधिक था, हालांकि, संशोधित अनुमानों (₹ 32,310 करोड़) में किये गए आंकलन से कम था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व घाटा बजट अनुमान से (₹8,002 करोड़) अधिक था क्योंकि वास्तविक राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान ₹ 2,14,977 करोड़ के समक्ष घटकर ₹ 1,94,988 करोड़ रह गई (इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से राजस्व के नुकसान के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 4,260 करोड़ शामिल हैं) अर्थात 9.29 प्रतिशत (₹19,989 करोड़) की गिरावट रही जबकि वास्तविक राजस्व व्यय बजट अनुमान ₹ 2,38,466 करोड़ के समक्ष अपेक्षाकृत कम गिरावट जैसे 5.03 प्रतिशत गिरावट (₹11,987 करोड़) के साथ ₹ 2,26,479 करोड़ रहा।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में यथा संशोधित) में, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा उसके आगे इसी अनुपात को बनाये रखने या

1. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

इससे कम करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम[2] 2021 के अनुसार, राज्य वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए पात्र है, जिसे बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। हालाँकि, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपरिवर्तित रखा गया।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2020-21	2.99	6.12	5.82
2.	2021-22	3.98	5.18	3.96
3.	2022-23	4.36	4.33	3.61

स्रोतः बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) रहा जो कि बजट अनुमान (₹ 58,212 करोड़) और संशोधित अनुमान (₹ 61,264 करोड़) में किये गये अनुमान से कम था।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) और 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के भीतर कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत तक करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना निर्धारित किया। वर्ष 2022-23 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 34.92 प्रतिशत[3] था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीएसडीपी का 3 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के लिए, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य की निवल उधार सीमा जीएसडीपी की 3.5 प्रतिशत तय की (वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 31 मार्च 2022)।

केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, राज्य को सामान्य उधार सीमा से अधिक जीएसडीपी के 0.4 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई थी।

2. 25 सितंबर 2021 को यथासंशोधित।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिएः जीएसडीपी ₹ 14,13,620 करोड़ और लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ ₹ 4,93,702 करोड़ (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ को छोड़कर)।

इस प्रकार, 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत थी। हालाँकि, बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी प्रदान करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था, लेकिन राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आंकड़े को संशोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

जबकि 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्ष्य आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा के भीतर था। (जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत)।

तालिका 1.6: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-)28,900	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491
			✗	✗	✗	✗	✗
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष) (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-)34,473 (3.78)	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.82)	(-)48,238 (3.96)	(-)51,028 (3.61)
			✗	✗	✗	✗	✗
3.	कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	35.00	34.00	38.20	38.20	38.20
		उपलब्धि	34.16	35.32	39.82[4]	37.02[5]	34.92[5]
			✓	✗	✗	✓	✓

कुल बकाया प्रभावी ऋण से जीएसडीपी अनुपात (34.92 प्रतिशत) कुल बकाया देयताओं में से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर निकाला गया है जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय समग्रों के संबंध में राज्य के बजट में उपलब्धियों की तुलना में अनुमानित लक्ष्य **तालिका 1.7** में दिए गए हैं।

4. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।
5. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

तालिका 1.7: वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य राजकोषीय समग्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियां

राजकोषीय चर	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशत भिन्नता	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	0.8	(-) 1.66	(-) 2.23	(-) 3.03	(-) 0.57
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 4.0[#]	(-) 4.36	(-) 3.61	0.39	0.75
कुल बकाया देयतायें /जीएसडीपी (प्रतिशत)	40.2	39.8	34.92[$]	(-) 5.28	(-) 4.88

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त लेखे और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार।

टिप्पणीः घाटे के आंकड़े ऋणात्मक दिखाए गए हैं।

$ वर्ष 2020-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर।

इसमें बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए अनुमत किया गया जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी अनुपात को पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही। हालाँकि, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी और कुल बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रहा।

राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत मध्यमकालिक राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2022-23 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022-23)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	98,294	87,346	(-) 11.14
2.	कर-भिन्न राजस्व	22,154	20,565	(-) 7.18
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	49,211	57,231	16.30
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	45,318	29,846	(-) 34.14
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,14,977	1,94,988	(-) 9.30
6.	पूंजीगत प्राप्तियां	279	436	56.27
7.	राजस्व व्यय	2,38,466	2,26,479	(-) 5.03
8.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 23,489	(-) 31,491	34.06
9.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 58,212	(-) 51,028	(-) 12.14
10.	प्राथमिक घाटा	(-) 29,373	(-) 20,426	(-) 30.46
11.	ऋण (देयता) जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	39.80	34.92[5]	(-) 4.88
12.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.56	16.04	4.48

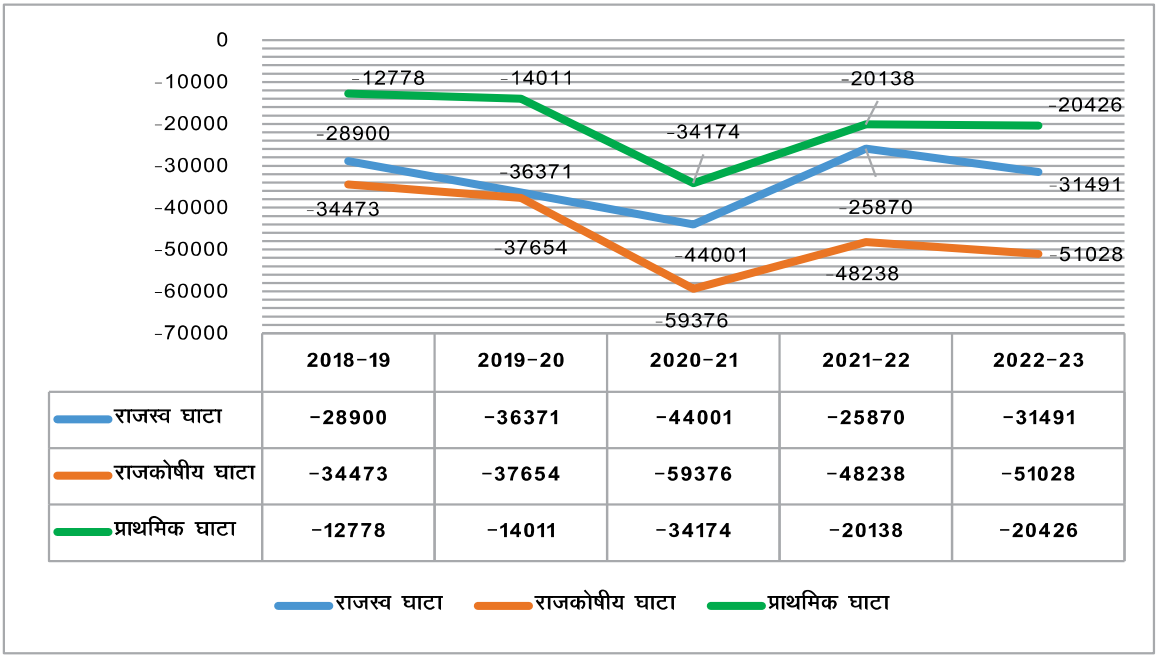
स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि **तालिका 1.8** से देखा जा सकता है, वास्तविक राजस्व घाटा एमटीएफपी के अनुमान से अधिक था। हालाँकि, वास्तविक राजकोषीय घाटा और ऋण-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी में अनुमानों से कम था।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2018-23 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते हैं।

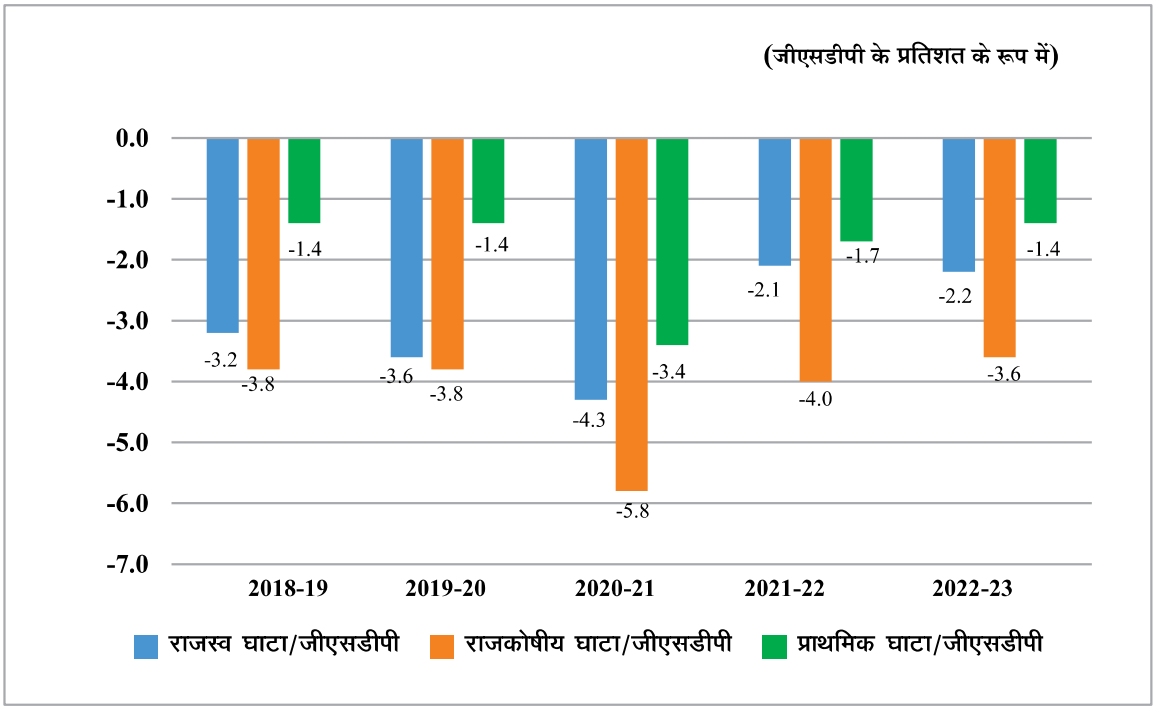
चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)



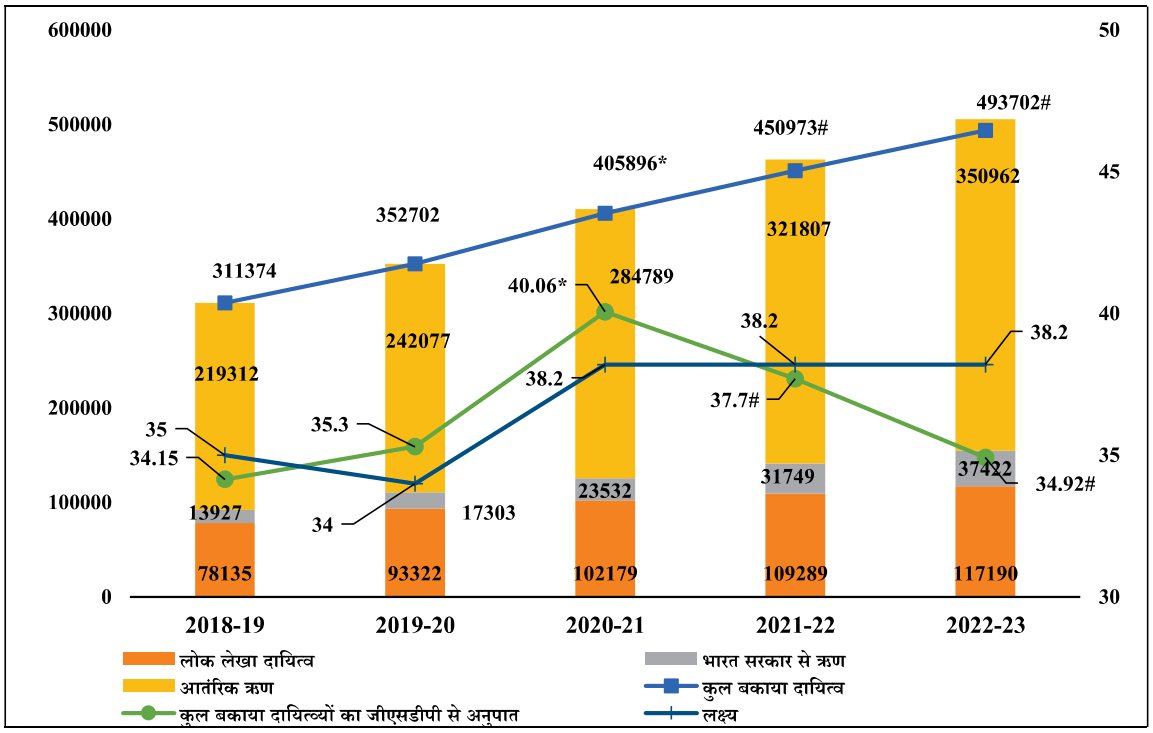
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा	-28900	-36371	-44001	-25870	-31491
राजकोषीय घाटा	-34473	-37654	-59376	-48238	-51028
प्राथमिक घाटा	-12778	-14011	-34174	-20138	-20426

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे के संकेतकों की प्रवृति



चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)



* *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

\# *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

वर्ष 2022-23 के दौरान, आंतरिक ऋण में 9.06 प्रतिशत (₹29,155 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 7.23 प्रतिशत (₹7,901 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 17.87 प्रतिशत (₹ 5,673 करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देयतायों में गत वर्ष की तुलना में 9.47 प्रतिशत (₹42,729 करोड़) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2023 को मौजूद ₹ 4,93,702 करोड़[6] की राजकोषीय देयताओं में गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते थे, को जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 24,013 करोड़ की बकाया उधारी सम्मिलित थी।

1.4.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए उधार का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है।

6. वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की सामान्य निवल उधार सीमा ₹ 42,856 करोड़[7] तय की (मार्च 2022) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिजन्य उधारें इस सीमा के भीतर बनी रहे।

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 31 मार्च 2022 के माध्यम से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की निवल उधार सीमा (एनबीसी) जीएसडीपी का 3.5% तय की। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, राज्य को पूंजी निवेश/व्यय 2022-23 के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 50 वर्षों के लिए ₹5,595.64 करोड़ (जीएसडीपी का 0.3958 प्रतिशत) ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई थी, जो राज्य को दी गई सामान्य उधार सीमा से अधिक थी। इस प्रकार, 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत थी।

वित्त लेखे 2022-23 के उधार और अन्य देयताओं के विवरण (विवरण संख्या 6) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिजन्य उधार और अन्य देयतायें ₹ 42,729 करोड़ रही, जो कि उधार सीमा के भीतर थी।

1.5 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण

लेखापरीक्षा जांच में लेखों में गलत वर्गीकरण और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार देखे गये जिसने कुल घाटे और ऋण के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों जैसे कि ऋण और प्रत्याभूति पर घाटा सीमा आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए । राज्य के लिए गणना किये गये राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित होते हैं जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजी के रूप में गलत वर्गीकृत करना और स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, उपकर का कम/अधिक हस्तांतरण आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता है जैसा कि **तालिका 1.9** में बताया गया है।

7. वर्ष 2022-23 के अनुमानित जीएसडीपी (₹12,24,465 करोड़) का 3.5 प्रतिशत, भारत सरकार द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानित जीएसडीपी के आधार पर गणना की गई।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
आरक्षित/जमा निधि में अन्य हस्तांतरण					
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना (पैरा 4.1)		11.25		11.25
2.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गीकरण (पैरा 3.4.7)	-	493.60	-	-
3.	राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानांतरण न होना (पैरा 2.5.2.1)	-	155.60	-	155.60
4.	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का हस्तांतरण न होना		106.62		106.62
	योग	**कम आँका गया** 767.07		कम आँका गया 273.47	
आरक्षित/जमा निधि में उपकर/ अधिभार का हस्तांतरण					
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	-	123.45	-	123.45
6.	अन्य उपकर और अधिभार[8] का अधिक हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	1,226.11	-	1,226.11	-
	योग (उपकर/ अधिभार)	**(निवल) अधिक आँका गया 1,102.66**		**(निवल) अधिक आँका गया 1,102.66**	
	महायोग	**(निवल) अधिक आँका गया 335.59**		**(निवल) अधिक आँका गया 829.19**	

स्रोतः वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे एवं विश्लेषण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (i)) ₹ 335.59 करोड़ से अधिक और राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (ii)) ₹ 829.19 करोड़ अधिक आँका गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात – समग्र देयता

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य के समेकित निधि और लोक लेखे के अंतर्गत देयताएं हैं। बकाया ऋण/देयताओं को नीचे **तालिका 1.10** में दिए अनुसार विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जांच के बाद 31 मार्च 2023 तक समग्र देयताओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	**आन्तरिक ऋण**	**3,50,961.67**
(i)	*ब्याज वाले बाजार ऋण*	*3,02,202.82*

8. **(क) अतिरिक्त हस्तांतरण:** (i) पेट्रोल और डीजल पर उपकरः ₹ 1,561.97 करोड़; (ii) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टांप शुल्क पर अधिभारः ₹ 361.57 करोड़; **(ख) कम अंतरण द्वारा समायोजितः** (i) गाय और उसकी संतति के संरक्षण और प्रसार के लिए अधिभारः ₹ 243.73 करोड़; (ii) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत के लिए अधिभारः ₹ 393.27 करोड़; (iii) जल संरक्षण उपकरः ₹ 60.43 करोड़।

क्र. सं.	विवरण	राशि
(ii)	*बिना ब्याज वाले बाजार ऋण*	*0.03*
(iii)	*भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण*	*7.68*
(iv)	*केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां*	*9,069.28*
(v)	*अन्य संस्थाओं से ऋण*	*39,681.86*
2.	**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**37,422.20**
(i)	*1984-85 से पूर्व के कर्ज*	*5.41*
(ii)	*योजनेत्तर ऋण*	*9.96*
(iii)	*राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	*1,227.06*
(iv)	*केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	*3.05*
(v)	*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	*36,176.72*
3.	**अल्प बचत, भविष्य निधि आदि**	**64,122.93**
4.	**आरक्षित निधि**	**7,444.20**
5.	**जमा**	**45,622.77**
क.	**समग्र देयतायें** (1 **से** 5)	**5,05,573.77**
ख.	समग्र देयताओं पर प्रभाव **(कम आँका गया) के कारण:**	
(i)	राज्य सरकार की ओर से 'विभिन्न जिला परिषदों' द्वारा बजट से इतर उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,276.58
(ii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा उधार।	2.81
	कुल 'ख'	**1,279.39**
	कुल (क + ख)	**5,06,853.16**

इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 1,279.39 करोड़ का बजट से इतर उधार का सहारा लिया।

राज्य के बजट से इतर उधार को सम्मिलित करते हुए मार्च 2023 के अंत में कुल बकाया देयतायें ₹ 4,93,701.49 करोड़ के समक्ष ₹ 4,94,980.88 करोड़[9] हो जायेगी। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र देयताओं (34.92 प्रतिशत[10]) को 0.09 प्रतिशत से कम बताया गया।

9. ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872.29 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर।

10. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872.29 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर।

अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र रुझानों, राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखा संव्यव्हारों का राज्य के वित्त लेखों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण करता है।

2.1 वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का सारांश **तालिका 2.1** और प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2021-22	2022-23		2021-22	2022-23
अनुभाग-अ: राजस्व खाता					
स्व-कर राजस्व	74,807.98	87,346.38	सामान्य सेवायें	65,406.37	71,874.89
कर-भिन्न राजस्व	18,754.97	20,564.43	सामाजिक सेवायें	85,053.68	90,168.36
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	54,030.61	57,230.79	आर्थिक सेवायें	59,329.92	64,436.00
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	36,326.49	29,846.33	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.04	0.04
योग अनुभाग अ-राजस्व प्राप्तियां	**1,83,920.05**	**1,94,987.93**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**2,09,790.01**	**2,26,479.29**
अनुभाग-ब: पूंजीगत लेखा और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	31.42	16.20	पूँजीगत परिव्यय	**24,151.59**	**19,798.28**
			सामान्य सेवायें	483.53	542.45
			सामाजिक सेवायें	10,951.01	8,850.67
			आर्थिक सेवायें	12,717.05	10,405.16
ऋण और अग्रिमों की वसूलियां	2,373.59	419.61	संवितरित ऋण और अग्रिम	621.24	174.78
लोक ऋण प्राप्तियां*	62,820.90[&]	55,647.01	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	17,585.77	20,819.20
आकस्मिकता निधि	500.00	-	आकस्मिकता निधि	500.00	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ[#]	2,51,294.80	2,43,204.58	लोक लेखा संवितरण[#]	2,40,110.57	2,34,001.34
प्रारंभिक रोकड़ शेष	6,487.51	14,669.09	अंतिम रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**3,23,508.22**	**3,13,956.49**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,97,638.26**	**2,82,465.13**
मद्य योग (अ+ब)	**5,07,428.27**	**5,08,944.42**	**मद्य योग (अ+ब)**	**5,07,428.27**	**5,08,944,42**

स्रोत: वित्त लेखे

* *मार्गोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट 2021-22: ₹ 38, 542.41 करोड़ एवं 2022-23: ₹ 1,04,918.40 करोड़ के अंतर्गत संव्यवहारों के अतिरिक्त।*

& *वर्ष 2021-22 के दौरान प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियां ₹ 55,552.61 करोड़ थी जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 7,268.29 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

\# *लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर दर्शायी गई है।*

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 6.02 प्रतिशत बढ़ी। ➢ राज्य की स्व कर प्राप्तियाँ-16.76 प्रतिशत बढ़ी। ➢ स्व कर-भिन्न प्राप्तियाँ 9.65 प्रतिशत बढ़ी। ➢ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 5.92 प्रतिशत बढ़ा। ➢ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 17.84 प्रतिशत घटा।
पूंजीगत प्राप्तियां	➢ ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 11.42* प्रतिशत घटी। ➢ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 81.88 प्रतिशत घटी।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 7.96 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 9.89 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 6.01 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 8.61 प्रतिशत बढ़ा।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 18.03 प्रतिशत घटा। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 12.19 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 19.18 प्रतिशत घटा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 18.18 प्रतिशत घटा।
ऋण और अग्रिम	➢ ऋण और अग्रिमों का संवितरण 71.87 प्रतिशत घटा। ➢ ऋण और अग्रिमों की वसूलियां 82.32 प्रतिशत घटी।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियाँ 11.42* प्रतिशत घटी। ➢ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 18.39 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियाँ 3.22 प्रतिशत घटी। ➢ लोक लेखा संवितरण 2.54 प्रतिशत घटा।
रोकड़ शेष	➢ गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,997.56 करोड़ (47.70 प्रतिशत) घटा।

* *वर्ष 2022-23 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में प्रभावी वृद्धि वर्ष 2021-22 की तुलना में 0.17 प्रतिशत रही जो कि भारत सरकार से वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैक-टू-बैक लोक ऋण प्राप्तियों के रूप में प्राप्त ₹ 7,268.29 करोड़ (2021-22 के दौरान प्राप्त) के अतिरिक्त है।*

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2021-22 के साथ वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

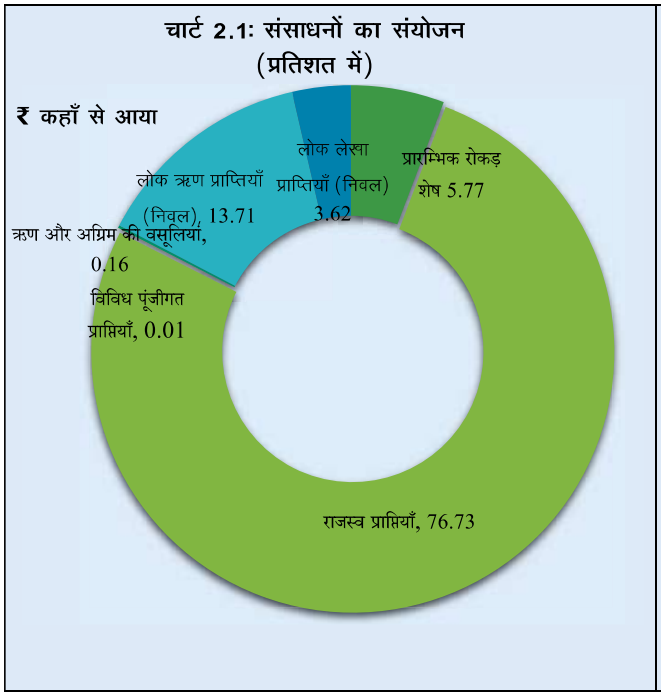
(₹ करोड़ में)

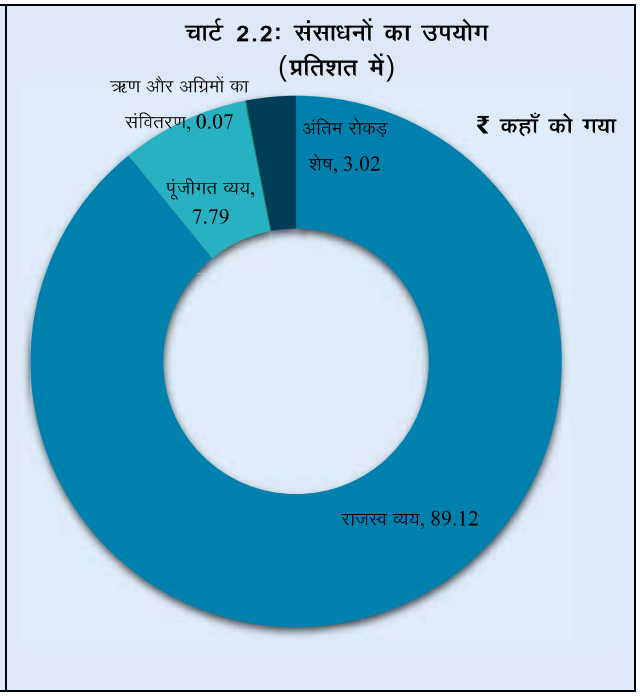
	विवरण	2021-22	2022-23	बढ़त / कमी)(-
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,487.51	14,669.09	8,181.58
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,83,920.05	1,94,987.93	11,067.88
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	31.42	16.20	(-) 15.22
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	2,373.59	419.61	(-) 1,953.98

	विवरण	2021-22	2022-23	बढ़त / कमी)(-
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	45,235.13*	34,827.81	(-) 10,407.32
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	11,184.23	9,203.24	(-) 1,980.99
	योग	**2,49,231.93**	**2,54,123.88**	**4,891.95**
उपयोग	राजस्व व्यय	2,09,790.01	2,26,479.29	16,689.28
	पूंजीगत व्यय	24,151.59	19,798.28	(-) 4,353.31
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	621.24	174.78	(-) 446.46
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53	(-) 6,997.56
	योग	**2,49,231.93**	**2,54,123.88**	**4,891.95**

स्रोतः वित्त लेखे

* *प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियां (निवल) ₹ 37,966.84 करोड़ होगी जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को वर्ष 2021-22 के दौरान दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 7268.29 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*





2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान शामिल हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक



वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कूल संसाधनों ₹ 2,60,274 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) का हिस्सा 74.92 प्रतिशत रहा। कुल संसाधनों में पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 56,083 करोड़) तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 9,203 करोड़) का हिस्सा क्रमशः 21.55 प्रतिशत तथा 3.53 प्रतिशत रहा।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृतियां दर्शाता है। आगे यह प्राप्तियों की प्रवृति को भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियों और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि 2018-23 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृतियां और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**1,37,873**	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**
2.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.30	1.63	(-) 4.14	36.94	6.02
3.	**कर राजस्व**	**99,233**	**95,294**	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**
4.	स्व-कर राजस्व	57,380	59,245	60,283	74,808	87,346
5.	केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	41,853	36,049	35,576	54,031	57,231
6.	**कर-भिन्न राजस्व**	**18,603**	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**20,565**
7.	**भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान**	**20,037**	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**
8.	स्व-राजस्व (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व)	75,983	74,959	73,936	93,563	1,07,911
9.	स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	14.54	(-) 1.35	(-) 1.36	26.55	15.34
10.	सहायतार्थ अनुदान की वृद्धि दर	(-) 16.30	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	9,11,519	9,98,679	10,19,442$^{\Sigma}$	12,18,193$^{\Psi}$	14,13,620$^{\propto}$
12.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
13.	राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	15.13	14.03	13.17	15.10	13.79

$^{\Sigma}$ *संशोधित अनुमान-II*

$^{\Psi}$ *संशोधित अनुमान -I*

$^{\propto}$ *अग्रिम अनुमान*

क्र. सं.	मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
14.	**उत्प्लावकता अनुपात**[1]					
15.	राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.87	0.17	-*	1.89	0.38
16.	राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.53	-*	-*	1.36	0.96

स्रोतः वित्त लेखे तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

* *नकारात्मक वृद्धि होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।*

तालिका 2.3 यह दर्शाती है कि पिछले पांच वर्ष में राजस्व प्राप्तियां 9.05 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ की तुलना में 41.43 प्रतिशत बढकर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,94,988 करोड़ हो गयी । राजस्व प्राप्तियां 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,068 करोड़ (6.02 प्रतिशत) बढ़ी। पिछले वर्षों की तुलना में राज्य के स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व तथा केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश क्रमशः 16.76 प्रतिशत, 9.65 प्रतिशत तथा 5.92 प्रतिशत से बढ़ा।

पिछले वर्ष के तुलना में चालू वर्ष में राजस्व व्यय 7.96 प्रतिशत (₹ 16,689 करोड़) बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 6.02 प्रतिशत (₹ 11,068 करोड़) बढ़ी।

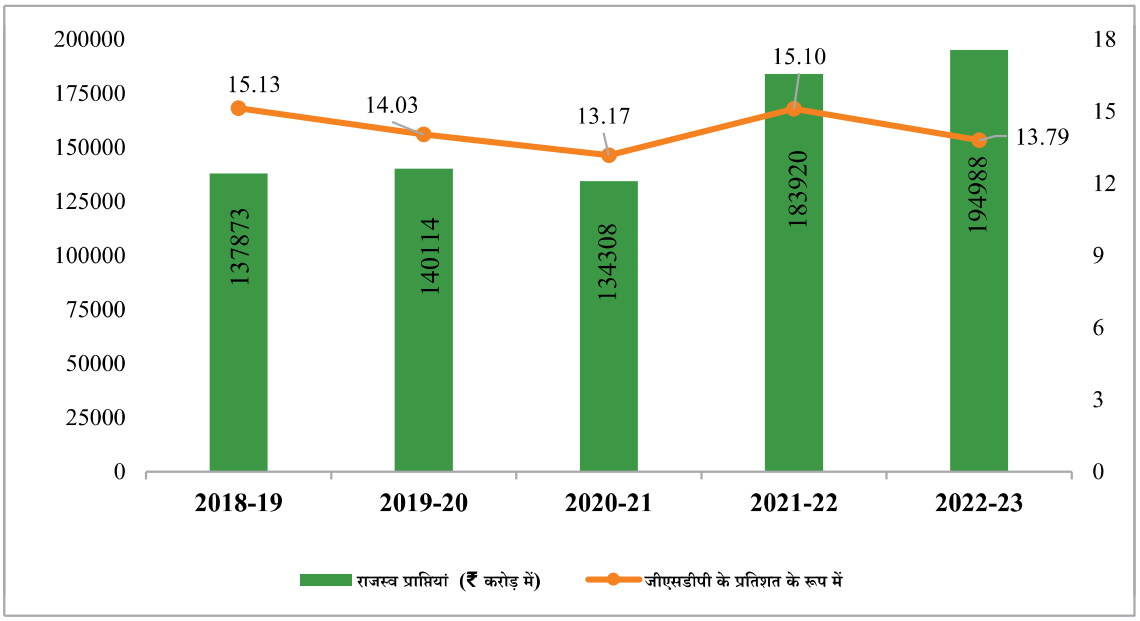
अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में 48.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,480 करोड़ (17.84 प्रतिशत) से कम रही। यह कमी मुख्य रूप से राजस्व घाटा अनुदान तथा स्थानीय निकायों को अनुदान में भारी कमी के कारण थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55.34 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया था, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का योगदान 44.66 प्रतिशत था, जो कि राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता को दर्शाता है।

जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.87 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.89 प्रतिशत हो गयी, यद्यपि, 2022-23 में यह काफी कम होकर 0.38 प्रतिशत रह गई। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 1.53 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 0.96 प्रतिशत रह गई। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 और 2020-21 के दौरान नकारात्मक हो गई।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति **चार्ट 2.4** में दर्शाई गयी हैं।

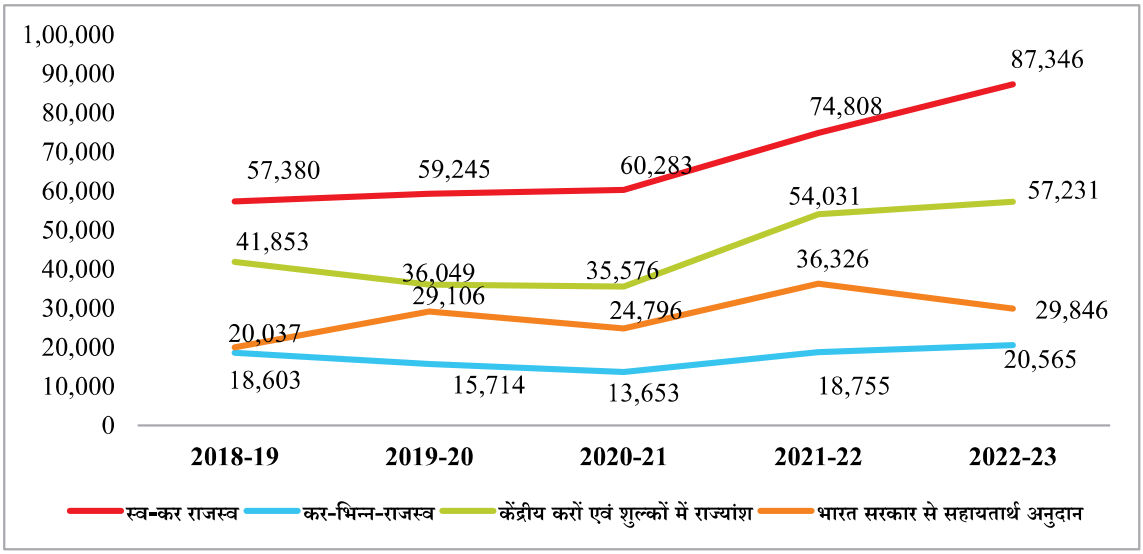
1. उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर के प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक तक की वृद्धि हो जाती है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति



चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)



2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता से निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सहित उसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

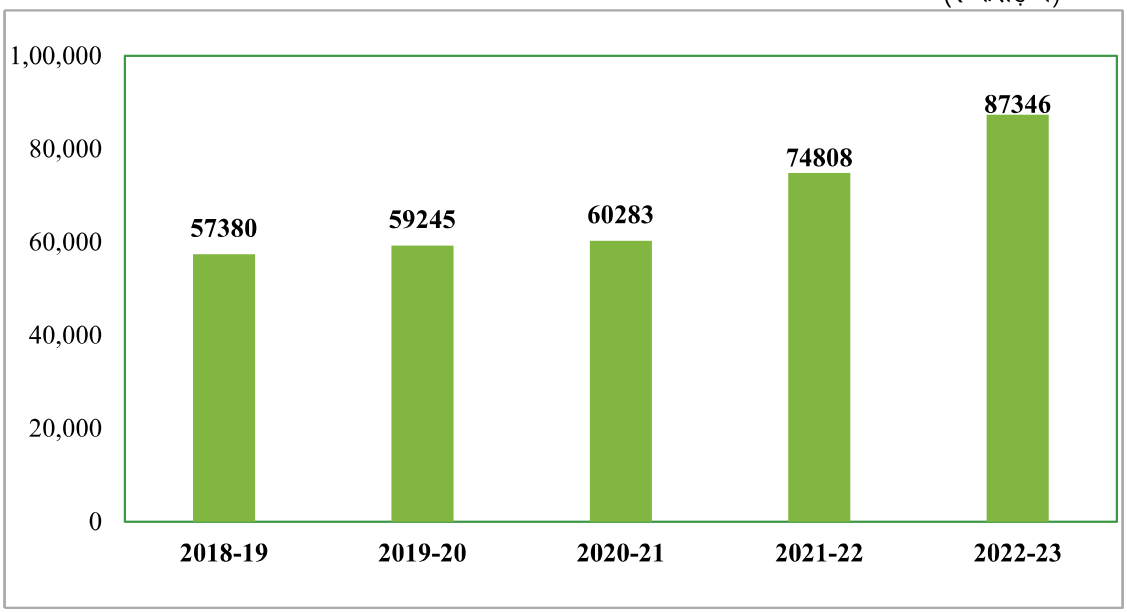
स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्री पर कर इत्यादि कर शामिल हैं।

वर्ष 2018-23 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृति एवं इसके घटकों का विश्लेषण **चार्ट 2.6** और **तालिका 2.4** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 2.6: वर्ष 2018-23 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2018-23 के दौरान संग्रहित स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.4: वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक 2022-23
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,791	15,843	17,479	20,605	25,000	22,727
2.	माल एवं यात्री पर कर	51	41	45	171	10	08
3.	मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	05	01	01	11	01	01
4.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	22,938	21,954	20,755	27,502	39,500	33,790
	योग	**37,785**	**37,839**	**38,280**	**48,289**	**64,511**	**56,526**
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	8,694	9,592	9,853	11,807	15,000	13,326
6.	वाहनों पर कर	4,576	4,951	4,368	4,759	7,000	6,128

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक 2022-23
7.	मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	3,886	4,235	5,297	6,492	8,100	8,189
8.	भू-राजस्व	290	364	280	632	633	484
9.	अन्य कर [2]	2,149	2,264	2,205	2,829	3,050	2,693
	महा योग	**57,380**	**59,245**	**60,283**	**74,808**	**98,294**	**87,346**

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य का स्व-कर राजस्व 11.08 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2018-19 में ₹ 57,380 करोड़ से ₹ 29,966 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 87,346 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 16.76 प्रतिशत थी एवं पूर्वोत्तर एव हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के औसत (19.78 प्रतिशत) ***(परिशिष्ट 1.2)*** से कम थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, स्व-कर राजस्व के मुख्य अंश राज्य वस्तु एवं सेवा कर (38.69 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (26.02 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (15.26 प्रतिशत) रहे। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 22.86 प्रतिशत, 26.14 प्रतिशत, 12.87 प्रतिशत और 10.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 39,500.00 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का संग्रहण ₹ 33,790.48 करोड़ (आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 963.46 करोड़ को शामिल करते हुए) था, जबकि 2021-22 में यह ₹ 27,501.90 करोड़ था। भारतीय रिज़र्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 15,585.60 करोड़ थी तथा वित्त लेखों के अनुसार भी एसजीएसटी की राशि ₹ 15,585.60 करोड़[3] थी। इस प्रकार, एसजीएसटी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की पुस्तकों एवं वित्त लेखों के मध्य कोई अंतर नहीं था।

2. अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 2,148 करोड़, ₹ 2,263 करोड़, ₹ 2,142 करोड़, ₹ 2,606 करोड़ एवं ₹ 2,625 करोड़ की प्राप्तियां शामिल हैं।

3. इसमें मुख्य शीर्ष-0006 के तहत प्राप्त ₹ 18,204.88 करोड़ शामिल नहीं हैं (i) एसजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सकल उपयोगः ₹ 13,254.47 करोड़; (ii) आईजीएसटी का विभाजन - एसजीएसटी के कर घटक का स्थानांतरणः ₹ 3,976.20 करोड़; (iii) आईजीएसटी का विभाजन - एसजीएसटी के ब्याज घटक का स्थानांतरणः ₹ 10.75 करोड़ तथा (iv) आईजीएसटी से अग्रिम आवंटनः ₹ 963.46 करोड़।

वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) परिसर में सम्पूर्ण भारत के आंकड़ो तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की जानकारी 20 जून 2020 को दी गई। राजस्थान के मामले में, जो एक मॉडल- II राज्य है, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लेखापरीक्षा में लगे अधिकारियों को जीएसटीएन तक उपयोगकर्ता आईडी-आधारित पहुंच 25 नवंबर 2020 को प्रदान की गई थी। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य की प्राप्तियों की वर्ष 2021-22 तक की लेखापरीक्षा की जा चुकी है तथा 2022-23 की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का कार्य प्रगति पर है।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में विलम्ब को इंगित करता है और निर्धारण का बकाया रहना संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध है। दोनों सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2023 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 10,864.09 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 4,516.64 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 को कुल बकाया राशि* और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2023 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	12,105.72	7,579.67	(-) 37.39	3,726.04
2.	परिवहन	50.07	33.63	(-) 32.83	24.47
3.	भू-राजस्व*	217.03	184.45	(-) 15.01	98.67
4.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई*	2.99	3.16	5.69	1.89
5.	पंजीयन तथा मुद्रांक*	681.73	549.15	(-) 19.45	248.60
6.	भू -कर	515.54	1,200.75	132.91	232.39
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,484.01	1,313.28	(-) 11.50	184.58
योग		**15,057.09**	**10,864.09**	**(-) 27.85**	**4,516.64**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के कारण प्रारंभिक शेष पिछले वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (दिसंबर 2023)

बकाया निर्धारण

वाणिज्यिक कर, परिवहन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अन्तिमिकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर	1	4,443	4,444	4,443	1	99.98
पंजीयन एवं मुद्रांक#	15,361	14,817	30,178	7,211	22,967	23.89
परिवहन	1,032	20,006	21,038	20,017	1,021	95.15

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

भूमि कर सहित

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में मामलों का निपटान बहुत कम था। विभाग मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम, भू-राजस्व तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (दिसंबर 2023) ।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

विभागों द्वारा पता लगाये गए कर चोरी के मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के मुख्य संकेतक है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कर चोरी के 855 मामले ध्यान में आए। 782 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई और 348 मामले 31 मार्च 2023 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे। इसके अतितिक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2022-23 के दौरान कर चोरी के 1,386 मामले ध्यान में आए। 407 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई और 1,799 मामले 31 मार्च 2023 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे।

बकाया मामलों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगायी गई कर चोरी

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया मामले	वर्ष 2022-23 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण / जाँच पूर्ण कर ली गई और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2023 को अन्तिमीकरण के लिये बकाया मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	275	855	1,130	782	1,415.77	348
पंजीयन एवं मुद्रांक	820	1,386	2,206	407	16.66	1,799

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि इन दोनों विभागों के मामले में वर्ष के दौरान लंबित प्रकरणों में वृद्धि हुई। विभाग लंबित प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए ठोस प्रयास कर सकते हैं।

परिवहन, खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम, भू-राजस्व तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (दिसंबर 2023)।

रिफंड के लंबित मामले

रिफंड के मामलों के निस्तारण में तत्परता भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में लंबित रिफंड के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित बताये गए मामलों को **तालिका 2.8** में दिया गया है:

तालिका 2.8: रिफंड के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	1,482	138.04	1,400	11.59	669	3.13
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,817	300.31	2,065	17.18	379	4.17
3	वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड	3,411	150.84	1,438	9.72	687	3.39
4	वर्ष के दौरान निरस्त	1,891	222.15	334	3.64	47	0.18
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	997	65.36	1,693	15.41	314	3.73

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम, भू-राजस्व तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)। यह देखा जा सकता है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में मामलों की संख्या के साथ-साथ लंबित रिफंड की राशि में भी वृद्धि हुई है।

संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अदायगी से भी बच सकती है।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश एवं लाभ, इत्यादि शामिल है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक 2022-23
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	5,791	3,852	2,693	1,628	1,914.12	2,030
2.	पेट्रोलियम से राजस्व[4]	3,883	3,320	1,905	3,995	5,000.00	4,889
3.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,302	4,579	4,966	6,395	8,000.00	7,213
4.	लाभांश एवं लाभ	56	55	3	87	67.40	29
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,571	3,908	4,086	6,650	7,173.14	6,404
	योग	**18,603**	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**22,154.66**	**20,565**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.17 प्रतिशत से 13.49 प्रतिशत तक था। वर्ष 2022-23 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹ 20,565 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 9.65 प्रतिशत (₹ 1,810 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः कच्चे तेल पर रायल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 894 करोड़ (22.38 प्रतिशत) तथा अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग में ₹ 818 करोड़ (12.79 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में कर-भिन्न राजस्व (9.65 प्रतिशत) की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ***(परिशिष्ट 1.2)*** के कर-भिन्न राजस्व (12.94 प्रतिशत) की औसत वृद्धि दर से कम थी।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्यतः रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर होते हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 32 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की । तथापि, पहन्द्रवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्से को 42

4. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से राजस्व।

प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 41 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की । वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से हस्तांतरित हिस्सा 44.66 प्रतिशत था।

चौदहवें तथा पंद्रहवे वित्त आयोगों की अवधि को शामिल करते हुए पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृति नीचे तालिका में दी गई है ।

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

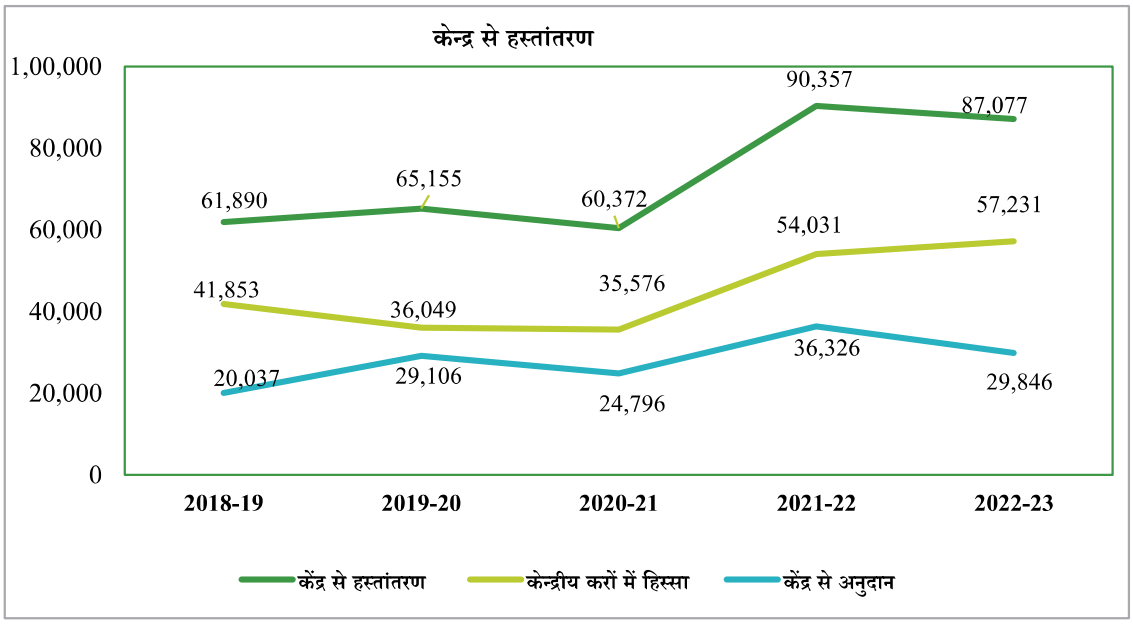
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	41,853	36,049	35,576	54,031	57,231
सहायतार्थ अनुदान	20,037	29,106	24,796	36,326	29,846
योग	**61,890**	**65,155**	**60,372**	**90,357**	**87,077**
गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	1.51	5.28	(-)7.34	49.67	(-)3.63
केंद्र से कुल हस्तांतरण का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	44.89	46.50	44.95	49.13	44.66

स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के राज्य सरकार के वित्त लेखे ।

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2018-19 में ₹ 61,890 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 87,077 करोड़ हो गया, यद्यपि, गत वर्ष (₹ 90,357 करोड़) की तुलना में इसमें 3.63 प्रतिशत की कमी आई है। गत वर्ष की तुलना में, 2022-23 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी, यद्यपि, केंद्र से अनुदान गत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)



केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय करों में राज्यांश के घटकों को **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्यांश के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सीमा शुल्क	2,966	2,285	1,910	3,864	2,249
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,971	1,589	1,199	2,098	706
3.	सेवा कर	389	-	150	701	89
4.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	10,329	10,229	10,603	15,261	16,170
5.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	824	-	-	-	-
6.	निगम कर	14,553	12,291	10,711	16,172	19,192
7.	निगम कर से भिन्न आय पर कर	10,718	9,631	10,978	15,877	18,730
8.	धन कर	5	1	-	4	-
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	22	23	25	54	95
10.	अन्य	76	-	-	-[5]	-
11.	**कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण (1 से 10)**	**41,853**	**36,049**	**35,576**	**54,031**	**57,231**
12.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	13.03	(-)13.87	(-)1.31	51.87	5.92
13.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	30.36	25.73	26.49	29.38	29.35

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 29.35 प्रतिशत था। पांच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण 8.14 प्रतिशत की सीएजीआर से वर्ष 2018-19 के ₹ 41,853 करोड़ से वर्ष 2022-23 में 36.74 प्रतिशत बढ़कर ₹ 57,231 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 57,231 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 5.92 प्रतिशत (₹ 3,200 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर में ₹ 3,020 करोड़ (18.67 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर में ₹ 2,853 करोड़ (17.97 प्रतिशत), सीजीएसटी में ₹ 909 करोड़ (5.96 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई जिसे सीमा शुल्क में ₹ 1,615 करोड़ (41.80 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 1,392 करोड़ (66.35 प्रतिशत) एवं सेवा शुल्क में ₹ 612 करोड़ (87.30 प्रतिशत) की कमी से समायोजित किया गया था।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान **तालिका 2.12** में वर्णित है।

5. ₹ 0.11 करोड़।

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें (सी एस एस)	13,317	14,966	12,595	14,965	14,554
2.	वित्त आयोग अनुदान	3,121	7,332	6,237	17,211	10,508
3.	विधानमंडल वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	3,599	6,808	5,964	4,150	4,784
	भारत सरकार से सहायतार्थ कुल अनुदान	**20,037**	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**
4.	गत वर्ष की तुलना में वृधि/कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 16.30	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84
5.	राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान की प्रतिशतता	14.53	20.77	18.46	19.75	15.31

स्रोतः वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,480 करोड़ (17.84 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 15.31 प्रतिशत था। राज्य को वर्ष के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 14,554 करोड़) कुल अनुदान का 48.76 प्रतिशत था। पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान में मुख्य रूप से राजस्व घाटे की भरपाई के लिए (₹ 4,862 करोड़), स्थानीय निकायों (₹ 4,069 करोड़) तथा राज्य आपदा शमन निधि के लिए सहायता सहित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) (₹ 1,400 करोड़) का सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है, जिसमें राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुदानों में जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 4,260 करोड़) शामिल है।

एकल नोडल एजेंसी को धन का हस्तानान्तरण (एसएनए)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों को जारी करने तथा एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एकल नोडल एजेंसी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तानांतरित करना है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2022) की राज्य में सभी सीएसएस योजनाओं के एसएनए खाते खोल लिये गये है।

राज्य सरकार को अपने कोषालय खातों में 2022-23 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 13,826.93 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 को, सरकार द्वारा कोषालय खातों में प्राप्त हुए ₹ 15,483.89 करोड़ (पिछले शेष सहित) तथा राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 11,632.42 करोड़ एकल नोडल एजेंसी को हस्तान्तरित किये गये । कुल हस्तानांतरित ₹ 27,116.31 करोड़ में से, ₹ 13,990.79 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 5,160.06 करोड़ पूरी तरह से वाउचर किये गये आकस्मिक बिलों के माध्यम

से, ₹ 325.08 करोड़ पुस्तकीय हस्तांतरण के माध्यम से, ₹ 7,327.54 करोड़ निजी निक्षेप खाते के माध्यम से तथा ₹ 312.84 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (डब्ल्यू ए एम) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज महालेखाकार कार्यालय को एकल नोडल एजेंसी से प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी -01 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 9,095.98 करोड़ बिना व्यय किये पड़े थे, जो कि सरकारी खातों के दायरे से बाहर है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए नवंबर 2020 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा प्रबन्धन अनुदान और मिलियन प्लस शहरों/शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्य को निधियों के हस्तान्तरण/अनुदान की सिफारिश की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए राजस्थान के लिए ₹ 59,374 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान की सिफारिश की। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य द्वारा आगे के हस्तांतरण की स्थिति नीचे **तालिका 2.13** में दी गई है:

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2022-23	2022-23	2022-23
1.	स्थानीय सरकार के लिए अनुदान	**22,749.00**	**4,413.00**	**4,068.78**	**4,415.38**
	(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	**15,053.00**	**2,957.00**	**2,955.34**	**2,924.44**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	**6,021.20**	1,182.80	1,182.20	1,182.20
	(ब) टाईड अनुदान	**9,031.80**	1,774.20	1,773.14	1,742.24*
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	**7,696.00**	**1,456.00**	**1,113.44**	**1,490.94**
	क. नॉन मिलियन प्लस शहर	**5,369.00**	**1,016.00**	**1,016.00**	**998.50**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	2,147.60	406.40	406.40	399.40#
	(ब) टाईड अनुदान	3,221.40	609.60	609.60	599.10##
	ख. मिलियन प्लस शहर (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा)	**2,327.00**	**440.00**	**97.44**	**492.44**
	(अ) वायु गुणवत्ता	774.00	146.00	97.44	208.44$
	(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई	1,553.00	294.00	-	284.00$$
2.	**स्वास्थ्य अवसंरचना**	**4,423.06**	**832.98**	**176.56**	-

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2022-23	2022-23	2022-23
	(i) ग्रामीण क्षेत्र	3,709.90	698.68	176.56	
	(ii) शहरी क्षेत्र	713.16	134.30	-	-
3.	आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान (केंद्र सरकार का अंश 75%)	8,186.00	1,556.00	1,400.40	1,244.80@
4.	योग (1+2+3)	35,358.06	6,801.98	5,645.74	5,660.18
5.	राजस्व घाटा अनुदान	14,740.00	4,862.00	4,862.00	-
6.	अन्य**	9,276.00	1165.00	0	-
	महायोग (4 + 5+6)	59,374.06	12,828.98	10,507.74	5,660.18

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य के वित्त लेखे एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* *इसमें भारत सरकार द्वारा 31-03-2022 को हस्तांतरित ₹ 856.20 करोड़ (टाईड अनुदान की दूसरी किस्त) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 से सम्बन्धित 11-04-2022 को जारी अनुदान शामिल है।*

\# *इसमें भारत सरकार द्वारा 30-03-2022 को हस्तांतरित ₹ 196.20 करोड़ (अनटाईड अनुदान की दूसरी किस्त) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 से सम्बन्धित 08-04-2022 को जारी अनुदान शामिल है।*

\## *इसमें भारत सरकार द्वारा 31-03-2022 को हस्तांतरित ₹ 294.30 करोड़ (टाईड अनुदान की दूसरी किस्त) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 से सम्बन्धित 08-04-2022 को जारी अनुदान शामिल है।*

$ *इसमें भारत सरकार द्वारा 27-03-2022 को हस्तांतरित ₹ 111.00 करोड़ (टाईड अनुदान की दूसरी किस्त) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 से सम्बन्धित 07-04-2022 को जारी अनुदान शामिल है।*

$$ *यह अनुदान भारत सरकार द्वारा 30-03-2022 को हस्तांतरित की गयी थी तथा राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 से सम्बन्धित 08-04-2022 को जारी अनुदान शामिल है।*

@ *शेष राशि ₹155.60 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा 01/05/2023 को जारी की गयी।*

** *भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई सड़क के रखरखाव, सांख्यिकी, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, कृषि और राज्य विशिष्ट अनुदान से सम्बंधित अनुदान जारी नहीं किये गये थे।*

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई, राजस्व घाटा अनुदान, आदि के लिए ₹ 12,829 करोड़ आवंटित की जानी थी। इसके समक्ष लेखापरीक्षा ने पाया कि इसमें से राजस्थान सरकार को ₹ 10,508 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमे राजस्व घाटा अनुदान ₹ 4,862 करोड़ शामिल है। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,321 करोड़ का कम हस्तान्तरण किया गया ।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को ₹ 5,660 करोड़ जारी/स्थानांतरित किए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना अनुदान जारी करने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (दिसंबर 2023)।

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य, केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायतार्थ अनुदान हस्तांतरित करेगा। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी के लिए राज्य सरकार को गत वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा।

यह देखा गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान को जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को देरी से हस्तांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2022-23 के दौरान ₹5.97 करोड़ का ब्याज भुगतान करना पड़ा।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आतंरिक स्त्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है । निवले पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के निर्वहन के बाद निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्त्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	पूंजीगत प्राप्तियाँ	**36,110**	**41,831**	**49,328**	**47,640**	**35,264**
1.	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	20	14	31	16
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	15,158	15,670	373	2,374	420
3.	निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	20,932	26,141	48,941	45,235	34,828
4.	आंतरिक ऋण	19,068	22,766	42,712	37,018	29,154
5.	वृद्धि दर	19.48	19.39	87.61	(-)13.34	(-)21.24
6.	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,864	3,375	6,229	8,217	5,674
7.	वृद्धि दर	101.73	81.07	84.56	31.92	(-)30.95
8.	निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	23.98	24.89	87.22	(-) 7.57	(-)23.01
9.	गैर ऋण पूंजीगत-प्राप्तियों की वृद्धि दर	0.18	3.37	(-)97.53	521.45	(-)81.87
10.	जीएसडीपी की वृद्धि दर	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
11.	पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.73	15.84	17.92	(-)3.42	(-)25.98

स्त्रोतः वित्त लेखे और एमओएसपीआई, भारत सरकार ।

पूँजीगत प्राप्तियां वर्ष 2021-22 में ₹ 47,640 करोड़ से 25.98 प्रतिशत घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 35,264 करोड़ रह गई। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ 82.67 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 16.09 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋण तथा अग्रिमों से आयी। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा बाजार ऋण कम लेने के कारण आंतरिक ऋण में 21.24 प्रतिशत की कमी हुई तथा गत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 30.95 प्रतिशत की कमी जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण जारी न होने के कारण हुई।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

जैसाकि केंद्रीय करों और सहायतार्थ अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, संसाधन जुटाने में प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संन्दर्भ में किया गया जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित हैं।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ बजट अनुमानों को **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से वास्तविक का प्रतिशत विचलन
1.	स्व-कर राजस्व	98,294	87,346	(-) 11.14
2.	कर-भिन्न राजस्व	22,154	20,565	(-) 7.17

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

स्व-कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियां बजट अनुमानों से क्रमशः 11.14 प्रतिशत (₹ 10,948 करोड़) तथा 7.17 प्रतिशत (₹ 1,589 करोड़) कम थी जो राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, जिसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के संदर्भ में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2018-23) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृतियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा उसके संयोजन

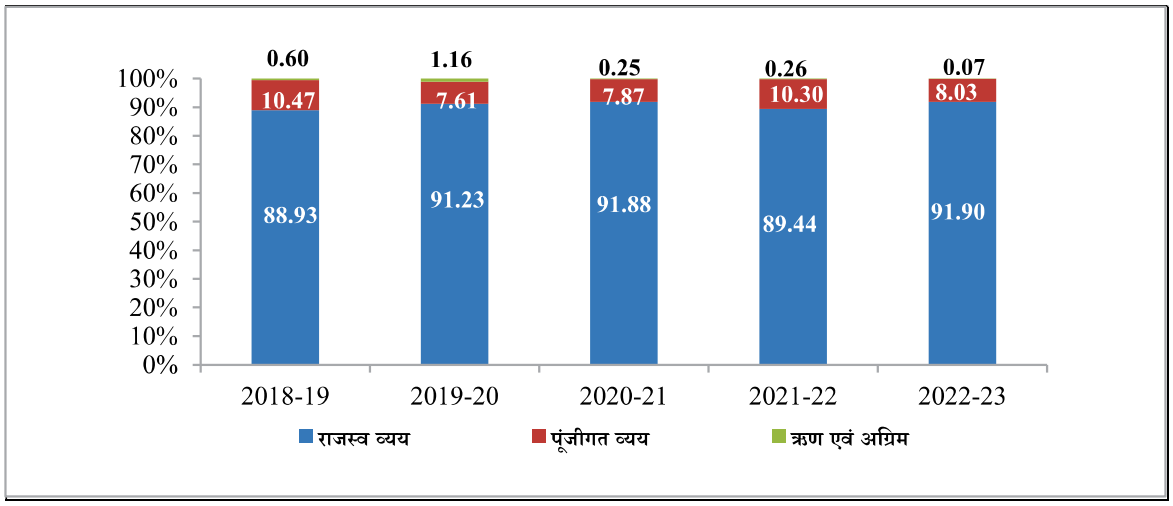
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	कुल व्यय	1,87,524	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452
2.	राजस्व व्यय	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479
3.	पूंजीगत व्यय	19,638	14,718	15,271	24,152	19,798
4.	ऋण एवं अग्रिम	1,113	2,255	491	621	175
5.	**जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में**					
6.	कुल व्यय/जीएसडीपी	20.57	19.37	19.04	19.25	17.43
7.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	18.30	17.67	17.49	17.22	16.02
8.	पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.15	1.47	1.50	1.98	1.40
9.	ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.12	0.23	0.05	0.05	0.01

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 1,87,524 करोड़ से 31.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 5.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम में कमी हुई। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 17.43 प्रतिशत से 20.57 प्रतिशत के मध्य रहा। कुल व्यय की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान (5.07 प्रतिशत) रही जो कि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कुल व्यय की औसत वृद्धि दर 12.53 प्रतिशत से कम थी ***(परिशिष्ट 1.2)***।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: घटक वार अंश की प्रवृतियाँ



स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त **चार्ट 2.8** और **तालिका 2.16** से यह स्पष्ट है कि पूंजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 19,638 करोड़ से केवल 0.81 प्रतिशत (₹ 160 करोड़) बढ़कर 2022-23 में ₹ 19,798 करोड़ हो गया, यद्यपि इसमें

गत वर्ष की तुलना में ₹ 18.03 प्रतिशत की कमी हुई। कुल व्यय तथा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।

गतिविधियों के सन्दर्भ में, कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय से संगठित माना जा सकता है।

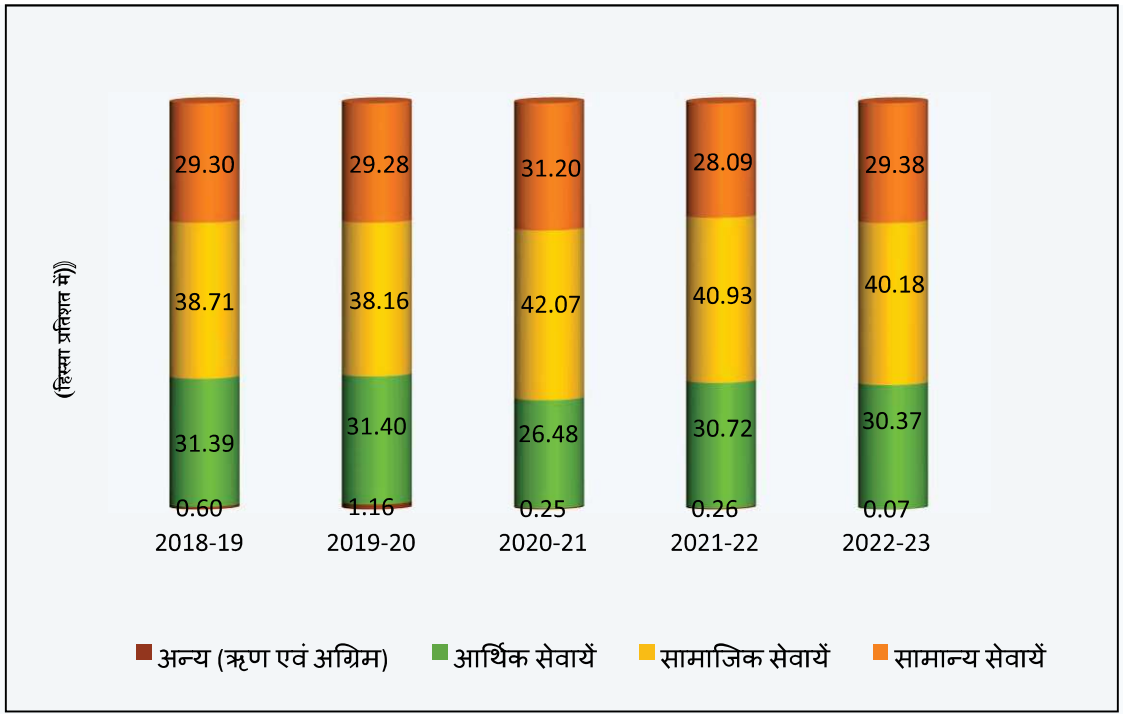
तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष घटक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सामान्य सेवायें	29.30	29.28	31.20	28.09	29.38
2.	सामाजिक सेवायें	38.71	38.16	42.07	40.93	40.18
3.	आर्थिक सेवायें	31.39	31.40	26.48	30.72	30.37
4.	अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	0.60	1.16	0.25	0.26	0.07

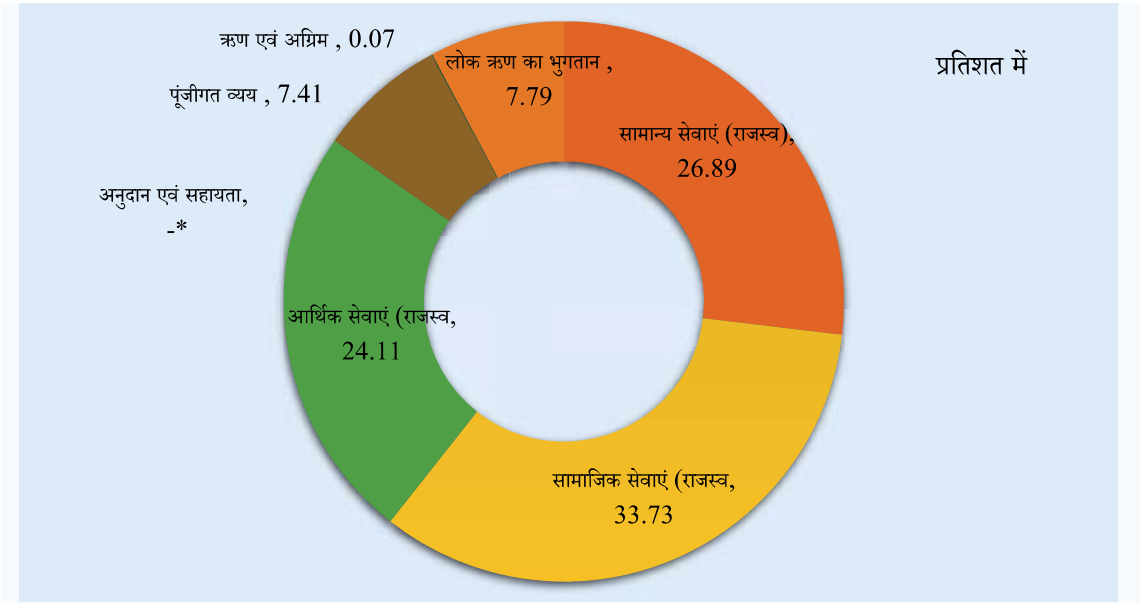
स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.9: कुल व्यय – गतिविधियों द्वारा व्यय



चार्ट 2.9 एवं **तालिका 2.17** दर्शाती है कि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की सापेक्ष हिस्सेदारी यद्यपि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बढ़ी है, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में गत वर्ष की तुलना में मामूली कमी आई। ऋण एवं अग्रिम में गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। **चार्ट 2.10** कार्य के आधार पर समेकित निधि व्यय की संरचना दर्शाता है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2022-23 के दौरान कार्य-वार समेकित निधि व्यय की संरचना



स्रोतः वित्त लेखे।

* मात्र 4,00,000

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है । गत पांच वर्षों के लिये कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा जीएसडीपी से अनुपात को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय–आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

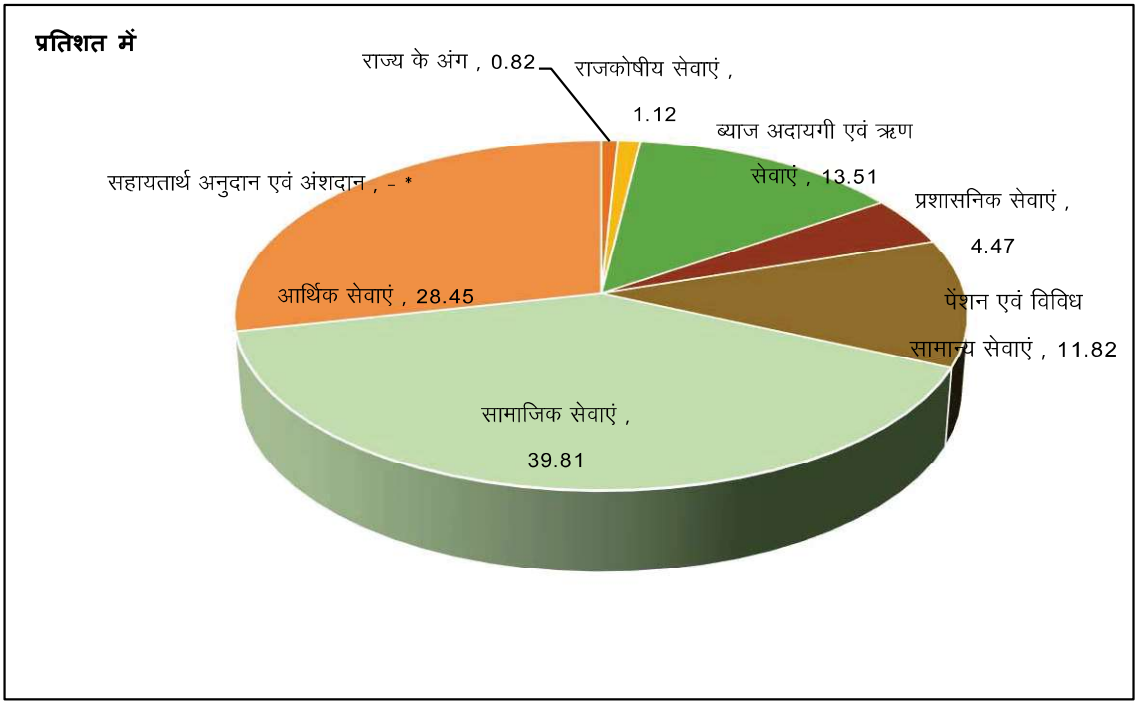
क्र.सं.	मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	कुल व्यय	1,87,524	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452
2.	राजस्व व्यय	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479
3.	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.35	5.82	1.03	17.66	7.96
4.	राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	88.93	91.23	91.88	89.44	91.90
5.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.30	17.67	17.49	17.22	16.02
6.	राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	120.96	125.96	132.76	114.07	116.15
	राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
7.	जीएसडीपी (अनुपात)	1.51	0.61	0.50	0.91	0.50
8.	राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.73	3.57	-*	0.48	1.32

स्रोतः वित्त लेखे

** वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।*

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.90 प्रतिशत था। यह वर्ष 2018-19 में ₹ 1,66,773 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,26,479 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 7.96 प्रतिशत (₹ 16,689 करोड़) की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2018-19 से 2022-23 के दौरान सभी वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक था, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोतः वित्त लेखे।

* मात्र ₹ 4,00,000

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (-)
1.	3451- सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	39.72	4,023.10	3,983.38
2.	2202- सामान्य शिक्षा	39,738.75	43,705.47	3,966.72
3.	2049 -ब्याज भुगतान	28,100.46	30,601.88	2,501.42
4.	3054- सड़क एवं सेतु	2,991.23	4,360.32	1,369.09

क्र.सं .	मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (-)
5.	2505- ग्रामीण रोजगार	5,082.44	6,435.90	1,353.46
6.	2235 -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12,079.02	13,393.05	1,314.03
7.	2075- विविध सामान्य सेवाएं	560.13	1,392.76	832.63
8.	2425 -सहकारिता	4,355.17	1,679.37	(-)2,675.80
9.	2515 -अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,502.45	8,475.87	(-)2,026.58

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान 'सचिवालय - आर्थिक सेवाएं', 'सामान्य शिक्षा', 'ब्याज भुगतान', 'सड़क एवं सेतु', 'ग्रामीण रोजगार', 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' तथा 'विविध सामान्य सेवाएं' के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज अदायगी, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है।

उपरोक्त के अलावा, अलोचनीय व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं जो कि पूंजीगत व्यय, आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के भिन्न है । उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अलोचनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – राज्य, वेतन और भत्ते (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण) के लिए स्थानीय निकायों (केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग) को वैधानिक हस्तांतरण में योगदान देता है।

(ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं - गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा शमन/मोचन निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), राज्य सड़क एवं सेतु निधि आदि।

(iii) आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान - वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में हस्तानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष सीएसएस का अंश योगदान – राज्य के व्यय की राशि और राज्य की समेकित निधि में प्राप्त केंद्रीय हिस्सेदारी को एकल नोडल एजेंसी में हस्तांतरित किया जावेगा/राज्य द्वारा व्यय किया जावेगा।

(vi) ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास पहलों के लिए कम संसाधन रह जाते हैं। प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय तथा उसके घटकों का प्रवृति विश्लेषण **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा **चार्ट 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय के घटक

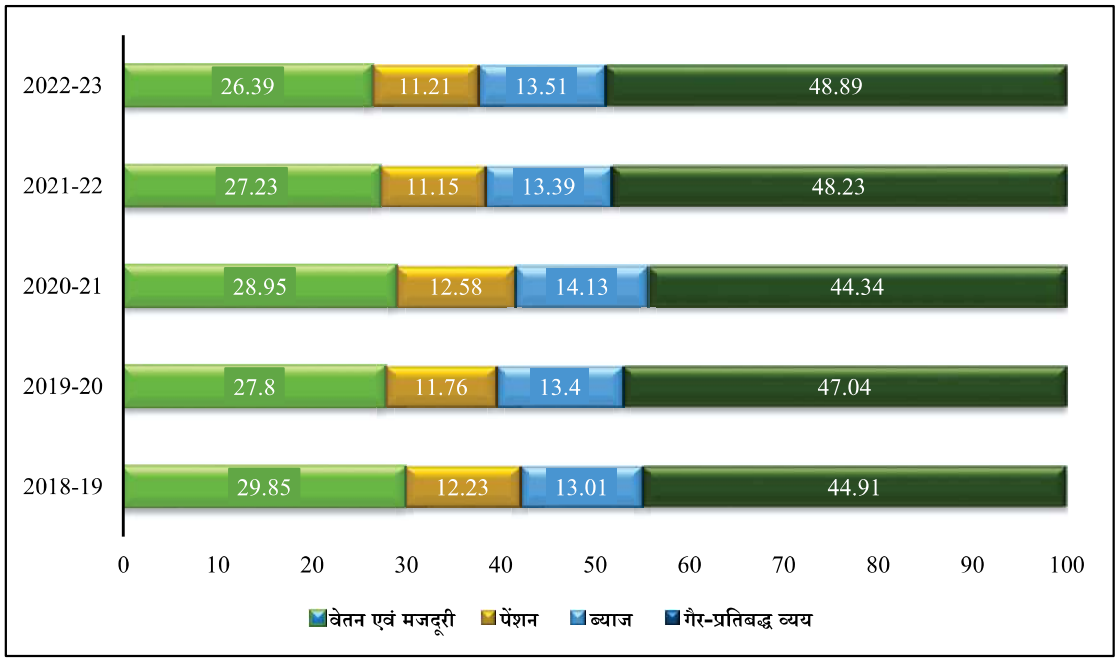
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	वेतन एवं मजदूरी	49,790	49,066	51,619	57,118	59,774
2.	पेंशन पर व्यय	20,396	20,761	22,440	23,391	25,381
3.	ब्याज अदायगी	21,695	23,643	25,202	28,100	30,602
4.	**योग**	**91,881**	**93,470**	**99,261**	**1,08,609**	**1,15,757**
5.	**अलोचनीय व्यय के घटक**					
6.	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	**5,154**	**7,207**	**8,959**	**10,873**	**9,277**
	(अ) केन्द्रीय वित्त आयोग	2,164	6,327	4,755	5,195	4,069
	(ब) राज्य वित्त आयोग	2,990	880	4,204	5,678	5,208
7.	आरक्षित निधि में योगदान	2,987	4,608	4,377	4,884	6,229
8.	आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान	–	–	–	–	–
9.	उपकर का आरक्षित निधि/अन्य निकाय को हस्तांतरण	816	1,735	1,638	4,532	5,637
10.	प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का अंश	**24,988**	**28,278**	**29,172**	**42,634**	**43,205**
	(अ) केन्द्रीय अंश	12,730	14,546	12,454	14,817	13,717
	(ब) राज्य अंश	12,258	13,732	16,718	27,817	29,488
11.	ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था	38	42	144	328	177
12.	**योग**	**33,983**	**41,870**	**44,290**	**63,251**	**64,525**
13.	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में**					
14.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
15.	वेतन एवं मजदूरी	36.11	35.02	38.43	31.05	30.66
16.	पेंशन पर व्यय	14.80	14.82	16.71	12.73	13.02
17.	ब्याज अदायगी	15.74	16.87	18.76	15.28	15.69
18.	**योग**	**66.65**	**66.71**	**73.90**	**59.05**	**59.37**
19.	**अलोचनीय व्यय**					
20.	**योग**	**24.65**	**29.88**	**32.98**	**34.39**	**33.09**
21.	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में**					
22.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
23.	वेतन एवं मजदूरी	29.85	27.80	28.95	27.23	26.39
24.	पेंशन पर व्यय	12.23	11.76	12.58	11.15	11.21

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
25.	ब्याज अदायगी	13.01	13.40	14.13	13.39	13.51
26.	**योग**	**55.09**	**52.96**	**55.66**	**51.77**	**51.11**
27.	**अलोचनीय व्यय**					
28.	**योग**	**20.38**	**23.72**	**24.84**	**30.15**	**28.49**
29.	**गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय**	**74,892**	**83,015**	**79,048**	**1,01,181**	**1,10,722**
30.	राजस्व व्यय का प्रतिशत	44.91	47.04	44.34	48.23	48.89
31.	कुल व्यय का प्रतिशत	39.94	42.91	40.73	43.14	44.93
32.	**अर्थसहाय्य-**	**21,540**	**18,990**	**14,828**	**23,364**	**26,166**
33.	गैर-प्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य	28.76	22.88	18.76	23.09	23.63

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2018-19 के 55.09 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2022-23 में 51.11 प्रतिशत प्रतिशत रह गया । इसके अतिरिक्त गत वर्ष (51.77 प्रतिशत) की तुलना में भी वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें मामूली कमी पायी गयी। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात बढ़ा है लेकिन 2021-22 में यह घटकर 59.05 प्रतिशत रह गया तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान यह पुनः बढकर 59.37 प्रतिशत तक हो गया ।

वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 59.37 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के लिए व्यय किया जाता है।

वेतन और मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 49,790 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 59,774 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 4.65 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (8.52 प्रतिशत) से कम थी। (***परिशिष्ट 1.2***)।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2018-19 में ₹ 20,396 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 25,381 करोड़[6] हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय 8.51 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से पेंशनरों[7] की कुल संख्या में 18,927 (3.99 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। पेंशन भुगतान में वृद्धि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (11.38 प्रतिशत) से कम थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 11.21 प्रतिशत (2021-22 में 11.15 प्रतिशत) था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2018-19 के ₹ 21,695 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 30,602 करोड़ हो गया। ब्याज भुगतान गत वर्ष (₹ 28,100 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान (₹ 30,602 करोड़) 8.90 प्रतिशत बढ़ा जो मुख्यतः बाजार ऋण में ₹ 37,016 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की ब्याज अदायगियों का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2022-23 के लिए 15.69 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (15.28 प्रतिशत) से अधिक था।

अलोचनीय व्यय

अलोचनीय व्यय के घटकों जिसमें अन्यों के साथ, प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष सीएसएस योगदान का राज्य तथा केंद्रीय हिस्सा, स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण, आरक्षित निधि में योगदान तथा आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण शामिल है, में भी 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अवधि के दौरान अलोचनीय व्यय 20.38 प्रतिशत से बढ़कर 28.49 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹63,251 करोड़) की तुलना में 2022-23 के दौरान अलोचनीय व्यय में 2.01 प्रतिशत (₹1,274 करोड़) की वृद्धि हुई।

6. इसमें 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्ष के दौरान "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों" पर व्यय के कारण ₹ 25,377.19 करोड़ की राशि तथा परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए ₹ 3.81 करोड़ का सरकारी योगदान शामिल है।
7. वर्ष 2021-22 में पेंशनरों की संख्याः 4,73,811 एवं वर्ष 2022-23 मेंः 4,92,738

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था, लागू की गई थी। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान एवं राज्य कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में 14 प्रतिशत का अंशदान सरकार द्वारा किया जाना अनिवार्य था ।

राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की अधिसूचना जारी की, जिसके कारण राज्य में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 5,25,713 कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, नवीन अंशदायी पेंशन योजना में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कुल अंशदान ₹ 6.51 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 2.70 करोड़ तथा सरकार का योगदान ₹ 3.81 करोड़) था। इसमें से, सरकार ने ₹ 6.41 करोड़, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित किये, जो 2022-23 से संबंधित ₹ 0.10 करोड़ के कम हस्तांतरण को दर्शाता है। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैं:

तालिका 2.21: वर्ष 2022-23 के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कुल अंशदान

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	कर्मचारियों का अंशदान मुख्य शीर्ष-8342	नियोक्ता का अंशदान मुख्य शीर्ष-2071	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान	वर्ष के दौरान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित	2022-23 के दौरान कम हस्तांतरण	हस्तांतरण योग्य कुल राशि	हस्तांतरित नहीं की गयी कुल राशि
1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (4-5)	7 = (1+4)	8= (7-4)
0.54	2.70	3.81	6.51	6.41	0.10	7.05	0.64

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में ₹ 0.64 करोड़ की राशि अहस्तांतरित रह गई जिसे राज्य के समतुल्य अंशदान अर्थात कर्मचारियों के वेतन का 14 प्रतिशत (मूल प्लस महंगाई भत्ता) के साथ ट्रस्टी बैंक/ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

इसके अलावा, जैसा कि निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, राजस्थान द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंशदान से संबंधित ₹ 817.27 करोड़[8] (अहस्तांतरित राशि) की राशि राज्य के लोक लेखे में वर्ष 2022-23 के अंत तक पड़ी हुई थी। जिसमें से 31 मार्च 2022 तक से सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना की राशि ₹ 808.46 करोड़ 31 मार्च 2023 तक एनएसडीएल को हस्तान्तरित नहीं दी गई । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 2023 को कर्मचारियों के अंशदान के साथ समतुल्य अंशदान की राशि का एनएसडीएल को कम हस्तान्तरण राज्य सरकार की आस्थगित देयता है ।

विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि 31 मार्च 2023 तक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए ₹ 28,340.16 करोड़ जिनका मूल्यांकन ₹ 40,563.57 करोड़ हो चुका था तथा प्राप्ति पर, यह राशि वित्त विभाग की अधिसूचना (19 मई 2022) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के सामान्य राजस्व शीर्ष में जमा की जाएगी।

2.4.2.4 अर्थ-सहाय्य

पिछले पांच वर्षों 2018-23 के दौरान का विवरण नीचे दी गयी **तालिका 2.22** में दिया गया है:

तालिका 2.22: वर्ष 2018-23 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

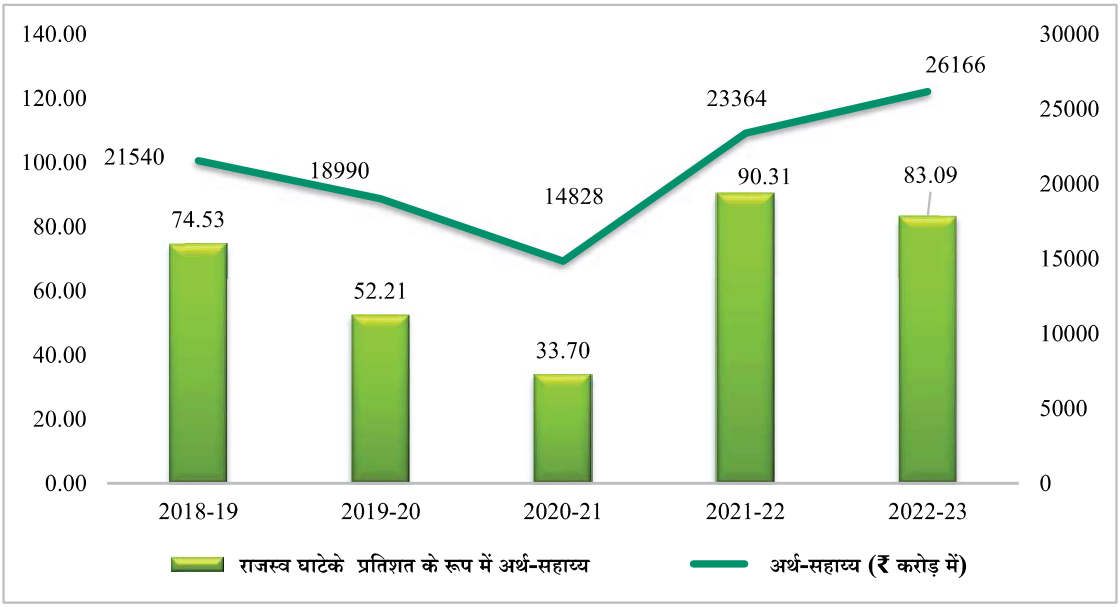
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	अर्थ-सहाय्य	21,540	18,990	14,828	23,364	26,166
2.	अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	15.62 **(1,37,873)**	13.55 **(1,40,114)**	11.04 **(1,34,308)**	12.70 **(1,83,920)**	13.42 **(1,94,988)**
3.	अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	12.92 **(1,66,773)**	10.76 **(1,76,485)**	8.32 **(1,78,309)**	11.14 **(2,09,790)**	11.55 **(2,26,479)**
4.	अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	74.53 **(28,900)**	52.21 **(36,371)**	33.70 **(44,001)**	90.31 **(25,870)**	83.09 **(31,491)**
5.	सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	21,204	18,644	14,264	22,644	25,405
6.	विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	98.44	98.18	96.20	96.92	97.09

स्रोतः वित्त लेखे

8. 8011-106-(03)-01: ₹ 126.02 करोड़ जिसमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओ की लीगेसी राशि से संबंधित ₹ 30.72 करोड़ शामिल हैं तथा 8342-00-117-01-01: ₹ 691.25 करोड़ । इस राशि में ओपीएस में वापसी के बावजूद डीडीओ द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान गलती से कटौती किये गये कर्मचारी अंशदान की राशि ₹ 8.81 करोड़ शामिल है ।

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य



वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अर्थ-सहाय्य में पूर्ण रूप से एवं राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार गिरावट आ रही है तथा उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई है । वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 13.42 तथा 11.55 थी। अर्थ-सहाय्य पर भुगतान वर्ष 2022-23 के दौरान (₹ 26,166 करोड़) गत वर्ष (₹ 23,364 करोड़) से 11.99 प्रतिशत बढ़ गया।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य व्यय का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली अर्थ-सहाय्य थी जो कुल अर्थ-सहाय्य का 97.09 प्रतिशत (₹ 25,405 करोड़) थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य मुख्य रूप से विद्युत दर नहीं बढ़ाने (₹ 22,174.26 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगमों को देय विद्युत शुल्क के लिए अनुदान (टेरिफ अनुदान) (₹ 1300.00 करोड़) के रूप में दी गई थी। इसके अलावा, 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदान की गई अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के 96.20 प्रतिशत से 98.44 प्रतिशत के मध्य रही।

विद्युत क्षेत्र की अर्थ-सहाय्य (₹ 25,405 करोड़) गत वर्ष (₹ 22,644 करोड़) की तुलना में 12.19 प्रतिशत (₹ 2,761 करोड़) बढ़ी, जो मुख्य रूप से वितरण कंपनियों को *पॉवर टेरिफ* नहीं बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में ₹ 2,368 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

वर्ष 2022-23 में अर्थ-सहाय्य का दूसरा सबसे बड़ा घटक फसल कृषि-कर्म (₹ 649.31 करोड़ रुपये) था, जो वर्ष 2021-22 के ₹ 551.30 करोड़ से 17.78 प्रतिशत बढ़ गया। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अर्थ-सहाय्य वर्ष 2021-22 में ₹ 113.64 करोड़ से 2022-23 में 39.96 प्रतिशत कम होकर ₹ 68.23 करोड़ रह गई।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 49,443.69 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में गत वर्ष (₹ 49,126.65 करोड़) की तुलना में 0.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के 20.90 प्रतिशत से 23.42 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2018-23 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान एवं ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.23** में दिया गया है।

तालिका 2.23: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	(अ) स्थानीय निकाय					
1.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,811.13	3,781.24	5,205.98	5,542.19	6,229.12
2.	पंचायती राज संस्थाएं	14,834.25	15,270.45	14,543.19	21,585.50	20,766.58
	योग (अ)	**18,645.38**	**19,051.69**	**19,749.17**	**27,127.69**	**26,995.70**
	(ब) अन्य					
3.	शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,452.88	1,487.70	1,267.73	1,393.81	1,892.14
4.	विकास अभिकरण	13.65	12.41	12.87	28.48	39.02
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	1,241.07	898.43	430.43	1,539.23	1,859.75
6.	अन्य संस्थान	13,509.23	19,574.59	18,284.48	19,037.44	18,657.08[9]
	योग (ब)	**16,216.83**	**21,973.13**	**19,995.51**	**21,998.96**	**22,447.99**
	योग (अ+ब)	**34,862.21**	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**
7.	वेतन सहायतार्थ अनुदान	5,690.64	5,132.98	4,683.66	6,639.46	7,468.09
8.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	799.14	5,197.63	989.72	578.69	267.35
9.	गैर-वेतन सहायतार्थ अनुदान	28,372.31	30,686.40	34,041.57	41,905.84	41,708.25
10.	वस्तु के रूप में दिया गया सहायतार्थ अनुदान	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गयी				
11.	राजस्व व्यय	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479

9. इसमें मुख्य रूप से दिए गए अनुदान शामिल हैं (i) सामान्य शिक्षाः ₹ 5,105.59 करोड़; (ii) फसल कृषि कर्मः ₹ 2,351.78 करोड़; (iii) सहकारी संस्थाएँः ₹ 2,079.65 करोड़; (iv) परिवार कल्याणः ₹ 1,934.50 करोड़; (v) सरकारी कंपनियांः ₹ 1,136.05 करोड़; (vi) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहतः ₹ 903.64 करोड़ और (vii) बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 495.51 करोड़।

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
12.	राजस्व व्यय से सहायता (अ+ब) का प्रतिशत	20.90	23.25	22.29	23.42	21.83

स्रोतः वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता पांच साल की अवधि में लगातार बढ़ी है, जो 2018-19 में ₹ 34,862.21 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 49,443.69 करोड़ हो गई है।

पांच साल की अवधि में वेतन, परिसंपत्तियों के सृजन तथा गैर-वेतन उद्देश्य के लिए दी जाने वाली समग्र वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को कुल वित्तीय सहायता के संबंध में, 2022-23 के दौरान वेतन, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा गैर-वेतन उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा क्रमशः 15.11 प्रतिशत, 0.54 प्रतिशत और 84.36 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता निम्नलिखित थेः

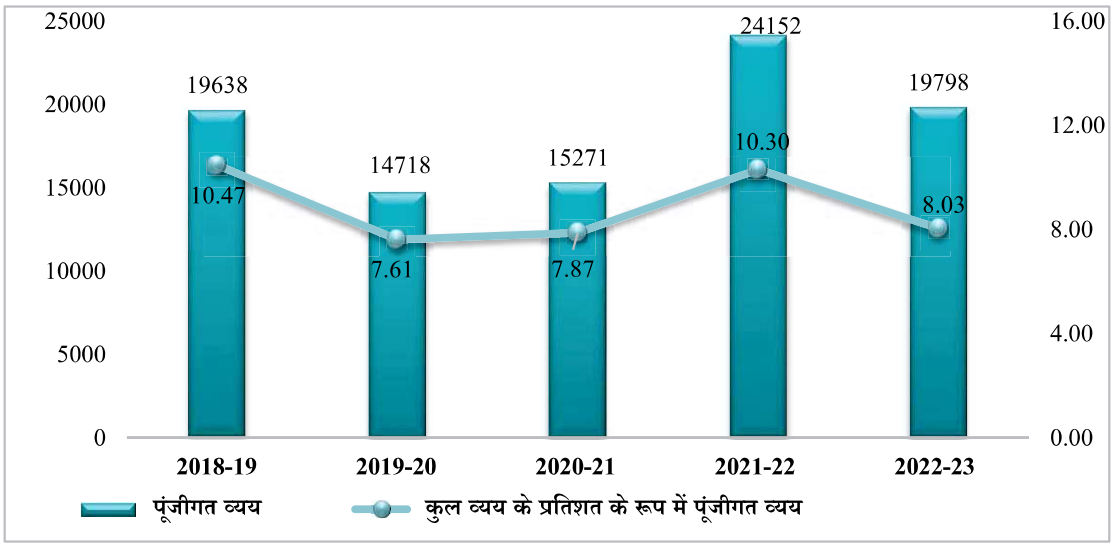
- जिला परिषदों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 3,736.84 करोड़)।
- पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान (₹3,477.60 करोड़)।
- प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा पर सामान्य व्यय (₹2,940.79 करोड़)।
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिला परिषदों को अनुदान (₹ 2,696.90 करोड़)।
- ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹2,497.16 करोड़)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹1,901.48 करोड़)।
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,436.97 करोड़)।
- नगर निगमों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,354.25 करोड़)।
- पंचायत समितियों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹1,110.51 करोड़)।
- ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 1,086.98 करोड़)।
- पंचायत समितियों को स्थापना हेतु तदर्थ सहायता (₹ 1,079.45 करोड़)।
- कृषि ऋण माफी योजना (₹1,000.00 करोड़)।
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹918.59 करोड़)।
- निःशुल्क दवा वितरण योजना हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (₹700.00 करोड़)।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत सम्पत्तियों के सृजन जैसे सड़कों, भवनों आदि पर होने वाला व्यय है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। वर्ष 2018-23 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय तथा इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता को **चार्ट 2.14** में इंगित किया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2021-22 में 10.30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 के दौरान 8.03 प्रतिशत रह गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.24 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को दर्शाती है।

तालिका 2.24: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि /कमी (-)
1.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	627.20	1,446.64	819.44
2.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	187.48	558.58	371.10
3.	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,917.78	2,372.73	(-)2,545.05
4.	5054- सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय	4,161.86	2,596.28	(-)1,565.58
5.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3,067.98	1,945.62	(-)1,122.36

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 18.03 प्रतिशत (₹ 4,354 करोड़) की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 2,545 करोड़) तथा सड़क एवं सेतु (₹ 1,566 करोड़) पर कम पूंजीगत परिव्यय के कारण हुई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहेगी, जिनकी नेटवर्थ पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। राज्य सरकार अपने परिचालन में दक्षता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठा सकती है।

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) निवेश पर प्रतिफल

वित्त लेखे का विवरण 21, 31 मार्च 2023 तक का राज्य सरकार के निवेश का विवरण देता है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों, संयुक्त उद्यमों एवं समितियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृतियों **तालिका 2.25** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.25: निवेश पर प्रतिफल

निवेश /प्रतिफल/उधारियों की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	49,861.39	52,208.91	52,784.40	56,475.10	59,291.41
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	55.80	54.47	2.89	87.48	28.71
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.1	0.1	0.01	0.15	0.05
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर[10] (प्रतिशत)	7.3	7.1	6.60	6.44	6.32
ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	7.2	7.0	6.59	6.29	6.27
सरकारी उधारियों पर ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल में अंतर (₹ करोड़ में)#	3,590.02	3,654.62	3,478.49	3,552.28	3,717.57

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर

वर्ष 2022-23 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 28.71 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। वर्ष 2018-23 के दौरान प्रतिफल 0.01 प्रतिशत एवं 0.15 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार

10. सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयतायें की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयतायें)/2]*100।

द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत से 7.30 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधारियों की लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल में अंतर ₹17,992.98 करोड़ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई अंश पूंजी में निवेश पर प्रतिफल पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण निर्धारक है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियां **तालिका 2.26** प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.26: संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	**37,308**	**23,263**	**9,848**	**9,966**	**8,213**
2.	वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	1,113	2,255	491	621	175
3.	वर्ष के दौरान वसूली गयी राशि	15,158*	15,670*	373	2,374	420
4.	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	**23,263**	**9,848**	**9,966**	**8,213**	**7,968**
5.	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरित-वसूली)	(-)14,045	(-)13,415	118	(-)1,753	(-)245
6.	प्राप्त ब्याज	4,390	2,568	1,253	55	238
7.	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर।	14.50	15.51	12.65	0.61	2.94
8.	सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.32	7.12	6.60	6.44	6.32
9.	भुगतान की गई ब्याज दर एवं प्राप्त ब्याज की दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	(+) 7.18	(+) 8.39	(+) 6.05	(-)5.83	(-)3.38

स्रोतः वित्त लेखे।

* अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित उदय ऋणों को शामिल करते हुएः 2018-19 = ₹ 15,000 करोड़ तथा 2019-20 = ₹ 14,722 करोड़।

कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 7,968 करोड़) में विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ₹ 4,581 करोड़ (57.49 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि 2021-22 में ₹ 621 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 175 करोड़ (आर्थिक सेवाएँ) रह गई।

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूध्द पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के बारे में संकेत देता है। 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) से संबंधित विभाग-वार

सूचना **तालिका 2.27** तथा **तालिका 2.28** में दी गई है।

तालिका 2.27: 31 मार्च 2023 को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

वर्ष (प्रारंभ)	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2023 को)
2013-14 तक	45	23,136.50	19,267.16
2014-15	0	0.00	0.00
2015-16	1	311.49	243.00
2016-17	9	1,529.30	1,108.58
2017-18	19	5,660.03	3,236.48
2018-19	20	3,788.54	2,391.68
2019-20	6	121.71	66.34
2020-21	6	125.78	104.27
2021-22	144	10,669.14	2,781.97
2022-23	97	4,518.60	1,469.75
योग	**347**	**49,861.09**	**30,669.23**

तालिका 2.28: 31 मार्च 2023 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2023 को)
जल संसाधन	72	19,965.94	14,236.20
सार्वजनिक निर्माण	222	7,147.60	3,257.55
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	53	22,747.55	13,175.48
योग	**347**	**49,861.09**	**30,669.23**

स्रोतः वित्त लेखे।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक 347 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं, जिन पर ₹ 30,669.23 करोड़ व्यय किए गए जो राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 2,61,965.13 करोड़) का 11.71 प्रतिशत था।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि अवरूद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं राज्य की जनता इच्छित लाभों से वंचित रह जाती है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण एवं ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। इन सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि जनता तक लाभ पहुंच सके तथा आगे लागत वृद्धि से बचा जा सके।

2.4.3.3 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो पर्याप्त एवं मात्रात्मक आधारभूत विकास गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढांचा प्रदान करती है । निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ की

स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। यह राज्य सरकार के निजी जन सहभागिता के लिए किये गए सभी प्रयासों के समन्वय एवं निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में तथा निजी जन सहभागिता परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (अगस्त 2023) के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक ₹ 17,447.53 करोड़ की 195 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी थी एवं ₹ 4,342.66 करोड़ की 29 परियोजनाएँ प्रगतिरत थी। इसके अतिरिक्त, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 10,829.90 करोड़ की 31 परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिरत एवं भविष्य के लिए नियोजित निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.29** में दिया गया है।

तालिका 2.29: निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	74	8,546.25	11	2,812.27	-	-
2.	शहरी आधारभूत संरचना	27	560.67	9	506.67	19	7,122.45
3.	विद्युत	15	7,449.37	5	1,005.45	4	1,631.92
4.	जल	1	46.00	-	-	1	365.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	61	624.87	4	18.27	5	747.53
7.	अन्य	16	166.36	-	-	2	963.00
	योग	**195**	**17,447.53**	**29**	**4,342.66**	**31**	**10,829.90**

स्रोतः आयोजना विभाग द्वारा प्रदान करायी गई सूचना

वर्ष 2022-23 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने गत वर्ष के दौरान निजी जन सहभागिता परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के संबंध में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट दस्तावेज़ में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिये। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 2.30, वर्ष 2018-19 एवं 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार के कुल व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.30: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.		कुल व्यय/ जीएसडीपी	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/कुल व्यय
1.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2018-19	16.38	15.58	14.76	5.07
2.	राजस्थान 2018-19	20.57	11.07	18.76	6.33
3.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2022-23	15.79	15.22	14.85	5.68
4.	राजस्थान 2022-23	17.43	8.10	18.47	6.27

स्रोतः राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखे।

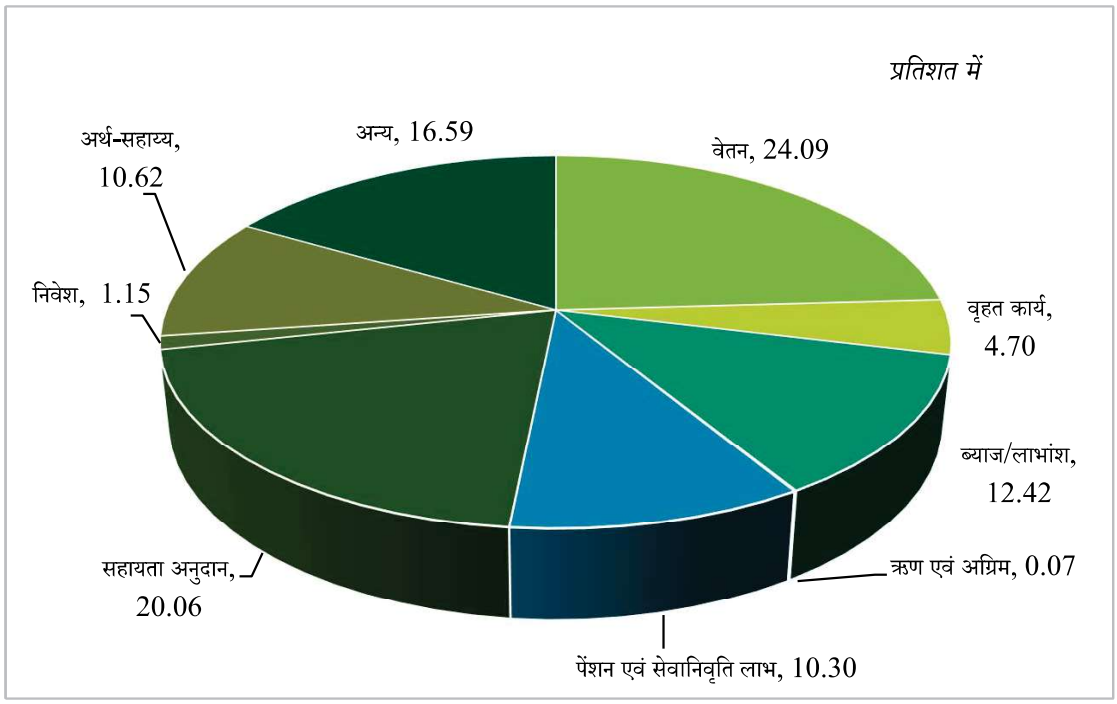
तालिका से यह देखा जा सकता है किः

- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का पूंजीगत व्यय 2018-19 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था तथा 2022-23 में यह अंतर बढ़ गया है।
- राजस्थान लगातार पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा के प्रति कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अधिक संसाधन समर्पित कर रहा है हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2022-23 में इसमें कमी आई है।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व्यय 2018-19 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से अधिक था हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2022-23 में यह कम था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय, व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.15: वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय



स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन, पेंशन तथा ब्याज/लाभांश पर व्यय कुल व्यय का 46.81 प्रतिशत था।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष निधियाँ विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती हैं।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.31** में दिये गये हैं।

तालिका 2.31: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं .	क्षेत्र	उपक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	I. अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियां , इत्यादि	**5,383**	**3,991**	**4,857**	**2,461**	**5,337**
2.	J. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	587	3,094	697	188	628

क्र.सं .	क्षेत्र	उपक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	(-) 20	1,236	664	1,156	1843
		उप-योग	**567**	**4,330**	**1,361**	**1,344**	**2,471**
3.	K. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमायें	436	2,150	3,604	2,181	4,853
		(ख) बिना ब्याज वाली जमायें	3,620	2,875	(-) 733	5,280	(-) 3,405
		(ग) अग्रिम	-	-	-	-	-
		उप-योग	**4,056**	**5,025**	**2,871**	**7,461**	**1,448**
4.	L. उचंत एवं विविध	(क) उचंत	(-) 30	105	125	(-)72	(-) 41
		(ख) अन्य लेखे	(-) 27	(-) 19	(-) 9	(-) 9	(-) 11
		(ग) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
		(घ) विविध	-	-	-	-	-
		उप-योग	**(-) 57**	**86**	**116**	**(-) 81**	**(-) 52**
5.	M. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	8	4	-	-	**(-) 1**
		(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखा	1	(-) 12	12	-	-
		उप-योग	**9**	**(-) 8**	**12**	**-**	**(-) 1**
	योग		**9,958**	**13,424**	**9,217**	**11,185**	**9,203**

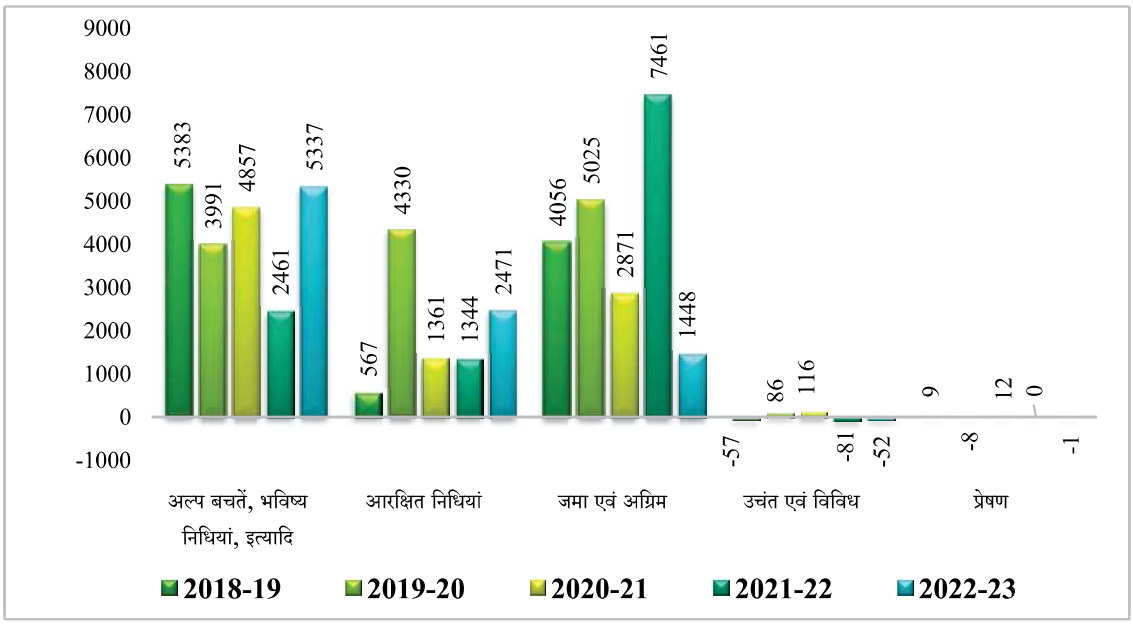
स्रोतः वित्त लेखे

** निवल शेष का अर्थ वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों में अन्तर है।*

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 9,958 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,203 करोड़ रह गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, निवल लोक लेखा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 17.72 प्रतिशत की कमी हुई जिससे लोक लेखे में सरकार की देनदारी कम हो गयी।

चार्ट 2.16: लोक लेखे खाते के संयोजन में वार्षिक बदलाव

(₹ करोड़ में)



स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियां राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। आगे इन निधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां। ये निधियां राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुर्नभरण किया जाता है।

31 मार्च 2023 को, ₹ 5,345.34 करोड़ की तीन ब्याज वाली संचालित निधियों सहित लोक लेखे में 24 आरक्षित निधियों में ₹ 15,058.62 करोड़ की राशि थी। आरक्षित निधि में शेष राशि नीचे **तालिका 2.32** में दी गई है:

तालिका 2.32: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2023 को शेष
अ	**ब्याज वाली आरक्षित निधि**	**5,345.34**
1.	राज्य आपदा मोचन निधि	3,181.23
2.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	1,347.12
3.	राज्य आपदा शमन निधि	816.99
ब	**बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि**	**9,713.28**
1.	गारंटी मोचन निधि	7,628.97
2.	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	594.10
3.	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	377.63
4.	जल संरक्षण उपकर निधि	335.05
5.	राज्य सड़क एवं सेतु निधि	219.88
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष	136.53
7.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि	115.33
8.	अन्य आरक्षित निधियाँ	305.79
	योग (अ+ब)	**15,058.62**

स्रोतः वित्त लेखे

- ***संचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य की 20 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 12,718.15 करोड़ की राशि जमा की गई, जिसमें मुख्यतः राज्य सड़क एवं सेतु निधि (₹ 3,000.00 करोड़), राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 1,825.87 करोड़), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (₹ 892.28 करोड़), पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि (₹ 857.56 करोड़) तथा प्रत्याभूति मोचन निधि (₹ 1,556.53 करोड़) शामिल थी।

- ***असंचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के अनुसार, चार[11] ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ (₹ 3.27 करोड़) पांच साल से अधिक समय से असंचालित थी।

2.5.2.1 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आपदा मोचन के साथ-साथ आपदा प्रशमन के लिए 1 अप्रैल 2020 से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि नामक निधि के गठन की सिफारिश की। केंद्र और राज्य सरकार के लिए निधि में योगदान का अनुपात क्रमशः 75:25 है। आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार निधि के लिए नोडल विभाग है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित इस निधि की व्याप्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) और राज्य (राज्य आपदा मोचन निधि) स्तरों पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधियों से परे है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में दो घटक जैसे राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा प्रशमन कोष क्रमशः 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के अनुपात में आवंटन के साथ शामिल हैं।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए केन्द्रीय अंश प्राप्त होने पर, इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अंशदान लोक लेखे में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा, देरी की अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तान्तरित किया जाना है।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की अभिवृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज-अर्जन जमा में निवेश किया जाना है। राज्य सरकार को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि को निवेश नहीं की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है।

आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनाओं की जाँच से निम्न दृष्टिगत हुए:

(i) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को ₹ 1,659.20 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 1,244.80 करोड़ तथा राज्य का अंशः ₹ 414.40 करोड़) हस्तांतरित किये। यह पाया गया कि ₹ 1,244.80 करोड़ के केंद्रीय अंश में से, भारत सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि की पहली किस्त के लिए ₹ 622.40 करोड़ की स्वीकृति जारी

11. (i) परिवर्तित आवासीय भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्क (पेरिफेरल) जमाः ₹ 324.59 लाख, (ii) राजस्थान विकास तथा गरीबी प्रशमन निधिः ₹ 1,100 केवल, (iii) पूंजी खाते से/के लिए स्थानांतरण - पीएमसी चूरू के लिए जल आपूर्ति योजना हेतु केएफडब्लू जर्मनी से प्राप्त राशिः ₹ 2.22 लाख और (iv) राजस्थान राज्य निवेश निधि ₹ 979 केवल।

(1 जुलाई 2022) की थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अंश (₹ 207.20 करोड़) के साथ 19 जुलाई 2022 को तीन दिनों की देरी के बाद हस्तान्तरित किया गया।

(ii) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने विशेष रूप से प्रशमन के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 03 मई 2021 को राज्य आपदा शमन निधि का गठन किया। राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 (31 मार्च 2023 को) के लिए राज्य आपदा शमन निधि के लिए ₹ 155.60 करोड़ का केंद्रीय अंश प्राप्त हुआ तथा 01.05.2023 को ₹ 207.40 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 155.60 करोड़ तथा राज्य का हिस्साः ₹ 51.80 करोड़) 16 दिन की देरी से राज्य आपदा शमन निधि को हस्तांतरित किया।

(iii) लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा प्रशमन निधि की अनिवेशित राशि पर क्रमशः ₹ 107.63 करोड़ तथा ₹ 26.99 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि शेष को निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट शीर्ष 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' पर ₹ 1,136.54 करोड़ का व्यय किया गया था, जिसमें से सरकार ने ₹ 1,127.03 करोड़ की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 9.51 करोड़ के प्रशासन व्यय को छोड़कर) से समायोजित की, जिसका विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

तालिका 2.33: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
1.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा**	102-पेयजल आपूर्ति	41.13
		104-चारे की आपूर्ति	55.85
		800-अन्य व्यय	452.81
		उप-योग	**549.79**
2.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि**	101-आनुग्रहिक राहत	52.53
		102-पेयजल आपूर्ति	-
		106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार	156.82
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	0.73
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान	1.76
		113-घर की मरम्मत/ पुननिर्माण के लिए सहायता	32.54
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	316.21
		117-पशु धन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	0.27
		122-ख़राब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	16.48
		282-जन स्वास्थ्य	(-) 0.10
		उप-योग	**577.24**
		महा योग	**1,127.03**

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
3.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य**	800-अन्य व्यय (प्राशासनिक व्यय)	9.51
		उप-योग	**9.51**
		योग	**1,136.54**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2.2 प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूति और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के आदेश (दिसम्बर 2007) के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जावेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक जो निधि का प्रबन्धन करता है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पांच प्रतिशत के वांछित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना था। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 7,628.97 करोड़ का शेष था जो कि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 1,04,832.45 करोड़) का 7.28 प्रतिशत था।

1 अप्रैल 2022 को निधि में ₹ 6,072.44 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 1,372.37 करोड़ (2021-22 की अवधि से संबंधित ₹ 37.90 करोड़ और 2022-23 की ₹ 1,334.47 करोड़[12]) की राशि निधि में अंतरित की गई थी तथा इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार को ₹ 184.16 करोड़ की राशि प्राप्त हुई । 31 मार्च 2023 को, निधि में अंतिम शेष ₹ 7,628.97 करोड़ था, जिसमें से केवल ₹ 6,766.39 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलो में निवेश किये गये थे तथा शेष राशि ₹ 862.58 करोड़ अनिवेशित थी।

2.5.2.3 उपकर/अधिभार का संग्रहण

सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपकर लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त राशि विशिष्ट उदेश्य पर व्यय हो, को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है। विभिन्न उपकर/अधिभार के संग्रहण तथा संबंधित निधियों में हस्तांतरण का विवरण नीचे **तालिका 2.34** में दिया गया है:

12. ₹1,386.03 करोड़ के प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 1,338.86 करोड़ प्राप्त हुए।

तालिका 2.34: अधिभार का संग्रहण तथा निधियों में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अधिभार का नाम	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान संग्रहित उपकर/अधिभार	योग (3+4)	वर्ष 2022-23 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर (राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004)	3,531.98	1,438.03	4,970.01	3,000.00	1,970.01
2.	गाय एवं उसकी संतान के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार (नियम, 2016)	1,367.44	1,101.29	2,468.73	857.56	1,611.17
3.	जल संरक्षण उपकर (राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962)	986.99	309.62	1,296.61	249.19	1,047.42
4.	भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (नियम 2009)	500.62	624.32	1,124.94	500.87	624.07
5.	बुनियादी ढांचा विकास उपकर	380.12	530.71	910.83	892.28	18.55
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	0.00	530.65	530.65	137.38	393.27
	योग	**6,767.15**	**4,534.62**	**11,301.77**	**5,637.28**	**5,664.49**

स्रोतः वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2023 तक छह आरक्षित निधि/जमा निधि में ₹ 5,664.49 करोड़ का कम हस्तांतरण किया जो कि राज्य सरकार की स्थगित देनदारी है। वर्ष 2022-23 के दौरान छह उपकरों के ₹ 4,534.62 करोड़ के संग्रहण के समक्ष, राज्य सरकार ने ₹ 5,637.28 करोड़ की राशि हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा ₹ 1,102.66 करोड़ अधिक बताया गया।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने छह में से चार उपकरों यथा (i) गाय एवं उसकी संतान के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार, (ii) जल संरक्षण उपकर (iii) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तथा (iv) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार में ₹ 2,565.88 करोड़ एकत्र किए एवं केवल ₹ 1,745 करोड़ हस्तांतरित किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 820.88 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ जिसके कारण देनदारी को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित किया गया।

2.6 लोक देयता का प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार की देयताओं के प्रबन्धन जिससे आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किये है, के क्रम में रणनीति तैयार करने और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया है । वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देयताओं को **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: वर्ष 2018-23 के दौरान बकाया देयता की स्थिति



* *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

\# *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

राज्य सरकार की कुल देयता 2018-19 में ₹ 3,13,374 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 5,05,574 करोड़[13] हो गई। वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान ये देयातायें राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) से दोगुनी से अधिक तथा राज्य के स्व संसाधनों (₹ 1,07,911 करोड़) से चार गुना से अधिक थीं।

2.6.1 देयता रुपरेखा: घटक

राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं से अभिप्राय राज्य की समेकित निधि तथा सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत स्पष्ट देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की व्याख्या ***परिशिष्ट 2.3*** में की गई है। **तालिका 2.35** वर्ष 2018-23 की अवधि के लिए घटक-वार कुल देयताओं की प्रवृतियों को दर्शाती है।

तालिका 2.35: घटक-वार देयताओं की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	कुल बकाया देयता (2+3)	**3,11,374***	**3,52,702***	**4,10,500***	**4,62,845***	**5,05,574***
2.	लोक ऋण	2,33,239	2,59,380	3,08,321	3,53,556	3,88,384

13. प्रभावी बकाया देयतायें ₹ 4,93,702 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा ।

क्र.स.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(i)	*आतंरिक ऋण*	*2,19,312*	*2,42,077*	*2,84,789*	*3,21,807*	*3,50,962*
(ii)	*भारत सरकार से ऋण*	*13,927*	*17,303*	*23,532*	*31,749*	*37,422*
3.	लोक लेखा दायित्व	78,135	93,322	1,02,179	1,09,289	1,17,190
(i)	*अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि*	*47,478*	*51,468*	*56,326*	*58,786*	*64,123*
(ii)	*ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*738*	*3,832*	*4,529*	*3,345*	*4,668*
(iii)	*बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*1,101*	*4,179*	*4,610*	*2,984*	*2,776*
(iv)	*ब्याज वाली जमाएँ*	*5,517*	*7,667*	*11,270*	*13,451*	*18,304*
(v)	*बिना ब्याज वाली जमाएँ*	*23,301*	*26,176*	*25,444*	*30,723*	*27,319*
4.	बकाया कुल देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.74	13.27	16.39	12.75	9.23
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,11,519	9,98,679	10,19,442	12,18,193	14,13,620
6.	समग्र देयताओं/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	34.16	35.32	39.82[14]	37.02[15]	34.92[15]
7.	लोक लेखा प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान कुल देयता प्राप्तियाँ#	2,08,734	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718
8.	लोक लेखा संवितरणों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण पुनर्भुगतान#	1,78,542	1,96,268	2,10,972	2,49,829	2,47,990
9.	उपलब्ध निवल निधियाँ	30,192	41,328	57,798	52,345	42,728
10.	उपलब्ध निधियाँ/कुल देयता प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	14.46	17.39	21.50	17.32	14.70

स्रोतः वित्त लेखे ।

* *बकाया उदय ऋणः 2018-19 = ₹ 51,636 करोड़, 2019-20 = ₹ 44,730 करोड़, 2020-21 = ₹37,825 करोड़, 2021-22= ₹30,919 करोड़ तथा 2022-23= ₹24,013 करोड़ सहित ।*

मार्गोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त।

प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 4,93,702 करोड़ होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा ।

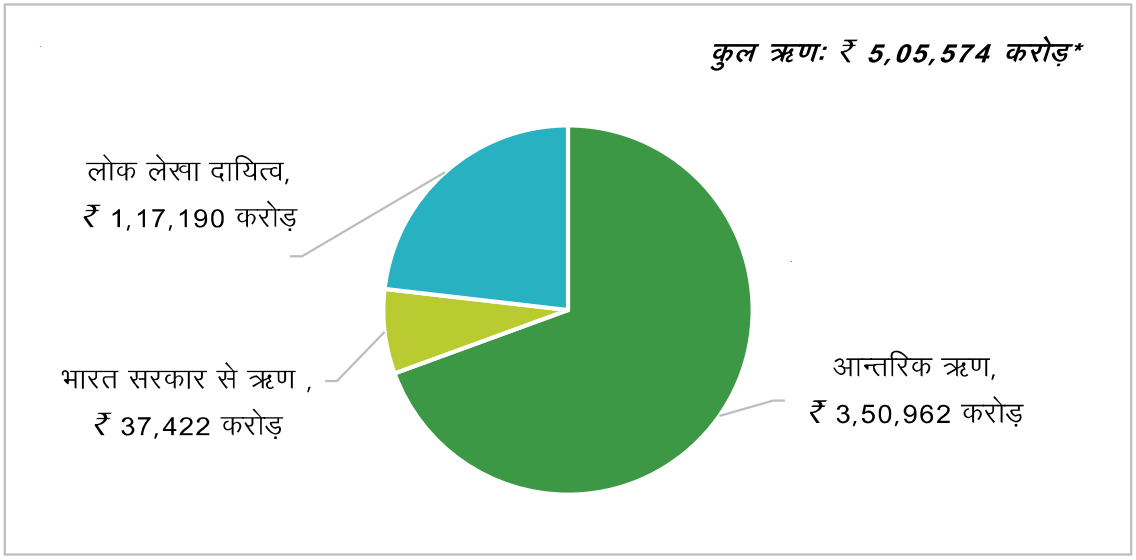
वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष से कुल देयता में ₹ 42,729 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण (₹ 34,828 करोड़) तथा लोक लेखा दायित्व (₹ 7,901 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को बाहर करने के बाद निकाली गई है।

15. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को बाहर करने के बाद निकाली गई है।

समग्र देयता - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2021-22 में 37.02 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 34.92 प्रतिशत रह गया। राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 38.20 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

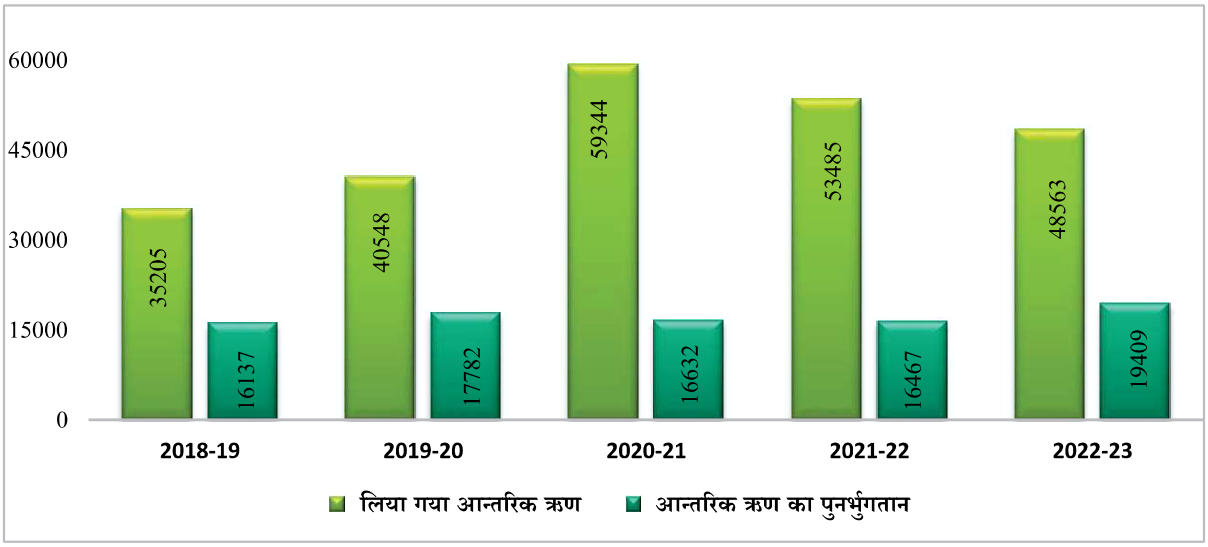
चार्ट 2.18: वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋणों का विभाजन



* *प्रभावी कुल देयता ₹ 4,93,702 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।*

चार्ट 2.19: पुनर्भुगतान के साथ-साथ लिया गया आन्तरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



लिया गया आंतरिक ऋण वर्ष 2018-19 में ₹ 35,205 करोड़ से 8.37 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2022-23 में ₹ 48,564 करोड़ हो गया, तथापि, आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान 2018-19 के ₹ 16,137 करोड़ से 4.72 प्रतिशत की कम सीएजीआर से बढ़कर 2022-23 में ₹19,409 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनका वित्तपोषण स्वरूप

तालिका 2.36 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे का मद-वार निवल संवितरण/बहिःप्रवाह वित्तपोषण स्वरुप प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनका मद-वार वित्तपोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	(अ) राजकोषीय घाटे के घटक					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	28,900	36,371	44,001	25,870	31,491
2	निवल पूंजीगत व्यय	19,618	14,698	15,257	24,121	19,782
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	(-) 14,045	(-)13,415	118	(-) 1,753	(-) 245
	योग (अ)	**34,473**	**37,654**	**59,376**	**48,238**	**51,028**
	(ब) राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न					
1	बाजार से उधार	26,822	31,592	51,179	45,149	37,016
2	भारत सरकार से ऋण	1,864	3,375	6,229	8,217	5,673
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,560	(-) 1,585	(-) 1,584	(-) 1,585	(-) 1,585
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 6,194	(-) 7,241	(-) 6,882	(-) 6,546	(-) 6,277
6	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	5,383	3,991	4,857	2,461	5,337
7	जमा तथा अग्रिम	4,056	5,025	2,871	7,461	1,448
8	उचंत तथा विविध	(-) 57	86	116	(-) 81	(-) 52
9	प्रेषण	09	(-) 8	12	0	(-) 1
10	आरक्षित निधियाँ	567	4,330	1,361	1,344	2,471
	योग (ब)	**30,890**	**39,565**	**58,159**	**56,420**	**44030**
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/कमी (अ-ब)	3,583	(-) 1,911	1,217	(-) 8,182	6,998
12	कुल राजकोषीय घाटा (ब+11)	34,473	37,654	59,376	48,238	51,028

स्रोतः वित्त लेखे

** निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिम का संवितरण - ऋण एवं अग्रिम की वसूली।*

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार की आवश्यकता है तथा राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे की संरचना से राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्कता को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा लिए गये विभिन्न उधारों की सीमा का पता चलता है।

राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को बाजार से उधारों से निरन्तर वित्त पोषित किया जाता रहा है। तथापि, राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 2021-22 में 94 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 73 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 51,028 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार

से उधार (₹ 37,016 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 5,673 करोड़) तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 5,337 करोड़) से पूरा किया गया।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

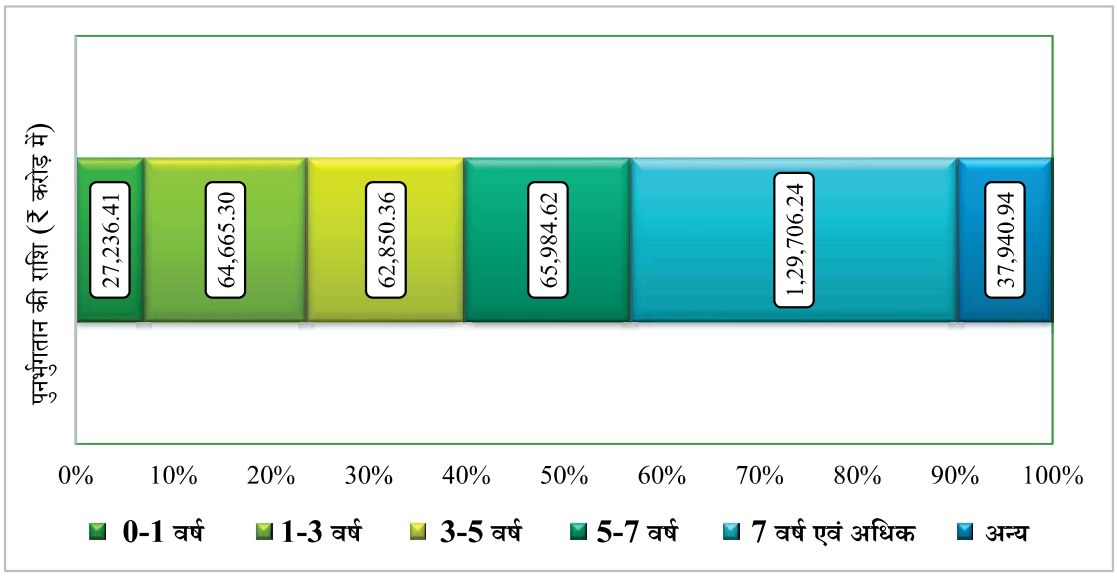
31 मार्च 2023 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के संबंध में देय राशि) को **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.37: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

क्र.सं .	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
1.	0 – 1	27,236.41	7.01
2.	1 – 3	64,665.30	16.65
3.	3 – 5	62,850.36	16.18
4.	5 – 7	65,984.62	16.99
5.	7 एवं अधिक	1,29,706.24	33.40
6.	अन्य[16]	37,940.94	9.77
	योग	**3,88,383.87**	**100.00**

स्रोतः वित्त लेखे ।

चार्ट 2.20: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2023 को लोक ऋण के बकाया शेष की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 3,88,383.87 करोड़ में से 56.83 प्रतिशत (₹ 2,20,736.69 करोड़) आगामी सात वर्षों में देय है, 33.40 प्रतिशत (₹ 1,29,706.24 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता सीमा में है जबकि शेष राशि (₹ 37,940.94 करोड़) की पुनर्भुगतान अवधि उपलब्ध नहीं है।

16. इस राशि का भुगतान विवरण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़) के पास उपलब्ध नहीं है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

राज्य सरकार का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होता है। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय देयताओं की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है ।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जून 2023) सूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2055-56 के लिए बकाया बाजार ऋणों एवं इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.38** में नीचे दर्शायी गई है।

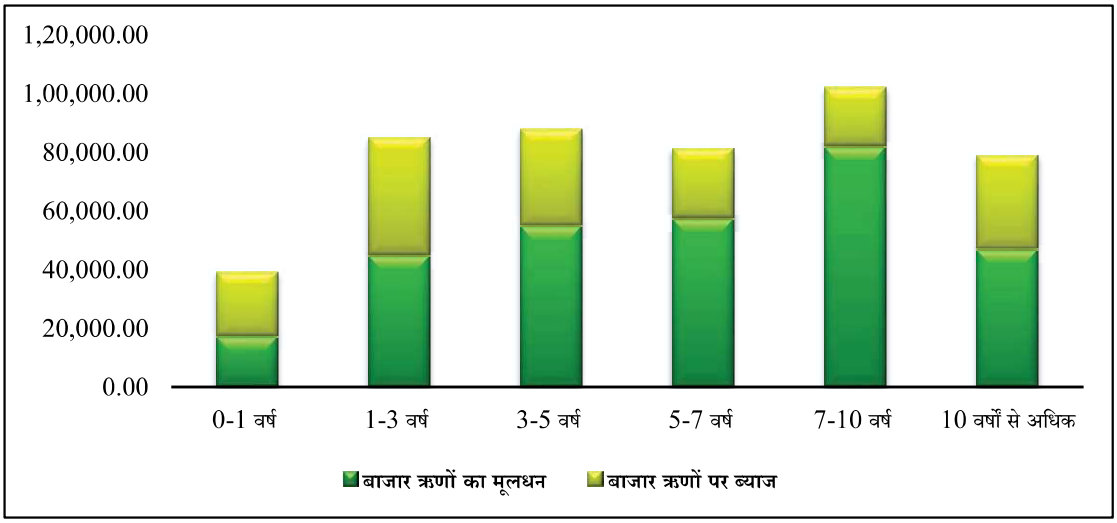
तालिका 2.38: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
.1	0 – 1	17,000.00	22,195.72
.2	1 – 3	44,600.00	40,286.70
.3	3 – 5	54,736.78	33,040.82
.4	5 – 7	57,200.04	23,809.52
.5	7 -10	81,860.00	20,184.89
.6	10 से अधिक	46,806.00	31,975.72
	योग	**3,02,202.82**	**1,71,493.37**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

चार्ट 2.21: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)



जैसाकि उपर दिखाया गया है, राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 2025-26 तक ₹ 61600 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान तथा ₹ 62482.42 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2027-28 तक मूलधन ₹ 54,736.78 करोड़ तथा ब्याज ₹ 33,040.82 करोड़ देय होगा। वर्ष

2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान मूलधन पुनर्भुगतान तथा ब्याज का औसत वार्षिक व्यय लगभग ₹ 42,372 करोड़ होगा।

वर्ष 2028-29 से 2032-33 की अवधि में ₹ 1,39,060.04 करोड़ का ऋण तथा ₹ 43,994.41 करोड़ का ब्याज देय होगा। इस प्रकार, राज्य को वर्ष 2028-29 से 2032-33 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 36,610.89 करोड़ का औसत वार्षिक भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता विश्लेषण, राजकोषीय तथा ऋण मापदंडों के आधार पर किया गया है; डोमर दृष्टिकोण तथा संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के लिए वृहद-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए हैं:

(अ) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान तथा भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता से है। वर्ष 2018-19 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए ऋण धारणीयता संकेतकों का विश्लेषण **तालिका 2.39** में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृतियाँ

क्र. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	कुल ऋण (₹ करोड़ में) (वर्ष के 31 मार्च को)	3,11,374	3,52,702	4,10,500[$]	4,62,845[$$]	5,05,574[$$]
2.	बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	2,33,239	2,59,380	3,08,321[$]	3,53,556[$$]	3,88,384[$$]
3.	बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.86	11.21	18.87	14.67	9.85
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	9,11,519	9,98,679	10,19,442[17]	12,18,193[18]	14,13,620[19]
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
6.	लोक ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.59	25.97	29.79[20]	28.05[21]	26.63[21]
7.	कुल देयता/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	34.16	35.32	39.82[20]	37.02[21]	34.92[21]
8.	राज्य ऋण के पुनर्भुगतान का लोक ऋण परिपक्वता विवरण पूर्व-की चूक सहित, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)	16,096	17,702	16,556	16,394	19,345

17. संशोधित अनुमान-II
18. संशोधित अनुमान-I
19. अग्रिम अनुमान
20. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत जी.एस टी क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ ४,६०४ करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।
21. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत जी.एस टी क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ ११,८७२ करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
9.	लोक ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)##	37,847	44,757	66,480	62,821	55,647
10.	लोक ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)##	16,915	18,616	17,539	17,586	20,820
11.	बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	17,804	19,236	20,720	23,060	25,393
12.	ब्याज भुगतान के अलावा राजस्व घाटा (-)/अधिशेष	(-) 7,205	(-) 12,728	(-) 18,799	2,230	(-) 889
13.	राजस्व घाटे पर कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत	(-) 75.07	(-) 65.01	(-) 57.28	108.62	(-) 97.18
14.	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.99	7.81	7.30	6.97	6.85
15.	बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	12.91	13.73	15.43	12.54	13.02
16.	लोक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्ति से प्रतिशत	44.69	41.59	26.38	27.99	37.41
17.	राज्य के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण #(₹ करोड़ में)	3,128	6,905	28,221	22,175	9,434
18.	लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण उपलब्धता	8.26	15.43	42.45	35.30	16.95
19.	प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+)	(-) 12,778	(-) 14,011	(-) 34,174	(-) 20,138	(-) 20,426
20.	ऋण धारणीयता (मात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)**	(-) 9,279	(-) 9,472	(-) 50,028	22,675	14,175

स्रोत वित्त लेखे

$ प्रभावी ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक – टू - बैंक ऋण के रुप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रुप में नहीं माना जावेगा।

$$ वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए प्रभावी ऋण क्रमशः ₹ 4,50,973 करोड़ तथा ₹ 4,93,702 करोड़ होगा क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक –टू - बैंक ऋण के रुप में राज्य को दी गयी जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रुप में नहीं माना जावेगा।

** बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण तथा 6004- केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।*

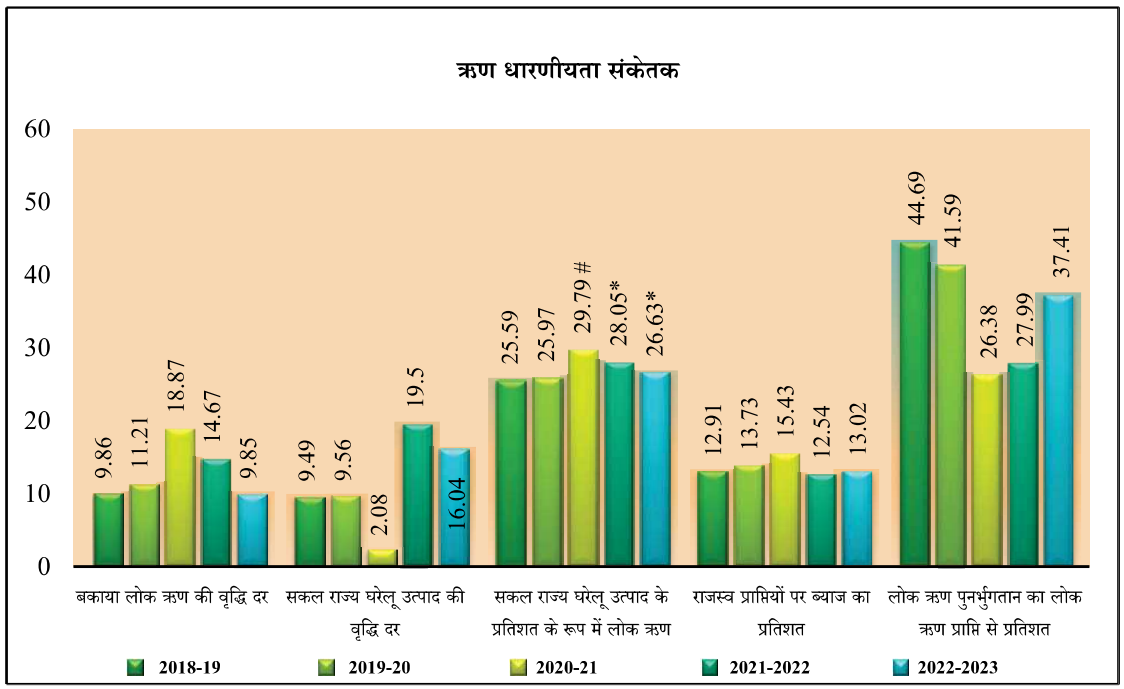
राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

मार्गोपाय अग्रिमों को छोड़कर

@ वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान बकाया लोक ऋणों में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के कारण बेक-टू-बेक ऋण के बदले क्रमशः ₹4,604 करोड़, ₹11,872 करोड़ और ₹ 11,872 करोड़ सम्मिलित है।

*** मात्रा प्रसार = लोक ऋण * (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - बकाया लोक ऋण की ब्याज दर) वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए मात्रा प्रसार की गणना करते समय, बेक-टू-बेक ऋण के आंकड़े जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के कारण बेक-टू-बेक ऋण के बदले क्रमशः ₹4,604 करोड़, ₹11,872 करोड़ और ₹ 11,872 करोड़ को लोक ऋण से बाहर रखा गया है।*

चार्ट 2.22: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृतियाँ



कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 *करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।*
** कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त* ₹ 11,872 *करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।*

तालिका 2.39 में दर्शाये अनुसार विभिन्न ऋण धारणीयता संकेतकों के विश्लेषण से निम्न दृष्टिगत हुये:

- ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2021-22 के 37.02 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 34.92 प्रतिशत[22] रह गया। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य द्वारा ली गई ₹1279.39 करोड़ की बजट से इतर उधार को ध्यान रखते हुए, मार्च 2023 के अन्त में कुल बकाया देयता ₹ 4,93,701.49 करोड़ के समक्ष ₹ 4,94,980.88 करोड़ हो गयी। परिणामस्वरूप, वर्ष के अन्त में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में कुल देयता (34.92 प्रतिशत) 0.09 प्रतिशत कम बताई गई।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का भार लोक ऋण में ब्याज वृद्धि के कारण वर्ष 2021-22 के 12.54 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 13.02 प्रतिशत हो गया।
- लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी की प्रतिशतता वर्ष 2021-22 में 27.99 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़कर 37.41 प्रतिशत हो गई।

(ब) डोमर मॉडल: ई.डी. डोमर [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण धारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल[23] बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि लोक ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

22. प्रभावी ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात कुल बकाया ऋण से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत अवधि 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।
23. डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफ़ाइल, संयोजन, लागत एवं जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

जी – आर (जी – वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर – वास्तविक ब्याज दर)	एस<0(प्राथमिक घाटा)	एस>0(प्राथमिक आधिक्य)
जी – आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक धारणीय स्तर पर लाना चाहिए।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम धारणीय स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो सके।
जी – आर < 0 (कमजोर आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को धारणीय स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति।

राजस्थान के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम **तालिका 2.40** में दिखाए गए हैं ।

तालिका 2.40: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज (आर*)	(डोमर अन्तराल) (जी – आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)
2018-19	2.4	5.0	(-) 2.6	(-) 12,778	जैसे कि जी – आर < 0 एवं एस < 0
2019-20	5.2	1.8	3.4	(-) 14,011	जैसे कि जी – आर > 0 एवं एस < 0
2020-21	(-) 2.0	2.91	(-) 4.91	(-) 34,174	जैसे कि जी – आर < 0 एवं एस < 0
2021-22	11.4	1.54	9.86	(-) 20,138	जैसे कि जी – आर > 0 एवं एस < 0
2022-23	8.2	(-) 0.61	8.81	(-) 20,426	

स्रोतः वित्त लेखे तथा आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

* *वास्तविक ब्याज दर की गणना वास्तविक विकास दर (स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर) एवं वास्तविक ब्याज दर (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मामूली ब्याज दर) के अंतर के रूप में की जाती है।*

यह देखा जा सकता है कि सभी पांच वर्षों में प्राथमिक घाटा नकारात्मक रहा तथा 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 20,426 करोड़ हो गया। जी-आर (डोमर अन्तराल) 2018-19 एवं 2020-21 के दौरान नकारात्मक था, जो दर्शाता है कि लोक ऋण जीएसडीपी का प्रतिशत अनिश्चितकाल तक बढ़ सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी से 2020-21 के दौरान जीएसडीपी में नकारात्मक वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप सकारात्मक जी-आर (डोमर अन्तराल) आया, जिससे संकेत मिलता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर आ जाएगा। तथापि, पिछले दो वर्षों में लोक ऋण पुनर्भुगतान तथा लोक ऋण प्राप्ति अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो बताता है कि ऋण चुकाने के लिए आर्थिक विकास पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसके अलावा, राज्य ने वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक लगातार नकारात्मक प्राथमिक संतुलन की सूचना दी है, यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-23 से जी-आर> 0 के रूप में व्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तथा इस

प्रकार, दो साल के सकारात्मक डोमर अन्तराल के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण धारणीयता की राह पर है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह इंगित करता है कि पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए ऋण प्राप्तियों का उपयोग किस सीमा तक किया गया है।

ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान का प्रावधान करने के पश्चात वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल निधि 2018-19 में ₹ 3,128 करोड़ से बढकर 2022-23 में ₹ 9,434 करोड़ हो गयी, तथापि, लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण 2021-22 में 35.30 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 16.95 प्रतिशत रह गया, जो दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए उपयोग किया जा रहा है जो कि ऋण की बिगड़ती स्तिति को दर्शाता है।

(**स**) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.41** में दिखाया गया है:

तालिका 2.41: मध्यकालिक राजकोषीय नीति में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राजकोषीय मापक		मध्यकालिक राजकोषीय नीति /राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 11.51	(-) 16.47	(-) 7.12	(-) 12.88	(-) 10.93
	उपलब्धि	(-) 20.96	(-) 25.96	(-) 32.76	(-) 14.07	(-) 16.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष(+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 2.98	(-) 3.19	(-) 2.99	(-) 3.98	(-) 4.36
	उपलब्धि	(-) 3.78	(-) 3.77	(-) 5.82	(-) 3.96	(-) 3.61
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	32.76	33.13	33.12	38.15	39.80
	उपलब्धि	34.16	35.32	39.82[24]	37.02[25]	34.92[25]

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 2018-19 में 20.96 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 16.15 प्रतिशत रह गया, तथापि, यह पिछले वर्ष (14.07 प्रतिशत) से बढ़ गया। राज्य सरकार 2018-19 से 2020-21 के दौरान सकल राज्य

24. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 में बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।

25. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।

घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए बकाया देयताओं के मध्यकालिक राजकोषीय नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही, तथापि, ये लक्ष्य 2021-22 एवं 2022-23 में हासिल कर लिये गए थे।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियां

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए तथा बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।

उधार ली गई निधियाँ एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रवृति तथा विवरण **तालिका 2.42** में दिया गया है:

तालिका 2.42: उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं अन्य देयताएं

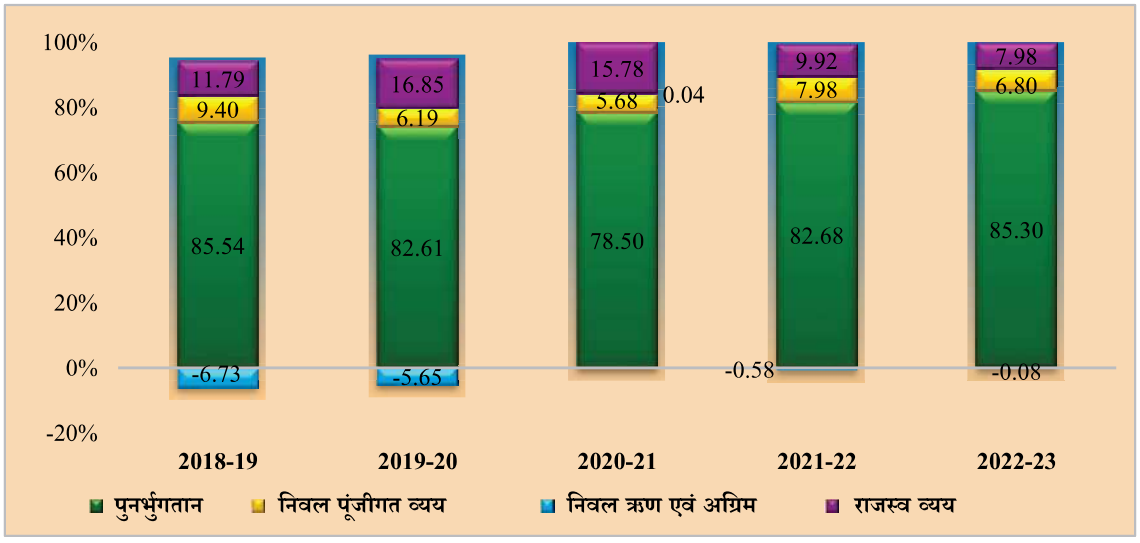
(₹ करोड़ में)

क्र .सं	वर्ष		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार (लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)	1	2,08,734	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718
2.	पुनर्भुगतान (पूर्व उधार (मूलधन) और अन्य दायित्व) (प्रतिशत)	2	1,78,542 (85.54)	1,96,268 (82.61)	2,10,972 (78.50)	2,49,829 (82.68)	2,47,990 (85.30)
3.	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	3	19,618 (9.40)	14,698 (6.19)	15,257 (5.68)	24,121 (7.98)	19,782 (6.80)
4.	निवल ऋण एवं अग्रिम	4	(-)14,045 (- 6.73)	(-) 13,415 (-5.65)	118 (0.04)	(-) 1,753 (-0.58)	(-) 245 (-0.08)
5.	निवल उपलब्ध उधारों एवं अन्य देयताओं में से पूरा किया गया राजस्व व्यय का हिस्सा (प्रतिशतता)	5=1-2-3-4	24,619 (11.79)	40,045 (16.85)	42,423 (15.78)	29,978 (9.92)	23,191 (7.98)

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.23: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृतियाँ

(प्रतिशत में)



वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 23,191 करोड़ की उधारी का उपयोग किया गया। कुल उधारी में उधार के पुनर्भुगतान का प्रतिशत 2018-19 में 85.54 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 85.30 प्रतिशत रह गया। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में इसमें 2.62 प्रतिशता बिंदु की वृद्धि हुई।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी द्वारा चूक के मामले में लागू किया जा सकता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 2.43** में दी गई है।

तालिका 2.43: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,31,026	1,44,676	1,56,822	1,72,684	2,01,008
2.	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	70,430	80,631	82,612	95,868	1,04,832
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम राशि की प्रत्याभूति	95.03	103.26	116.76	93.89	103.08
4.	समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	2,08,306	2,24,905	2,19,467	2,46,909	3,38,075
5.	अनुमानित प्राप्तियों के सन्दर्भ में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	33.81	35.85	37.64	38.83	31.01

स्रोत : वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज ।

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2021-22 में ₹ 95,868 करोड़ से 9.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) का 53.76 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 84,525 करोड़), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (₹ 6,305 करोड़), एक सड़क परिवहन निगम (₹ 2,986 करोड़) और छः सहकारी संस्थाओं (₹ 1,743 करोड़) से सम्बंधित थी। विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ, ऋण/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट दरों पर ब्याज भुगतान के लिए दी गई थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (31.01 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, 01-03-1999 से राज्य सरकार को समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु, आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष से कम प्राप्त होता है और उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए साधारण मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से ₹2,608 करोड़ थी और यह 31 मार्च 2023 तक बनी रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी के बदले विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2022 को ₹ 6,662.81 करोड़ तथा 31 मार्च 2023 को ₹ 7,198.17 करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई के साथ न्यूनतम नकद शेष को जिस सीमा तक बनाए रखा वह नीचे बताया गया है:

(i) ***विशेष मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2022 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 124 बार 273 दिनों के लिए ₹ 1,01,386.13 करोड़ विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 112.88 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये। वर्ष 2022-23 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***साधारण मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2022 को साधारण मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से नौ बार 10 दिनों के लिए ₹ 3,553.27 करोड़ साधारण मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 0.22 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये । इन 10 दिनों में राज्य सरकार ने विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी लिया। वर्ष 2022-23 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) ***रोकड़ शेष:*** 31 मार्च 2023 को, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 103.30 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 7,614.42 करोड़) तथा अन्य रोकड़ शेष (₹ 24.47 करोड़) के अतिरिक्त राज्य का सामान्य रोकड़ शेष ₹ (-) 70.65 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101) = ₹ 0.06 करोड़
ब. आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102) = ₹ (-) 61.90 करोड़
स. मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय (मुख्य शीर्ष 8999-104) = ₹ (-) 8.81 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2023 के लेखों के बंद होने के बाद रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के संबंध में 31 मार्च 2023 को मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे के आंकड़ों (₹ 61.90 करोड़ (जमा)) तथा आरबीआई द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों (₹ 8.84 करोड़ (नामे)) के बीच ₹ 53.06 करोड़ (नामे) का अंतर था। इसमें से राशि ₹ 53.22 करोड़ (नामे) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। जून 2023 के अंत तक ₹ 0.16 करोड़ (जमा) का अंतर शेष था तथा इसके मिलान की आवश्यकता है।

तालिका 2.44: रोकड़ शेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		**1 अप्रेल 2022 को प्रारम्भिक शेष**	**31 मार्च 2023 को अंतिम शेष**
	अ. सामान्य रोकड़ शेष		
1.	कोषालयों में रोकड़	0.05	0.06
2.	रिजर्व बैंक के पास जमा	281.72	(-) 61.90
3.	मार्गस्थ प्रेषण स्थानीय -	(-) 94.33	(-) 8.81
	योग	**187.44**	**(-) 70.65**
4.	रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	8,218.92	103.30
	योग (अ)	**8,406.36**	**32.65**
	ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
5.	विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण एवं वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.75	0.73
6.	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	2.83	23.74
7.	चिन्हित निधियों में निवेश	6,259.15	7,614.42
	योग (ब)	**6,262.73**	**7,638.89**
	योग (अ +ब)	**14,669.09**	**7,671.54#**
	प्राप्त ब्याज	**43.69**	**14.08**

स्रोत : वित्त लेखे ।

पूर्ण आंकड़ों को (+) 0.01 करोड़ तक पूर्णांकित करने से भिन्न।

तालिका 2.45: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

₹ करोड़ में)

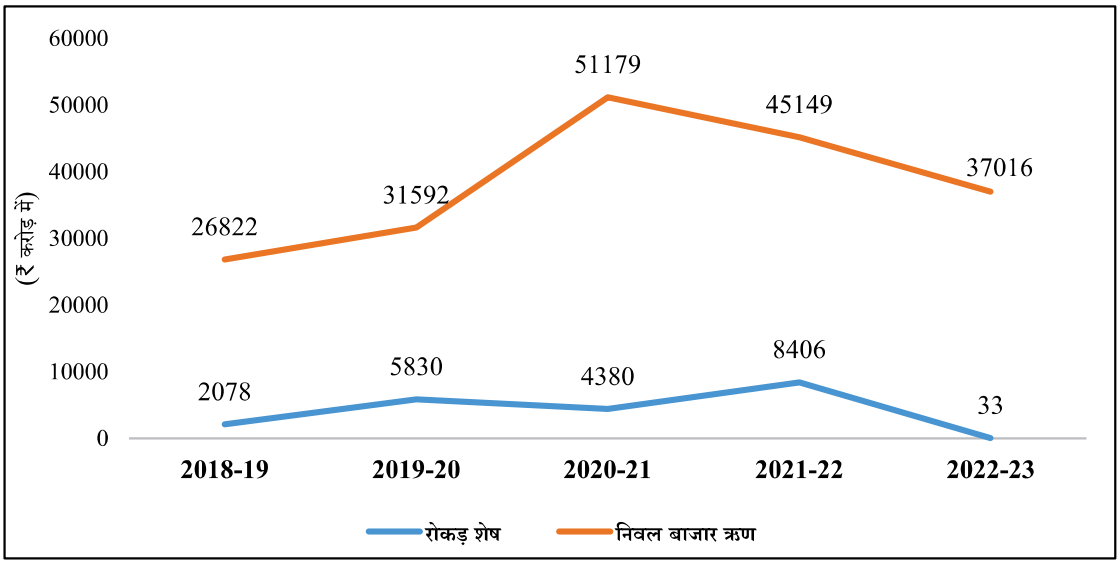
क्र. सं.	**वर्ष**	**प्रारंभिक शेष**	**अंतिम शेष**	**वृद्धि/कमी (-)**	**अर्जित ब्याज**
1.	2018-19	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26	281.20
2.	2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12
3.	2020-21	5,807.73	4,440.13	(-) 1,367.60	23.38
4.	2021-22	4,440.13	8,218.92	3,778.79	43.69
5.	2022-23	8,218.92	103.30	(-) 8,115.62	14.08

स्रोत- वित्त लेखे

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष पांच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर के साथ 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते है तथा आंशिक रूप से 91, 182 तथा 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते है। वर्ष 2022-23 के अंत तक ₹ 103.30 करोड़ की राशि भारत

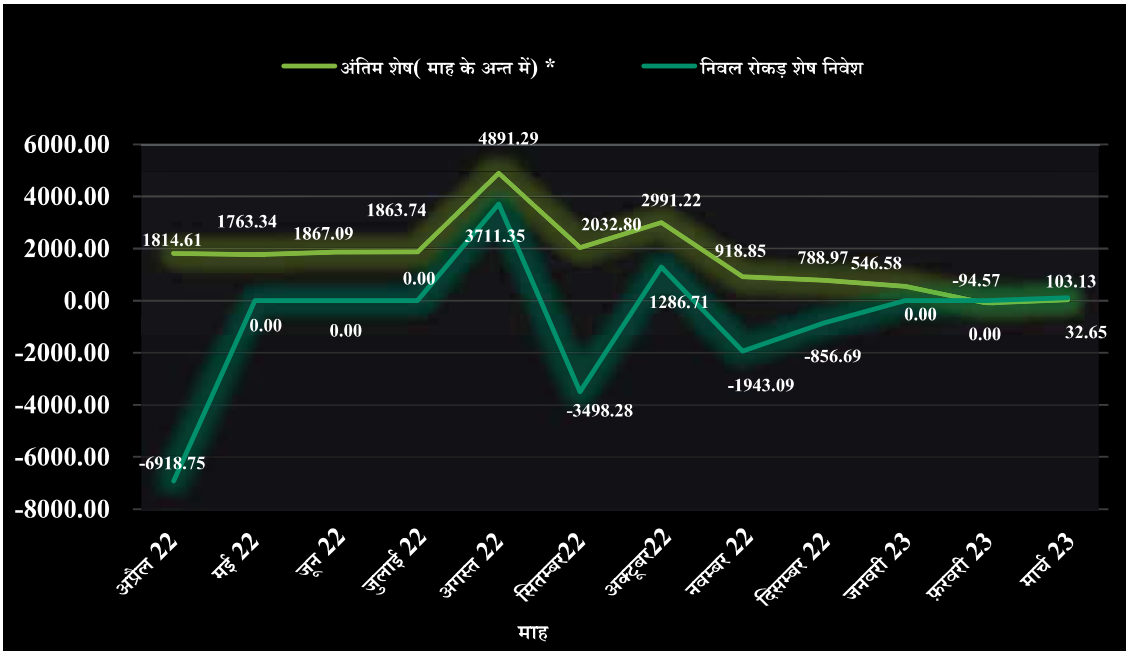
सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 14.08 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अलावा, ₹ 7,614.42 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.24: निवल बाजार ऋण के साथ-साथ सामान्य रोकड़ शेष



चार्ट 2.25: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)



** इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक के पास जमा, मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय तथा रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश शामिल है ।*

उपरोक्त **चार्ट 2.25** से देखा जा सकता है कि मार्च 2023 के अंत में नकद शेष केवल ₹ 32.65 करोड़ था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 273 दिनों के लिए मार्गोपाय का लाभ उठाया तथा ₹113 करोड़ रुपये का ब्याज अदा किया । यह राज्य द्वारा अपर्याप्त नकदी प्रबंधन को इंगित करता है।

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राजकोषीय मापदंड

लगातार दसवें वर्ष, राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत परिकल्पित शून्य राजस्व घाटे के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व घाटा 2021-22 में ₹ 25,870 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,491 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलु उत्पाद के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर नहीं रख सकी, जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित है तथा 2022-23 के अंत में, राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 3.61 प्रतिशत) था।

वर्ष 2022-23 के दौरान देयता-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात 34.92 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

सिफारिश 1: राज्य सरकार को उन राजस्वों की नियमित एवं आवधिक निगरानी के माध्यम से महत्वपूर्ण जोर देना चाहिए जो या तो पूर्ण बकाया में थे या कम प्राप्त हुए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके जिससे कि राजस्व अधिशेष प्राप्त करने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

राज्य के स्व-संसाधन

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2020- 21 के दौरान कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन को छोड़कर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर थी। राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में 6.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, तथापि, सकल राज्य घरेलु उत्पाद के लिए राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2021-22 में 15.10 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 13.79 प्रतिशत रह गया । वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 55.34 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायतार्थ अनुदान ने मिलकर 44.66 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि राजस्थान की राजकोषीय स्थिति की भारत सरकार से कर हस्तांतरण एवं सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता की और संकेत करता है।

सिफारिश 2: राज्य सरकार बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करके कर तथा गैर-कर स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का पता लगा सकती है।

राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में 7.96 प्रतिशत (₹16,689 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 6.02 प्रतिशत (₹11,068 करोड़) बढ़ीं । वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.90 प्रतिशत था। राजस्व व्यय के 59.37 प्रतिशत में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध

व्यय शामिल था। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 13.42 तथा 11.55 प्रतिशत थी।

सिफारिश 3: चूंकि वेतन, पेंशन तथा ब्याज की लागत प्रतिबद्ध है, स्थानीय निकायों के अलावा अन्य अर्थ-सहाय्य, सहायतार्थ अनुदान पर व्यय, जो लगातार बढ़ रहा है, राज्य सरकार को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

व्यय की गुणवत्ता

वर्ष 2022-23 के दौरान, पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 18.03 प्रतिशत (₹ 4,354 करोड़) कम हो गया। यह कमी मुख्य रूप से जलापूर्ति एवं सफाई तथा सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत थी। चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) का हिस्सा केवल 8.10 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 30,669 करोड़ (संचयी पूंजीगत परिव्यय का 11.71 प्रतिशत) की राशि 347 अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) में अवरुद्ध थी। निर्धारित समय पर परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण समाज को अपेक्षित लाभ मिलने में देरी हुई तथा पिछले कुछ वर्षों में लागत भी बढ़ गयी।

सिफारिश 4: राज्य अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित कर सकता है।

ऋण धारीयता

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं में खुले बाजार उधार का बड़ा हिस्सा (69.42 प्रतिशत) था । ब्याज अदायगी का भार राजस्व प्राप्तियों से बकाया लोक ऋण पर देय ब्याज के अनुपात (आई.पी / आर.आर) द्वारा मापा जाता है जो कि 2021-22 में 12.54 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 13.02 प्रतिशत हो गया । 2022-23 के दौरान राज्य को उपलब्ध निवल ऋण केवल 9,434 करोड़ रुपये था, जबकि 2022-23 के दौरान लोक ऋण प्राप्ति ₹ 55,647 करोड़ थी। लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण 2021-22 में 35.30 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 16.95 प्रतिशत रह गया।

सिफारिश 5: राज्य सरकार को व्यय को नियंत्रित करने के लिए व्यय पक्ष में मध्यम अवधि के सुधार करने की आवश्यकता है तथा साथ ही ऋण स्तर को कम करने के लिए राज्य के राजस्व को जुटाने की आवश्यकता है।

नकद शेष एवं नकद शेष का निवेश

मार्च 2023 के अंत में, नकद शेष केवल ₹ 32.65 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 273 दिनों के लिए मार्गोपाय का लाभ उठाया तथा ₹113 करोड़ का ब्याज अदा किया। यह राज्य द्वारा अकुशल नकदी प्रबंधन को इंगित करता है।

सिफारिश 6: राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिमों का लाभ कम करने के लिए अधिक कुशल नकदी प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर सकती है।

अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि नीतिगत निर्णय निधियों के अपव्यय या विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर सफलता पूर्वक लागू किया जायें।

3.1 बजट प्रक्रिया

बज़ट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। बजट शब्दावली ***परिशिष्ट 3.1*** में दी गई है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, वित्त विभाग को वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली या व्यय की जाने वाली सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (लोकप्रिय रूप से बजट के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया समान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करती है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1 : बजट तैयार करने की प्रक्रिया



सीएसएसः केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएसः केन्द्रीय योजनायें।

राज्य का बजट मुख्य रूप से सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभाजित है। राजस्थान बजट मैनुअल में बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। क्षेत्रवार बजटिंग, जैसे कि सामाजिक बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, नवीन बजटिंग तकनीकों को दर्शाता है। राजस्थान में, राज्य सरकार समेकित बजट के अलावा, उप-बजट/विवरण जैसेकि कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण और दो प्रकार के प्रदर्शन बजट दस्तावेज़ यानी आउट-कम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है।

सामाजिक बजटिंग मानव पूंजी के विकास, कल्याण का न्याय संगत वितरण और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा है। हालाँकि, राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक बजट से अलग, सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट पेश करने की कोई प्रथा नहीं है।

कृषि बजट: राज्य का कृषि बजट समग्र बजट का हिस्सा है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। राज्य का कृषि बजट, समग्र बजट के भीतर उन योजनाओं पर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का खुलासा करता है, जिनका लक्ष्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। राजस्थान में कृषि बजट वर्ष 2022-23 के दौरान पेश किया गया था। वर्ष 2022-23 में कृषि बजट पर ₹ 78,938.68 करोड़ आवंटित किये गये है, जो राज्य बजट का 22.22 प्रतिशत था।

निष्पादन आधारित बजटिंग अधिक लागत कुशल और प्रभावी बजटिंग परिव्यय का प्रबंधन करने के लिए कार्यक्रम के वित्त पोषण स्तर और उस कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों के बीच संबंधों के आधार पर बजट विकसित करने का अभ्यास है। राजस्थान में आउटकम और आउटपुट बजट की तैयारी 2006-07 में शुरू की गई थी। ये बजट विवरण परिकल्पित लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत वास्तविक वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

जेंडर बजट विवरण: राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने ₹ 33,745.11 करोड़ आवंटित किए थे, जो राज्य बजट का 9.50 प्रतिशत था।

चाइल्ड बजट विवरण: चाइल्ड बजटिंग एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से बाल केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर राज्य की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार ने 2022-23 में चाइल्ड बजट के लिए ₹ 33,046.08 करोड़ आवंटित किए थे, जो राज्य बजट का 9.30 प्रतिशत था।

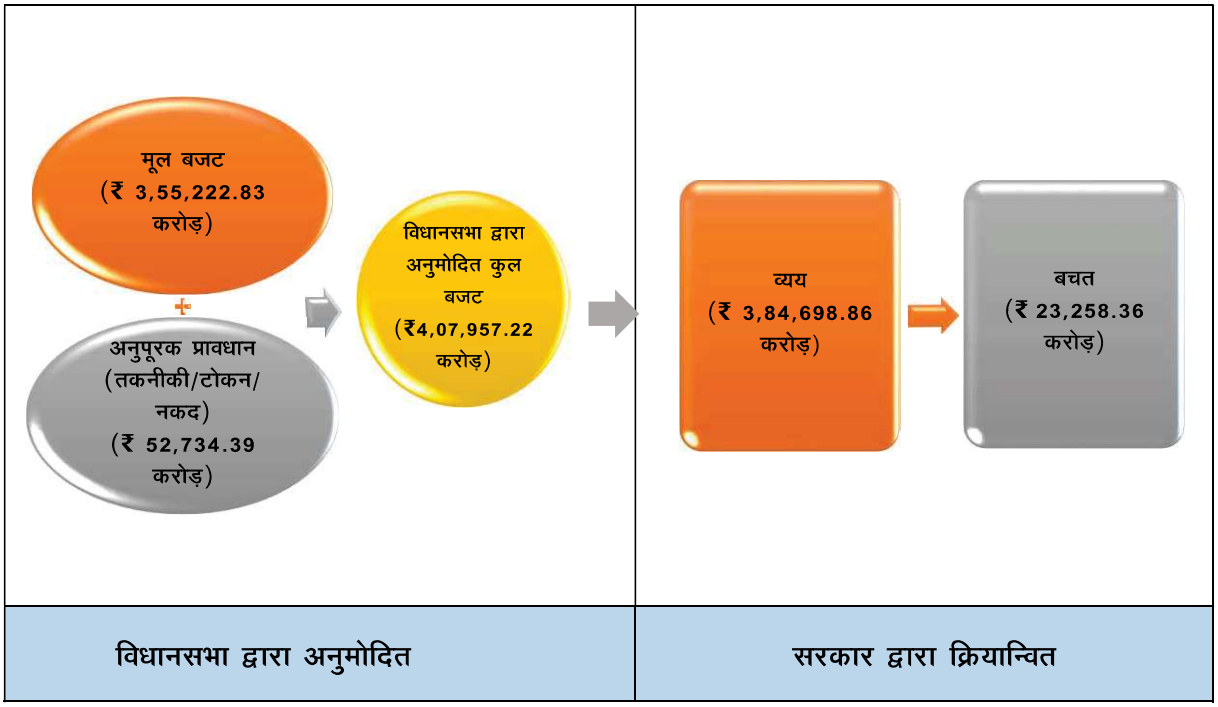
जेंडर बजट और चाइल्ड बजट के तहत बजट आवंटन और व्यय का विस्तृत लेखापरीक्षा विश्लेषण **अनुच्छेद 3.4.4 और 3.4.5** में दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही विस्तृत अनुमान और अनुदान विधान सभा द्वारा पारित किए जाते हैं, वित्त विभाग सभी विभागाध्यक्षों और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान हेतु बजट आवंटन के बारे में सूचित करता है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज़ की प्रतियां महालेखाकार को भी भेजता है। वित्त विभाग द्वारा ऐसी सभी जानकारी और बजटीय

आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड की जाती है और इसकी पहुँच संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध होती है।

वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदानों और पुनर्विनियोजन के लिए किये गये अनुरोधों की भी समीक्षा वित्त विभाग करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा, अनुदान के भीतर निधि को फिर से आवंटित करने के लिए पुनर्विनियोग का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित कुल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

चार्ट 3.2: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) निर्धारित करता है कि व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितनी कि वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया में परिकल्पना की गई है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान में प्रदान की गई राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय किया जा सके और यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सारांश

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य को इसके आगे दत्तमत/प्रभारित के विभाजन के साथ कुल 53 अनुदानों/विनियोगों की सारीकृत स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	2,28,804.34	31,141.99	2,03,276.65	30,977.47	(-)25,527.69*	(-)164.52
पूंजीगत	43,006.51	1.20	24,531.21	1.15	(-)18,475.30	(-)0.05
ऋण और अग्रिम	192.99	-	174.78	-	(-)18.21	-
लोक ऋण	-	1,04,810.19	-	1,25,737.60	-	(+)20,927.41
कुल	**2,72,003.84**	**1,35,953.38**	**2,27,982.64**	**1,56,716.22**	**(-)44,021.20**	**(+)20,762.84**

स्रोतः विनियोग लेखे

* अनुदान 21 (सड़क एवं पुल) के अंतर्गत ₹142.20 करोड़ की आधिक्य राशि को समायोजित करने के बाद प्राप्त हुआ।

3.1.2 बचतों और संवितरणों का सारांश

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया गया है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर लगाया गया व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधान सभा के वोट के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियां को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जा सकता है।

विगत पांच वर्षों (2018-23) के दौरान कुल संवितरणों का दत्तमत एवं प्रभारित में विभाजन का प्रकृति विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: अवधि 2018-23 के दौरान दत्तमत एवं प्रभारित संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संवितरण		बचत/(-)आधिक्य(+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1.	2018-19	1,70,938.53	38,837.74	(-) 19,224.26	(-) 77.79
2.	2019-20	1,74,658.95	43,879.83	(-) 24,176.34	(-) 181.67
3.	2020-21	1,74,822.52	66,438.60	(-) 26,690.95	(-) 360.87
4.	2021-22	2,13,739.00	84,495.12	(-) 23,679.22	(-) 8,949.61
5.	2022-23	2,27,982.64	1,56,716.23	(-) 44,021.20	(+) 20,762.84

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

प्रभारित संवितरण वर्ष 2018-19 में ₹ 38,837.74 करोड़ से 303.05 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,56,716.23 करोड़ हो गया। दत्तमत संवितरण वर्ष 2018-19 में ₹1,70,938.53 करोड़ से 33.37 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,27,982.64 करोड़ हो गया।

प्रभारित अनुभाग में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान बचत में त्वरित वृद्धि के विपरीत, वर्ष 2022-23 में ₹ 20,762.84 करोड़ का अधिक्य व्यय, मुख्य रूप से मर्गोपाय अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,258.36 करोड़ की समग्र बचत हुई। संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.1.3 बजट लक्ष्यवेधित्व

समग्र बजट आउटटर्न

समग्र बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है, जिस हद तक समग्र बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में, को दर्शाता है।

तालिका 3.3: समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	संशोधित (आरई)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बीई के बीच अंतर*	बीई और आरई के बीच अंतर	वास्तविक और आरई के बीच अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	2,43,797.42	2,53,428.42	2,34,254.12	(-) 9,543.30	9,631.00	(-) 19,174.30
पूंजीगत	1,11,425.41	1,37,858.12	1,50,444.74	(+)39,019.33	26,432.71	(+) 12,586.62
कुल	**3,55,222.83**	**3,91,286.54**	**3,84,698.86**	(+) 29,476.03	**36,063.71**	**(-) 6,587.68**

* मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक प्रावधान में कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (-) 3.91 प्रतिशत का विचलन था। यह 36 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के बीच, चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व भाग की तीन अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

पूंजीगत भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (+) 35.02 प्रतिशत का विचलन था। यह नौ अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और नौ अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालांकि, पूंजीगत भाग की 18 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट अनुदान और विनियोजन की राशि से की जाती है। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए, वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोगों की लेखापरीक्षा करता है कि क्या बजट में अंतर्निहित विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय, वास्तव में वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकारी के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग सांविधानिक प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

एसबीएम के अनुच्छेद 24.2 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी वस्तु या सेवा पर व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमंडल द्वारा अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य विधानसभा ने वर्ष 2022-23 के लिए 48 अनुदान/विनियोगों में ₹ 52,734.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों (सितंबर 2022 और फरवरी 2023) की मंजूरी दी है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ 2.50 करोड़ या अधिक) के कुल मिलाकर ₹ 6,768.66 करोड़ के 18 मामले नीचे **तालिका 3.4** में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहां वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
राजस्व (दत्तमत)					
1.	4- जिला प्रशासन	707.12	15.23	660.21	46.91
2.	7-चुनाव	145.85	15.93	128.81	17.04
3.	16-पुलिस	8,095.06	414.67	7,907.97	187.09
4.	20-आवास	76.76	2.55	75.27	1.49
5.	23-श्रम एवं रोजगार	1430.23	180.00	1,360.77	69.46
6.	24-शिक्षा, कला और संस्कृति	39,354.29	2,289.26	37,362.42	1,991.87
7.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1159.05	182.83	609.77	549.28
8.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	20,399.91	89.01	18,086.88	2,313.03
9.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	4,158.77	300.38	2,946.58	1,212.19
10.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	23,674.91	117.00	21,319.60	2,355.31
	कुल	**99,201.95**	**3,606.86**	**90,458.28**	**8,743.67**
पूंजीगत (दत्तमत)					
11.	9-वन	328.89	19.78	317.80	11.09
12.	19- लोक निर्माण कार्य	1,994.20	59.13	1,310.50	683.70
13.	24- शिक्षा, कला और संस्कृति	1,230.44	405.15	1,072.28	158.16

क्रम सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
14.	26- चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफ़ाई	862.12	600.04	743.28	118.84
15.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	6,054.61	300.00	3,669.72	2,384.89
16.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	247.96	27.70	213.02	34.94
17.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	858.27	1,340.00	371.22	487.05
18.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,762.68	410.00	4,026.70	2,735.98
	कुल	**18,339.17**	**3,161.80**	**11,724.52**	**6,614.65**
	कुल योग	**1,17,541.12**	**6,768.66**	**1,02,182.80**	**15,358.32**

स्रोतः विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन 18 मामलों में, ₹ 1,17,541.12 करोड़ के मूल अनुदान के अलावा, ₹ 6,768.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1,02,182.80 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रावधान के मुकाबले ₹ 15,358.32 करोड़ की बचत हुई । हालाँकि, संबंधित विभागों ने मूल प्रावधान के तहत धन की उपलब्धता के बावजूद अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

यह इंगित करता है कि मूल प्रावधान की पर्याप्तता के उचित मूल्यांकन के बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए थे और जिसने वर्ष के दौरान समग्र बजटीय बचत में वृद्धि में योगदान दिया। इससे यह भी पता चलता है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

3.3.2 निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, से दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है। एसबीएम के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य हैं, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 31 मार्च 2023 तक ₹ 21,279.04 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये और जिसके परिणामस्वरूप भारी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 26 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचते/आधिक्य रहे ***(परिशिष्ट 3.2)***। 10 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, सात लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं नौ लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं थी।

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2023) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 1,962 शीर्षों में से मात्र 826 प्रकरणों (42.10 प्रतिशत) में कारणों को पुनर्विनियोजन आदेशों में स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 1,136 प्रकरणों में, स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता','नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' के थे।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी की किसी भी उल्लेखनीय प्रवृत्ति, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली किसी विशेष घटना की संभावना है, की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण पायें गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 44,327.97 करोड़ (₹ 21,069.61 करोड़ की आधिक्य राशि का समायोजन किए बिना) (कुल बजट प्रावधान ₹ 4,07,957.22 करोड़ का 10.87 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 29 अनुदानों तथा एक विनियोजन जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें रही तथा इनमें संयुक्त रूप से राशि ₹ 43,403.07 करोड़ की बचतें रही, जैसाकि ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

विभागों द्वारा उल्लेखनीय बचतों के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा/निधियां जारी नहीं करना/कम अंश में जारी करना और कार्यों का नहीं होना/कम होना बताये गये। अन्य कारण थेः

- पदों का रिक्त रहना तथा वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना,
- भारत सरकार से कार्य की मंजूरी/अनुमोदन न मिलना,
- भारत सरकार से योजना की मंजूरी न मिलना,
- कार्य की धीमी प्रगति,
- निविदा प्रक्रिया में देरी/पूरा न होना,
- केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से संबंधित धनराशि की कम प्राप्ति,
- निधि के पिछले आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना,
- बिजली कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय कम करना,
- लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति, आदि ।

यह इंगित करता है कि विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित एसबीएम के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,258.36 करोड़ की भारी बचतें हुई।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग के साथ (नीचे लाल में दर्शाया गया है) पूंजीगत-दत्तमत अनुभाग में दस अनुदानों और राजस्व-दत्तमत अनुभाग में दो अनुदानों में से, 11 अनुदानों ने पिछले तीन से पांच वर्षों के लिए एक प्रतिशत से 48 प्रतिशत एक समान कम उपयोग था और एक अनुदान में सभी पांच वर्षों में एक प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच कम उपयोग था, जो सुधारात्मक उपायों को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा कारगर समीक्षा की आवश्यकता वाले मुद्दों को इंगित करता है। पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान 12 अनुदानों में बजटीय आवंटन का उपयोग **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्षों की संख्या*	बजट 2022-23	कुल बजट (5 वर्षों)
	पूंजीगत दत्तमत								
1.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	41%	35%	25%	64%	63%	3	14.08	43.27
2.	12-अन्य कर	90%	54%	16%	85%	38%	2	96.25	396.57
3.	20-आवास	64%	29%	41%	48%	48%	4	113.43	426.27
4.	23-श्रम और रोजगार	60%	1%	24%	54%	100%	2	6.00	106.67
5.	27-पेयजल योजना	72%	64%	81%	80%	36%	1	4616.98	19279.19
6.	32-नागरिक आपूर्ति	15%	1%	20%	6%	18%	5	4.76	20.00
7.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	99%	83%	100%	98%	17%	1	2198.27	3279.88
8.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	35%	99%	23%	34%	93%	3	1.41	5.75
9.	41-सामुदायिक विकास	33%	16%	100%	4%	66%	3	34.25	73.33
10.	48-विद्युत्	90%	92%	23%	86%	44%	2	1690.74	9749.98
	राजस्व दत्तमत								
11.	28-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	76%	67%	95%	93%	45%	1	1341.88	4595.58
12.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	40%	32%	46%	80%	81%	3	0.05	0.67

स्रोतः विनियोग लेखे एवं बजट दस्तावेज ।

** 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या*

इन क्षेत्रों में कम उपयोग और निरन्तर कम उपयोग के प्रकरण इन क्षेत्रों को न्यून महत्त्व देने के साथ-साथ दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करते हैं।

प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण

एसबीएम के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए और बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए, जब तक कि वे उसी अनुदान के अंतर्गत अन्य इकाइयों के तहत हुए आधिक्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए कोई भी बचत आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 1,594.98 करोड़ अन-अभ्यर्पित राशि थी। यह अन्य अनुदानों/विनियोगों की बचतों के विरुद्ध ₹ 104.43 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण से समायोजित हुई और इस प्रकार वर्ष के अंत में ₹ 1,490.55 करोड़ की अन-अभ्यर्पित राशि रही।

13 अनुदानों/विनियोगों के 18 मामलों में (जहां बचतें एक करोड़ और उससे अधिक थी) ₹ 27,827.08 करोड़ की समग्र बचतों के साथ अन-अभ्यर्पित बचतों की वृहद राशि (₹ 1593.43 करोड़) का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। शीघ्र समर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत धनराशि के अधिक अभ्यर्पण का विवरण

छह अनुदानों/विनियोजन से संबंधित अधिक अभ्यर्पण (एक करोड़ रुपये से अधिक) के प्रमुख मामले, जहां ₹102.56 करोड़ का बचत से अधिक अभ्यर्पण किया गया था, **तालिका 3.6** में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: ऐसे मामले जहां बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल बजट	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	16-पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	8,095.06	414.67	8,509.73	7,907.97	(-)601.76	609.37	7.61
2.	ब्याज भुगतान (राजस्व-प्रभारित)	28,838.11	1,895.17	30,733.28	30,601.90	(-)131.38	134.89	3.51
3.	21-सड़कें और पुल (पूंजीगत-दत्तमत)	5,851.86	0.00	5,851.86	4,574.41	(-)1,277.45	1,278.58	1.13
4.	21-सड़कें और पुल (राजस्व-दत्तमत)	3,843.16	523.74	4,366.90	4,509.10	(+)142.20	86.29	86.29
5.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति (पूंजीगत-दत्तमत)	1,230.44	405.15	1,635.59	1,072.28	(-)563.31	564.54	1.23
6.	29- नगरीय आयोजना और प्रादेशिक विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	1,549.82	1,290.34	2,840.16	1,952.44	(-)887.72	890.51	2.79
	योग	49,408.45	4,529.07	53,937.52	50,618.10	(-) 3,319.42	3,564.18	102.56

स्रोतः विनियोग लेखे ।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में विभागों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (सितम्बर 2023)। इन पांच अनुदानों और एक विनियोग में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है।

निरन्तर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 76वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) में सिफारिश की थी कि क्रमिक वर्षों में निरंतर बचतें बिना आवश्यकता के बजट के अधिक अनुमान और उचित निगरानी की कमी को इंगित करती है। अतः भविष्य में बजट अनुमानों को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए । इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2022-23 के दौरान निरंतर बचतों के मामलें जारी रहे। निरंतर बचतों से तात्पर्य पिछले तीन वर्षों में प्रावधान के विरुद्ध बजट मद में लगातार बचत ₹100 करोड़ है।

गत तीन वर्षों के दौरान, 12 अनुदानों के 12 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी जो कि कुल प्रावधान के 10.12 प्रतिशत से 63.94 प्रतिशत के मध्य रही जिनका विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: विभिन्न अनुदानों के तहत निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	8-राजस्व	2020-21	884.87	741.73	143.13	16.18
		2021-22	922.28	793.48	128.80	13.97
		2022-23	1,068.94	850.68	218.25	20.42
2.	9-वन	2020-21	942.15	799.25	142.89	15.17
		2021-22	1,000.92	811.84	189.08	18.89
		2022-23	1,006.01	882.34	123.67	12.29
3	23-श्रम एवं रोजगार	2020-21	1,212.29	1,039.94	172.35	14.21
		2021-22	1,409.03	1,072.41	326.62	23.18
		2022-23	1,610.23	1,360.77	249.46	15.49
4.	29-नगरीय आयोजना और प्रादेशिक विकास	2020-21	6,425.41	5,047.40	1,378.01	21.45
		2021-22	6,034.41	5,154.35	880.06	14.58
		2022-23	5,960.43	5,092.19	868.24	14.57
5.	37-कृषि	2020-21	3,514.53	3,158.83	355.69	10.12
		2021-22	4,156.18	3,729.06	427.12	10.28
		2022-23	4,785.44	3,571.63	1,213.81	25.36
6.	41-सामुदायिक विकास	2020-21	6,602.71	4,432.20	2,170.51	32.87
		2021-22	9,241.37	7,288.17	1,953.21	21.14
		2022-23	9,909.98	6,054.43	3,855.55	38.91
पूंजीगत-दत्तमत						
7	19- लोक निर्माण कार्य	2020-21	1,033.73	468.56	565.17	54.67
		2021-22	1,123.82	780.96	342.86	30.51
		2022-23	2,053.33	1,310.50	742.83	36.18

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
8	21-सड़कें एवं पुल	2020-21	4,238.48	2,943.41	1,295.06	30.64
		2021-22	5,474.95	4,467.37	1,007.58	18.40
		2022-23	5,851.86	4,574.41	1,277.45	21.83
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2020-21	1,114.21	916.28	197.93	17.76
		2021-22	1,157.46	417.62	739.84	63.92
		2022-23	1,635.59	1,072.28	563.31	34.44
10.	27-पेयजल योजना	2020-21	3,312.49	2,674.07	638.42	19.27
		2021-22	4,361.16	3,471.05	890.11	20.41
		2022-23	4,616.98	1,664.70	2,952.28	63.94
11.	30-जनजातीय क्षेत्रीय विकास	2020-21	3,438.37	2,159.08	1,279.29	37.21
		2021-22	3,850.52	3,182.95	667.86	17.34
		2022-23	6,354.62	3,669.72	2,684.89	42.25
12.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2020-21	4,654.93	2,681.51	1,973.42	42.39
		2021-22	4,864.22	4,028.65	835.57	17.18
		2022-23	7,172.68	4,026.70	3,145.98	43.86

स्रोतः विनियोग लेखे ।

संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत कारणों के अनुसार, लगातार बचत मुख्य रूप से भारत सरकार/राजस्थान सरकार का अंशदान/निधि के कम/जारी नहीं होना थे। अन्य कारणों में धनराशि का कम हस्तांतरण, विभिन्न योजनाओं के तहत कम मंजूरी जारी होना, निर्माण कार्य शुरू न होना और काम की धीमी प्रगति आदि शामिल थे।

निरंतर बचतें, अवधि के दौरान संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण की ओर इंगित करती है ।

3.3.4 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण

वर्ष 2022-23 में राज्य की समेकित निधि से अधिकृत दो अनुदानों के तहत प्रावधान से अधिक राशि ₹ 21,069.61 करोड़ का सारांश और संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, जैसाकि नीचे **तालिका 3.8** में दिखाया गया है।

तालिका 3.8: 2022-23 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
	राजस्व दत्तमत			
1.	21-सडकें एवं पुल	4,366.90	4,509.10	142.20
	पूंजीगत प्रभारित			
2.	लोक ऋण	1,04,810.20	1,25,737.61	20,927.41
	कुल योग	**1,09,177.10**	**1,30,246.71**	**21,069.61**

स्रोतः विनियोग लेखे

एसबीएम के अनुच्छेद 23.15.6 के अनुसार, प्रत्याशित आधिक्य या बचत के कारणों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने बताया कि "लोक ऋण" अनुदान के तहत ₹ 20,927.41 करोड़ का आधिक्य व्यय मुख्य रूप से बजट प्रावधान के मुकाबले ₹ 17,386.13 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) अधिक उपयोग और ₹ 3,532.27 करोड़ की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सुविधा के विभिन्न विकास योजनाओं और नियमित राजस्व प्राप्तियों में व्यय की प्रगति को बनाए रखने हेतु सीएसएस में केंद्र के हिस्से के साथ, राज्य का हिस्सा जारी करने के के कारण हुआ। हालाँकि, वित्त विभाग ने "अनुदान 21-सड़कें और पुल" के तहत प्राधिकृत से अधिक ₹ 142.20 करोड़ के आधिक्य व्यय के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 बजट प्रावधान तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

वर्ष 2022-23 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय*	बचत का शुद्ध (-)/आधिक्य (+)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	बचत (-)/आधिक्य (+) के विरुद्ध प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,14,690.62	14,113.72	**2,28,804.34**	**2,03,276.65**	(-)**25,527.69**	24,248.54	94.99
	II. पूंजीगत	38,517.64	4,488.87	**43,006.51**	24,531.21	(-)**18,475.30**	18385.80	99.52
	III ऋण और अग्रिम	192.99	0	**192.99**	174.78	(-)**18.21**	34.62	190.12
कुल		**2,53,401.25**	**18,602.59**	**2,72,003.84**	**2,27,982.64**	(-)**44,021.20**	**42,668.96**	-
प्रभारित	V. राजस्व	29,106.80	2,035.19	**31,141.99**	30,977.47	(-)**164.52**	168.41	102.36
	VII. पूंजीगत	-**	1.20	**1.20**	1.15	(-)**0.05**	0.05	100
	VIII. सार्वजनिक ऋण-पुनर्भुगतान	72,714.78	32,095.41	**1,04,810.19**	1,25,737.60	(+)**20,927.41**	-	-
कुल		**1,01,821.58**	**34,131.80**	**1,35,953.38**	**1,56,716.22**	(+)**20,762.84**	**168.46**	-
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-
कुल योग		**3,55,222.83**	**52,734.39**	**4,07,957.22**	**3,84,698.86**	**23,258.36**	**42,837.42**	-

स्रोत: विनियोग लेखे एवं बजट दस्तावेज ।

* *वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वसुलियाँ: ₹ 7,774.83 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वसुलियाँ: ₹ 4,734.08 करोड़, कुल: ₹ 12,508.91 करोड़)।*

** *₹ 9,000*

उपरोक्त तालिका राजस्व अनुभाग में ₹ 44,021.20 करोड़ की बचत और प्रभारित अनुभाग में ₹ 20,762.84 करोड़ का अधिक्य दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,258.36 करोड़ की समग्र बचत हुई। राजस्व अनुभाग के तहत 48 अनुदानों और 44 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के तहत 35 अनुदानों और 3 विनियोगों में कुल मिलाकर ₹ 44,327.97 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो राजस्व अनुभाग के तहत एक अनुदान में और पूंजीगत अनुभाग के तहत एक विनियोग में ₹ 21,069.61 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,258.36 करोड़ की अंतिम बचत रही।

वर्ष के दौरान ₹ 52,734.39 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 14.85 प्रतिशत था । सभी अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत अंतिम बचत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक बजट का 44.10 प्रतिशत थी। यह इंगित करता है कि**अनुच्छेद 3.3.1** में शामिल आवश्यकताओं की उचित संवीक्षा के बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

बजट अनुमानों की विश्वसनीयता

राज्य का बजट संख्याओं के तीन समूह प्रदान करता हैः (i) बजट अनुमानः आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, (ii) संशोधित अनुमानः वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में संशोधन, और (iii) वास्तविकः गत वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान वर्तमान वर्ष में सरकार के वित्त का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे उस वर्ष में पहले से ही दर्ज किए गए वास्तविक लेनदेन के संदर्भ में बनाए गए हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान से कम या अधिक हो सकते हैं, और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में मदद करती है।

वर्ष 2018-2023 के पांच वर्षों के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की समग्र स्थिति **तालिका 3.10** में विस्तृत है:

तालिका 3.10: वर्ष 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(**₹ करोड़ में**)

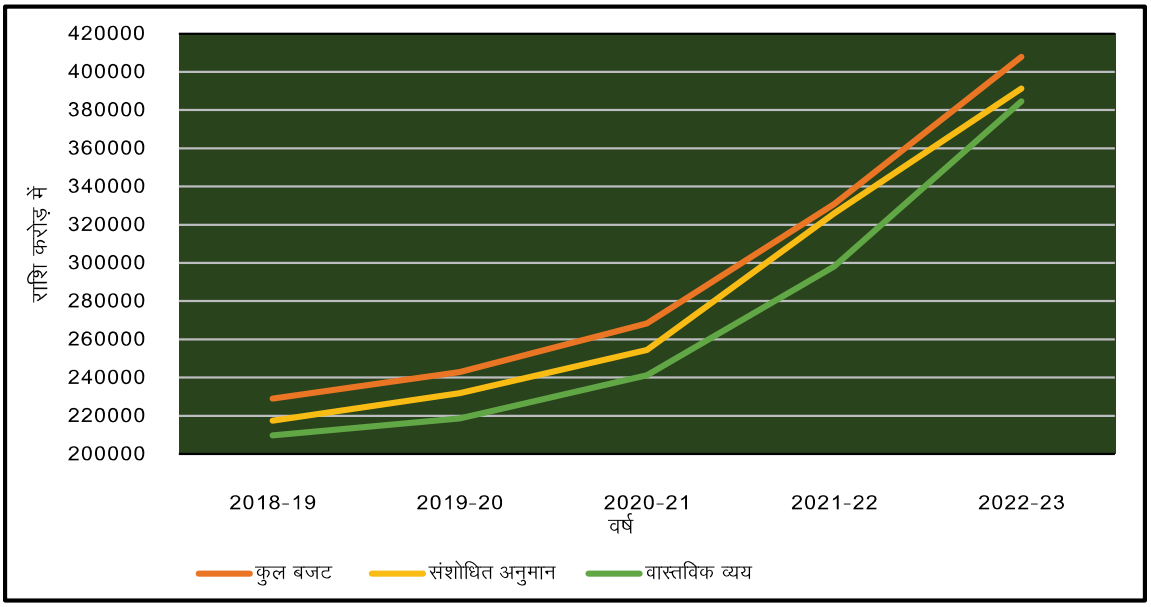
क्र.स.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	मूल बजट	2,17,433.13	2,39,959.67	2,32,058.98	2,58,083.86	3,55,222.83
2.	अनुपूरक बजट	11,645.19	2,937.12	36,253.96	72,779.09	52,734.39
3.	कुल बजट (टीबी)	2,29,078.32	2,42,896.79	2,68,312.94	3,30,862.95	4,07,957.22
4.	संशोधित अनुमान (आरई)	2,17,417.37	2,31,844.56	2,54,390.10	3,25,930.77	3,91,286.54
5.	वास्तविक व्यय (एई)	2,09,776.27	2,18,538.79	2,41,261.12	2,98,234.12	3,84,698.86
6.	**बचत/आधिक्य**	**19,302.05**	**24,358.00**	**27,051.82**	**32,628.83**	**23,258.36**
7.	मूल बजट से अनुपूरक का प्रतिशत	*5.36*	*1.22*	*15.62*	*28.20*	*14.85*
8.	समग्र बचत/आधिक्य का समग्र प्रावधान से प्रतिशत	*8.43*	*10.03*	*10.08*	*9.86*	*5.70*
9.	टीबी-आरई	11,660.95	11,052.23	13,922.84	4,932.18	16,670.68
10.	आरई-एई	7,641.10	13,305.77	13,128.98	27,696.65	6,587.67
11.	(टीबी-आरई) टीबी के % के रूप में	*5.09*	*4.55*	*5.19*	*1.49*	*4.09*

क्र.स.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
12.	(आरई-एई) टीबी के % के रूप में	*3.34*	*5.48*	*4.89*	*8.37*	*1.61*

स्रोतः वार्षिक वित्त विवरण और विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधानों के मुकाबले 1.22 प्रतिशत से 28.20 प्रतिशत तक थे और वर्ष 2021-22 में 28.20 प्रतिशत के अधिकतम और वर्ष 2022-23 में घटकर 14.85 प्रतिशत हो गए।

चार्ट 3.3: बीई, आरई और वास्तविक प्रदर्शन के रुझान



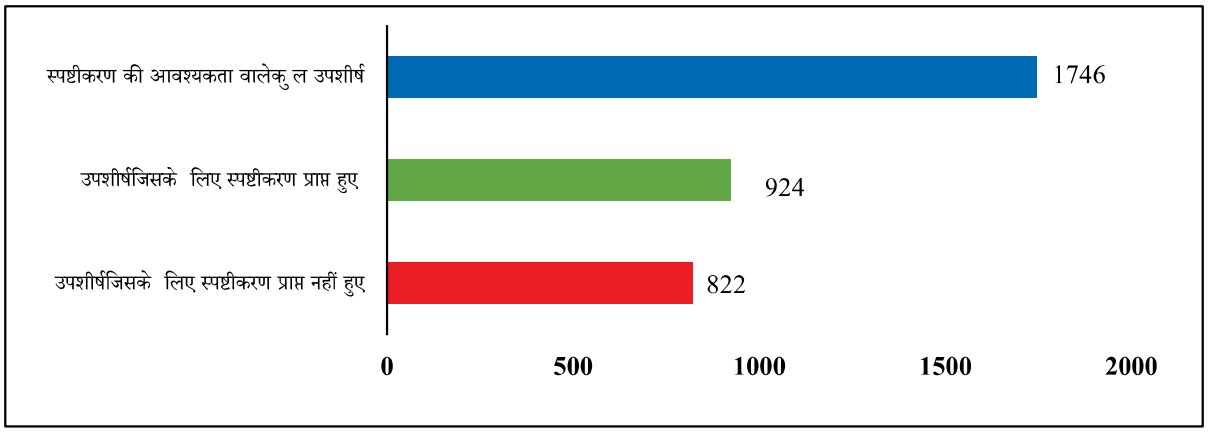
उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के कुल बजट (टीबी) से कम थे। आरई और टीबी के बीच का अंतर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 4,932.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 16,670.68 करोड़ हो गया। हालाँकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिशतता में अंतर 6 प्रतिशत से कम था, प्रतिशतता के संदर्भ में, आरई वर्ष 2021-22 में टीबी से 1.49 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 4.09 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-23 की अवधि में, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के वास्तविक व्यय (एई) से अधिक था। वर्ष 2021-23 के दौरान आरई और एई के बीच अंतर में कमी के रुझान देखे गए और पिछले पांच वर्षों में प्रतिशतता में अंतर 10 प्रतिशत से कम था। प्रतिशतता के संदर्भ में, एई वर्ष 2021-22 में आरई से 8.37 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 1.61 प्रतिशत हो गया।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन गलत प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़ाए गए थे, और वर्ष 2018-20 के दौरान वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम थे। ऐसे में, वर्ष 2018-20 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया, जबकि वर्ष 2020-2023 की अवधि में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे ।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों से 1,746 उप-शीर्षों में व्यय में भिन्नता अर्थात बचत/आधिक्य पर स्पष्टीकरण मांगा। हालाँकि, 822 उप-शीर्षों (बचतः 613 और आधिक्यः 209) के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (दिसंबर 2023)।

चार्ट 3.4: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजट आवंटन और उनके उपयोग के बीच भिन्नता के स्पष्टीकरणों का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेयता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.4.2 प्रमुख योजनाओं का गैर क्रियान्वयन

विनियोग लेखो की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2022-23 के दौरान, 368 योजनाओं/शीर्षों के तहत ₹ 10,149.96 करोड़ के किए गए कुल प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) का उपयोग नहीं किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग नहीं किए गए बजट प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 103 योजनाओं में बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और संशोधित अनुमान में 189 योजनाओं में टोकन बजट प्रावधान किए गए। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और जरुरत के उचित मूल्यांकन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में विमान खरीद के लिए मंजूरी नहीं मिलना, मंजूरी देर से मिलना, योजना की मंजूरी नहीं मिलना, राज्य सरकार द्वारा मंजूरी जारी नहीं करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं करना, कार्य का निष्पादन न होना, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना, योजना प्रारम्भ न होना, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि पिछले तीन वर्षों में संबंधित विभाग द्वारा अनुदान की मांगों से हटाए बिना, जैसाकि एसबीएम द्वारा प्रावधित है, लगातार अनावश्यक प्रावधान किए जाने और वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किये जाने के मामले थे। ऐसे मामलों को ***परिशिष्ट 3.6*** में सूचीबद्ध किया गया है।

3.4.3 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना स्वस्थ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसबीएम के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए। वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (अगस्त 2022) कि व्यय के प्रवाह को इस प्रकार बनाए रखा जाए कि दिसंबर के अंत तक व्यय कुल व्यय का 90 प्रतिशत हो जाए, इसके अभाव में नियंत्रक अधिकारी/ डीडीओ उत्तरदायी होंगे।

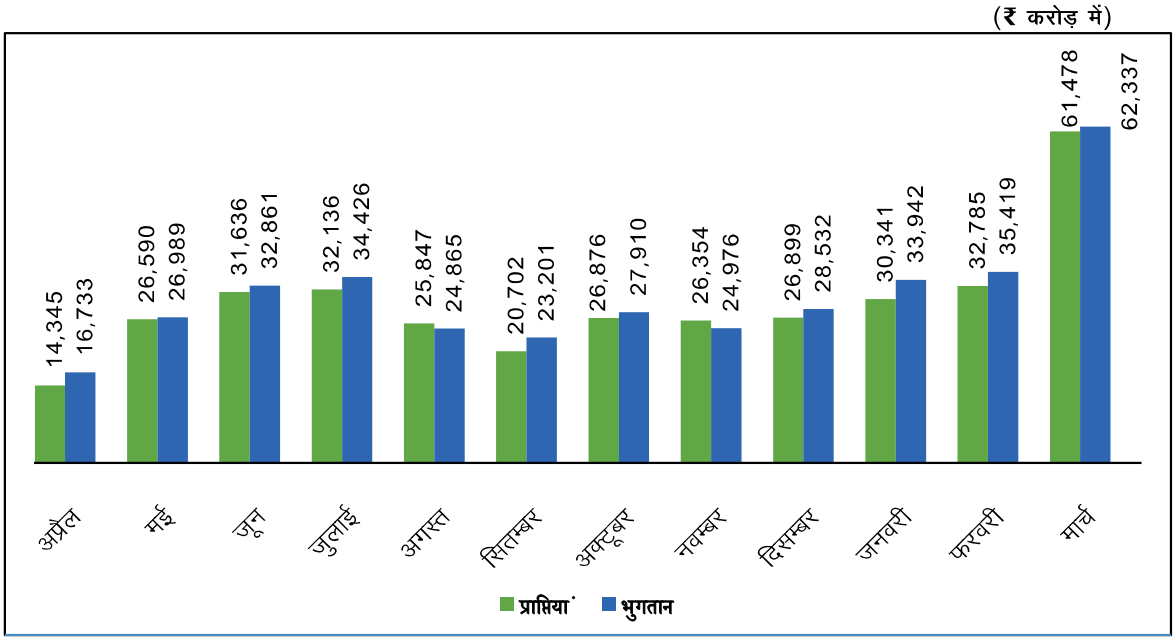
वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय (₹ 3,72,189.96 करोड़) का 35.38 प्रतिशत (₹ 1,31,697.14 करोड़) व्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा जा सका था। यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 3,55,989.15 करोड़) में से 35.00 प्रतिशत (₹ 1,24,604.34 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। तथापि, गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में 38.31 प्रतिशत (₹ 36,481 करोड़) की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 19 अनुदानों के 76 उप-शीर्षों (जहां पिछली तिमाही के दौरान व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक था और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक था) के अंतर्गत, कुल व्यय ₹ 5,384.52 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए जो कुल व्यय (₹ 7,152.69 करोड़) का 75.28 प्रतिशत था और ₹ 4,370.58 करोड़ (61.10 प्रतिशत) अकेले मार्च 2023 में व्यय किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में वर्णित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)



स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना।

चार्ट से पता चलता है कि वर्ष की पिछली तिमाहियों की तुलना में अंतिम तिमाही में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय के स्वरुप से पता चला कि राज्य सरकार ने केवल मार्च महीने में ₹ 62,336.68 करोड़ का व्यय किया, जो कुल व्यय ₹ 3,72,189.96 करोड़ का लगभग 16.75 प्रतिशत था।

अगस्त 2022 के परिपत्र के अनुसार, सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों/विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय का निर्धारित प्रतिशत वर्ष की पहली तिमाही के अंत में 30 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के अंत में 60 प्रतिशत और तीसरी तिमाही के अंत में 90 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।

आठ प्रमुख शीर्षों का विवरण, जिनमें मार्च महीने के दौरान किया गया व्यय, कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, नीचे **तालिका 3.11** में प्रदान किया गया है:

तालिका 3.11: वर्ष 2022-23 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले शीर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	6.06	0.41	1.47	1,384.82	1,392.76	1,375.48	99.43	98.76
2.	3054	सड़कें और पुल	41.98	22.89	553.98	3512.88	4,131.73	3,406.09	85.02	82.44
3.	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाये	15.14	10.62	11.03	3986.32	4,023.11	3,979.32	99.09	98.91
4.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.46	2.35	9.54	115.95	135.30	113.54	85.70	83.92
5.	4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	1.83	60.16	61.99	34.50	97.05	55.65
6.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.80	1.08	3.03	15.28	21.19	12.76	72.11	60.22
7.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.58	10.79	147.64	434.43	598.44	356.87	72.59	59.63
8.	6408	खाद्य भंडारण और माल भंडारण के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00
	योग		**78.02**	**48.14**	**728.52**	**9,544.84**	**10,399.52**	**9.313.56**		

स्रोत : कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हक) द्वारा प्रदत सूचना ।

वर्ष के अंतिम महीने में किया गया भारी व्यय, व्यय पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण और विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

3.4.4 जेंडर अनुकूल बजट

राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और महिलाओं के कल्याण के लिए है। जेंडर बजट सरकारी बजट में जेंडर विश्लेषण के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग नामित किया है । जेंडर बजट में योजनाओं की श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

अ	ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से अधिक है।
ब	योजनाएं जिनके तहत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से कम है ।

राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए, निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जेंडर बजट में 459 योजनाएँ/कार्यक्रम थे, जिनमें से 93 'ए' श्रेणी की योजनाएँ थीं और शेष 366 'बी' श्रेणी की योजनाएँ थीं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट के लिए ₹ 33,745.11 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान (₹ 18,198.64 करोड़) से 85 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कुल बजट[1] में जेंडर बजट का हिस्सा 8.27 प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान जेंडर बजट के तहत आवंटन और व्यय नीचे **तालिका 3.12** में दिखाया गया है।

तालिका 3.12: जेंडर बजटिंग की बीई और वास्तविक की वर्ष-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	जेंडर बजट सहित योजनाओं में कुल बजट प्रावधान	जेंडर बजट की ऐसी योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान	योजनाओं में वास्तविक व्यय	व्यय का *प्रतिशत*
1.	2019-20	37,415.03	18,928.78	15,700.39	82.94
2.	2020-21	28,595.68	14,481.66	15,202.61	104.98
3.	2021-22	35,730.36	18,198.64	18,155.67	99.76
4.	2022-23	69,851.91	33,745.11	28,630.92*	84.84

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विभाग के प्रतिउत्तर

* व्यय 455 योजनाओं से संबंधित है। चार योजनाओं के व्यय की जानकारी विभागों द्वारा नहीं दी गयी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-23 की अवधि के दौरान जेंडर बजट से संबंधित कुल व्यय 82.94 प्रतिशत से सौ प्रतिशत से अधिक के बीच रहा।

1. ₹ 4,07,957.22 करोड़

जेंडर बजट की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की विस्तृत जांच से पता चला कि 76 योजनाओं में बजट आवंटन के समक्ष 'शून्य' व्यय था जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 3.8*** में दिया गया है। सारांशिकृत स्थिति नीचे **तालिका 3.13** में दी गई है :

तालिका 3.13: शून्य व्यय वाली योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना की श्रेणी	विभागों की संख्या	योजनाओं की संख्या	कुल बजट आवंटन	व्यय
1.	A	8	15	4.51	0.00
2.	B	31	61	1,155.49	0.00

यह राज्य में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन की कमी के साथ-साथ नोडल विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

3.4.5 चाइल्ड बजट

राज्य का चाइल्ड बजट समग्र बजट का भी एक भाग है और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित योजनाओं पर प्रावधानों का का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है । राज्य में पहला चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 11,100.50 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रमुख आवंटन और व्यय- शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, चिकित्सा, जनजातीय क्षेत्र विकास और बाल अधिकारिता विभाग से संबंधित थे। वर्ष 2022-23 में, राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट के लिए ₹ 33,046.08 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2021-22[2] से 16.62 प्रतिशत अधिक था। चाइल्ड बजट वर्ष 2022-23 के कुल राज्य बजट[3] का 8.10 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान चाइल्ड बजट के लिए आवंटित धनराशि की मात्रा और इसके विरुद्ध व्यय नीचे **तालिका 3.14** में दिया गया है:

तालिका 3.14: वर्ष 2022-23 के दौरान चाइल्ड बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय	आरई का प्रतिशत उपयोग
चाइल्ड बजट	33,046.08	36,579.45	30,317.41	82.88

स्रोतः वर्ष 2022-23 के बजट एवं विनियोग लेखा के अनुसार

वर्ष 2022-23 के दौरान चाइल्ड बजट में 17 विभागों के पास 166 योजनाएं/कार्यक्रम थे । वर्ष के दौरान चाइल्ड बजट योजनाओं पर अपर्याप्त व्यय करने वाले सात विभागों की योजनाओं का विवरण नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

2. ₹ 28,335.85 करोड़

3. ₹ 4,07,957.22 करोड़ (विनियोग लेखे)

तालिका 3.15: कम व्यय वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग/इकाई का नाम	योजना का नाम (योजना का कोड)	बजट प्रावधान/ संशोधित प्रावधान	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय	उपयोग का प्रतिशत
1.	जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर	जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत सहरिया जनजाति में आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण (1655)	10.00	0.00	0.00
2.	निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग	बाल गृह/पालन गृह का संचालन (2543)	1.74	0.00	0.00
3.	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति (53)	64.00	0.00	0.00
4.		अनुसूचित जाति क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण (1457)	130.00	3.60	2.77
5.		अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बालक/बालिकाओं हेतु दुर्घटना बीमा योजना (1459)	2.63	0.00	0.00
6.		जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रतिष्ठित स्कूलों में अध्ययन सुविधाएं (3026)	17.50	0.00	0.00
7.		नाबार्ड आरआईडीएफ- XXIII के तहत माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण (2562)	21.82	0.00	0.00
8.		नाबार्ड आरआईडीएफ- XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण (2698)	35.20	0.00	0.00
9.		नाबार्ड आरआईडीएफ- XV के तहत माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण (2723)	21.83	0.00	0.00
10.		सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (3025)	1.75	0.00	0.00
11.	प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	लड़को के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय (34)	5.66	0.00	0.00
12.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, जयपुर	आईसीडीएस मिशन मोड के तहत शिशुग्रह निर्माण सहित आंगनबाडी केन्द्रों का उन्नयन और रखरखाव (1762)	9.10	0.00	0.00
13.		आईसीडीएस मिशन मोड के तहत आंगनबाडी केंद्र का निर्माण (1761)	8.00	0.00	0.00
14.		प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) (2651)	127.69	56.04	43.89
15.		राष्ट्रीय पोषण मिशन (2650)	215.55	98.92	45.89
16.		राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषण योजना (1072)	13.34	3.13	23.46
17.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	छात्रावासियों को साइकिल वितरण योजना (2541)	1.80	0.00	0.00
18.		अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा (2528)	500.00	216.12	43.22
19.	राष्ट्रीय कैडेट कोर, जयपुर	राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा सेवाएँ (1507)	10.82	3.62	33.46
		कुल	**1,198.43**	**381.43**	

स्रोतः वर्ष 2022-23 के बजट एवं विनियोग लेखों के अनुसार

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, 19 चाइल्ड बजट योजनाओं का कुल व्यय ₹ 1,198.43 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले ₹ 381.43 करोड़ था, और इनमें से 13 योजनाओं का व्यय शून्य था। संबंधित विभागों/इकाइयों से कम व्यय के कारणों की प्रतीक्षा की जा रही है (सितंबर 2023)।

यह बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से निगरानी की कमी और कार्यान्वयन विभागों की ओर सेउदाशीनता को दर्शाता है।

3.4.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विस्तृत विश्लेषण के लिए अनुदान संख्या 16-पुलिस और अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति का चयन पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमान के विरुद्ध किये गए व्यय के आधार पर किया गया था। इस विश्लेषण में बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के संबंध में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन के बाद आधिक्य व्यय, अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, प्रावधानों का गैर-उपयोग और इन अनुदानों के तहत लगातार बचतों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अनुदान संख्या 16-पुलिस

पुलिस मुख्य रूप से राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों का पता लगाने और उन पर रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह अनुदान प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान अनुदान के तहत समग्र बजटीय स्थिति, व्यय और बचत का ब्यौरा नीचे **तालिका 3.16** में है:

तालिका 3.16: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (प्रतिशत)	अभ्यर्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2020-21	6,908.12	-*	6,908.12	6,385.06	523.06 (7.57%)	489.75
2021-22	7,196.56	227.66	7,424.22	7,186.18	238.04 (3.21%)	236.16
2022-23	8,095.06	414.67	8,509.73	7,907.97	601.76 (7.07%)	609.37
पूंजीगत-दत्तमत						
2020-21	138.76	21.41	160.17	120.38	39.79 (24.84%)	39.79
2021-22	236.76	3.51	240.27	174.77	65.50 (27.26%)	65.11
2022-23	155.68	0.00	155.68	92.34	63.34 (40.69%)	48.95

* केवल ₹ 9,000

यह देखा जा सकता है:

- अनुदान के राजस्व भाग के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 3.21 प्रतिशत से 7.57 प्रतिशत तक थी।
- पूंजीगत भाग में, वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 35 करोड़ से अधिक की कुल प्रावधान के 24.84 प्रतिशत से 40.69 प्रतिशत तक की निरंतर बचते रही।

- एसबीएम के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए । वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, राजस्व भाग के तहत अंतिम बचत में से क्रमशः ₹ 33.31 करोड़ और ₹ 1.88 करोड़ की राशि अन-अभ्यर्पित रही। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व भाग के तहत ₹ 601.76 करोड़ की अंतिम बचत के समक्ष ₹ 609.37 करोड़ का समर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, पूंजीगत भाग के तहत अंतिम बचत में से क्रमशः ₹ 0.39 करोड़ और ₹ 14.39 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।
- 2021-22 और 2022-23 के दौरान, राजस्व अनुभाग के तहत अंतिम बचत को ध्यान में रखते हुए क्रमशः ₹ 227.67 करोड़ और ₹ 414.67 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक थे। इसी प्रकार, पूंजीगत भाग के तहत रही 2020-21 और 2021-22 के दौरान, क्रमशः ₹ 21.41 करोड़ और ₹ 3.51 करोड़ के पूरक प्रावधान भी अनावश्यक थे क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया जा सका।

इससे पता चलता है कि एसबीएम के बजटीय नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम का अनुच्छेद 13.7 निर्धारित करता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों को, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए, ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान छह योजनाओं/कार्यक्रमों में ₹ 60.02 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय बचत हुई (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी) जो कुल अनुदान /विनियोग के 25 प्रतिशत से 80.98 प्रतिशत तक रही । जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.17** में दिया गया है:

तालिका 3.17: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (ओ+एस)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1.	2055-101-01-03 अपराधिक शाखा	11.62	2.21	9.41	80.98
2.	2055-115-09-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत छात्रों को प्रशिक्षण	5.10	2.44	2.66	52.16
3.	2070-106-03-01 स्थापना शुल्क-प्रतिबद्ध	25.12	18.58	6.54	26.03
4.	4055-207-01-02 सामान्य पुलिस	64.39	35.98	28.41	44.12
5.	4055-211-01-90 निर्माण कार्य	10.00	7.50	2.50	25.00

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (ओ+एस)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
6.	4055-211-03-90 निर्माण कार्य	22.18	11.68	10.50	47.34
	कुल	**138.41**	**78.39**	**60.02**	

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचत के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी करना; (ii) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय; (iii) निर्माण कार्य का कम निष्पादन (iv) विभागों से स्वीकृतियाँ न मिलना आदि।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतों से पता चलता है कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनकी निगरानी के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को, ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक निरंतर बचतों वाली योजनाएं थीं, जो नीचे **तालिका 3.18** में दी गई हैं:

तालिका 3.18: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत देखी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1.	2055-115-09 छात्र पुलिस कैडेट	2020-21	3.57	0.01	3.56	99.72
		2021-22	6.17	1.19	4.98	80.71
		2022-23	5.10	2.44	2.66	52.16
2.	2070-107-03-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत शहरी नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	2020-21	1.50	0.21	1.29	86.00
		2021-22	0.90	0.63	0.27	30.00
		2022-23	2.87	0.00	2.87	100.00
3.	2070-107-03-02 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सीमा नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	2020-21	1.51	0.00	1.51	100.00
		2021-22	0.70	0.00	0.70	100.00
		2022-23	1.17	0.00	1.17	100.00
4.	4055-207-01-02 सामान्य पुलिस	2020-21	59.67	35.99	23.68	39.68
		2021-22	45.00	24.21	20.79	46.20
		2022-23	64.39	35.98	28.41	44.12

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्तों पर कम खर्च; (ii) भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति; (iii) कार्यों का कम/गैर-निष्पादन; (iv) राज्य सरकार/विभागों आदि से मंजूरी न मिलना।

निरन्तर बचतें दर्शाती है कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यकर्मो/योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध निधियों का अनुरूपता से उपयोग नहीं किया। यह विनियोग अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निधि की आवश्यकता के अधिक मूल्यांकन को इंगित करता है।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसाकि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे **तालिका 3.19** में दिये गये हैं:

तालिका 3.19: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2055-115-03 फोरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण	3.52	0.00	3.52	100
2.	2055-115-08 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	1.31	0.00	1.31	100
3.	2070-107-03-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के अंतर्गत शहरी नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	2.87	0.00	2.87	100
4.	2070-107-03-02 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सीमा नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	1.17	0.00	1.17	100
5.	4055-207-01-01 अपराध शाखा	5.24	0.00	5.24	100
6.	4055-207-01-03 वायरलेस पुलिस	18.87	0.00	18.87	100
7.	4055-210-01-01 निर्माण कार्य	3.00	0.00	3.00	100
	कुल	**35.98**	**0.00**	**35.98**	

स्रोतःविनियोग लेखे

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होना; (ii) भारत सरकार द्वारा योजनाओं/राज्य कार्य योजना को मंजूरी न देना; (iii) उपकरणों की स्थापना और आपूर्ति की गैर-संभावना (iv) उपकरणों आदि की खरीद के लिए भारत सरकार से मंजूरी न मिलना, आदि।

संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना यह दर्शाता है कि कार्यों/योजनाओं के प्रस्ताव उचित नियोजन और संभाव्यता अध्ययन के बिना बनाए गए थे। यह विभाग द्वारा धन के उपयोग में प्रणालीगत कमी को भी इंगित करता है जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए । वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2023) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जिन 31 मदों में पुनर्विनियोग के आदेश जारी किये गये थे, उनमें से केवल 11 प्रकरणों में ही पुनर्विनियोग आदेशों में स्पष्ट व्याख्या की गई थी । शेष 20 प्रकरणों में, स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता','नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' के थे।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है ।

पूंजीगत कार्य में देरी/अपूर्ण रहना

राज्य सरकार ने सार्वजानिक निर्माण विभाग को 13 जिलों[4] में होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में बजट शीर्ष 4059-80-051-05-02-17 के तहत ₹ 3.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और इन कार्यों को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सार्वजानिक निर्माण विभाग ने मार्च 2023 तक बजट प्रावधान के समक्ष केवल ₹ 1.76 करोड़ का व्यय किया। निदेशालय, होम गार्ड ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि 13 प्रशिक्षण केंद्रों में से 5 केंद्रों से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है और शेष 7 प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित कार्य मार्च 2023 तक अपूर्ण था। इसके अलावा, एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, जयपुर और जोधपुर में प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण से संबंधित कार्य शुरू नहीं हुआ और वित्त विभाग द्वारा अलवर में प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया।

यह सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वयन में देरी और गृह विभाग के स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है।

प्राप्तियां

मुख्य शीर्ष '0055-पुलिस' के तहत राजस्थान पुलिस की राजस्व प्राप्तियों में रेलवे और अन्य राज्यों, निजी कंपनियों, स्थानीय निकायों, बैंकों को प्रदान की गई पुलिस सेवाओं से प्राप्तियां और अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों से पर्याप्त भिन्नता वाले विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के तहत बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को **तालिका 3.20** में संक्षेपित किया गया है:

4. अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जालौर, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक।

तालिका 3.20: वर्ष 2020-23 के दौरान प्राप्ति शीर्षो में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	संशोधित अनुमान से आधिक्य (+) / कमी (-)	*संशोधित अनुमान से प्रतिशत भिन्नता*
1.	0055-101-02 भारत सरकार से प्रतिपूर्ति	2020-21	1.50	1.50	₹1000	(-) 1.50	100.00
		2021-22	1.50	1.50	0.00	(-) 1.50	100.00
		2022-23	1.50	10.00	7.24	(-) 2.76	27.60
2.	0055-101-03 अन्य राज्यों से प्रतिपूर्ति	2020-21	185.54	179.00	22.55	(-)156.45	87.40
		2021-22	244.94	146.93	200.26	(+) 53.33	36.30
		2022-23	244.85	316.16	264.22	(-) 51.94	16.43
3.	0055-102-02 सार्वजनिक विभागों, निजी कंपनी और व्यक्तियों को प्रदान की गईं पुलिस सेवाएँ	2020-21	195.00	124.35	122.88	(-) 1.47	1.18
		2021-22	150.00	125.00	144.89	(+) 19.89	15.91
		2022-23	130.00	135.00	135.64	(+) 0.64	0.47
4.	0055-103-01 वाहन/हथियार के प्रशिक्षण के लिए शुल्क	2020-21	1.50	1.00	1.45	(+) 0.45	45.00
		2021-22	1.00	0.70	1.25	(+) 0.55	78.57
		2022-23	0.80	1.00	1.10	(+)0.10	10.00
5.	0055-104-01 जिला अधिकारियों द्वारा संग्रहण	2020-21	4.50	2.50	4.33	(+) 1.83	73.20
		2021-22	3.40	3.00	4.45	(+) 1.45	48.33
		2022-23	3.20	3.50	3.64	(+)0.14	4.00
6.	0055-104-02 शस्त्र/विस्फोटक/पेट्रोलियम अधिनियम के तहत लाइसेंस के सत्यापन और एनओसी के लिए शुल्क	2020-21	1.10	0.50	1.24	(+) 0.74	148.00
		2021-22	0.60	0.75	1.38	(+) 0.63	84.00
		2022-23	0.80	1.50	1.53	(+)0.03	2.00
7.	0055-800-02-02 चरित्र सत्यापन हेतु शुल्क	2020-21	16.50	10.00	9.49	(-) 0.51	5.10
		2021-22	12.00	12.00	10.09	(-) 1.91	15.92
		2022-23	13.00	13.00	14.14	(+)1.14	8.77
8.	0055-800-06 पुलिस विभाग की अन्य प्राप्तियां	2020-21	15.00	5.00	5.06	(+) 0.06	1.20
		2021-22	5.65	5.00	4.64	(-) 0.36	7.20
		2022-23	5.30	4.20	4.24	(+)0.04	0.95
9.	0055-800-50-01 अप्रयुक्त वाहनों के निपटान हेतु प्राप्तियां	2020-21	3.25	3.00	7.04	(+) 4.04	134.67
		2021-22	3.50	3.50	2.94	(-) 0.56	16.00
		2022-23	3.70	3.00	2.46	(-)0.54	18.00

उपरोक्त सभी मामलों में यह देखा गया कि, संशोधित अनुमानों के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों से महत्वपूर्ण भिन्नता थी जो अनुमानों में कमी को इंगित करती है। इससे यह भी पता चलता है कि विभाग ने इन अनुमानों को तैयार करने में पिछले वर्ष की प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखा, जैसा कि राज्य बजट नियमावली में अपेक्षित है।

अनुदान संख्या 24: शिक्षा, कला एवं संस्कृति

राज्य में **स्कूली शिक्षा** को दो भागों में बांटा गया है-प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग के तहत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा और भाषा विभाग के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उच्च शिक्षा का प्रबंधन **कॉलेज शिक्षा विभाग** द्वारा किया जाता है जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रण में **तकनीकी शिक्षा** है जो कुशल जनशक्ति तैयार करके मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और **कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग** राज्य की मूर्त और अमूर्त विरासत और संस्कृति दोनों के संरक्षण, विकास और प्रचार के लिए प्रयास करता है। अनुदान संख्या 24 इन सभी विभागों को निधि प्रदान करता है।

वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान इस अनुदान के तहत समग्र बजटीय स्थिति, व्यय और बचत का ब्यौरा नीचे **तालिका 3.21** में है:

तालिका 3.21: बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (प्रतिशत)	अभ्यार्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2020-21	32,096.19	-	32,096.19	29,712.30	2,383.89 (7.43%)	2,380.30
2021-22	35,902.71	9,03.30	36,806.01	34,391.66	2,414.35 (6.56%)	2,399.55
2022-23	39,354.29	2,289.29	41,643.58	37,362.42	4,281.16 (10.28%)	3,481.00
पूंजीगत-दत्तमत						
2020-21	1,001.94	112.27	1,114.21	916.28	197.93 (17.76%)	197.92
2021-22	1,157.46	-	1,157.46	417.62	739.84 (63.92%)	739.84
2022-23	1,230.44	405.15	1,635.59	1,072.28	563.31 (34.44%)	564.54

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान:

- अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 6.56 प्रतिशत से 10.28 प्रतिशत तक थी।
- राज्य बजट नियमावली के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान, राजस्व भाग के तहत अंतिम बचतों में से क्रमशः ₹ 3.59 करोड़, ₹ 14.81 करोड़ और ₹ 800.16 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत भाग के तहत ₹ 563.31 करोड़ की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 564.64 करोड़ का समर्पण अत्यधिक था।
- राजस्व भाग में अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान ₹ 903.30 करोड़ और ₹ 2289.29 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे। वर्ष 2020-21 और 2022-23 के दौरान पूंजीगत भाग में अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः ₹ 112.27 करोड़ और ₹ 405.15 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान भी अनावश्यक थे क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया जा सका।

- पूंजीगत भाग में, कुल बजट के 17.76 प्रतिशत से 63.92 प्रतिशत तक की ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी।

इससे पता चलता है कि एसबीएम के बजटीय नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम का अनुच्छेद 8.5(8) प्रावधित करता है कि बजट नियंत्रक अधिकारियों को सम्बंधित विभाग द्वारा निष्पादित योजनाओं के व्यय और वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर आयोजना विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 15 योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल अनुदान/विनियोग में 53 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी) की ₹ 659.69 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें हुई थी। जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.22** में दिया गया है:

तालिका 3.22: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2202-01-113-01-04 स्टार प्रोजेक्ट (सामान्य)	114.67	54.22	60.45	52.72
2.	2202-02-109-11 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरण	88.15	2.40	85.75	97.28
3.	2202-02-109-32- 01 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के संचालन पर व्यय	5.61	1.95	3.66	65.24
4.	2202-03-103-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - सामान्य व्यय	13.49	0.20	13.29	98.52
5.	2202-05-800-04-01 वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी	5.00	0.60	4.40	88.00
6.	2203-107-02 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	1.79	0.64	1.15	64.25
7.	4202-01-202-20-01 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा हेतु निर्माण कार्य	392.00	67.79	324.21	82.71
8.	4202-01-202-23-01 माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य	220.00	90.00	130.00	59.09
9.	4202-01-202-24-01 सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य	6.00	2.08	3.92	65.33
10.	4202-01-203-06-01 संस्कृत महाविद्यालय भवन	6.00	1.70	4.30	71.67
11.	4202-01-205-01-01 राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.00	1.30	1.70	56.67

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
12.	4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	20.49	4.39	16.10	78.57
13.	4202-03-102-01 राष्ट्रीय कैडेट कोर- वरिष्ठ शाखा	9.28	2.28	7.00	75.43
14.	4202-04-106-08-01 स्मारक एवं संग्रहालय-पुरातत्व विभाग के माध्यम से	2.40	0.55	1.85	77.08
15.	4202-04-800-01 अरबी और फ़ारसी शोध संस्थान	2.20	0.29	1.91	86.82
	कुल	**890.08**	**230.39**	**659.69**	

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्ते पर कम व्यय, (ii) निविदा प्रक्रिया पूरी न होना, (iii) भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति और (iv) विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन, आदि।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतों से पता चलता है कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनकी निगरानी के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह कार्यों की प्रगति के स्तर पर संबंधित विभागों की खराब निगरानी को भी दर्शाता है।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को, ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक निरंतर बचतों (₹ 10 लाख और अधिक) वाली दस योजनाएं थीं, जैसा कि नीचे **तालिका 3.23** में दिया गया है:

तालिका 3.23: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पायी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (प्रावधान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2022-23
1.	2202-01-113-01-01 समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य	1090.07 (17.55)	950.99 (14.28)	2201.87 (25.98)
2.	2202-02-109-30-01 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार	0.19 (31.25)	0.99 (82.25)	0.60 (100)
3.	2202-03-103-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय	24.23 (81.52)	18.54 (75.52)	13.29 (98.49)
4.	2205-103-06-01 पुरातत्व विभाग के माध्यम से स्मारक एवं संग्रहालय	7.80 (50.76)	2.87 (13.09)	7.76 (49.71)
5.	4202-01-201-13-01 प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्यों पर व्यय	2.67 (0.95)	303.97 (98.69)	140.00 (100)
6.	4202-01-203-06-01 संस्कृत महाविद्यालय-भवन	1.37 (30.71)	1.44 (41.08)	4.31 (71.74)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (प्रावधान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2022-23
7.	4202-01-203-07-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- निर्माण कार्य	36.48 (81.84)	27.06 (76.09)	18.98 (100)
8.	4202-01-205-01-01 राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.01 (0.67)	1.12 (74.66)	1.70 (56.67)

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्तों पर कम खर्च; (ii) निविदा प्रक्रिया पूरी न होना; (iii) भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति; (iv) विभाग द्वारा कार्यों का कम/गैर-निष्पादन; (v) भारत सरकार से स्वीकृतियां जारी न होना, आदि।

निरन्तर बचतें दर्शाती है कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यकर्मो/योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध निधियों का अनुरूपता से उपयोग नहीं किया। यह व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना विनियोग अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निधि की आवश्यकता के अधिक मूल्यांकन को इंगित करता है।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसाकि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है कि, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे **तालिका 3.24** में दिये गये हैं:

तालिका 3.24: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2202-01-101-05 बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.50	0.00	4.50
2.	2202-02-107-07 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां	64.00	0.00	64.00
3.	2202-02-109-09-13 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा	1.80	0.00	1.80
4.	2202-03-112-02-01 शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र	0.80	0.00	0.80
5.	2202-03-112-03-01 अनुसंधान के लिए अन्य संस्थानों को सहायता	5.00	0.00	5.00
6.	2203-800-03-01 शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम	7.50	0.00	7.50
7.	2205-102-16 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर	2.66	0.00	2.66
8.	4202-01-201-13-01 एकीकृत शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के निर्माण पर व्यय	140.00	0.00	140.00
9.	4202-01-201-13-02 प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रशिक्षण एवं संस्थाओं में निर्माण कार्यों पर व्यय	2.10	0.00	2.10

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
10.	4202-01-202-14-01 आदर्श विद्यालय-निर्माण कार्य	21.80	0.00	21.80
11.	4202-01-202-17-01 माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत निर्माण कार्य	21.82	0.00	21.82
12.	4202-01-202-18-01 राजकीय, माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	25.00	0.00	25.00
13.	4202-01-202-19-01 विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का निर्माण	21.83	0.00	21.83
14.	4202-01-202-24-02 सैनिक विद्यालय झुंझुनू में निर्माण कार्य	6.00	0.00	6.00
15.	4202-01-203-07-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- निर्माण कार्य	18.98	0.00	18.98
16.	4202-01-203-10-01 महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज	50.00	0.00	50.00
17.	4202-03-102-06-01 राजस्थान उच्च स्तरीय निष्पादन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र	10.00	0.00	10.00
18.	4202-04-800-02 प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान	0.20	0.00	0.20
19.	4202-04-800-03-01 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण में निर्माण कार्य	9.03	0.00	9.03
20.	6202-01-203-03-01 सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ को ऋण	3.60	0.00	3.60
	कुल	**416.62**	**0.00**	**416.62**

स्रोतःविनियोग लेखें

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसेकि (i) कार्यों के निष्पादन के लिए मांग की प्राप्ति न होना; (ii) सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन; (iii) निर्माण कार्यों का पूरा न होनाः (iv) नाबार्ड योजनाओं के तहत मंजूरी प्राप्त नहीं होना और (v) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना, आदि।

संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण यह इंगित करता है कि पूंजीगत कार्यों के प्रस्ताव उचित नियोजन और संभाव्यता अध्ययन के बिना बनाए गए थे। निधियों का उपयोग न करना भी विभाग द्वारा धन के उपयोग में प्रणालीगत कमी को इंगित करता है जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुदान में टोकन प्रावधान

राबनि के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, एक उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, को संबंधित विभाग की अनुदान की मांग से हटा दिया जाना चाहिए। अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान कुल 891 मदों[5] में से 174 मदों[6] में टोकन प्रावधान किया गया था। ये टोकन प्रावधान पुनर्विनियोग/अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानों में वृद्धि

5. 2020-21 (284 शीर्ष), 2021-22 (290 शीर्ष), 2022-23 (317 शीर्ष)

6. 2020-21 (48 शीर्ष), 2021-22 (62 शीर्ष), 2022-23 (64 शीर्ष)

के बिना टोकन प्रावधान बने रहे और इन सभी मदों के टोकन प्रावधानों को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय नियोजन के निष्पादन का अभाव था।

व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान दस उप-शीर्षों के तहत 40 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था। इन उप-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.25** में दिया गया है:

तालिका 3.25: वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
1.	2202-02-109-30 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार	10.96	10.96	10.96	100.00	100.00
2.	2202-02-113-01 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा	418.38	43.92	829.92	50.41	5.29
3.	2202-01-800-05 मदरसा विद्यालय	47.16	24.16	102.16	46.16	23.65
4.	2202-03-102-20 विश्वविद्यालयों को अनुदान	157.74	55.21	365.10	43.20	15.12
5.	2202-03-103-10 स्कूटी वितरण योजना	24.47	24.47	24.49	99.92	99.92
6.	2202-03-107-01 छात्रवृत्ति एवं वजीफा	38.19	15.00	63.19	60.44	23.74
7.	4202-01-202-16 जर्जर विद्यालय भवन	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00
8.	4202-01-202-21 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	11.72	11.72	12.42	94.36	94.36
9.	4202-01-202-26 नाबार्ड के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य	130.00	30.00	130.00	100.00	23.08
10.	4202-01-203-09 विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य	83.50	83.50	136.00	61.40	61.40
	कुल	**950.12**	**326.94**	**1702.24**		

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन उप-शीर्षों के तहत, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 950.12 करोड़ का व्यय किया गया था, जोकि वर्ष 2022-23 के दौरान इन उप-शीर्षों के कुल व्यय (₹ 1,702.24

करोड़) का 55.82 प्रतिशत था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आठ उप-शीर्षों के के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था।

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान संबंधित विभागों के डीडीओ/सीसीओ द्वारा किया गया प्रचुर व्यय, वर्ष के दौरान प्रगतिशील व्यय पर उनके निष्प्रभावी नियंत्रण का द्योतक है।

आधिक्य व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसबीएम के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है, बल्कि आधिक्य व्यय भी हो सकता है, जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि इस अनुदान के कुछ शीर्षों के तहत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, जैसाकि नीचे **तालिका 3.26** में दिया गया है:

तालिका 3.26: अनुदान के अंतर्गत मदों में आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्षक	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	2202-03-102-07 संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान	6.80	0.76	7.56	8.14	0.58
2.	2202-03-102-14 हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	7.42	0.03	7.45	8.00	0.55
3.	2202-03-102-20-02 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	114.00	15.34	129.34	143.00	13.66
4.	2202-03-103-02 सरकारी कॉलेज (पुरुषों के लिए)	118.73	8.62	127.35	127.63	0.28
5.	2205-102-12 स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	1.50	2.55	4.05	4.11	0.06

इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा इन मदों के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था जो अपर्याप्त बजटीय और व्यय नियंत्रण को दर्शाता है।

बचतों का अनभ्यर्पण

एसबीएम के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए।

इस अनुदान की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 4 शीर्षों के तहत (जहां ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचत) ₹ 2,368.35 करोड़ की बचत के समक्ष, ₹ 814.58 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया था, जैसाकि नीचे **तालिका 3.27** में दिया गया है:

तालिका 3.27: शीर्षों का विवरण जहां बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल बजट के विरुद्ध बचत (मू+पू)	अभ्यर्पित राशि	अन अभ्यर्पित राशि
1.	2202-01-101-09-01 निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय	83.42	68.86	14.56
2.	2202-01-113-01-01 प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय	2201.87	1406.08	795.79
3.	2202-01-113-02-01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर व्यय	17.90	15.77	2.13
4.	2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति-सामान्य व्यय	65.16	63.06	2.10
	कुल	**2368.35**	**1553.77**	**814.58**

यह कमजोर व्यय प्रबंधन और अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है । शीघ्र समर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2023) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जिन 142 मदों में से केवल 41 प्रकरणों में ही पुनर्विनियोग आदेशों में विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान किये गये थे।

शेष 101 मामलों में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' के थे।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करने की उपरोक्त प्रवृत्ति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

सारांशीकृत आकस्मिक बिल का समायोजन न होना

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 220(1) सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल को तैयार और आहरण करने तथा एसी बिलों[7] के माध्यम से आहरण से तीन महीने की अवधि के अंदर महालेखाकार को विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत करने को विनियमित करता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मार्च 1990 से मार्च 1997 तक की अवधि से संबंधित 4 एसी बिल[8] 26 से 33 वर्षों की दीर्घ अवधि के बाद भी समायोजन के लिए लंबित थे। ये चारों बिल प्राथमिक शिक्षा जालोर, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमंद एवं जिला परिषद, बांसवाड़ा से संबंधित थे।

विभाग ने सूचित किया कि संबंधित विभागों में इन बिलों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण एसी बिल लंबित थे। राज्य सरकार/नियंत्रण अधिकारी/संवितरण अधिकारी को रिकॉर्ड के मिलान के लिए इस मामले को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राजस्थान के साथ आगे बढ़ाने और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

3.4.7 लेखों में अन्य अनियमितताएँ

1. राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में दोषपूर्ण प्रकटीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कानूनी/वैधानिक स्थिति वाले निकायों/संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, संस्थानों/कॉलेजों, पीएसयू आदि को ही अनुदान, निवेश या ऋण के रूप में निधियां जारी की जानी चाहिए। इस तरह की सहायतार्थ अनुदान नकद या वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता एजेंसियां अपनी परिचालन के साथ-साथ पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करती हैं। आईजीएएस-2 के बिंदु सं. 13 में कहा गया है कि परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान पर होने वाले व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजीगत शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा, इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर विशिष्ट रूप से अधिकृत हो। इसके अलावा, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 338(1) में बताया गया है कि अस्थायी संपत्तियों या अनुदान सहायता पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत प्रकृति का व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सरकारी लेखा नियम (जीएआर), 1990 के नियम 30(1) के अधीन टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को सहायता अनुदान (संपत्ति बनाने के उद्देश्य से जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा) पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत किए जाने के मामले को छोड़कर इसे पूंजीगत शीर्ष के लेखे में डेबिट नहीं किया जाएगा।

7. केवल विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साख पत्रों द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल एसी बिल आहरित किये जाने के छः महीने में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

8. मुख्य शीर्ष 2202 और 4202 के अंतर्गत

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 150 में यह प्रावधान है कि, संघ और राज्य के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। इस प्रकार, राज्य सरकार महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय से बजट में खोले गए लेखांकन शीर्षों के लिए कार्योत्तर अनुमति मांगती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में कुछ पूंजीगत शीर्ष खोले, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान की गई, लेकिन उपरोक्त आईजीएएस, जीएआर और जीएफ एंड एआर के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए व्यय को अनियमित रूप से राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया तथा इसलिए, महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा इन शीर्षों के लिए अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी।

हालाँकि, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने सहायतार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत पुनः ₹ 614.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया और स्वायत्त निकायों एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में ₹ 493.60 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इस व्यय को विभिन्न पूंजीगत व्यय शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिस पर महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा फिर से आपत्ति जताई गई थी। इन पूंजीगत शीर्षों का विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिया गया है । इस प्रकार, राजस्व व्यय के लिए पूंजीगत शीर्षों का संचालन अनियमित था।

वित्त विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 330.81 करोड़ का व्यय पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके अलावा, विभाग ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2023-24 के दौरान इन पूंजीगत शीर्षों में किसी भी व्यय को दर्ज नहीं किया जाएगा और यदि किसी व्यय को दर्ज किया जाता है, तो इसे संबंधित राजस्व शीर्ष में स्थानांतरण प्रविष्टि द्वारा समायोजित किया जाएगा।

हालाँकि, निदेशक वित्त (बजट) ने समापन बैठक (22 फरवरी 2024) के दौरान सूचित किया कि इस तरह के हंस्तान्तरण के माध्यम से बनाई गयी परिसंपत्तियों का स्वामित्व कुछ मामलों में राज्य सरकार के पास है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्मार्ट सिटी परियोजना के मामले में और इसलिए व्यय पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया था। हालाँकि, मामलों की पुनः जाँच के दौरान, यह देखा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित किसी भी शीर्ष पर आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाई गई पूंजीगत परियोजनाएं/परिसंपत्तियां सरकार के तीसरे स्तर अर्थात स्थानीय निकायों से संबंधित हैं।

2. राजस्व की मूल प्राप्ति के बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ के तहत शेष राशि और महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय के मिलान शेष में अंतर, जीपीएफ की अलेखित राशियों, डीए की बकाया कटौतीयों के कालातीत होने और विलंबित दावों पर लगने वाले ब्याज, आदि कारणों से था। इन राशियों को राज्य सरकार द्वारा अदावाकृत राशियों के रूप में माना था, जिसे उनके ऑनलाइन लेखांकन/अंकमिलान या संबंधित दावों की प्राप्ति तक कार्मिक कल्याण कोष के लिए उपयोग करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था।

राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तहत अलेखित और अदावाकृत शेष के रूप में ₹ 3,000 करोड़ की पहचान (दिसंबर 2022) की थी और इस राशि को राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जिसे बाद में राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित कार्मिक कल्याण कोष (राज्य के लोक लेखा) में स्थानांतरित किया जाएगा जो तदनुसार, मार्च 2023 में, राजस्थान सरकार ने ₹ 3,000 करोड़ की अदावाकृत जमा राशि में से ₹ 1,000 करोड़ अपनी राजस्व प्राप्तियों में हस्तांतरित कर दिए। हालाँकि, यह राशि कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई जैसाकि सरकार ने निर्णय लिया था। इसलिए, इसकी वजह से वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों बढ़ी और राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में कमी रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान भी, अदावाकृत जीपीएफ जमाओं के ₹ 1000 करोड़ को कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किए बिना राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कोष की स्थापना के दो साल से अधिक समय के बाद भी इस कोष के तहत शेष राशि शून्य (सितंबर 2023) बनी हुई है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि कार्मिक कल्याण कोष के संचालन के लिए बजट शीर्ष 2225-60-200-24-01-43-कार्मिक कल्याण (व्यय शीर्ष) खोला गया था। हालाँकि, वित्त (बीमा) विभाग के आदेश दिनांक 26 जुलाई 2021 के अनुसार, अदावाकृत राशि को राजस्व शीर्ष और फिर लोक लेखा 8342-120-70-कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए व्यय की गई राशि लोक लेखा के माध्यम से पूरी की जानी थी । हालाँकि, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने इस कोष को केवल वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा के तहत खोला था। राज्य लेखों से यह भी पता चलता है कि मार्च 2023 तक इस खाते में कोई राशि जमा नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि सरकार अपने राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए इन अदावाकृत जमाओं को कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किए बिना बार-बार अपनी राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर रही है।

3. बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। छह अनुदानों से संबंधित बिना प्रावधान के किए गए व्यय के 14 मामले, जहां संचयी रूप से ₹ 437.88 करोड़ खर्च किए गए थे, का विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28: ऐसे मामले जहां बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
			मूल	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल		
1.	21-सड़कें एवं पुल	3054-02-337-01-02 रखरखाव और जीर्णोद्धार	0.01*	0	(-) 0.01*	0	228.50	228.50
2.		5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास बोर्ड के माध्यम से	0.01*	0	(-) 0.01*	0	4.12	4.12

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
			मूल	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल		
3.	28-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-14-01 महिला निधि हेतु अनुदान	0	0.02*	(-) 0.02	0	15.65	15.65
4.	30-जनजातीय क्षेत्रीय विकास	2700-27-796-04 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	76.45	0	(-) 76.45	0	78.03	78.03
5.		2406-01-796-21 बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण-II	1.63	0	(-) 1.63	0	0.86	0.86
6.		2501-06-196-14-02 महिला निधि के लिए अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	0	0.02*	(-) 0.02*	0	9.40	9.40
7.	46-सिंचाई	2700-02-800-02-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	1.09	0	(-) 1.09	0	0.87	0.87
8.		2700-07-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	0.93	0	(-) 0.93	0	2.90	2.90
9.		2700-36-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	8.32	0	(-) 8.32	0	5.95	5.95
10.		2700-28-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	38.91	0	(-) 38.91	0	38.94	38.94
11.		2701-62-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	28.12	0	(-) 28.12	0	27.50	27.50
12.		2700-22-800-02 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	0	0	0	0	10.64	10.64
13.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2501-06-196-14-03 महिला निधि को अनुदान (अनुसूचित जाति के लिए)	0	0.02	(-) 0.02	0	6.25	6.25
		कुल					**429.61**	**429.61**

* ₹ लाख में

यह ध्यान देना दिलचस्प है कि अनुदान संख्या '46-सिंचाई' के शीर्ष '2700-लघु सिंचाई-22-जारवम परियोजना (वाणिज्यिक)-800-अन्य व्यय-02-अन्य व्यय-प्रतिबद्ध' के तहत बिना किसी मूल या अनुपूरक बजट प्रावधान के ₹ 10.64 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। बिना किसी बजट प्रावधान के इस मुख्य शीर्ष के तहत व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (दिसंबर 2023)।

4. अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, यह देखा गया कि कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, हालाँकि समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था । विवरण नीचे **तालिका 3.29** में दिया गया है।

तालिका 3.29: बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मु+पू+पु)	व्यय	आधिक्य व्यय
1.	9-वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भोर	37.54	37.60	0.06
2.	12-अन्य कर	2030-02-102-01-01 एजेंटों को बिक्री पर कमीशन	70.14	71.04	0.90
3.	17-जेल	2056-001-01-01 प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय--प्रतिबद्ध	11.04	11.21	0.17
4.	21-सड़कें और पुल	5054-03-337-10 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) से सडकों का निर्माण	1.94	2.00	0.06
5.		5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (एडीबी)	343.72	343.97	0.25
6.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफ़ाई	2210-05-105-06-01 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (सहायतार्थ अनुदान)	254.94	255.95	1.01
7.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-45 नागौर लिफ्ट नहर परियोजना चरण -II (ईएपी)	8.36	8.48	0.12
8.	30-जनजातीय क्षेत्रीय विकास	5054-03-796-04-90 निर्माण कार्य	107.02	108.01	0.99
9.		2406-04-796-04-01 वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अंतर्गत व्यय	15.60	15.67	0.07
10.		2210-05-796-04-01 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) (सहायतार्थ अनुदान)	55.84	56.22	0.38
11.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-200-14-01 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	20.04	20.29	0.25
12.		2235-60-107-01 सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन-प्रतिबद्ध	12.73	12.85	0.12
13.	46-सिंचाई	2700-05-001-01-01 इंदिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध	9.25	10.51	1.26
14.		2700-39-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	54.82	58.08	3.26
15.		2701-80-001-01-04 डिजाइनिंग-प्रतिबद्ध	3.29	3.37	0.08
16.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2236-02-789-02-01 एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)	14.46	15.46	1.00
17.		2210-05-789-04-01 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (सहायतार्थ अनुदान)	77.77	78.07	0.31
18.		4406-02-789-01 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विकास	0.02	2.10	2.08

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया है (दिसंबर 2023)।

3.5 प्रशंसनीय कदम

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन के अच्छे पहलू नीचे दिये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेश और अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत करना।
- वर्ष की समाप्ति से पहले अधिकांश बचत का समर्पण।

3.6 निष्कर्ष

अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के मामलों से इंगित होता है कि विभागों ने आवश्यकता का यथार्थवादी मूल्यांकन नहीं किया और बजट नियंत्रण अधिकारी मासिक व्यय के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण करने में विफल रहे।

अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक पुनर्विनियोग के मामले दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रण अधिकारी अपने नियंत्रणधीन लेखाशीर्षों में धन की आवश्यकता का पर्याप्त आकलन करने में विफल रहे।

वर्ष के अंतिम महीने/अंतिम तिमाही में किया गया प्रचुर व्यय, व्यय/प्राप्तियों पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी का संकेत था।

3.7 सिफारिशें

वर्ष के अंत में बड़े पैमाने पर बचत/आधिक्य, पुनर्विनियोजन और अभ्यर्पण से बचने के लिए सभी विभागों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी बजट अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनओं में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

नियंत्रण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को बजटीय और व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्हें मासिक व्यय निगरानी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

आवश्यकता के अनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण/वितरण अधिकारियों को स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखनी चाहिए।

अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथायें

प्रस्तावना

सुदृढ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिगं के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना

'ब्याज सहित जमाओं' एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' की राशि पर ब्याज प्रदान करने और भुगतान करने का दायित्व सरकार का है। 31 मार्च 2022 को, 'ब्याज सहित जमाओं' में ₹ 13,451.17 करोड़ एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' में ₹ 3,344.45 करोड़ शेष थे, जिस पर, सरकार ने क्रमशः ₹ 272.96 करोड़ एवं ₹ 177.41 करोड़ का ब्याज देने का प्रावधान किया था। 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' पर ब्याज के संबंध में ₹ 11.25 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं/कम भुगतान किया गया था जैसाकि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है। ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: ब्याज सहित जमाराशियों/आरक्षित निधियों पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	निधि/जमा	01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	ब्याज भुगतान की गणना का आधार	ब्याज देय	भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान नहीं किया गया ब्याज
1.	मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य प्रतिपूरक वनारोपण निधि	1,458.39	3.35 प्रतिशत (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार 3.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई)	46.43	35.38	11.25
	कुल	**1,458.39**		**46.43**	**35.38**	**11.25**

स्रोतः वित्त लेखे

4.2 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य सरकारें धन उधार लेने को अधिकृत है । राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष उधार लेने के अतिरिक्त, राज्य सरकार स्वायत्त निकायों और सरकारी कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी देती है। ये उधार राज्य के लेखों में परिलक्षित नहीं होते हैं अपितु ये स्वायत्त संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं। यद्यपि, जब ऐसे उधारों की पुनर्भुगतान देनदारी राज्य सरकार पर आती है, तो ऐसे उधार राज्य सरकार की देनदारी बन जाते हैं और इसलिए, इन उधारों को राज्य सरकार की "बजट से इतर उधार" कहा जाता है । ऐसे उधार विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं।

राजस्थान सरकार ने अपने लेखों में "बजट से इतर उधार" का कोई भी खुलासा नहीं किया है। यद्यपि, विभागों के अभिलेखों से 31 मार्च 2023 तक बजट से इतर उधार के कुछ मामलें लेखापरीक्षा के ध्यान में आये, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में बताया गया है।

(1) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के तहत आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से जिला परिषदों द्वारा प्राप्त किये गए ऋण ₹ 3,948.66 करोड़ की प्रत्याभूति दी । राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई प्रत्याभूति सीमा में से, जिला परिषदों ने वर्ष 2022-23 तक ₹ 3,624.48[1] करोड़ की कुल प्रत्याभूतियाँ उठाई। यह पाया गया कि राज्य सरकार इन ऋणों के समक्ष मूलधन और ब्याज चुका रही है । वर्ष 2022-23 के दौरान, इन ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा 31 जिला परिषदों को ₹ 350.21 करोड़ (₹ 235.86 करोड़ मूलधन और ₹ 114.35 करोड़ ब्याज के रूप में) हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,276.58 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।

(2) राज्य सरकार ने जल आपूर्ति परियोजना के लिए एलआईसी से लिए गए ऋण के लिए राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) को ₹ 155.60 करोड़ की प्रत्याभूति दी थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आरडब्ल्यूएसएससी को ₹ 1.64 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 1.16 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 0.48 करोड़) एलआईसी को ऋण (मूलधन और ब्याज) पुनर्भुगतान के लिए हस्तांतरित किये। 31 मार्च 2023 तक, आरडब्ल्यूएसएससी का इस ऋण के विरुद्ध बकाया ऋण ₹ 2.81 करोड़ था।

जीएसडीपी के समक्ष बजट से इतर उधार के बकाया शेषों की वर्षवार स्थिति नीचे **तालिका 4.2** में दर्शाई गई है:

1. 2011-12: ₹ 945.37 करोड़, 2012-13: ₹ 840.19 करोड़, 2013-14: ₹ 958.51 करोड़, 2014-15: ₹ 600.64 करोड़, 2015-16: ₹ 160.52 करोड़, 2016-17: ₹ 61.34 करोड़, 2017-18: ₹ 6.34 करोड़, 2018-19: ₹ 1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 50.41 करोड़, 2021-22: 'शून्य' एवं 2022-23: 'शून्य'

तालिका 4.2: बजट से इतर उधार की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं .	वर्ष	राशि	जीएसडीपी	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	2020-21	1,804.41	10,19,442	0.18
2.	2021-22	1,580.91	12,18,193	0.13
3.	2022-23	1,279.39	14,13,620	0.09

स्रोतः संबंधित विभागों एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2023 के अन्त में बजट से इतर उधार का बकाया जीएसडीपी का 0.09 प्रतिशत था। यद्यपि, पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी के समक्ष बजट से इतर उधार में घटती हुई प्रवृत्ति देखी जा रही है।

वित्त (बजट) विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2023) कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में, जिला परिषदें अपने स्वयं के संसाधनों से ऋण का पुनर्भुगतान कर रही हैं। यद्यपि, जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में, सरकार ने स्वीकृति/बजट प्रावधान के माध्यम से राज्य प्रत्याभूति के विरुद्ध लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी (जिला परिषदों) को राशि जारी की। ये उधार राज्य लेखों में परिलक्षित नहीं होते हैं, तथापि, पुनर्भुगतान केवल राज्य सरकार के बजट के माध्यम से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा एलआईसी से लिए गए ऋण के संबंध में, वित्त विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2023) कि आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है। तथापि, स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अपने बजट शीर्ष के माध्यम से राशि आरडब्ल्यूएसएससी के निजी निक्षेप खातें में हस्तांतरित की।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों[2] (आईए) को हस्तांतरित करती है। चूंकि धनराशि राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजी जाती है, अतः राज्य के वित्त लेखों में यह निधियां उस सीमा तक दर्शित नहीं होती हैं जो राज्य की प्राप्तियां और व्यय के साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चर/पैरामीटर की भी संपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014-15 से सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और ब्लॉक अनुदान के तहत योजना सहायता को राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा।

2. राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थान हैं जो विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हैं।

तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹18,059.23 करोड़ की केंद्रीय निधि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गयी। इसमें से, केंद्रीय सरकार ने ₹ 6,811.37 करोड़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ₹ 6,083.72 करोड़ जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, ₹ 3,815.67 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), ₹ 416.96 करोड़ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ₹ 300.34 करोड़ सड़क शाखा के अंतर्गत कार्यों हेतु, ₹117.50 करोड़ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ₹ 66.70 करोड़ सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्रेच, पीएम मातृ वन्दन योजना, लिंग आधारित बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण इत्यादि) हेतु हस्तांतरित की गयी। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की सीधे हस्तांतरित निधियों की मात्रा नीचे **तालिका 4.3** में दी गई है और विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.3: वर्ष 2017-23 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तांतरित की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निधियां		3,946.78	4,648.31	9,483.87	13,628.16	16,150.62	18,059.23

स्रोतः सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-23 के दौरान केंद्र सरकार से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई, जो इंगित करता है कि राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन हस्तांतरण के निर्णय का भारत सरकार द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि), 2012 का नियम 68(i) निर्दिष्ट करता है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर जारी की जाती है तो उन शक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए सीधे महालेखाकार को भेजी जाएंगी जिनके तहत उन्हें जारी किया गया है एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 284 एवं 286 निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हक़) को अग्रेषित किए जाने चाहिये। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (सअ) को तीन कार्यकारी शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (ii) 93-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 49,126.65 करोड़[3] का सहायतार्थ अनुदान जारी

3. सामान्य प्रयोजन के लिए जारी अनुदान को छोड़कर, अर्थात राज्य निधि या केंद्रीय सहायता (₹ 6,639.46 करोड़) के तहत योजनाओं के लिए वेतन एवं स्थापना और कार्यालय व्यय, जिसके लिए यू.सी. सावि एवं लेनि के नियम 285 (4) के अनुसार आवश्यक नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, ₹ 2.64 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष-191 (₹ 0.80 करोड़), लघु शीर्ष-192 (₹ 1.53 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.31 करोड़) के तहत वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए समान नियम के तहत यूसी की आवश्यकता नहीं है।

किया, जिसमें से ₹ 41,905.84 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) तथा ₹ 578.69 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 93 (पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान) हेतु जारी किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2023 को विभिन्न विभागों ने अवधि वर्ष 2010-11 से 2021-22 के कुल ₹ 1,107.25 करोड़ के 895 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा व हक़) कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये । कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, राशि ₹ 255.40 करोड़ के 362 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, 'पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान' से संबंधित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार बकाया निम्न **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	संख्या	राशि
2011-12	5	0.02
2012-13	5	0.04
2013-14	6	0.03
2014-15	7	0.04
2018-19	55	0.78
2019-20	13	4.83
2020-21	58	243.97
2021-22	62	332.15
2022-23	684	525.39
कुल	**895**	**1,107.25**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना ।

* यहाँ वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, मार्च 2023 तक बकाया यू.सी. की लगभग 97 प्रतिशत राशि 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' (425 यूसीः ₹ 285.90 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (236 यूसीः ₹ 65.36 करोड़), शिक्षा, कला एवं संस्कृति और खेल एवं युवा मामले (37 यूसीः ₹ 440.22 करोड़), चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (22 यूसीः ₹ 110.42 करोड़), सामान्य शिक्षा, (22 यूसीः ₹ 44.08 करोड़), पशुपालन (8 यूसीः ₹ 102.39 करोड़), नगरीय विकास (13 यूसीः ₹ 48.27 करोड़) और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (103 यूसीः ₹ 2.10 करोड़) से संबंधित है। 31 मार्च, 2023 तक बकाया 895 यूसी का विभाग-वार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.5** में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग/शीर्ष का नाम	उपयोगिता प्रमाणपत्रों-की संख्या	राशि
शिक्षा, कला एवं संस्कृति और स्पेल एवं युवा मामलों का पूंजीगत परिव्यय	37	440.22
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	425	289,.52
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22	110.42
पशुपालन	8	102.39
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	236	65.37
नगरीय विकास	13	48.27
समान्य शिक्षा	22	44.08
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	103	2.11
कला एवं संस्कृति	22	2.33
तकनीकी शिक्षा	4	1.94
देवस्थान	1	0.50
स्पेल एवं युवा मामले	2	0.10
योग	**895**	**1,107.25**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण पूछे गए (जून-जुलाई 2023)। उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसंबर 2023)।

निर्दिष्ट अवधि से बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है, अपितु इच्छित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता भी दर्शाता है।

4.4.1 अनुदानग्राही संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज किये जाने की सूचना का अभाव

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन) 2020 के विनियम 88 में प्रावधान है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, प्रति वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को ऐसे निकायों एवं प्राधिकरण जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान और/या ऋण दिया गया था, के सम्बन्ध में (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को करते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 20.06 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, कुल सहायतार्थ अनुदान ₹ 49,443.69 करोड़ में से, ₹ 16,553.25 करोड़ (33.48 प्रतिशत) की राशि का संवितरण 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को किया गया, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसाकि नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: संस्थानों को वितीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	**कुल अनुदान**	**34,862.21**	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**
2.	अन्य	10,025.04	10,222.30	12,431.88	14,537.75	16,553.25
3.	**कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत**	**28.76**	**24.92**	**31.28**	**29.59**	**33.48**
4.	**राज्य का कुल व्यय**	**1,87,524**	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	18.59	21.21	20.48	20.94	20.06

स्रोतः वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान का 24.92 प्रतिशत से 33.48 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो लेखों की पारदर्शिता और सहायतार्थ अनुदानों के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 219 के अन्तर्गत, नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके, सेवा शीर्षों को नामे कर धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत हैं, और उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) महालेखाकार (लेखा एवं हक) को कोषालय के माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। नियम 220 (1) एसी बिलों के माध्यम से धनराशि के आहरण से तीन महीने[4] की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत करने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने जून 2023 तक ₹ 21 करोड़ की राशि के 85 एसी बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये थे। बकाया डीसी बिलों का वर्षवार विवरण और उनका अवधिवार विश्लेषण **तालिका 4.7** और **तालिका 4.8** में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.7: एसी बिलों के विरुद्ध डीसी बिल प्रस्तुत करने की वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अन्तिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2020-21 **तक**	202	55.49	407	34.63	492	58.75	117	31.37
2021-22	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19
2022-23	89	33.19	526	78.28	530	90.47	85	21.00

स्रोतः वित्त लेखे ।

4. जहां सास्व पत्र जारी कर, एसी बिलों के माध्यम से धन के आहरण के छह महीने के भीतर, विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले को छोड़कर, डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

तालिका 4.8: बकाया डीसी बिलों की अवधि-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

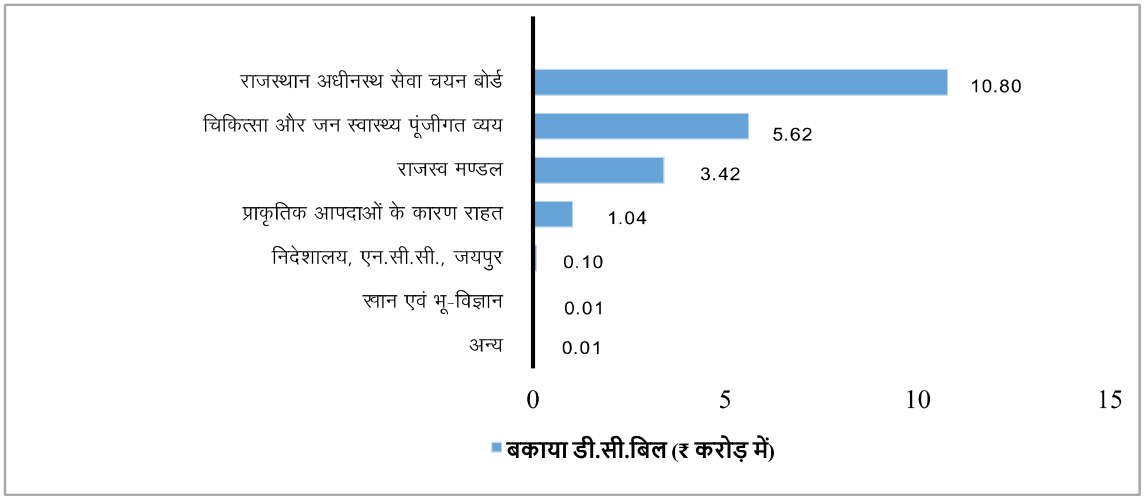
क्र.सं.	लम्बन अवधि	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि
1.	15 वर्षों से अधिक	4	0.01
2.	10 वर्ष से 15 वर्ष	1	2.92
3.	5 वर्ष से 10 वर्ष	2	1.06
4.	एक वर्ष से 5 वर्ष	3	6.16
5.	शून्य से एक वर्ष	75	10.85
	योग	**85**	**21.00**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा सम्बंधित सूचना एवं वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, राशि ₹ 2.93 करोड़ के 5 बिल 10 वर्ष से अधिक एवं ₹ 7.22 करोड़ की राशि के 5 बिल एक से 10 वर्ष तक लंबित थे।

जून 2023 तक की अवधि के लिए लंबित एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नलिखित **चार्ट 4.1** में प्रस्तुत किया गया है और ***परिशिष्ट 4.2*** में विस्तृत किया गया है।

चार्ट 4.1: बकाया डीसी बिलों की विभाग/शीर्षवार स्थिति



पर्याप्त अवधि बीत जाने के बावजूद ए.सी. बिलों का समायोजन न होना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

4.6 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पीडी) खाता संबंधित कोषालय में लोक लेखा के जमा शीर्ष के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खातों को कोषालय में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

राजस्थान सरकार का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) का नियम 260(1) प्रावधित करता है कि सरकारी लेखों में जमा के लिए कोई धन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर और सरकार की अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक या अधिकृत न हो।

1. राजस्थान में निजी निक्षेप खातों की स्थिति

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन पीडी खातों में पड़ी हुई निधियों की स्थिति **तालिका 4.9** में दी गई है।

तालिका 4.9: वर्ष 2018-23 के दौरान निजी निक्षेप खातों में रखी गई निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के अन्त में पीडी खातों की संख्या			अन्तिम शेष
		सक्रिय	निष्क्रिय	योग	
1.	2018-19	1,863	36	1,899	13,325.59
2.	2019-20	1,845	55	1,900	16,289.07
3.	2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
4.	2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62
5.	2022-23	2,067	133	2,200	14,114.11

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से देखा जा सकता है कि 1,899 पीडी खातों में अंतिम शेष वर्ष 2018-19 में ₹ 13,325.59 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,200 पीडी खातों में ₹ 14,114.11 करोड़ हो गया है।

31 मार्च 2022 को राज्य सरकार के पीडी खातों की अवधिवार स्थिति नीचे **तालिका 4.10** में दी गई है:

तालिका 4.10: 31 मार्च 2023 को निजी निक्षेप खातों का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि वर्ग	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2023 को राशि
शून्य से एक वर्ष	193	633.13
एक से तीन वर्ष	245	778.32
तीन से पांच वर्ष	236	389.98
पांच से दस वर्ष	317	2,610.90
10 वर्ष से अधिक	1,023	7,660.71
विवरण उपलब्ध नहीं	186	2,041.07
कुल	**2,200**	**14,114.11**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.11** में दी गई है:

तालिका 4.11: वर्ष 2022-23 के दौरान निजी निक्षेप खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निजी निक्षेप खातों का शेष (2022-23)	
1.	**आरम्भिक शेष (1 अप्रैल 2022)**	**18,220.62**
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	**41,173.89**
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	24,068.29
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी निधियां	17,105.59
3.	वर्ष के दौरान आहरण	**45,280.40**
4.	**31 मार्च 2023 को अंतिम शेष**	**14,114.11**

क्रम संख्या	निजी निक्षेप खातों का शेष (2022-23)	
	मार्च 2023 के दौरान निजी निक्षेप खातों में लेनदेन	
5.	माह के दौरान पीडी खातों में हस्तांतरित/जमा की गई राशि	**5,963.07**
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	4,128.81
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी निधियां	1,834.26
6.	माह के दौरान आहरण	5,327.78
7.	**वर्ष के दौरान राज्य का कुल व्यय**	**2,46,452**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-निजी निक्षेप जमा के अंतर्गत पीडी खातों में ₹ 41,173.89 करोड़ की राशि हस्तांतरित/जमा की गई थी, जो कि राज्य के कुल व्यय (₹ 2,46,452 करोड़) का 16.71 प्रतिशत था।

(i) ₹ 24,068.29 करोड़ में से ₹ 4,128.81 करोड़ (17.15 प्रतिशत) की राशि मार्च 2023 में पीडी खातों में हस्तांतरित की गई थी। राज्य बजट मैनुअल (एसबीएम) के अनुसार, बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों के आहरण की कार्यवाही एवं ऐसे धन को लोक लेखे या बैंक में जमा करना अनुमत है। इसलिए, मार्च माह के दौरान पीडी खातों में वृहत्त राशि का हस्तांतरण एसबीएम प्रावधान का उल्लंघन है।

(ii) 2,200 पीडी खातों में ₹ 14,114.11 करोड़ की अव्ययित शेष राशि में 25 पीडी खाते (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) सम्मलित हैं, जिनमें ₹ 7,825.32 करोड़ यानी कुल अव्ययित शेष राशि का 55.44 प्रतिशत (₹ 14,114.11 करोड़) पड़ा हुआ है जैसाकि ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है।

(iii) राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा रखे गए पीडी खातों की जांच से पता चला कि वर्ष 2022-23 के दौरान 111 खातों में "शून्य" शेष था, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

पीडी खातों में प्रतिकूल शेष

पीडी खातों की शेष राशि की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तीन पीडी खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे **तालिका 4.12** में दिया गया है:

तालिका 4.12: पीडी खातो में प्रतिकूल शेष

क्र. सं.	पीडी खाता संख्या एवं नाम	कोषागार का नाम	राशि (₹ में)
1.	1290-चौ. बाबा हरद्वारी नाथ मेमोरिअल ट्रस्ट, 2 एमएल, गंगानगर	16-गंगानगर	(-) 23,244
2.	1863-बाबा मुवासी नाथ मेमोरिअल ट्रस्ट, गंगानगर	16-गंगानगर	(-) 6,720
3.	6708-ज़िला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), राजसमंद	33-राजसमंद	(-) 33,935

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

पीडी खातों में ऋणात्मक शेष निधि में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भुगतान का संकेत देता है जो कोषालय के स्तर पर पर्याप्त सामंजस्य की कमी को दर्शाता है।

पीडी खाते में ऋणात्मक शेष के संबंध में जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2021-22 में 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में की गई सिफारिशों के अनुपालना में, विभाग ने सूचित किया था (अगस्त 2020) कि सभी पीडी खातों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा जिससे पीडी खातों में शेष राशि से अधिक धनराशि निकालना संभव नहीं होगा। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी प्रणाली के अस्तित्व के उपरांत भी उक्त पीडी खातों में ऋणात्मक शेष कैसे हैं।

निष्क्रिय पीडी खाते

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 98 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषालय अधिकारी संचालित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त विभाग (मार्गोपाय) को भेजने के लिए तैयार करेगा। जन लेखा समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पीडी खातों के संबंध में राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का पालन करने और भविष्य में निष्क्रिय खातों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पीडी खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2023 तक कुल 133 पीडी खाते जिनमें ₹14.33 करोड़ की राशि पड़ी थी पिछले दो वर्षों से निष्क्रिय थे, जिनमें से 40 निष्क्रिय पीडी खातों में शून्य शेष था एवं दो निष्क्रिय खातों में ऋणात्मक शेष था । इन 133 निष्क्रिय पीडी खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में उल्लिखित है।

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद न करना राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन था और यह कोषागार के स्तर पर अनुश्रवण की कमी और इस संबंध में जलेस की अनुशंसाओं का पालन नही करने को दर्शाता है। राज्य सरकार को इन निष्क्रिय खातों को बंद करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2. कुछ ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां एकत्रित धन को नामांकित प्राप्तकर्त्ता को हस्तांतरित करने से पहले जमा करने के लिए पीडी खाते खोले गए थे। यद्यपि, एकत्र की गई राशि पीडी खातों में पड़ी हुई थी, जिसका लम्बित स्थानांतरण नीचे विस्तृत किया गया है:

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)के लिए पीडी खाता

राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एलआईसी प्रीमियम को एलआईसी में हस्तांतरित करने के लिए प्रत्येक कोषागार में एक अलग पीडी खाता[5] खोला गया था। माह के दौरान काटा गया प्रीमियम अगले माह संबंधित जिला कोषालयों द्वारा एलआईसी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 2018-2023 की अवधि के लिए इन पीडी खातों के मासिक कोषालय-वार अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कर्मचारियों के वेतन से काटे गए प्रीमियम की कुल शेष राशि ₹ 70.87 करोड़ सभी 40 कोषालयों से एलआईसी को हस्तांतरित करने के लिए 31 मार्च 2023 को लंबित थी। इस राशि में मार्च 2023 के दौरान वेतन से काटे गए प्रीमियम के रूप में ₹ 65.76 करोड़ शामिल हैं, जिसे आगामी माह में एलआईसी को हस्तांतरित किया जाना है। तथापि, ₹ 5.07 करोड़ की शेष राशि पिछली

5. बजट शीर्ष 8443-106 के अंतर्गत क्रमांक 471

अवधि से संबंधित है जो एलआईसी को हस्तांतरित होने के लिए लंबित है। इस राशि में तीन साल से अधिक समय से तीन कोषागारों[6] में पड़ी हुई ₹ 50 लाख से अधिक की शेष राशि शामिल है।

कोषालयों द्वारा एलआईसी को नियमित रूप से प्रीमियम हस्तांतरित करने में विफलता संबंधित डीडीओ के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

कोषालयों ने एलआईसी प्रीमियम का समय पर हस्तांतरण न होने का कारण कटौती के संबंध में शेष राशि का मिलान न होना और रिकॉर्ड का पता न चल पाना बताए (सितंबर 2023) है।

राज्य सरकार पीडी खाते से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम राशि का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।

(ii) सरकारी कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण के लिए पीडी खाता

वित्त विभाग (नियम प्रभाग) के पत्र[7] के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने बैंकों यथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) बैंक के साथ दिनांक 01.04.2004 से गृह निर्माण ऋण अनुदान हेतु एक नई योजना पर बातचीत की थी।

इसके आगे, वित्त विभाग ने कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.03.2004 तक लिए गए ऋणों के बकाया मूलधन और ब्याज की अदायगी की प्रक्रिया निर्धारित की (14 मई 2004)। कोष अधिकारी मूलधन और ब्याज के रूप में काटी गई राशि को एक अलग पीडी खाते[8] में स्थानांतरित करेगा और मासिक लेखों के मिलान के बाद राशि का एक समेकित चेक एसबीबीजे प्रबंधक को भेजेगा जिसे इस उद्देश्य से से खोले गए "आवास ऋण का पुनर्भुगतान" शीर्षक एस्क्रो खाते[9] में जमा किया जाएगा।

सरकारी खाते की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि दिनांक 31.03.2004 तक लिए गए गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन और ब्याज की कटौती के संबंध में पीडी खाते में ₹ 46.59 करोड़ पड़े थे (मार्च 2023) जिसे एस्क्रो खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। विभाग ने सूचित किया (मई 2023) कि सभी कोष अधिकारियों को बैंक एस्क्रो खाते से गृह निर्माण अग्रिम ऋणों के मिलान हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार ने आगे निर्णय लिया कि दिनांक 01.04.2004 के बाद से राज्य कर्मचारियों को नया गृह निर्माण ऋण केवल एसबीबीजे और एचडीएफसी बैंक से दिया जाएगा। ऋण का भुगतान समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में किया जाएगा, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाएगा

6. बाड़मेर (₹ 1.49 करोड़), नागौर (₹ 1.20 करोड़) एवं झालावाड़ (₹ 0.79 करोड़)
7. क्रमांक 5(3) वि.वि. (नियम) 2004 दिनांक 29 मार्च 2004
8. क्रमांक 473
9. एस्क्रो खाता दो पक्षों के बीच लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा रखा गया एक अस्थायी निकासी खाता है। यह एक अस्थायी खाता है क्योंकि यह लेनदेन प्रक्रिया पूरी होने तक संचालित होता है, जिसे क्रेता और विक्रेता के बीच सभी शर्तें तय होने के बाद लागू किया जाता है।

और कोषालयों द्वारा एचडीएफसी और एसबीबीजे को आगे प्रेषण के लिए पीडी खातों[10] में जमा किया जाएगा।

इन पीडी खातों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन और ब्याज की कटौती के संबंध में क्रमशः ₹ 1.87 करोड़ और ₹ 1.83 करोड़ की शेष राशि एसबीबीजे और एचडीएफसी से संबंधित पीडी खातों में पड़ी थी (मार्च 2023), जिसे कोष अधिकारियों द्वारा संबंधित बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था । यह भी देखा गया कि एसबीबीजे ऋण के विरुद्ध गृह निर्माण अग्रिम कटौती के संबंध में शेष राशि पांच वर्षों से अधिक समय से 15 कोषालय पीडी खातों में हस्तांतरित नहीं की गई थी।

नए ऋणों की प्रक्रिया के बिंदु संख्या 13 के अनुसार, बैंकों को भेजी जाने वाली राशि में देरी के मामले में, व्यक्तिगत कर्मचारी को विलंबित अवधि के लिए अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा । इसलिए, कटौतियों को हस्तांतरित करने में देरी से संबंधित कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए गृह निर्माण अग्रिम को पीडी खाते से बैंकों में हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार समय सीमा निर्धारित कर सकती है और देरी के मामलों में जिम्मेदारी तय कर सकती है।

3. स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में प्रावधान है कि जिला परिषद (जिप), पंचायत समिति (पंस) और ग्राम पंचायत (ग्रापं) क्रमशः जिप निधि, पंस निधि और ग्रापं निधि संधारित करेंगे[11] जिसमें अधिनियम के तहत वसूल किये गये अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि सम्मलित होगी और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि, यथा केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पारितोषिक के हिस्से के रूप में अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें पंचायत की कर और गैर-कर प्राप्तियां शामिल है। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 में परिकल्पित है कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका निधि संधारित की जाएगी। इस अधिनियम के तहत वसूल अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को नगरपालिका निधि[12] में रखा जाना है।

दिनांक 31 मार्च 2023 तक पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निधि के स्थानीय निधि की पिछले पांच वर्षों के लिए स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.13** में दी गई है।

10. पीडी खाता सं. 474 एसबीबीजे के लिए और पीडी खाता संख्या 475 एचडीएफसी बैंक के लिए
11. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 109 पंचायत निकाय निधियां
12. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 102 नगरपालिका निधियां

तालिका 4.13: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निधि का नाम	वर्ष	प्राम्भिक शेष	प्राप्तियां	व्यय	अंतिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86
		2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07
		2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
		2022-23	1,867.22	1,883.18	1,986.55	1,763.85
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2018-19	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95
		2019-20	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55
		2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
		2022-23	1,853.79	2,452.99	2,160.82	2,145.95
3	नगर पलिका निधि (8448-102)	2018-19	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17
		2019-20	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73
		2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68
		2022-23	2,589.68	5,712.06	6,315.85	1,985.89

स्रोतः वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-23 के दौरान, जिप निधि, पंस निधि और नपा निधि में काफी धनराशि उपयोग के लिए शेष पड़ी हुई है । वर्ष 2022-23 के दौरान इन निधियों में अंतिम शेष क्रमशः ₹ 1,763.85 करोड़, ₹ 2,145.95 करोड़ और ₹ 1,985.89 करोड़ था। इसके अलावा, बैंक खाते में धनराशि रखने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की उचित स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

इसके अतिरिक्त, पीडी खातों और बैंकों में वृहत्त शेषों को कम करने के लिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने बंद योजनाओं की अप्रयुक्त राशि को संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा करने और निष्क्रिय खातों को बंद करने के निर्देश (जुलाई 2020 और सितंबर 2021) जारी किए थे। तथापि, इन निर्देशों के बाद भी, खातों की शेष राशि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम की निधियों के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने, बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेषों को राजस्व मद में जमा करने और ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखे गये शेषों की निगरानी करने की आवश्यकता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का संचालन

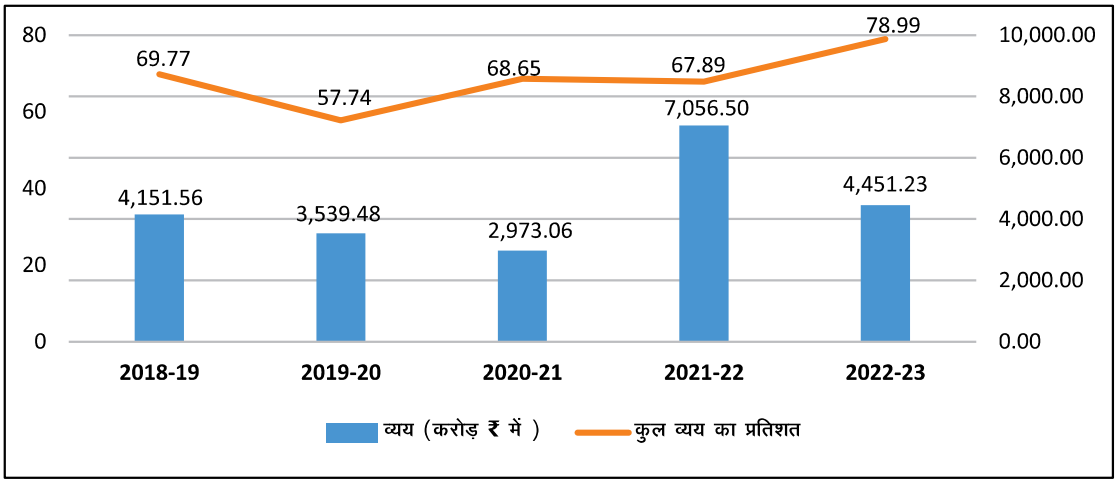
राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद ए-10 प्रावधित करता है कि "यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि व्यय को उचित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और जहां तक संभव हो 'अन्य व्यय' की श्रेणी में वर्गीकरण से बचा जाना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 58 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10,515.26 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 4.27 प्रतिशत (₹ 2,46,277.58 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था जबकि वर्ष 2021-22 में ₹ 12,532.44 करोड़ को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुक किया गया था। इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12,013.42 करोड़ जमा हुए जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.16 प्रतिशत (₹ 1,94,987.93 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2021-22 में, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग ₹ 18,829.85 करोड़ थी।

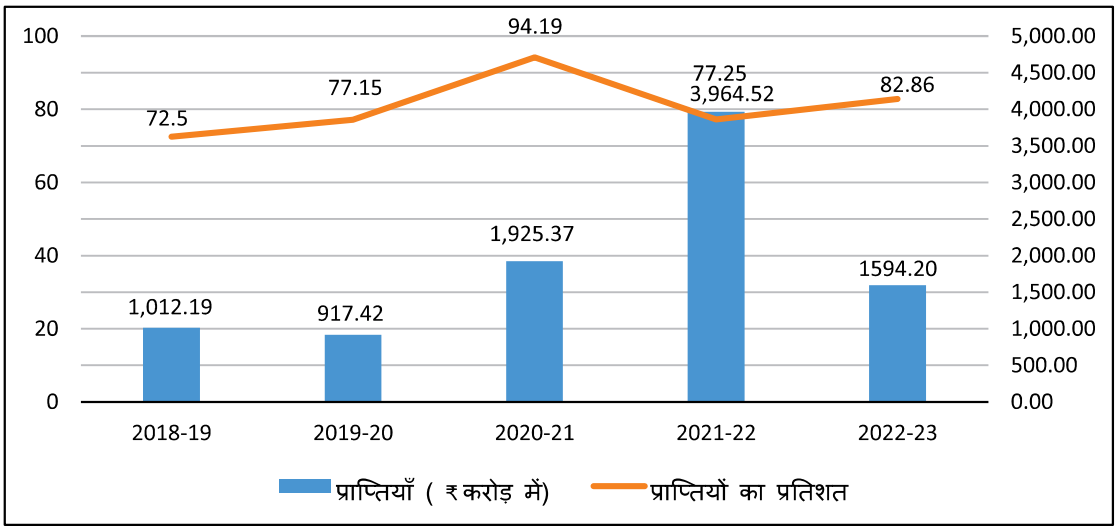
राज्य सरकार ने वर्ष 2018-2023 की अवधि में इस लघु शीर्ष का बड़े पैमाने पर प्रचालन किया। ऐसे उदाहरण जहां व्यय और प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, ***परिशिष्ट 4.6*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-23 के दौरान सम्बन्धित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा क्रमशः **चार्ट 4.2** एवं **चार्ट 4.3** में दी गई है।

चार्ट 4.2: वर्ष 2018-23 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



चार्ट 4.3: वर्ष 2018-23 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन



यह देखा जा सकता है कि 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों दोनों मामलों में प्रतिशत के संदर्भ में वृद्धि हुई थी।

बहुगर्भित लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में राशि की बुकिंग वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित बहुगर्भित लघु शीर्ष-800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है जहां संघ एवं राज्य की लेखों की मुख्य और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है । उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग करने से खातों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त लघु शीर्ष की उपलब्धता होने पर भी लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग के ऐसे उदाहरण ***परिशिष्ट 4.7*** में दिए गए हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे वर्णित हैं:

(i) रखरखाव और मरम्मत/सड़क कार्यों/निर्माण से संबंधित छह मामलों में, राज्य सरकार ने 800-अन्य व्यय के तहत ₹ 766.12 करोड़ का प्रावधान किया जबकि मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मुख्य शीर्ष 3054 एवं 5054 के अंतर्गत उचित शीर्ष जैसेः 105-रखरखाव और 337-सड़क कार्य उपलब्ध थे।

(ii) पांच मामलों में, राज्य सरकार ने शीर्ष-800 (अन्य व्यय) के तहत आवासीय विद्यालय और छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों के लिए ₹ 62.00 करोड़ बुक किए जबकि उसी मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत उपयुक्त शीर्ष जैसेः 277- शिक्षा उपलब्ध था।

(iii) तीन मामलों में, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों के लिए ₹ 73.92 करोड़ शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुक किए गए थे, जबकि उसी मुख्य शीर्ष 4217 के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष जैसेः 051-निर्माण उपलब्ध था।

(iv) स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य से संबंधित तीन मामलों में, राज्य सरकार ने शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत ₹ 64.88 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मुख्य शीर्ष 4210 के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष जैसेः 101, 103 और 104 उपलब्ध थे।

लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बना देता है।

इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी डीडीओ/सीसीओ को बिना आवश्यकता के लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत प्रावधान नहीं करने और एलएमएमएच में उचित शीर्ष उपलब्ध नहीं होने पर ही "800-अन्य व्यय" के तहत व्यय की बुकिंग करने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2022)।

4.8 प्रमुख उचंत और डीडीआर शीर्षों के तहत बकाया शेष

'उचंत' और 'प्रेषण' शीर्षों से सम्बन्धित लेनदेन का उद्देश्य सभी समायोजन शीर्षों को दर्ज करना है । कुछ मध्यस्थ/समायोजन लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है जिसे ऐसे प्राप्ति एवं भुगतान के लेनदेन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में खोला जाता है, जिन्हें कोषालयों/भुगतान और

लेखा अधिकारी द्वारा निपटान की अनुसूची प्रस्तुत न करने, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी मेमो की अप्राप्ति, वाउचर की अप्राप्ति इत्यादि जैसी जानकारी की कमी के कारण लेखों के अन्तिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है । जब उनके अन्तर्गत लेखों को उनके सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है तब इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है । यदि इन राशियों को समाशोधित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष संचित हो जाते है और सरकार की प्राप्तियों और व्ययों की सही तस्वीर प्रदर्शित करने से रोकती हैं।

प्रेषण में सभी लेन-देन को सम्मलित होते हैं जो लेखाशीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के तहत डेबिट या क्रेडिट अन्ततः उसी या लेखांकन के किसी अन्य वृत्त में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समाशोधित किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत शेष की स्थिति नीचे **तालिका 4.14** में दी गई है।

तालिका 4.14: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	मुख्य शीर्ष -8658 उचन्त						
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1.	101 – पीएओ उचन्त	143.76	8.04	103.83	9.79	103.92	9.23
	निवल	**नामे 135.72**		**नामे. 94.04**		**नामे. 94.69**	
2.	102 – उचन्त लेखे-सिविल	6.69	111.49	0.41	100.24	0.37	85.19
	निवल	**जमा 104.80**		**जमा 99.83**		**जमा 84.82**	
3.	106 – संचार लेखा कार्यालय उचन्त	-*		-*	-	-*	-
	निवल	**नामे-***		**नामे-***		**नामे-***	
4.	112 – स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	-	136.75	-	26.62		(-) 1.62
	निवल	**जमा 136.75**		**जमा 26.62**		**जमा (-) 1.62**	
5.	123 – अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.17	-	0.19	-	0.21
	निवल	**जमा 0.17**		**जमा 0.19**		**जमा 0.21**	
6.	129 – सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.50	-	(-) 3.50		(-) 3.50
	निवल	**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**	
7.	139 –स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त	-	52.70	-	54.18	-	57.17
	निवल	**जमा 52.70**		**जमा 54.18**		**जमा 57.17**	
	निवल योग	**(जमा) 155.20**		**(जमा) 83.28**		**(जमा) 42.39**	
	मुख्य शीर्ष 8782- रोकड़ प्रेषण						
8.	102 – पी. डब्लू. प्रेषण	26.47	28.78	26.46	28.82	25.40	26.76
	निवल	**जमा 2.31**		**जमा 2.36**		**जमा 1.36**	
9.	103 – वन प्रेषण	0.05	0.13	0.04	0.01	0.10	-**
	निवल	**जमा 0.08**		**नामे 0.03**		**नामे 0.10**	
10.	108 – अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.03**		**नामे 0.03**	
11.	129 – इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के	77.41	76.67	0.74	-	0.74	-

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
	अन्तर्गत हस्तान्तरण			
	निवल	**नामे 0.74**	**नामे 0.74**	**नामे 0.74**
	निवल योग	**(जमा) 1.62**	**(जमा) 1.56**	**(जमा) 0.49**

* केवल ₹ 1,000, ** केवल ₹ 14,000

पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आंकड़ों की स्थिति दर्शाती है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखों' के अन्तर्गत कुल निवल शेष में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक ₹ 112.81 करोड़ की जमा शेष कमी दर्ज की गई है।

ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहां ऋणात्मक शेष नहीं होने चाहिए।

31 मार्च 2023 को ₹ 4,232.08 करोड़ की राशि के 12 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष के 25 मामले[13] थे । प्रतिकूल शेष मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 3,293.32 करोड़) के थे। इन डीडीआर शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों का मिलान और समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्तियों और व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 3,72,189.96 करोड़ और (ii) कुल प्राप्तियों ₹ 3,55,989.15 करोड़ का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वस्तुतः, गत पांच वर्षों से राज्य सरकार व्ययों एवं प्राप्तियों का शत प्रतिशत अंक मिलान पूर्ण करती रही है।

13. खाद्य संग्रह और भंडारण के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 0.03 करोड़); शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 32) ; सड़क परिवहन के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 201); सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 31,570); सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण (10 प्रकरणः ₹ 2.90 करोड़); राज्य भविष्य निधि (एक प्रकरणः ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरणः ₹ 3,293.32 करोड़); सामान्य और अन्य आरक्षित निधि (दो प्रकरणः ₹ 848.03 करोड़); स्थानीय निधियों के लिए जमा (दो प्रकरणः ₹ 0.34 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरणः केवल ₹ 60.67 करोड़) और समान अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन (चार प्रकरणः ₹ 26.78 करोड़)।

4.10 नकद शेषों का मिलान

'रिजर्व बैंक के पास जमा' का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें 15 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गए अन्तर सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है । लेखों में दर्शाए गए आँकड़ो [₹ 61.90 करोड़ (जमा)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹ 8.84 करोड़ (नामे)] आँकड़ो के बीच ₹ 53.06 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। इसमें से ₹ 53.22 करोड़ (नामे) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है। जबकि ₹ 0.16 करोड़ (जमा) का शुद्ध अंतर अभी भी बकाया है और अंक मिलान हेतु लंबित है (जून 2023)।

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गासब) की स्थापना की । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए। इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को निम्न **तालिका 4.15** दर्शाती है।

4.15: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1	**आईजीएएस : 1** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां- प्रकटीकरण की आवश्यकताएं*	इस मानक के लिए सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ग या क्षेत्र-वार) के साथ-साथ वर्ष के प्रारंभ और अन्त में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया, अनुदानकर्ता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वांछित है।	अनुपालना की गई	- --
2	**आईजीएएस : 2** *सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया गया, केवल वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई और वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है । आगे, राजस्व व्यय के रूप में सहायतार्थ अनुदान के वर्गीकरण की अनुपालना नहीं होने के सम्बन्ध में अनुच्छेद .3.4.7 चर्चा की गई है।	लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का अभाव पाया गया।
3	**आईजीएएस : 3** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मात्रा और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से सम्बन्धित अपने वित्तीय विवरणों में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया । अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।

4.12 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखा हुआ सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या अन्य सम्पत्ति की हानि जो दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण हुई हो और जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है, की सूचना संबंधित अधिकारी तुरन्त अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को देंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन/गबन (291) और चोरी/हानि (441) के राशि ₹ 126.01 करोड़ के 732 प्रकरण सूचित किये, जिन पर अंतिम कार्यवाही जून 2023 के अंत तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.16** में दिया गया है।

तालिका 4.16: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/ चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
			विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के कारण वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
निर्माण[14]	245	9.66	63	4.57	165	3.38	17	1.71
शिक्षा[15]	137	54.17	47	44.11	64	8.68	26	1.37
राजस्व[16]	59	12.98	38	4.30	9	7.55	12	1.13
चिकित्सा[17]	59	7.95	34	5.60	6	0.97	19	1.38
स्वायत्त शासन	9	3.87	1	0.03	8	3.84	0	0.00
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	124	24.53	103	21.64	18	1.34	3	1.55
अन्य[18]	99	12.85	25	1.46	47	9.29	27	2.10
योग	**732**	**126.01**	**311**	**81.71**	**317**	**35.06**	**104**	**9.24**

लंबित प्रकरणों का विभाग-वार विभाजन ***परिशिष्ट 4.8*** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधि-वार रूपरेखा और चोरी/हानि और दुर्विनियोजन की प्रत्येक श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे **तालिका 4.17** में सारांशिकृत किया गया है:

14. **निर्माण विभाग:** पीडब्लूडी, सिंचाई, जीडब्लूडी, आईजीएनपी, वन और पीएचईडी।
15. **शिक्षा विभाग:** प्राथमिक, माध्यमिक, साक्षरता और सतत शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा), कॉलेज, संस्कृत शिक्षा, आरएसईआरटी उदयपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डाईट, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और आईटीआई।
16. **राजस्व विभाग:** भूमि, परिवहन, स्थान, मुद्रांक और पंजीकरण, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क और उपनिवेशन।
17. **चिकित्सा विभाग:** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना (परिवार कल्याण), मेडिकल कॉलेज, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, आईईसी, एनआरएचएम और आरएमसीएल।
18. **विविध विभाग:** न्याय, पुलिस, देवस्थान, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग, स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, मुद्रण और स्टेशनरी, आरपीएससी, सैनिक कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण, डीटीए, आरसीडीएफ, विश्राम भवन, एसआईपीएफ, अल्पसंख्यक, अकाल राहत (राहत), महिला एवं बाल कल्याण, पुरातत्व, संग्रहालय, सचिवालय, अभियोजन, बागवानी, वाटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण, राज्य लॉटरी (डीटीए (लघु बचत)), पर्यावरण, स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, आरएसएससीएल, सूचना और जन सम्पर्क, टीएडी और पशुपालन (पशु चिकित्सा) उद्योग, पेंशन एवं कृषि।

तालिका 4.17: दुर्विनियोजन, हानि, गबन इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

(₹ करोड़ में)

प्रकरणों की अवधि-वार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
0-5	109	63.70	चोरी/हानि	76	6.93
			गबन	33	56.77
5-10	169	26.16	चोरी/हानि	119	9.12
			गबन	50	17.04
10 से उपर	354	36.15	चोरी/हानि	246	4.86
			गबन	208	31.29
			कुल लंबित प्रकरण	**732**	**126.01**

गबन के लंबित प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में हेराफेरी, जाली बिलों/चैकों द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से सम्बन्धित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार/स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि की चोरी से सम्बन्धित थे। कुल 732 प्रकरणों में से राशि ₹ 35.06 करोड़ के 317 (285+32) प्रकरण वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों की अपेक्षा में लम्बित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[19] के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी है। जून 2023 तक, वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कैम्पा और वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के लेखों को छोड़कर सभी 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2021-22 तक के लेखे प्राप्त हो चुके है। नीचे **तालिका 4.18** में वर्णित दो निकायों के मामले में प्रतिकूल राय दी गई थी:

तालिका 4.18: प्रतिकूल राय वाले प्रकरण

निकाय /प्राधिकरण	दी गई राय का प्रकार	कारण
राजस्थान स्वादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान (वर्ष 2021-22 के लेखे)	अस्वीकरण	वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के समय वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए शेषों का समाधान/पुष्टि नहीं की गई थी; बोर्ड और वाणिज्यिक केंद्रों की बैलेंस शीट और समेकित बैलेंस शीट में पूंजी/कॉर्पस निधि के विभिन्न शेष दिखाए गए थे । इन शेषों का मिलान लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया, इस प्रकार, आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी । बैलेंस शीट में दिखाए गए बैंक विवरण और पीडी खातों की शेष राशि के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा गया । इसके आगे, बोर्ड के बचत खाते के बैंक शेष का भी मिलान नहीं किया गया । आरक्षित एवं अधिशेष, निर्धारित/बंदोबस्ती निधि और अचल संपत्तियों के मामले में पिछले वर्ष के समापन शेष को चालू वर्ष के आरंभिक शेष के रूप में आगे न ले जाने के प्रकरण ध्यान में आये । इसके

19. राजस्थान स्वादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए); राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (CAMPA); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (02) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (36)।

निकाय /प्राधिकरण	दी गई राय का प्रकार	कारण
		अतिरिक्त, समेकित रसीद और भुगतान खाता तैयार करते समय समेकित रसीद और भुगतान खाते के समापन शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में नहीं लिया गया था । समेकित बैलेंस शीट की अनुसूची में, परिसंपत्तियों और देनदारियों के पक्ष का योग मेल नहीं खाता था । आरकेआईवीबी ने हाइब्रिड प्रणाली के आधार पर रसीद और भुगतान खाता तैयार किया है । राजस्व और व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है और गैर-नकद मदों यानी मूल्यह्रास आरक्षित का निर्माण और क्षतिग्रस्त माल, संदिग्ध ऋण आदि के लिए प्रावधान का हिसाब संचय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, संभागीय कार्यालयों के बैंक शेष को समेकित खातों में प्रदर्शित नहीं किया गया था।
राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान (वर्ष 2020-21 के लेखे)	सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	पिछले अनुच्छेद में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सकल मूल्य ₹ 16.70 करोड़ है और टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियां ₹ 9.84 करोड़ अधिक से बताई गई थी और देनदारियां ₹ 10.04 करोड़ से अधिक बताई गई थीं । व्यय पर आय की अधिकता को ₹ 0.20 करोड़ कम करके दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप खातों में दिखाए गए ₹ 0.16 करोड़ के अधिशेष को ₹ 0.04 करोड़ के घाटे में बदल दिया गया है।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (वर्ष 2017-18 के लेखे)	सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	शुद्ध प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियां ₹ 456.55 करोड़ से कम बताई गई है, देनदारियां ₹ 381.63 करोड़ से कम बताई गई है और अधिशेष ₹ 74.92 करोड़ कम बताया गया है।

4.14 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2021-22 का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 19 जुलाई 2023 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। जनलेखा समिति (जलेस) वर्ष 2018-19 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशें की (सितम्बर 2023)। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान जलेस ने वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदन के 4 अनुच्छेदों पर चर्चा की। वर्तमान में, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के प्रतिवेदन से संबंधित 17 अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन लेखन हेतु लंबित हैं। ये अनुच्छेद बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके वास्तविक वित्तपोषण, चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों की जमाओं, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/लेखों को प्रस्तुत करने, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि, उपकर/अधिभार के संग्रहण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, निजी निक्षेप खाते आदि प्रस्तुत करने में देरी से संबंधित हैं।

अनुच्छेदों पर बकाया एटीएन की समीक्षा से पता चला कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुच्छेद पर दो एटीएन 30 सितंबर 2023 तक तीन विभागों[20] से लंबित हैं।

4.15 छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-1 राज्य सरकार के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांच साल की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का

20. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शिक्षा विभाग तथा श्रम एवं रोजगार विभाग ।

गठन करना अनिवार्य बनाता है । राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और धन के हस्तांतरण के लिए राज्यपाल को सिफारिशें करना है।

छठवें एसएफसी द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन जून 2021 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था, और सरकार द्वारा सितंबर 2021 में स्वीकार कर लिया गया था। छठवें एसएफसी का अंतिम प्रतिवेदन प्रतिक्षित है। अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार, छठवें एसएफसी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के स्व-कर राजस्व की शुद्ध आय का 6.75 प्रतिशत[21] हस्तांतरित करने और उनके मध्य क्रमशः 75.1:24.9 के अनुपात में राशि का वितरण करने की सिफारिश की। राजस्थान विधानसभा को सौंपे गये कार्यवाही प्रतिवेदन में राज्य ने इसे स्वीकार कर लिया है।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के स्व-कर राजस्व की वास्तविक शुद्ध आय नीचे **तालिका 4.19** में दी गई है:

तालिका 4.19: राज्य के स्व-कर की वास्तविक शुद्ध आय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23
1.	स्व-कर राजस्व	87,346.38
2.	घटायेः संग्रहण की लागत	2,517.50
3.	**शुद्ध स्व-कर राजस्व**	**84,828.88**

राज्य के शुद्ध स्व-कर राजस्व की स्थिति, हस्तांतरित किए जाने वाले अनुदान की राशि और छठवें एसएफसी की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में वास्तव में हस्तांतरित अनुदान नीचे **तालिका 4.20** में दिए गए हैं:

तालिका 4.20: छठवें एसएफसी की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली अनुदान राशि और वास्तव में हस्तांतरित अनुदान की वर्षवार स्थिति

(**₹ करोड़ में**)

क्रम संख्या	विवरण	छठवे एसएफसी द्वारा हस्तांतरित किये जाने वाला अनुमानित अनुदान	छठवे एसएफसी अनुशंसा के अनुसार वास्तविक शुद्ध आय के आधार पर हस्तांतरित किये जाने वाला अनुदान	वास्तविक हस्तांतरित अनुदान	बजट अनुमान की तुलना में अनुदान का अधिक (+)/कम (-) हस्तांतरण	वास्तविक शुद्ध आय की तुलना में अनुदान का अधिक (+)/ कम (-) हस्तांतरण
		2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23	2022-23	2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5-3)	(7 = 5-4)
1.	पीआरआई का हिस्सा (~~वित्त~~ निधियों के कुल हस्तांतरण का 75.1%)	**4,819.12**	**4,300.18**	**3,951.63**	(-)**867.49**	(-)**348.55**
	(अ) जिला परिषद (पीआरआई के हिस्से का 5%)	240.96	215.01	343.96	(+)103.00	(+)128.95
	(ब) पंचायत समितियाँ (पीआरआई के	963.82	860.04	1,110.51	(+)146.69	(+)250.47

21. छठवे एसएफसी के अनुसार, यह वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 3,888.77 करोड़ और ₹ 5,919.98 करोड़ होता है जो वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।

क्रम संख्या	विवरण	छठवे एसएफसी द्वारा हस्तांतरित किये जाने वाला अनुमानित अनुदान	छठवे एसएफसी अनुशंसा के अनुसार वास्तविक शुद्ध आय के आधार पर हस्तांतरित किये जाने वाला अनुदान	वास्तविक हस्तांतरित अनुदान	बजट अनुमान की तुलना में अनुदान का अधिक (+)/कम (-) हस्तांतरण	वास्तविक शुद्ध आय की तुलना में अनुदान का अधिक (+)/ कम (-) हस्तांतरण
		2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23	2022-23	2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5-3)	(7 = 5-4)
	हिस्से का 20%)					
	(स) ग्राम पंचायतें (पीआरआई के हिस्से का 75%)	3614.34	3,225.13	2,497.16	(-)1117.18	(-)727.97
2.	यूएलबी का हिस्सा (निधियों के कुल हस्तांतरण का 24.9%)	**1,597.82**	**1,425.76**	**1,255.85**	(-) **341.97**	(-) **169.91**
	(i) नगर निगम	454.89	405.91	337.26	(-)117.63	(-) 68.61
	(ii) नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें	1,142.93	1,019.85	918.59	(-)224.34	(-) 101.26
3.	निवल स्व-कर राजस्व के 6.75% की दर से निधियों का कुल हस्तांतरण	**6,416.94**	**5,725.94**	**5,207.48**	(-)**1,209.46**	(-) **518.46**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट खाते

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान छठवें एसएफसी की सिफारिशों के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरण वास्तविक निवल आय और बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 518.46 करोड़ और ₹ 1,209.46 करोड़ कम रहा।

अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान 10 जिलों के संबंध में पीआरआई को हस्तांतरित छठवें एसएफसी निधियों के उपयोग के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे **तालिका 4.21** में दी गई है:

तालिका 4.21: वर्ष 2022-23 के दौरान पीआरआई को धन हस्तांतरण और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों का हस्तांतरण	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय	कम (-)/अधिक(+)
1.	जालोर	155.72	127.87	(-) 27.85
2.	चित्तौड़गढ़	13.10	3.89	(-) 9.21
3.	टोंक	57.61	102.23	(+) 44.62
4.	प्रतापगढ़	56.43	80.50	(+) 24.07
5.	बारां	30.62	25.44	(-) 5.18
6.	जयपुर	10.87	2.72	(-) 8.15
7.	सिरोही	105.48	67.80	(-) 37.68
8.	अजमेर	67.29	32.52	(-) 34.77
9.	बांसवाड़ा	127.22	46.36	(-) 80.86
10.	चूरू	7.65	6.94	(-) 0.71
कुल		**631.99**	**496.27**	(-) **135.72**

तालिका से स्पष्ट है कि इन 10 पीआरआई ने वर्ष 2022-23 के दौरान छठवें एसएफसी की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित ₹ 631.99 करोड़ में से ₹ 496.27 करोड़ (78.52 प्रतिशत) व्यय किए। जिला परिषदों ने कम व्यय का कारण कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी ना होना और पिछले

वर्ष के शेष अनुदान के उपयोग में अधिक व्यय को बताया । शेष जिला परिषदों से सूचना प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2023)।

राज्य सरकार को एसएफसी निधि के समय पर उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, साथ ही धन का पर्याप्त हस्तांतरण भी सुनिश्चित करना चाहिए।

4.16 निष्कर्ष

निर्दिष्ट अवधि के भीतर ₹ 1,107.25 करोड़ की राशि के 895 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करना कमजोर वित्तीय जवाबदेही तंत्र का संकेत है। 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो खातों की पारदर्शिता और जीआईए के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पर्याप्त अवधि बीत जाने के उपरांत भी ए.सी. बिलों का समायोजन न होना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 133 निजी निक्षेप खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था और कोषालय के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में वृहत्त मात्रा में पड़े हुए शेष उपयोग के लिए लंबित हैं । अग्रेतर, ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनका विवरण न तो पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किया गया था और न ही कोषालय खातों को उपलब्ध किया गया था।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियां के अंतर्गत बड़ी धनराशियों की बुकिंग, भले ही उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध हो, खातों की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

4.17 सिफारिशें

- विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को शीघ्र बंद करना और निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम निधि के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने और बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने और ग्राम पंचायत के बैंक खातों में रखी गई शेष राशि की अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को जहाँ तक संभव हो उचित लेखा शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।
- दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय-V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राजस्थान सरकार की सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत लेखों/सूचनाओं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका के परिणामों से पता चलता है। यह सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों और चालू वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों के सम्बंध में प्राप्त वित्तीय विवरणों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) सरकारों द्वारा राज्य के विकास के लिए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को संचालित करने के साथ-साथ अपने लोगों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए हैं ।

5.2 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी एक ऐसी कम्पनी है जिसमें केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार या आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित प्रदत्त अंशपूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं है और जिसमें एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है ।

सांविधिक निगम राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों[1] के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और राजस्थान सरकार के सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

5.3 अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के तहत सीएजी द्वारा की जाती है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के प्रावधानों के तहत, सीएजी सनदी लेखाकारों को सरकारी कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और लेखों का लेखापरीक्षा किये जाने के तरीकों पर निर्देश देता है। इसके

1. कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया (04.09.2014)।

अतिरिक्त, सीएजी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां जारी करने या अनुपूरित करने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले विधान के अनुसार यह भी आवश्यक है कि उनके लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाए और एक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या और वित्तीय विवरणों की स्थिति

वर्ष 2022-23 के आरम्भ में 49 सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा सीएजी के दायरे में थी। वर्ष के दौरान दो सरकारी कंपनियाँ अर्थात कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड (केबीसीएल) और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईआरसीपीसीएल)[2] की लेखापरीक्षा सीएजी के दायरे में आयी। परिणामस्वरूप, सीएजी के दायरे में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या, जिनके 2022-23 के लेखों की लेखापरीक्षा की जानी थी, 51 हो गई, जिसमें 43 सरकारी कंपनियां (3 निष्क्रिय कंपनियों सहित), तीन सांविधिक निगम[3] और पांच सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां[4] शामिल थीं, जैसा कि **तालिका 5.1** में नीचे दर्शाया गया है और विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में सूचीबद्ध है।

तालिका 5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकारों का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	कुल योग
सक्रिय	40	3	43	5	48
निष्क्रिय	3	-	3	0	3
कुल	**43**	**3**	**46**	**5**	**51**

तीन निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमों में से दो[5] गैर-कार्यात्मक हैं और एक[6] परिसमापन के अधीन है।

30 सितंबर 2023 तक प्राप्त नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर 47 पीएसयू (चार पीएसयू के प्रथम वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं) का वित्तीय प्रदर्शन ***परिशिष्ट 5.2*** में दर्शाया गया है। 50 प्रतिशत से अधिक (21 पीएसयू) पीएसयू ने 2022-23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया है। 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, ग्यारह पीएसयू ने 2021-22 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं और सात ने केवल 2020-21 तक प्रस्तुत किए हैं जैसा कि **तालिका 5.2** में दिखाया गया है।

2. केबीसीएल और ईआरसीपीसीएल को क्रमशः अप्रैल 2015 और अगस्त 2022 में शामिल किया गया था।
3. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भंडारण निगम (आरएसडब्ल्यूसी) और राजस्थान वित्तीय निगम (आरएफसी)।
4. अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एएससीएल), जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल), कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल), उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल) और कोटा बस सर्विस लिमिटेड (केबीएसएल)।
5. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल) और राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल)
6. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसएआईसीएल)।

तालिका 5.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्रकृति एवं आवृत्त क्षेत्र

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्रकृति	कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदित अवधि में प्राप्त हुए[7]				30 सितम्बर 2023 तक जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखे बकाया हैं, की संख्या (कुल बकाया लेखे)
			वर्ष 2022-23 के लेखे	वर्ष 2021-22 के लेखे	वर्ष 2020-21 तक के लेखे	कुल	
1.	सरकारी कम्पनियाँ	40	20	10	6	36	20(38)
2.	निष्क्रिय सरकारी कम्पनियाँ	3	-	2	-	2	3 (10)
3.	**योग (1+2)**	**43**	**20**	**12**	**6**	**38**	**23(48)**
4.	सांविधिक निगम	3	1	-	-	1	2 (3)
5.	**योग (3+4)**	**46**	**21**	**12**	**6**	**39**	**25(51)**
6.	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	5	-	1	1	2	5 (11)
7.	**कुल योग (5+6)**	**51**	**21**	**13**	**7**	**41**	**30(62)**

स्रोतः 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित सूचना

इस संबंध में विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 5.14.2.2 में आगे दिया गया है।

5.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और राज्य के सकल राज्य घरेलु उत्पाद में योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आवर्त का सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू के योगदान को दर्शाता है।

प्रारंभ की गई गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान राजस्थान के जीएसडीपी में इन सार्वजनिक उपक्रमों के आवर्त की क्षेत्रवार हिस्सेदारी को **तालिका 5.3** में दिया गया है:

तालिका 5.3. राजस्थान की जीएसडीपी की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आवर्त का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2020-21 (कम्पनियों की संख्या)	जीएसडीपी में आवर्त का प्रतिशत	2021-22 (कम्पनियों की संख्या)	जीएसडीपी में आवर्त का प्रतिशत	2022-23 (कम्पनियों की संख्या)	जीएसडीपी में आवर्त का प्रतिशत
1.	ऊर्जा एवं विद्युत	72,166.24 (15)	7.08	72,034.51 (16)	5.91	83,896.01 (16)	5.93
2.	उद्योग और वाणिज्य	3,078.43 (6)	0.30	3,684.01 (6)	0.30	3,881.48 (7)	0.27
3.	वित्त[8]	6,978.59 (3)	0.68	9,926.19 (3)	0.81	10,723.95 (4)	0.76
4.	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	963.18 (4)	0.09	850.97 (4)	0.07	859.33 (4)	0.06
5.	संस्कृति और पर्यटन	62.80 (2)	0.01	56.02 (2)	0.00	62.12 (2)	0.00
6.	परिवहन	1,688.95 (2)	0.17	364.88 (2)	0.03	865.48 (2)	0.06
7.	नगरीय विकास	73.54 (2)	0.01	62.25 (2)	0.01	129.89 (2)	0.01
8.	अन्य	1,974.71 (7)	0.19	1,976.81 (7)	0.16	3051.37 (9)	0.22
9.	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी	- (4)		- (4)		- (5)	
	कुल आवर्त	**86,986.44**		**88,955.64**		**1,03,469.63**	
	राजस्थान का जीएसडीपी	**10,19,442**		**12,18,193**		**14,13,620**	
	राजस्थान के जीएसडीपी में आवर्त का प्रतिशत		**8.53**		**7.30**		**7.32**

स्रोतः जीएसडीपी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना हैं।

7. अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 तक
8. आरएसबीसीएल और आरएसजीएसएम को शामिल करते हुए जो आबकारी शुल्क/मदिरा से संबंधित हैं।

राजस्थान के जीएसडीपी में पीएसयू का योगदान 2020-21 में 8.53 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.32 प्रतिशत रह गया, यद्यपि 2020-21 के आवर्त की तुलना में 2022-23 के दौरान इन पीएसयू का आवर्त 18.95 प्रतिशत बढ़ा। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 12.28 प्रतिशत थी, जबकि पीएसयू के आवर्त का सीएजीआर 7.71 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू ने कुल आवर्त में अधिकतम 81.08 प्रतिशत योगदान दिया है इसके बाद वित्त क्षेत्र के पीएसयू ने कुल आवर्त में 10.36 प्रतिशत का योगदान दिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान तीन सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों का आवर्त शून्य था।

5.5.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश **तालिका 5.4** में दिया गया है (***परिशिष्ट 5.2*** में विस्तृत विवरण)

तालिका 5.4: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	राशि
सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	44	--
प्रदत्त पूंजी	44	54,613.45
दीर्घकालीन ऋण	22	1,20,433.07
शुद्ध लाभ	26	1,247.10
शुद्ध हानि	15	18,813.80
शून्य लाभ/हानि	3	--
शेयरधारक फंड/नेट वर्थ	44	(-) 63,239.53
सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियाँ		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	3	--
प्रदत्त पूंजी	3	600.00
दीर्घकालीन ऋण	-	--
शुद्ध लाभ	1	1.05
शुद्ध हानि	2	0.11
शून्य लाभ/हानि	-	--
शेयरधारक फंड/नेट वर्थ	3	610.52

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित सूचना।

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2023 तक सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में राज्य सरकार का क्षेत्रवार निवेश **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में राज्य सरकार का क्षेत्रवार निवेश

(**₹** करोड़ में)

निवेश								
क्षेत्र की प्रकृति	कुल अंश पूंजी	राजस्थान सरकार की अंश पूंजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राजस्थान सरकार ऋण	कुल क्षेत्रवार निवेश	राजस्थान सरकार का कुल क्षेत्रवार निवेश	राजस्थान सरकार के क्षेत्रवार निवेश का कुल निवेश से प्रतिशत	राजस्थान सरकार के क्षेत्रवार निवेश का कुल निवेश से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=2+4**	**7=3+5**	**8=7/6*100**	**9**
ऊर्जा एवं विद्युत	50,138.18	49,570.75	1,19,209.07	4,339.60	1,69,347.25	53,910.35	31.83	88.90

निवेश								
क्षेत्र की प्रकृति	कुल अंश पूंजी	राजस्थान सरकार की अंश पूंजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राजस्थान सरकार ऋण	कुल क्षेत्रवार निवेश	राजस्थान सरकार का कुल क्षेत्रवार निवेश	राजस्थान सरकार के क्षेत्रवार निवेश का कुल निवेश से प्रतिशत	राजस्थान सरकार के क्षेत्रवार निवेश का कुल निवेश से प्रतिशत
उद्योग एवं वाणिज्य	531.48	468.18	1,551.32	6.92	2,082.80	475.53	22.83	0.78
वित्त	627.39	627.34	500.00	0.00	1,127.39	627.34	55.65	1.03
कृषि, खाद्य एवं संबद्ध उद्योग	71.46	66.27	378.59	378.59	450.05	444.86	98.85	0.73
संस्कृति एवं पर्यटन	30.61	30.61	197.67	57.57	228.28	88.18	38.63	0.15
परिवहन	2,054.69	2,027.86	689.20	0.00	2,743.89	2,027.86	73.90	3.34
नगरीय विकास	2,460.05	1,983.77	1,955.84	769.01	4,415.89	2,752.78	62.34	4.54
अन्य	317.37	317.37	3,186.62	0.50	3,503.99	317.87	9.07	0.52
योग	**56,231.23**	**55,092.15**	**1,27,668.31**	**5,552.19**	**1,83,899.54**	**60,644.77**	**32.98**	**100.00**

स्रोतः सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त सूचना

31 मार्च 2023 तक, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 60,644.77 करोड़ था, जिसमें अंश पूंजी ₹ 55,092.15 करोड़ (90.84 प्रतिशत) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 5,552.19 करोड़ (9.16 प्रतिशत) शामिल थे। राज्य सरकार का निवेश मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में था, जिसमें 31 मार्च 2023 तक 89.16 प्रतिशत अंशपूंजी और 93.37 प्रतिशत ऋण था।

मार्च 2023 के अंत तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अंश धारिता (₹ 10,000 करोड़ से अधिक की धारिता) का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: राज्य सरकार की महत्वपूर्ण धारिता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	राशि
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा एवं विद्युत	12,036.35
2	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा एवं विद्युत	11,000.13
3	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा एवं विद्युत	10,992.72
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा एवं विद्युत	10,631.74
	योग		**44,660.94**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

यह देखा गया कि सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में कुल अंश निवेश में से, एक महत्वपूर्ण राशि ₹ 44,660.94 करोड़ (79.42 प्रतिशत) उपरोक्त चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में थी। लगातार घाटे में रहने के उपरांत भी 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 557.55 करोड़ निवेश किये।

5.6.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षो के लिए अंश, ऋण, अनुदान/अर्थसहाय्य, अंश में परिवर्तित ऋण, वर्षो के दौरान अपलेखित किया गया ब्याज एवं सरकारी

कम्पनियों और संविधिक निगमों की बकाया गारंटी के लिए बजटीय निर्गम का सारांश **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका 5.7: सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों को बजटीय सहायता का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21		2021-22		2022-23	
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	राशि
विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम							
(i)	अंश पूंजी	4	403.49	5	609.50	5	661.72
(ii)	दिया गया ऋण	1	2.00	0	0	0	0.00
(iii)	प्रदान की गई अनुदान/ अर्थसहाय्य	5	14,365.40	4	22,991.68	4	25,630.91
(iv)	कुल निर्गम (i+ii+iii)		14,770.89		23,601.18		26,292.63
(v)	ऋण वापसी अपलेखन	0	0	0	0	0	0.00
(vi)	अंश पूंजी में परिवर्तित ऋण	0	0	3	472.50	0	0.00
(vii)	जारी प्रतिभूतियां	5	15,521.00	5	21,671.47	4	30,333.84
(viii)	प्रतिभूति प्रतिबद्धता	5	70,075.63	5	79,681.03	5	84,524.57
गैर-विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम							
(i)	अंश पूंजी निर्गम	0	0.00	2	288.37	6	1,163.64
(ii)	दिया गया ऋण	0	0.00	1	34.37	1	140.00
(iii)	प्रदान की गई अनुदान/ अर्थसहाय्य	6	1,084.16	9	1,013.39	12	1,126.95
(iv)	कुल निर्गम (i+ii+iii)		1,084.16		1,336.13		2,430.59
(v)	ऋण वापसी अपलेखन	0	0	0	0	0	0.00
(vi)	अंश पूंजी में परिवर्तित ऋण	0	0	4	961.83	0	0.00
(vii)	जारी प्रतिभूतियां	1	200.00	4	2,026.00	2	412.00
(viii)	प्रतिभूति प्रतिबद्धता	4	5,260.36	5	6,280.42	4	4,448.19

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना के संकलन के अनुसार

बजटीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मूलधन और ब्याज की अदायगी की गारंटी देकर बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद करती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान अंश पूंजी ऋण और अनुदान/अर्थसहाय्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता ₹14,770.89 करोड़ से ₹ 26,292.63 करोड़ के बीच थी। ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दी गई बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं 2020-21 में ₹ 70,075.63 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 84,524.57 करोड़ हो गईं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंश पूंजी ऋण और अनुदान/ अर्थसहाय्य के लिए बजटीय सहायता ₹ 1,013.39 करोड़ से ₹ 1,126.95 करोड़ के बीच रही। गैर-विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए दी गई बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं 2020-21 में ₹ 5,260.36 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 4,448.19 करोड़ रह गईं।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनर्गठन, विनिवेश एवं निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी राज्य पीएसयू का न तो विनिवेश हुआ और न ही किसी पीएसयू का निजीकरण किया गया।

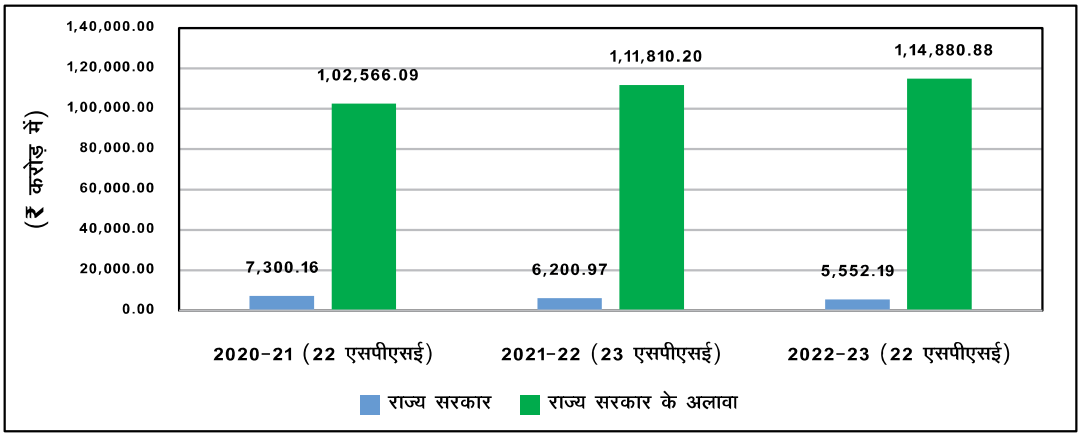
5.8 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिये गये बकाया ऋणों का विश्लेषण

5.8.1 31 मार्च 2023 को बकाया दीर्घकालिक ऋण

31 मार्च 2023 तक, सभी स्रोतों से 47 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 22 में बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण ₹ 1,20,433.07 करोड़ था, जो पिछले वर्ष 2021-22 (₹ 1,18,011.17 करोड़) से ₹ 2,421.90 करोड़ की वृद्धि है।

31 मार्च 2023 तक कुल बकाया दीर्घकालिक ऋणों में से 83.89 प्रतिशत ऋण चार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 24,657.22 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 19,131.65 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 23,999.21 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 33,240.88 करोड़) से सम्बंधित थे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋणों का वर्षवार विवरण **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1. 31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बकाया दीर्घकालिक ऋण



स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित जानकारी एवं पीएसयू से प्राप्त सूचना

दीर्घकालिक ऋण वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 2021-22 में 23 से घटकर 2022-23 में 22 रह गई।

5.8.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों का कुल दीर्घकालिक ऋणों से अनुपात यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि क्या कोई कंपनी विलायक रह सकती है। विलायक माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋण की राशि से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को 22 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनमें बकाया दीर्घकालिक ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का आवृत्त **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: 31 मार्च 2023 तक कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का आवृत्त

(₹ करोड़ में)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	सकारात्मक आवृत				नकारात्मक आवृत			
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियां	परिसंपत्तियों से दीर्घकालिक ऋणों का प्रतिशत	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परि-संपत्तियां	परिसंपत्तियों से दीर्घकालिक ऋणों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सरकारी कम्पनियाँ	18	1,18,567.22	1,72,378.01	145.38	1	46.61	4.75	10.19
सांविधिक निगम	3	1,819.24	15,317.03	841.95	--	--	--	--
योग	21	1,20,386.46	1,87,695.04	987.33	1	46.61	4.75	10.19

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए स्रातों के आधार पर संकलित सूचना।

22 पीएसयू में से, एक पीएसयू अर्थात राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था और कंपनी परिसमापन के अधीन है।

5.9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्रतिफल

43 सरकारी कंपनियों और 3 सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, 26 पीएसयू ने लाभ कमाया, 15 पीएसयू ने घाटे की सूचना दी, 3 पीएसयू को न तो लाभ हुआ और न ही हानि और वर्ष 2022-23 के दौरान दो पीएसयू के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित पांच अन्य कंपनियों में से एक पीएसयू ने लाभ कमाया, दो पीएसयू ने घाटा उठाया और दो पीएसयू के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए।

5.9.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समग्र लाभ ₹ 1,248.15 करोड़ था। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की क्षेत्रवार सूची **तालिका 5.9** में दी गई है ।

तालिका 5.9: 2020-21 से 2022-23 के दौरान क्षेत्रवार लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(**₹ करोड़ में**)

वर्ष	क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या	कर उपरांत शुद्ध लाभ	संचित घाटा (-)/अधिशेष	नेट वर्थ
2020-21	ऊर्जा एवं विद्युत	6	325.94	-29069.16	-13330.63
	उद्योग और वाणिज्य	4	670.4	4689.88	5004.58
	वित्त	3	90.14	349.44	621.83
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	3	95.51	514.72	580.16
	संस्कृति और पर्यटन	0	0	0	0
	परिवहन	1	0.04	-6.31	-1.82
	नगरीय विकास	1	3.55	25.37	74.04
	अन्य	7	46.94	300.78	418.1
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	1	0.05	4.45	204.45
	योग	**26**	**1232.37**	**-23190.8**	**-6429.29**

वर्ष	क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या	कर उपरांत शुद्ध लाभ	संचित घाटा (-)/अधिशेष	नेट वर्थ
2021-22	ऊर्जा एवं विद्युत	6	1053.02	-56272.5	-33420.6
	उद्योग और वाणिज्य	5	765.48	5214.81	5690.24
	वित्त	3	85.45	434.01	716.4
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	3	32.9	577.69	643.13
	संस्कृति और पर्यटन	1	10.09	-141.72	-119.77
	परिवहन	1	0.04	-6.27	-1.78
	नगरीय विकास	1	0.06	25.43	74.1
	अन्य	7	37.2	330.46	447.78
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	1	0.05	4.45	204.45
	योग	**28**	**1984.29**	**-49833.7**	**-25766.10**
2022-23	ऊर्जा एवं विद्युत	5	90.40	-1,135.46	3,921.48
	उद्योग और वाणिज्य	6	821.14	5,987.06	6,472.49
	वित्त	3	59.93	462.35	1,084.74
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	3	40.44	594.76	660.21
	संस्कृति और पर्यटन	0	0	0	0
	परिवहन	1	0.03	-6.24	-1.75
	नगरीय विकास	2	144.42	-323.07	2,136.99
	अन्य	6	90.74	419.06	535.11
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	1	1.05	2.34	202.34
	योग	**27**	**1,248.15**	**6,000.80**	**15011.61**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची **तालिका 5.10** में दी गई है।

तालिका 5.10: 2022-23 के दौरान शीर्ष लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची

(**₹ करोड़ में**)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नाम	शुद्ध लाभ
1.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	752.06
2.	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल)	143.30
योग		**895.36**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित कुल लाभ में केवल 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 71.73 प्रतिशत का योगदान दिया। इनमें से रीको बाजार में अपने एकाधिकार के कारण लाभ दर्ज कर सका। रीको राज्य की मुख्य एजेंसी है जिसे औद्योगिक/संस्थागत प्रयोजनों के लिए लागत प्लस ओवरहेड शुल्क पर भूमि विकसित करने और आवंटित करने का अधिकार है। इसके अलावा, जेएमआरसीएल ने असाधारण मद अर्थात भूमि की बिक्री से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया।

तालिका 5.11: क्षेत्रवार लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले पीएसयू की संख्या	अर्जित लाभ	राज्य के पीएसयू के कुल लाभ में क्षेत्र के लाभ का प्रतिशत
ऊर्जा एवं विद्युत	5	90.40	7.24
उद्योग और वाणिज्य	6	821.14	65.79
वित्त	3	59.93	4.80
कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	3	40.44	3.24
संस्कृति और पर्यटन	0	0	0.00
परिवहन	1	0.03	0.00
नगरीय विकास	2	144.42	11.57
अन्य	6	90.74	7.27
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	1	1.05	0.08
योग	**27**	**1,248.15**	**100**

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

5.10 हानियों में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5.10.1 दर्ज हानियां

14 सरकारी कंपनियों, एक सांविधिक निगम और दो सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार हानि की सूचना दी, जो 2021-22 में ₹ 4,124.45 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 18,813.91 करोड़ हो गयी। विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: हानि दर्ज करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	हानि दर्ज करने वाले पीएसयू की संख्या	कर उपरांत शुद्ध हानि	संचित हानि /(-) अधिशेष	नेट वर्थ
2020-21	ऊर्जा एवं विद्युत	6	-3759.92	-68290.75	-35,444.59
	उद्योग और वाणिज्य	2	-0.76	-165.33	41.46
	वित्त	0	0	0	0
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	1	-1.46	-54.83	-48.82
	संस्कृति और पर्यटन	2	-6.86	-160.52	-136.41
	परिवहन	1	-217.06	-5186.8	-4547.84
	नगरीय विकास	1	-60.17	-388.36	1305.68
	अन्य	0	0	0	0
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	1	-0.02	-0.12	199.88
	योग	**14**	**-4,046.25**	**-74,246.71**	**-38,630.64**
2021-22	ऊर्जा एवं विद्युत	7	-3995.33	-44596.60	-17992.64
	उद्योग और वाणिज्य	1	-0.99	-51.52	-5.46
	वित्त	0	0	0	0
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	1	-1.46	-54.83	-48.82
	संस्कृति और पर्यटन	1	-0.1	-8.71	-6.55
	परिवहन	1	-43.24	-5230.04	-4591.08
	नगरीय विकास	1	-83.25	-486.64	1471.36
	अन्य	0	0	0	0
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	2	-0.08	8.03	408.03
	योग	**14**	**-4,124.45**	**-50,420.31**	**-20,765.16**
	ऊर्जा एवं विद्युत	8	-18,758.58	-1,18,341.64	-73,321.40
	उद्योग और वाणिज्य	1	-2.71	-54.23	-8.17

वर्ष	क्षेत्र	हानि दर्ज करने वाले पीएसयू की संख्या	कर उपरांत शुद्ध हानि	संचित हानि /(-) अधिशेष	नेट वर्थ
2022-23	वित्त	1	-0.05	-0.05	4.95
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	1	-1.46	-54.83	-48.82
	संस्कृति और पर्यटन	2	-10.00	-160.43	-136.33
	परिवहन	1	-40.96	-5,227.77	-4,588.81
	नगरीय विकास	0	0	0	0
	अन्य	1	-0.04	-1.47	-0.20
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	2	-0.11	8.18	408.18
	योग	**17**	**-18,813.91**	**-1,23,832.24**	**-77,690.60**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 100 करोड़ से अधिक की हानि हुई, उन्हें नीचे **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: राज्य के पीएसयू जिन्हें ₹ 100 करोड़ से अधिक की हानि हुई

(**₹ करोड़ में**)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम	शुद्ध हानि	हानि का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल हानि से प्रतिशतता
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,336.55	12.42
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3,698.56	19.66
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5,866.02	31.18
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	6,277.59	33.37
5.	गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड	377.42	2.01
	योग	**18,756.14**	99.69

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना ।

यह देखा जा सकता है कि इन पांच पीएसयू ने 2022-23 के दौरान 14 सरकारी कंपनियों, एक सांविधिक निगम और दो सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा दर्ज की गयी कुल हानि में 99.69 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने हानि में चल रहे 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से पांच में ₹ 1,059.55 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का निवेश किया।

5.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल संपत्ति का क्षरण

नेट वर्थ का अर्थ, प्रदत्त पूंजी, संचित हानि घटाकर मुक्त आरक्षित निधियां एवं अधिशेष और आस्थगित राजस्व व्यय का योग है। यह अनिवार्य रूप से एक माप है कि मालिकों के लिए एक इकाई का क्या महत्व है। एक नकारात्मक नेट वर्थ इंगित करता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त कर दिया गया है।

31 मार्च 2023 को उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 24 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों संचित घाटा का ₹ 1,25,779.46 करोड़ था, 22 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास ₹ 7,947.90 करोड़ का अधिशेष था और एक पीएसयू के पास न तो संचित घाटा था और न ही अधिशेष था। इसके अतिरिक्त, चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए थे। ₹ 1,17,831.56 करोड़ के कुल संचित घाटे के कारण, कुल नेट वर्थ नकारात्मक थी, जो ₹ 55,213.45 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी के समक्ष ₹ (-) 62,629.01 करोड़ थी।

24 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनमें संचित घाटा हुआ था, उनमें से 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नेट वर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। 31 मार्च 2023 को इन 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 45,759.15 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के समक्ष नेट वर्थ निवल मूल्य ऋणात्मक ₹ 78,131.27 करोड़ थी। इन 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नकारात्मक नेट वर्थ का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है।

तालिका 5.14: 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनकी नेट वर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गयी का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	तब से नकारात्मक नेट वर्थ	सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	नेट वर्थ
1.	1-5 वर्ष	5[9]	(-) 3,435.69
2.	5 वर्ष से अधिक	14	(-) 74,695.58
योग		**19**	(-) **78,131.27**

नेट वर्थ में अधिकतम क्षरण तीन राज्य डिस्कॉम में देखी गई, मार्च 2023 के अंत में जहां जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीएनएल) की नकारात्मक नेट वर्थ ₹ 27,835.24 करोड़ थी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की नकारात्मक नेट वर्थ ₹ 20,759.11 करोड़ थी और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) में ₹ 19,033.64 करोड़ थी।

नकारात्मक नेट वर्थ वाले इन 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से तीन[10] सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने ₹ 7.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। 31 मार्च 2023 तक नकारात्मक नेट वर्थ वाले पीएसयू का विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में दिया गया है। इन 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 45,358.99 करोड़ की राज्य अंश पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

जिन 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नेट वर्थ में क्षरण था, उनमें से एक पीएसयू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की नेट वर्थ में 2022-23 के दौरान पहली बार गिरावट आई है, तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम निष्क्रिय[11] हैं और छह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सहायक कंपनी हैं। शेष 9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों [12] में, नेट वर्थ लगातार कम हो रहा है जैसा कि **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: नेट वर्थ मे निरंतर क्षरण वाले पीएसयू का विवरण

क्र. सं.	पीएसयू का प्रकार और नाम	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	नकारात्मक नेट वर्थ (नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार)	नकारात्मक नेट वर्थ	नकारात्मक नेट वर्थ का आयु विश्लेषण (वर्षों में)	नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार आय/राजस्व (` करोड़ में)	नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार व्यय (` करोड़ में)
1	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	-27,835.24	2011-12 से &	12	21,256.03	24,468.17
2	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	-20,759.11	2012-13 से &	11	24,736.73	27,025.05
3	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	-19,033.64	2012-13 से &	11	19,914.84	21,615.93
4	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2020-21	-4,588.81	2010-11 के पूर्व से	11 से अधिक	1,469.39	1,589.55

9. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, सांगोद ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड, छबड़ा पावर लिमिटेड और धौलपुर गैस पावर लिमिटेड।

10 आरएसएलडीसी,आरएसआईसी,आरसीएसीएल

11. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास लिमिटेड, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या तो सरकार के अनुदान/सब्सिडी/ऋण को इक्विटी में बदलने और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नियमित व्यवसाय से आय के कम सृजन के साथ चालू हैं।

क्र. सं.	पीएसयू का प्रकार और नाम	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	नकारात्मक नेट वर्थ (नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार)	नकारात्मक नेट वर्थ	नकारात्मक नेट वर्थ का आयु विश्लेषण (वर्षों में)	नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार आय/राजस्व (` करोड़ में)	नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार व्यय (` करोड़ में)
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर	2018-19	-128.74	2010-11 से	9	70.97	79.12
6	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2021-22	-13.00	2012-13 से	10	40.53	38.25
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	-12.77	2009-10 से	13	60.43	55.13
8	राजस्थान स्टेट होटल्स निगम लिमिटेड	2016-17	-7.59	2010-11 के पूर्व से	7 से अधिक	4.93	5.94
9	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	-8.17	2016-17 से	5	7.82	8.52
	योग		**-72,387.07**			**67,561.67**	**74,885.66**

स्रोतः 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त अंतिम वित्तीय विवरण और पिछली रिपोर्टों के अनुसार

&: इस वर्ष से पहले, इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे बिना लाभ बिना हानि के आधार पर तैयार किए गए थे।

5.11 निवल लाभ/हानि अनुपात

51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 47 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समग्र क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ/हानि (4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ है) नीचे **तालिका 5.16** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.16: क्षेत्रवार शुद्ध लाभ/हानि अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	क्षेत्र का शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त	शुद्ध लाभ/हानि अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा एवं विद्युत	-18,668.18	83,896.01	-22.25
उद्योग और वाणिज्य	818.43	3,881.48	21.09
वित्त	59.88	10,723.95	0.56
कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	38.98	859.33	4.54
संस्कृति और पर्यटन	-10.00	62.12	-16.10
परिवहन	-40.93	865.48	-4.73
नगरीय विकास	144.42	129.89	111.19
अन्य	90.70	3,051.37	2.97
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	0.94	0.00	

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान

लाभांश भुगतान अनुपात किसी कंपनी की शुद्ध आय का वह प्रतिशत दर्शाता है जो लाभांश के रूप में उसके शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। राज्य सरकार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की प्रमुख हितधारक है।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रदत्त अंश पूंजी पर न्यूनतम 10 प्रतिशत या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार के पास केवल 35 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंशपूंजी थी। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान अनुपात **तालिका 5.17** में दिखाया गया है।

तालिका 5.17: वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की अंश पूंजी वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	अंश पूंजी की राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	अंश पूंजी की राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2020-21	32	50,934.59	21	16,038.85	7[13]	66.08	0.41
2021-22	32	52,378.89	23	23,652.47	7[14]	63.72	0.27
2022-23	35	55,092.15	21	8,069.39	6[15]	24.94	0.31

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 21 से 23 के मध्य थी, जबकि राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या सभी तीन वर्षों के दौरान छह थी। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 0.27 प्रतिशत और 0.41 प्रतिशत के मध्य रहा।

तालिका 5.18: वर्ष 2022-23 के दौरान सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्थान सरकार की अंश पूंजी धारित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया और कोई संचित हानि नहीं हुई		कुल अंश पूंजी (लंबित आवंटन को छोड़कर)	राजस्थान सरकार की अंश पूंजी	कुल देय लाभांश	राजस्थान सरकार को भुगतान की गयी राशि	लाभांश देय अनुपात (%)
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	अर्जित लाभ की राशि					
2022-23	17	1,018.04	1,600.20	1,276.29	42.99	24.94	58.00

17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 2022-23 के दौरान लाभांश का भुगतान/घोषणा की, जिसका विवरण नीचे **तालिका 5.19** में दिया गया है:

तालिका 5.19: भुगतान/घोषित लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम एवं प्रकार	कुल प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार की अंश पूंजी	शुद्ध लाभ	शुद्ध लाभ के 20 प्रतिशत या प्रदत्त अंश पूंजी के 10 प्रतिशत जो भी कम हो	राजस्थान सरकार को लाभांश का भुगतान या घोषणा
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	12.94	12.94	26.83	1.29	1.29
2	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	210.18	752.06	21.02	21.02
3	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	77.55	77.54	24.09	4.82	0
4	राजस्थान वित्तीय निगम	160.73	128.31	24.86	4.97	0
5	राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	440.00	440	1.07	0.21	0
6	राजस्थान राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2.00	2.00	31.38	0.20	0.20
7	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.39	180.34	27.48	5.50	0

13. आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल और आरपीआईडीसीएल।
14. आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल और आरपीआईडीसीएल।
15. आरआरईसीएल, आरएसएससीएल आरएसडब्ल्यूसीएल, आरएसबीसीएल, आरएसएमएससीएल, रीको और आरपीआईडीसीएल।

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम एवं प्रकार	कुल प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार की अंश पूंजी	शुद्ध लाभ	शुद्ध लाभ के 20 प्रतिशत या प्रदत्त अंश पूंजी के 10 प्रतिशत जो भी कम हो	राजस्थान सरकार को लाभांश का भुगतान या घोषणा
8	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	7.59	6.33	17.79	0.76	0.76
9	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	50.00	50.00	3.51	0.70	0
10	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड	7.85	3.93	19.14	0.79	1.57
11	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	324.96	48.67	1.12	0.22	0
12	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	1.00	1.00	2.28	0.10	0.10
13	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	100.00	4.32	0.86	0
14	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	5.00	5.00	28.08	0.50	0
15	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	5.00	5.00	8.49	0.50	0
16	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.00	5.00	45.29	0.50	0
17	राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	10.00	0.00	0.25	0.05	0
	योग	**1600.20**	**1276.24**	**1018.04**	**42.99**	**24.94**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना एवं पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 11 पीएसयू ने अपने दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्थान सरकार को देय लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं की है।

5.12 ऋण भुगतान

5.12.1 ब्याज का आवर्त

ब्याज आवर्त अनुपात (आईसीआर) किसी कंपनी की उसके बकाया दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है और इसकी गणना कंपनी की ब्याज और करों से पहले की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से कम आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी अपने ब्याज पर व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान वित्तीय लागत वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज आवर्त अनुपात का विवरण **तालिका 5.20** में दिया गया है।

तालिका 5.20: ब्याज आवर्त अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	ऋण और ब्याज की देनदारी वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	आईसीआर>=1 वाले राज्य पीएसयू की संख्या	आईसीआर < 1 वाले राज्य पीएसयू की संख्या
2020-21	15,199.60	12,716.54	29	17	12[16]
2021-22	16,311.36	14,392.26	30	19	11[17]
2022-23	14,892.24	- 2,366.24	32	19	13[18]

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

16. आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसी, जेवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी, आरएसएआईसीएल।
17. आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसी, आरआरवीयूएनएल, आरवीपीएनएल, जेडीवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरएसआरटीसी, आरएसएआईसीएल।
18. आरएसएचडीसीएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरएसआरटीसी, आरटीडीसी, एसटीएसएल, आरएसएआईसीएल, बीटीपीसीएल।

वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रवार ब्याज आवर्त अनुपात नीचे तालिका 5.21 में दिया गया है।

तालिका 5.21: वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रवार ब्याज आवर्त अनुपात

क्षेत्र	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	बकाया ऋण और ब्याज वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	ब्याज आवर्त अनुपात वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	
				आईसीआर>=1	आईसीआर<1
ऊर्जा एवं विद्युत	14,255.61	-4,427.20	11	3	8
उद्योग और वाणिज्य	206.48	1324.73	6	5	1
वित्त	52.27	101.78	2	2	0
कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	18.51	69.21	4	3	1
संस्कृति और पर्यटन	0.81	-9.18	2	0	2
परिवहन	87.69	46.73	1	0	1
नगरीय विकास	33.47	176.77	1	1	0
अन्य	237.40	350.92	5	5	0
	14,892.24	**-2,366.24**	**32**	**19**	**13**

31 मार्च 2023 तक, 13 पीएसयू थे जिनका आईसीआर एक से कम था। इसमें आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसी, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, बीटीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरएसआरटीसी, आरटीडीसीएल, एसटीएसएल और आरएसएआईसीएल शामिल हैं।

5.13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.13.1 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक लाभप्रदता मीट्रिक है जो कंपनी की दीर्घकालिक लाभप्रदता और कंपनी द्वारा कुल पूंजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना ब्याज और करों से पहले की किसी कंपनी की आय (ईबीआईटी)[19] को नियोजित पूंजी से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समेकित आरओसीई **तालिका 5.22 (*परिशिष्ट 5.4* में विवरण)** में दिया गया है ।

तालिका 5.22: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ **करोड़ में**)

वर्ष	क्षेत्र	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा एवं विद्युत	11162.77	52433.56	21.29
	उद्योग और वाणिज्य	1144.62	6804.22	16.82
	वित्त	135.03	622.14	21.70
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	142.85	875.32	16.32
	संस्कृति और पर्यटन	-6.78	-121.41	5.58
	परिवहन	-72.71	-3093.04	2.35
	नगरीय विकास	-15.89	3471.88	-0.46

19. नियोजित पूंजी = प्रदत्त अंश पूंजी + मुक्त आरक्षित निधियां एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय

वर्ष	क्षेत्र	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
	अन्य	327.16	3159.32	10.36
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	0.54	621.21	0.09
	योग	**12,817.59**	**64,773.20**	**19.79**
2021-22	ऊर्जा एवं विद्युत	12,764.39	57,898.59	22.05
	उद्योग और वाणिज्य	1,221.70	7,181.67	17.01
	वित्त	132.28	1256.56	10.53
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	60.36	970.99	6.22
	संस्कृति और पर्यटन	10.48	-99.32	-10.55
	परिवहन	45.01	-3,119.98	-1.44
	नगरीय विकास	-39.57	3684.89	-1.07
	अन्य	314.67	3184.04	9.88
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	0.47	621.13	0.08
	योग	**14,509.79**	**71,578.57**	**20.27**
2022-23	ऊर्जा एवं विद्युत	-4,390.66	42,427.57	-10.35
	उद्योग और वाणिज्य	1,325.05	7,923.82	16.72
	वित्त	146.74	1,839.85	7.98
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	69.22	988.06	7.01
	संस्कृति और पर्यटन	-9.18	-125.13	7.34
	परिवहन	46.76	-3,117.68	-1.50
	नगरीय विकास	178.81	3713.82	4.81
	अन्य	354.15	3543.23	10.00
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	0.24	610.52	0.04
	योग	**-2,279.11**	**57,193.54**	**-3.98**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का आरओसीई वर्ष 2021-22 में लगभग 20.27 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के दौरान (-)3.98 प्रतिशत हो गया। गिरावट मुख्य रूप से नियोजित पूंजी के अनुपात में ईबीआईटी में कमी और संचित हानि में वृद्धि के कारण थी । इसके अतिरिक्त, तीन[20] अन्य सरकार नियंत्रित कंपनियों के मामले में, वर्ष 2022-23 के लिए ईबीआईटी ₹ 0.24 करोड़ थी जबकि इन पीएसयू में नियोजित पुंजी ₹ 610.52 करोड़ थी। इसलिए, 2022-23 के दौरान आरओसीई 0.04 प्रतिशत पर रही।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अंश पूंजी पर प्रतिफल

अंश पूंजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है, यह आंकलन करने के लिए कि प्रबंधन लाभ कमाने के लिए कम्पनी की संपत्ति का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात कर के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के फंड से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कम्पनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारक का फंड दोनों सकारात्मक संख्याएं हैं।

किसी कम्पनी के शेयरधारक फंड की गणना प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त आरक्षित निधियां, संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह पता चलता है कि संपत्तियों को बेचने के उपरान्त सभी ऋण चुकाये जाने पर कम्पनी के शेयरधारकों के लिए कितना शेष होगा। एक सकारात्मक शेयरधारक

20. जेएससीएल, केएससीएल एवं यूएससीएल

फंड से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि नकारात्मक शेयरधारक फंड का मतलब है कि देनदारियां इसकी संपत्ति से अधिक हैं।

आरओई की गणना उन 35 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है जहां राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंश पूंजी निवेश है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित शेयरधारक फंड और आरओई का विवरण **तालिका 5.23** में दिया गया है (**विवरण *परिशिष्ट 5.5* के अनुसार**)।

तालिका 5.23: अंश पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिनके लिये आरओई की गणना की गई	वर्ष की शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक फंड (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा एवं विद्युत	7	-3,122.32	-47,745.53	-
	उद्योग और वाणिज्य	5	667.62	5,024.36	13.29
	वित्त	3	90.14	621.83	14.50
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	4	94.05	531.34	17.70
	संस्कृति और पर्यटन	2	-6.86	-136.41	-
	परिवहन	2	-217.02	-4,549.66	-
	नगरीय विकास	2	-56.62	1,379.72	-4.10
	अन्य	7	46.74	418.10	11.18
	योग	**32**	**-2,504.27**	**-44,456.25**	**-**
2021-22	ऊर्जा एवं विद्युत	7	-2,626.25	-49,755.59	-
	उद्योग और वाणिज्य	5	749.88	5,609.15	13.37
	वित्त	3	85.45	756.40	11.30
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	4	31.44	594.31	5.29
	संस्कृति और पर्यटन	2	9.99	-126.32	-7.91
	परिवहन	2	-43.2	-4,592.86	-
	नगरीय विकास	2	-83.19	1,545.46	-5.38
	अन्य	7	37.20	447.78	8.31
	योग	**32**	**-1,838.68**	**-45,521.67**	**-**
2022-23	ऊर्जा एवं विद्युत	7	-18,317.73	-67,378.05	-
	उद्योग और वाणिज्य	5	803.57	6,378.44	12.60
	वित्त	4	59.88	1,089.69	5.50
	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	4	38.98	611.39	6.38
	संस्कृति और पर्यटन	2	-10.00	-136.33	-
	परिवहन	2	-40.93	-4,590.56	-
	नगरीय विकास	2	144.42	2,136.99	6.76
	अन्य	9	90.70	534.91	16.96
	योग	**35**	**-17,231.10**	**-61,353.52**	**-**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शुद्ध आय 2021-22 में ₹ (-)1,838.68 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ (-)17,231 .10s करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण विद्युत क्षेत्र के पीएसयू की हानि में वृद्धि होना है । इसके अतिरिक्त, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, शुद्ध आय के साथ-साथ शेयरधारक फंड नकारात्मक था।

5.13.3 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) उस लाभप्रदता और दक्षता को मापती है जिसके साथ अंश पूंजी और समान गैर-ब्याज वाली पूंजी को उनके समय मूल्य के लिए समायोजित करने के बाद नियोजित किया गया है और प्रतिफल की पारंपरिक दर (आरओआर), जिसकी गणना ऐतिहासिक लागत के आधार पर गिने गए ऐसे सभी निवेशों के योग से पीएटी को विभाजित करके की जाती है, से तुलना करने पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

राज्य सरकार ने अंश पूंजी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 35 सरकारी कम्पनियों में निधियां निवेशित की। सरकार के महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए, ऐसे निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निवेश के वर्तमान मूल्य पर वास्तविक प्रतिफल की दर का आंकलन करने के लिये निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना की जाती है। राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंश पूंजी और ब्याज मुक्त ऋण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लिए गए थे। प्रत्येक वर्ष के अन्त में 31 मार्च को निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में डाले गए पिछले निवेश/वर्षवार निधियों को वर्षवार सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर पर संयोजित किया गया है जो संबंधित वर्ष के लिए धन की न्यूनतम लागत के रूप में मानी जाती है।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का निवेश अंश पूंजी के रूप में ₹ 53,694.29 करोड़[21] और वर्ष के दौरान परिवर्तित ऋणों को समायोजित करने के बाद ₹ 1,982.91 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) था। इस प्रकार, इन 35 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशित अंश पूंजी और शुद्ध ब्याज मुक्त ऋणों को शामिल करते हुए वर्ष 2022-23 के अंत में ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार का निवेश ₹ 55,677.20 करोड़ था, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.6*** में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी;

- आरओआरआर की गणना के उद्देश्य से 31 मार्च 2023 तक अंश पूंजी/ऋण/परिवर्तित ऋण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है।
- आरओआरआर की गणना के लिए विनिवेश घटाकर निवेश की गई अंश पूंजी को निवेश के रूप में माना गया है।
- अंश पूंजी में परिवर्तित ऋणों को समायोजित करने के बाद ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्यों पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे न्यूनतम अपेक्षित आरओआरआर के रूप में माना गया है।

21. 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का कुल निवेश (₹ 55,092.15 करोड़) - बिजली क्षेत्र के पांच पीएसयू की प्रारंभिक संचित हानि (₹ 1,397.86 करोड़)।

तालिका 5.24: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और 2018-19 से 2022-23 तक आरओआरआर

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा निवेश	कुल निवेश	निवेश की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम संभावित प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ/हानि	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आरओआई की दर (प्रतिशत)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)= (बी + सी)	(ई)	(एफ)= (डी(()+डी x ई)/100)	(जी)	(एच)	(आई)= एचx100/एफ
2018-19	74,548.38	4,078.50	78,626.88	7.30	84,366.64	5,739.76	2,893.35	3.43
2019-20	84,366.64	2,251.00	86,617.64	7.10	92,767.49	6,149.85	3,550.08	3.83
2020-21	92,767.49	465.05	93,232.54	6.60	99,385.89	6,153.35	-2,504.27	-2.52
2021-22	99,385.89	1,208.89	1,00,594.78	6.44	1,07,073.08	6,478.30	-1,838.68	-1.72
2022-23	1,07,073.08	2,663.60	1,09,736.68	6.32	1,16,672.04	6,935.36	-17,231.10	-14.77

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल निवेश

नोटः वर्ष की शुरुआत में वर्तमान मूल्य पर वास्तविक अंश पूंजी

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरओआरआर (-) 14.77 प्रतिशत और 3.83 प्रतिशत के मध्य रहा, और 2021-22 में (-) 1.72 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में (-) 14.77 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2000-2001 से 2022-23 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश और ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 5.6*** में दर्शाया गया है। राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर (ऐतिहासिक लागत के साथ वर्तमान मूल्य) **तालिका 5.25** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.25: राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल आय/ हानि (-)	वर्ष के अन्त में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआर (%)	वर्ष के अन्त में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआरआर (%)
2021-22	-1,838.68	53,013.60	-3.47	1,07,073.08	-1.72
2022-23	-17,231.10	55,677.20	-30.95	1,16,672.04	-14.77

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल निवेश

5.14 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

5.14.1 सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

सीएजी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 (5)/(7) के अनुसार एक सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है, जो यह निर्धारित करता है कि सरकारी कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर और प्रथम लेखापरीक्षक के मामले में पंजीकरण से 60 दिनों की अवधि के भीतर की जायेगी। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां या उक्त पर पूरक जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार आवश्यक

है कि उनके खातों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षण किया जाए और एक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

5.14.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विवरण पत्रों का प्रस्तुतीकरण

5.14.2.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है। ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने के बाद जितना शीघ्र हो सके वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं उस पर की गयी सीएजी की टिप्पणियों के साथ या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक के रूप में विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान उपलब्ध हैं । यह तंत्र कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख और अगली एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्दिष्ट करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए। परिणामतः वित्तीय विवरण तैयार करने और अगले वर्ष 30 सितंबर तक एजीएम में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कंपनी के निदेशकों सहित उत्तरदायी व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

5.14.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

राज्य में सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाले इन 51 सार्वजनिक उपक्रमों में से तीन निष्क्रिय हैं जो या तो पुनरुद्धार के अधीन हैं या निष्क्रिय[22] हैं। इन पीएसयू (तीन सांविधिक निगमों सहित) में से, कुल 21 राज्य सरकार की कंपनियों (एक सांविधिक निगम सहित) ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 2022-23 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। दो सांविधिक निगमों सहित शेष 30 पीएसयू के वार्षिक लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गये दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, एक सांविधिक निगम सहित 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 30 सितंबर 2023 तक पिछले वर्षों के 20 वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे। 30 सितंबर 2023 तक लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 5.26** में दिया गया है।

22. दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात आरजेवीएनएल और आरसीएसीएल कार्यशील नहीं हैं जबकि एक पीएसयू आरएसएआईसीएल परिसमापन के अधीन है।

तालिका 5.26: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने का विवरण

विवरण		सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पीएसयू		
		सरकारी कंपनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	कुल
31 मार्च 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल संख्या		46	5	51
सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनसे वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए		21	0	21
निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनसे वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए		-	-	-
जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से 2022-23 के वित्तीय विवरण बकाया नहीं थे एवं उन पर कोई बकाया नहीं है		-	-	-
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनके वित्तीय विवरण के बकाया है		25	5	30
बकाया वित्तीय विवरणों की संख्या		**51**	**11**	**62**
बकाया का विवरण	परिसमापन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	8	-	8
	निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो परिसमापन के अधीन नहीं है	2	-	2
	अन्य (सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनके वित्तीय विवरण बकाया)	**41**	**11**	**52**
अन्य' श्रेणी के बकाया का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	14	1	**15**
	दो वर्ष (2021-22 एवं 2022-23)	8	6	**14**
	तीन वर्ष और अधिक	19	4	**23**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची और बकाया लेखों की स्थिति ***परिशिष्ट 5.1*** में दी गई है। प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा तीन सांविधिक निगमों अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भंडारण निगम और राजस्थान राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा की जाती है। इन तीन सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम अर्थात राजस्थान वित्तीय निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये। इसलिए दो सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखे अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तथा राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक बकाया थे।

5.14.3 सीएजी की निरीक्षण-वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.14.3.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने होते है, जैसा कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साथ परामर्श एवं सिफारिशों के परीक्षण के पश्चात भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुशंसित किया गया है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत अपने लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.14.3.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन का अनुश्रवण कर समग्र उद्देश्य के साथ निगरानी की भूमिका निभाता है कि सनदी लेखा परीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करें । इस कार्य का निर्वहन शक्ति का प्रयोग करके हुए किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सनदी लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सनदी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

5.14.3.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की मानक लेखापरीक्षा प्रथाओ और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सनदी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत प्रतिवेदित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि हों, को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक साधारण सभा के समक्ष रखा जाता है।

5.15 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

5.15.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

30 सितंबर 2023 तक, 21 पीएसयू ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, 19 पीएसयू ने 2016-17 से 2021-22 तक के पिछले वर्षों के लिए 20 वित्तीय विवरण/लेखे प्रस्तुत किये। इन प्राप्त 41 वित्तीय विवरणों में से, 15 खातों के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए, 16 खातों के लिए शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र जारी किए गए, चार खातों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए और शेष छह खातों का अंकेक्षण अभी भी जारी था।

5.15.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

30 सितंबर 2023 तक प्राप्त वित्तीय विवरणों के भारत के सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा संचालन के परिणामस्वरूप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन नहीं किया है।

5.15.3 लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का संशोधन

भारत के सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा संचालन के परिणामस्वरूप 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त वित्तीय विवरणों में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के सांविधिक लेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के वित्तीय विवरणों को उनकी वार्षिक साधारण सभा में रखने से पहले अपने प्रतिवेदन को संशोधित नहीं किया।

5.15.4 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर निष्कर्षों को सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदनों या प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। कमियाँ सामान्यतः (अ) विभिन्न देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं करना (ब) लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत होने वाले समायोजन और (स) कुछ सूचनाओं का अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण, जिस पर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, से सम्बंधित थी।

वर्ष के दौरान, 23 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 23 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए। विवरण ***परिशिष्ट 5.7*** में दिया गया है।

5.16 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, 43 सरकारी कंपनियाँ (जिनमें से 3 निष्क्रिय कंपनियाँ हैं), तीन सांविधिक निगम और पाँच सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ सहित 51 पीएसयू थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों ने ₹ 1,03,469.63 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया, जो राजस्थान के जीएसडीपी के 7.32 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2023 के अंत में इन पीएसयू में अंश पूंजी और दीर्घकालिक ऋणों में राज्य सरकार के कुल निवेश ₹ 1,83,899.54 करोड़ के समक्ष ₹ 60,644.77 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2023 तक इन पीएसयू का बकाया दीर्घकालिक ऋण पिछले वर्ष (2021-22) के दौरान ₹ 1,18,011.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,20,433.07 करोड़ हो गया।

47 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 27 सार्वजनिक उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया (₹ 1,248.15 करोड़), जबकि 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को हानि हुई (₹ 18,813.91 करोड़) और तीन सार्वजनिक उपक्रमों ने न तो लाभ और न ही हानि की सूचना दी। 31 मार्च 2023 तक, 24 सार्वजनिक उपक्रमों को ₹ 1,25,779.46 करोड़ की संचित हानि हुई। तथापि, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य पाँच कंपनियों में से

एक कंपनी ने ₹1.05 करोड़ लाभ अर्जित किया और दो कंपनियों को 0.11 करोड़ हानि हुई और बाकी दो कंपनियों का के लेखे प्राप्त नहीं हुए।

दो सांविधिक निगमों सहित 30 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 62 लेखे बकाया थे।

5.17 सिफारिशें

- राजस्थान सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित घाटे में चल रहे सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर सकती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- सरकार प्रशासनिक विभागों को प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखे समय पर प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया के निपटान की सख्ती से निगरानी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
- सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनर्प्रचलन/बन्द करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय ले सकती है।

(के. सुब्रमण्यम)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान

जयपुर,
25 जून 2024

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
27 जून 2024

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल *	2022-23	लाख वर्ग किलोमीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या ^	2023	करोड़	8.10	138.82
3.	दशकीय वृद्धि दर ^	2013-2023	प्रतिशतता	14.40	11.68
4.	जनसंख्या घनत्व ^	2023	जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर	236.75	422.26
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या **	2011	प्रतिशतता	24.9	31.2
6.	लिंगानुपात **	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर &	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	शिशु मृत्यु दर $$	2020	प्रति 1,000 जीवित जन्म	32.00	28.00
9.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा &&	2016-2020	वर्षों	69.40	70.00
10.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)$	2011-12	प्रतिशतता	14.71	21.92

* वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (2021)

^ जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्य के लिए 2011-2036 के जनसंख्या अनुमान।

** आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

$$ एस आर एस - बुलेटिन 2020

$ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार।

& जनगणना 2011

&& एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20

परिशिष्ट -1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े[$]

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्दि दर (सीएजीआर) एवं वार्षिक वृदि दर के सन्दर्भ में		सीएजीआर 2013-14 से 2016-17		सीएजीआर 2017-18 से 2020-21		वार्षिक वृद्दि 2020-21 से 2021-22		वार्षिक वृद्दि 2021-22 से 2022-23	
		पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान
		(प्रतिशत में)							
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	14.30	13.55	3.41	1.80	25.59	36.94	13.41	6.02
ख.	स्व-कर राजस्व	8.51	9.85	3.52	6.01	25.62	24.09	19.78	16.76
ग.	कर-भिन्न राजस्व	8.62	(-) 5.06	(-) 1.04	(-) 4.62	44.81	37.37	12.94	9.65
घ.	कुल व्यय	17.18	20.41	7.17	4.97	14.00	20.86	12.53	5.07
ङ	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय	28.89	27.42	1.13	-10.46	25.62	57.17	18.93	(-) 19.38
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.20	17.03	6.72	9.48	11.47	15.51	13.21	9.91
छ.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	18.84	20.57	12.25	8.67	19.71	19.70	0.88	(-) 8.40
ज.	वेतन एवं मजदूरी	11.04	13.36	7.63	11.13	11.82	10.65	8.52	4.65
झ.	पेंशन	11.71	16.37	10.39	17.24	11.88	4.24	11.38	8.51

$ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित है।

परिशिष्ट –1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2022 को	31.03.2023 को
आतंरिक ऋण –	**3,21,807.34**	**3,50,961.67**
ब्याज वाले बाजार ऋण	2,65,186.92	3,02,202.82
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.04	0.03
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	10.07	7.68
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	10,654.04	9,069.28
अन्य संस्थानों से ऋण	45,956.27	39,681.86
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	**31,748.73**	**37,422.20**
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.41	5.41
गैर-आयोजना ऋण	12.47	9.96
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,736.12	1,227.06
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	3.05	3.05
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों की योजनाओं के लिए अन्य ऋण	29,991.68	36,176.72
आकस्मिकता निधि	**1,000.00**	**1,000.00**
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	**58,786.37**	**64,122.93**
जमायें	**44,174.53**	**45,622.77**
आरक्षित निधियां	**12,587.26**	**15,058.62**
प्रेषण शेष	**1.51**	**0.54**
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	(-) **0.01**	**–**
योग	**4,70,105.73**	**5,14,188.73**
परिसम्पत्तियां	**31.03.2022 को**	**31.03.2023 को**
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	**2,42,183.05**	**2,61,965.13**[1]
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	56,475.10	59,291.41
अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,85,707.95	2,02,673.72
ऋण एवं अग्रिम-	**8,213.06**	**7,968.22**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	4,775.26	4,581.55
अन्य विकासात्मक ऋण	3,439.71	3,388.62
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-)1.91	(-) 1.95[2]
आरक्षित निधि निवेश	**6,259.15**	**7,614.42**
अग्रिम	**3.17**	**3.14**
प्रेषण शेष	**–**	**–**

1. वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ₹ 16.20 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफोर्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियां 'शून्य' दर्शायी गयी है।
2. ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

देयताएं	31.03.2022 को	31.03.2023 को
उचंत एवं विविध शेष	**85.73**	**137.72**
रोकड़-	**8,409.94**	**57.11**
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 94.28	(-) 8.76
रिजर्व बैंक के पास जमा	281.72	(-) 61.90
विभागीय रोकड़ शेष	0.75	0.73
स्थाई अग्रिम	2.83	23.74
रोकड़ शेष निवेश	8,218.92	103.30
सरकारी लेखे पर घाटा-	**2,04,951.63**	**2,36,442.99**
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	25,869.96	31,491.36
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	500.00	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	1,78,581.67	2,04,951.63
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	**4,70,105.73**	**5,14,188.73**

परिशिष्ट 1.3 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरण पत्रों में दिए गये सारान्शीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखों में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए चैक, राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रिजर्व बैंक के पास जमा" के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 53.06 करोड़ (नामे) का अंतर था। आगे, ₹ 0.16 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 19)

वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2021-22	2022-23	संवितरण	2021-22	2022-23		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			भाग क				
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,83,920.05**	**1,94,987.93**	I.राजस्व व्यय	**2,09,790.01**	**2,07,400.37**	**19,078.92**	**2,26,479.29**
कर राजस्व	74,807.98	87,346.38	**सामान्य सेवायें**	**65,406.37**	**71,816.87**	**58.02**	**71,874.89**
			सामाजिक सेवायें	**85,053.68**	**81,128.13**	**9,040.23**	**90,168.36**
कर-भिन्न राजस्व	18,754.97	20,564.43	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	40,392.88	41,367.01	3,082.77	44,449.78
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,350.14	12,048.75	1,095.97	13,144.72
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	54,030.61	57,230.79	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	10,616.13	9,651.82	1,755.37	11,407.19
			सूचना एवं प्रसारण	146.57	199.69	-	199.69
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	1,785.58	1,640.04	475.17	2,115.21
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	1,213.07	839.88	3.57	843.45
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	16,495.32	15,284.71	2,627.38	17,912.09
			अन्य	53.99	96.23	-	96.23
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	**आर्थिक सेवायें**	**59,329.92**	**54,455.33**	**9,980.67**	**64,436.00**
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	12,091.46	9,248.83	513.28	9,762.11
			ग्रामीण विकास	16,464.09	8,091.31	7,810.13	15,901.44
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	14,965.25	14,554.31	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.86	0.58	0.29	0.87
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,158.27	2,262.57	5.79	2,268.36
वित्त आयोग अनुदान	17,210.67	10,507.74	उर्जा	22,647.50	24,518.31	-	24,518.31
			उद्योग एवं खनिज	439.94	625.11	31.00	656.11
राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	4,150.57	4,784.28	परिवहन	3,773.51	4,036.30	1,032.89	5,069.19
			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	17.53	19.44	1.61	21.05
			सामान्य आर्थिक सेवायें	1,736.76	5,652.88	585.68	6,238.56
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	**0.04**	**0.04**	**-**	**0.04**
योग	**1,83,920.05**	**1,94,987.93**	**योग**	**2,09,790.01**	**2,07,400.37**	**19,078.92**	2,26,479.29
II. **भाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा**	**25,869.96**	**31,491.36**	II. **अनुभाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष**	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2021-22	2022-23	संवितरण	2021-22	2022-23		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
योग (क)	**2,09,790.01**	**2,26,479.29**	योग (क)	**2,09,790.01**	**2,07,400.37**	**19,078.92**	**2,26,479.29**
			भाग ख				
III. **स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष**	**6,487.51**	**14,669.09**	III. **भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV. **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**31.42**	**16.20**	IV. **पूंजीगत परिव्यय**	**24,151.59**	**17,297.04**	**2,501.24**	**19,798.28**
			सामान्य सेवायें	**483.53**	**441.82**	**100.63**	**542.45**
			सामाजिक सेवायें	**10,951.01**	**6,845.68**	**2,004.99**	**8,850.67**
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	627.20	1,377.64	68.99	1,446.63
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,961.64	1,032.34	1,268.15	2,300.49
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	8,028.49	4,018.31	356.67	4,374.98
			सूचना एवं प्रसारण	1.19	1.04	-	1.04
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	187.48	247.40	311.18	558.58
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	4.83	33.65	-	33.65
			अन्य	140.18	135.30	-	135.30
			आर्थिक सेवायें	**12,717.05**	**10,009.54**	**395.62**	**10,405.16**
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	550.80	643.43	19.59	663.02
			ग्रामीण विकास	1,000.65	1,033.20	-	1,033.20
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	71.50	61.99	-	61.99
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,577.78	3,291.17	137.35	3,428.52
			उर्जा	2,141.44	1,953.38	-	1,953.38
			उद्योग एवं खनिज	4.25	10.79	-	10.79
			परिवहन	4,810.73	2,382.41	237.87	2,620.28
			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.40	8.77	-	8.77
			सामान्य आर्थिक सेवायें	559.50	624.40	0.81	625.21
			योग	**24,151.59**	**17,297.04**	**2,501.24**	**19,798.28**
V. **ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां**	**2,373.59**	**419.61**	V. **संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**621.24**	-	-	**174.78**
विद्युत परियोजनाओं से	774.09	217.11	विद्युत परियोजनाओं के लिये	33.27	-	-	23.40
सरकारी कर्मचारियों से	0.05	0.04	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2021-22	2022-23	संवितरण	2021-22	2022-23		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
अन्यों से	1,599.45	202.46	अन्यों को	587.97	-	-	151.38
VI. **अधोनित राजस्व अधिशेष**	**-**	**-**	VI. **अधोनित राजस्व घाटा**	**25,869.96**	**-**	**-**	**31,491.36**
VII. **लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**62,820.90**	**55,647.01**	VII. **लोक ऋण पुनर्भुगतान**	**17,585.77**	**-**	**-**	**20,819.20**
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	--
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	53,484.93	48,563.10	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	16,466.38	-	-	19,408.77
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	--
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	9,335.97	7,083.91	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,119.39	-	-	1,410.43
VIII. **आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	**-**	**-**	VIII. **आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	**-**	-	-	**-**
IX. **आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि**	**500.00**	**-**	IX. **आकस्मिकता निधि से व्यय**	**500.00**	-	-	**-**
X. **लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**2,51,294.80**	**2,43,204.58**	X. **लोक लेखा संवितरण**	**2,40,110.57**	-	-	**2,34,001.34**
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	14,000.70	15,416.80	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	11,540.02	-	-	10,080.23
आरक्षित निधियां	7,178.72	12,718.15	आरक्षित निधियां	5,834.23	-	-	10,246.79
उचंत एवं विविध	(-) 118.07	(-) 40.51	उचंत एवं विविध	(-) 36.40	-	-	11.48
प्रेषण	13,993.47	12,890.10	प्रेषण	13,993.47	-	-	12,891.07
जमा एवं अग्रिम	2,16,239.98	2,02,220.04	जमा एवं अग्रिम	2,08,779.25	-	-	2,00,771.77
XI. **भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट**	-	-	XI. **अंत में रोकड़ शेष**	**14,669.09**	-	-	**7,671.53**
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 94.28	-	-	(-) 8.76
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	281.72	-	-	(-) 61.90
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.58	-	-	24.47
			रोकड़ शेष निवेश	8,218.92	-	-	103.30
			चिन्हित निवेश निधियां	6,259.15	-	-	7,614.42
योग (ख)	**3,23,508.22**	**3,13,956.49**	**योग (ख)**	**3,23,508.22**	**-**	**-**	**3,13,956.49**

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट -2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 23)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. **राजस्व प्राप्तियाँ**	**1,37,873**	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**
(i) **कर राजस्व**	57,380(42)	59,245(42)	60,283(45)	74,808(41)	87,346 (45)
कृषि आय पर कर	-[3]	-[3]	-[3]	-[3]	-[3]
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	22,938(40)	21,954(37)	20,755(34)	27,502(37)	33,790 (39)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,791(26)	15,843(27)	17,479(29)	20,605(27)	22,727 (26)
राज्य उत्पाद शुल्क	8,694(15)	9,592(16)	9,853(16)	11,807(16)	13,326 (15)
वाहनों पर कर	4,576(8)	4,951(8)	4,368(7)	4,759(6)	6,128 (7)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,886(7)	4,235(7)	5,297(9)	6,492(9)	8,189 (9)
भू-राजस्व	290(1)	364(1)	280(1)	632(1)	484 (1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	51(-)	41(-)	45(-)	171(-)	8 (-)
अन्य कर	2,154(3)	2,265(4)	2,206(4)	2,840(4)	2,694 (3)
(ii) **कर-भिन्न राजस्व**	18,603(13)	15,714(11)	13,653(10)	18,755(10)	20,565 (10)
(iii) **संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा**	41,853(30)	36,049(26)	35,576(27)	54,031(29)	57,231 (29)
(iv) **भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान**	20,037(15)	29,106(21)	24,796(18)	36,326(20)	29,846 (16)
2. **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**20**	**20**	**14**	**31**	**16**
3. **ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां**	**15,158**	**15,670**	**373**	**2,374**	**420**
4. **कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ** (1+2+3)	**1,53,051**	**1,55,804**	**1,34,695**	**1,86,325**	**1,95,424**
5. **लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**37,847**	**44,757**	**66,480**	**62,821**	**55,647**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	35,205(93)	40,548(91)	59,344(89)	53,485(85)	48,563 (87)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,642(7)	4,209(9)	7,136(11)	9,336(15)	7,084 (13)
6. **समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ** (4+5)	**1,90,898**	**2,00,561**	**2,01,175**	**2,49,146**	**2,51,071**
7. **आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**
8. **लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**1,70,528**	**1,93,165**	**2,08,447**	**2,51,295**	**2,43,204**
9. **राज्य की कुल प्राप्तियाँ** (6+7+8)	**3,61,426**	**3,93,726**	**4,09,622**	**5,00,941**	**4,94,275**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. **राजस्व व्यय**	**1,66,773**	**1,76,485**	**1,78,309**	**2,09,790**	**2,26,479**
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	54,364(33)	56,186(32)	60,144 (34)	65,406 (31)	71,875 (32)
सामाजिक सेवायें	65,687(39)	68,313(39)	74,009(41)	85,054(41)	90,168 (40)
आर्थिक सेवायें	46,722(28)	51,986(29)	44,156(25)	59,330(28)	64,436 (28)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-[4]	-[4]	-[4]	-[4]	-[4]
11. पूंजीगत व्यय	**19,638**	**14,718**	**15,271**	**24,152**	**19,798**
सामान्य सेवायें	588(3)	463(3)	398(3)	484(2)	542 (3)
सामाजिक सेवायें	6,913(35)	5,490(37)	7,642(50)	10,951(45)	8,851 (45)
आर्थिक सेवायें	12,137(62)	8,765(60)	7,231(47)	12,717(53)	10,405 (52)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**1,113**	**2,255**	**491**	**621**	**175**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**1,87,524**	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**16,915**	**18,616**	**17,539**	**17,586**	**20,819**
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	16,137(95)	17,782(96)	16,632(95)	16,467(94)	19,409 (93)

3. 2018-19: ₹ 0.23 लाख, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 0.04 लाख,2021-22: ₹ 0.19 लाख और 2022-23: ₹ 0.06 लाख
4. 2018-19: ₹ 0.09 करोड़, 2019-20: ₹ 0.07 करोड़, 2020-21: ₹ 0.07 करोड़, 2021-22: ₹ 0.04 करोड़ और 2022-23: ₹ 0.04 करोड़ ।

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	–	–	–	–	–
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	778(5)	834(4)	907(5)	1,119(6)	1,410 (7)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**2,04,439**	**2,12,074**	**2,11,610**	**2,52,149**	**2,67,271**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**–**	**–**	**–**	**500**	**–**
18. लोक लेखा संवितरण	**1,60,570**	**1,79,741**	**1,99,229**	**2,40,110**	**2,34,001**
19. **राज्य द्वारा कुल संवितरण** (16+17+18)	**3,65,009**	**3,91,815**	**4,10,839**	**4,92,759**	**5,01,272**
भाग ग: घाटा					
20. **राजस्व घाटा**)/(-**राजस्व अधिशेष** (+) (1-10)	(-) **28,900**	(-) **36,371**	(-) **44,001**	(-) **25,870**	(-) **31,491**
21. **राजकोषीय घाटा** (-)/**राजकोषीय अधिशेष** (+) (4-13)	(-) **34,473**	(-) **37,654**	(-) **59,376**	(-) **48,238**	(-) **51,028**
22. **प्राथमिक घाटा** (21+23)	(-) **12,778**	(-) **14,011**	(-) **34,174**	(-) **20,138**	(-) **20,426**
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. **ब्याज भुगतान** (**राजस्व व्यय में शामिल**)	21,695	23,643	25,202	28,100	30,602
24. **स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता**	**34,862**	**41,025**	**39,745**	**49,127**	**49,443**
25. **मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग** (**दिनों में**)	**–**	**04**	**99**	**143**	**273**
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	–	04	99	143	273
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	–	–	–	–	–
26. **मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज**	**–**	**0.29**	**13.85**	**25.02**	**113.09**
27 **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (**जीएसडीपी**)[@]	**9,11,519**	**9,98,679**	**10,19,442** [Σ]	**12,18,193**[£]	**14,13,620**[##]
28 **बकाया राजकोषीय देयताएं** (वर्ष के अंत मे)	**3,11,374**	**3,52,702**	**4,10,500**[$]	**4,62,845**[$$]	**5,05,574**[$$]
29. **बकाया प्रतिभूतियां** (वर्ष के अंत मे) (ब्याज सहित)	**70,430**	**80,631**	**82,612**	**95,868**	**1,04,832**
30. **दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि** (वर्ष के अंत में)	**1,31,026**	**1,44,676**	**1,56,822**	**1,72,684**	**2,01,008**
31. **अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या**	**279**	**329**	**-***	**-***	**347**
32. **अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी**	**26,409**	**31,374**	**-***	**-***	**30,669**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचक (***प्रतिशतता में***)					
I ***संसाधन गतिशीलता***					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.3	5.9	5.9	6.1	6.2
स्व कर-भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	2.0	1.6	1.3	1.5	1.5
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	6.8	6.5	5.9	7.4	6.2
II ***व्यय प्रबंधन*** (***प्रतिशतता में***)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	20.6	19.4	19.0	19.3	17.4
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	136.0	138.1	144.5	127.5	126.4
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**88.9**	**91.2**	**91.9**	**89.4**	**91.9**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**35.0**	**35.3**	**38.1**	**36.3**	**36.6**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**24.9**	**26.9**	**22.8**	**25.3**	**26.1**
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	**10.5**	**7.6**	**7.9**	**10.3**	**8.0**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	**10.2**	**7.4**	**7.7**	**10.1**	**7.8**
III **राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन**					
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/जीएसडीपी	(-) 3.2	(-) 3.6	(-) 4.3	(-)2.1	(-) 2.2
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	(-) 3.8	(-) 3.8	(-) 5.8	(-) 4.0	(-) 3.6
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.4	(-) 1.4	(-) 3.4	(-) 1.7	(-) 1.4
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	83.8	96.6	74.1	53.6	61.7
IV **राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन**					
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	**34.16**	**35.32**	**39.82**[5]	**37.02**[6]	**34.92**
राजकोषीय देयताएं /राजस्व प्राप्तियां	**225.8**	**251.7**	**305.6**	**251.7**	**259.2**

5. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।
6. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	**95.9**	**92.6**	**88.8**	**92.9**	**96.9**
V **अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक**					
निवेश पर प्रतिलाभ	**0.1**	**0.1**	**0.01**	**0.15**	**0.05**
वित्तीय परिसंपत्तियां /देयताएं	**0.69**	**0.62**	**0.57**	**0.56**	**0.54**

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष के योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

Σ *संशोधित अनुमान-II,* ***£*** *संशोधित अनुमान-I एवं ## अग्रिम अनुमान*

* *राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।*

$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं ₹ 4,05,896 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

$$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 4,50,973 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 लिए ₹ 4,93,702 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 65)

ऋण की शब्दावली

मद	अर्थ क्या है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने की सुविधा है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति है । कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य साधन है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्प कालिक (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ ट्रेज़री बिल कहा जाता है) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है) होती है । भारत में केंद्र सरकार, ट्रेज़री बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है ।
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियां है। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट पर बेचा जाता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिससे निवेशक अपना पैसा बनाते है। वर्तमान में 91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल सक्रिय हैं ।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां है। उनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन,चार, पाँच, सात और दस वर्ष हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बांड 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्धकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट – 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ सं. 83)

बजट संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. '**वर्ष के लेखे या वास्तविक**' – 1 अप्रैल से शुरु होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशियां है, जो अन्तिम रुप से लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखों से है।

2. '**योजना, प्रस्ताव या कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति**'- व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई औपचारिक स्वीकृति है जिसे बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया। यह उस सम्बंधित वर्ष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति के रुप में संचालित होता है ।

3. '**वार्षिक वित्तीय विवरण**' - ,इस का अर्थ संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण से है, जिसे बजट के रुप में भी जाना जाता है।

4. '**विनियोग**'- का अर्थ विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि संवितरण अधिकारी जिसके निपटान हेतु रखा जाता है।

5. '**प्रभारित व्यय**'- का अर्थ ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना हैं।

6. '**भारत/राज्य की समेकित निधि**' - संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व ,इसके द्वारा एकत्र किये गये ऋण और भारत/राज्य के समेकित निधि से ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त समस्त राशि से है । इस कोष से, राशि को कानून के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके तथा उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

7. '**आकस्मिकता निधि**' - एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रुप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अग्रिम प्रदान करता है। जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्रधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात की जाती है।

8. '**नियंत्रण अधिकार (बजट)**- का अर्थ है कि एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।

9. '**आहरण एवं संवितरण अधिकारी(डी.डी.ओ)**- का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस मद में विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वंय ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।

10. '**आधिक्य अनुदान**'- आधिक्य अनुदान का अर्थ मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि ,जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/राज्य विधानसभा के द्वारा आधिक्य अनुदान के नियमन की आवश्यकता होती है।

11. '**नई सेवा**'- संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ)/205(1)(अ)के अनुसार ,नई सेवा का अर्थ एक नई गतिविधि या नए निवेश के रुप सहित एक नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय से है जिसे पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया।

12. '**सेवा का नया साधन**'- का अर्थ मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अधिक व्यय से है।

13. '**लोक लेखा**'- का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(6) में संदर्भित लोक लेखा से है। लोक लेखा मे प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है,शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है ,क्योकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई राशियाँ नहीं हैं।

14. '**पुनर्विनियोजन**'-का अर्थ किसी अनुदान/प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गए हस्तानान्तरण से है।

15. '**संशोधित अनुमान**'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है जिसे उस वर्ष के लिए पहले से दर्ज किये गए लेन देनों के सन्दर्भ में और पहले से जारी आदेशों के अनुसरण में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान के परिपेक्ष्य में संरूपित किया गया हैं।

16. '**अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगे**'- का अर्थ विधयिका के समक्ष रखे गए अनुपूरक मांगों के विवरण से है,जो किसी वित्तीय विवरण में अधिकृत व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय की राशि को दर्शाता है। अनुपूरक की मांग टोकन,तकनीकी या मूल/नगदी हो सकती है।

 अ) **नगद अनुपूरक** मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है तथा माँग/अनुदान के लिए आंवटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रुप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में ,इस पद्धति का अनुसरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

 ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते है अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्राभरित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक** राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी एक खण्ड के लिए किसी अन्य खण्ड की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता हैं।

 स) **टोकन अनुपूरक** अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।

17. '**मुख्य शीर्ष**'- राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य लेखा शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष,सामान्यतः समेकित निधि के तहत आने वाले, सरकार के एक 'कार्यकलाप' जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से समन्धित होता है।

18. '**उप मुख्य शीर्ष**'- का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे लघुशीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य होते है तो उन्हे इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सरलता से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।

19. '**लघु शीर्ष**'- का अर्थ है एक मुख्य शीर्ष या एक उप मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।

20. '**उप-शीर्ष**'- का अर्थ लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है। जो कि लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अधीन योजना या संगठन को सामान्यतया इंगित करती है।

21. '**मुख्य कार्य**'- का अर्थ मूल कार्य से है जिसकी विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त अनुमानित लागत राशि सरकार द्वारा समय.समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।

22. **'लघु कार्य'**- का अर्थ मूल कार्य से है जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।

23. **'संशोधित अनुदान या विनियोग'**- का अर्थ किसी विनियोग के उप शीर्ष को आवंटित राशि से है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन या अतिरिक्त स्वीकृत या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।

24. **'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'**- का अर्थ उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल प्रावधान से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान है।

25. **'नये व्यय की अनुसूची'**- का अर्थ नये व्यय हेतु आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों का विवरण से है।

26. **'टोकन मांग'**- का अर्थ विधानसभा से एक मामूली या टोकन राशि की मांग से है । जिसे,उदाहरण के लिये स्वीकृत बजट अनुदान के समक्ष बचत में से नयी सेवा हेतु सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने का प्रस्ताव है।

27. **'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'**- ब्याज भुगतान /[(पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि +वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 89)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	लोक ऋण	6004-09-101-02-14 राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (जाइका)	28.27	1.72	(+)38.26	68.25	77.26	(+) 9.01
2	21-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-II (विश्व बैंक)	897.00	0.00	(-)692.61	204.39	203.34	(-)1.05
3	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-101-09-01 निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय	208.00	0.00	(-) 68.86	139.14	124.58	(-)14.56
4		2202-01-113-01-01 समग्र शिक्षा पर व्यय – सामान्य	6,765.50	1,708.85	(-)1406.08	7,068.27	6,272.48	(-) 795.79
5		2202-01-113-02-01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी) पर व्यय	54.20	0.00	(-)15.77	38.43	36.29	(-) 2.14
6		2202-01-800-14 शिक्षा का अधिकार - के अंतर्गत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण - सामान्य व्यय	320.00	0.00	(-) 63.06	256.94	254.84	(-) 2.10
7		2202-03-102-20-02 जय-नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	114.00	0.00	(+) 15.34	129.34	143.00	(+) 13.66
8	38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	2402-196-01-01 स्थापना व्यय	30.00	11.21	(-)0.90	40.31	36.83	(-) 3.48
9	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष घटक योजना	2202-01-113-01-02 समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना पर व्यय	1,795.05	0.00	(-)192.24	1,602.81	1,578.24	(-)24.57
10		2202-01-789-07-01 निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय	52.00	0.00	(-) 21.62	30.38	26.86	(-)3.52
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
11	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-203-09-01 हरिदेव जोशी जनसंपर्क एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय	70.00	0.00	(-)1.23	68.77	70.00	(+) 1.23
12	30-जनजाति क्षेत्र विकास	2202-01-113-01-03 समग्र शिक्षा अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय	1,398.55	0.00	(+) 21.24	1,419.79	1,144.64	(-)275.15
13	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-102-11-04 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल आपूर्ति	50.00	0.00	(+) 1.58	51.58	41.13	(-)10.45
14		2245-02-122-02-01 बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं निर्माण कार्यों के लिए सहायता	20.00	0.00	(+) 0.49	20.49	16.48	(-) 4.01
15	46-सिंचाई	2700-02-001-05-01 दायीं मुख्य नहर से स्थानांतरित प्रोरेटा- प्रतिबद्ध	0.01	0.00	(+) 1.13	1.13	0.00	(-)1.13
16		2700-02-800-03 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	69.96	0.00	(+) 9.91	79.87	67.91	(-) 11.96
17		2700-05-001-01-01 इंदिरा गांधी नहर फीडर - प्रतिबद्ध	9.94	0.00	(-)0.69	9.25	10.51	(+) 1.26

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
18	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-02 अन्य शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ	388.23	0.00	(+) 65.13	453.36	440.80	(-)12.56
19		4215-01-102-01-49 ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में वाटर प्युरिफ़िकेशन कार्यक्रम	0.00	0.01	(+) 5.90	5.90	0.00	(-) 5.90
20	30- जनजाति क्षेत्र विकास	2202-01-796-08-03 मां-बाडी केन्द्रों का संचालन	96.00	0.00	(+) 9.99	105.99	104.74	(-)1.25
21	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-05 कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान वाली फसलों के लिए लघु और सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान	130.00	0.00	(+) 82.41	212.41	174.48	(-) 37.93
22		2245-01-800-03-06 लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान	207.60	0.00	(+)123.10	330.70	264.66	(-) 66.04
23		2245-02-114-09-01 लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान -बाढ़	50.00	0.00	(+)185.16	235.16	184.73	(-) 50.43
24		2245-02-114-10-01 लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषको को बाढ़ से फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान	50.00	0.00	(+) 87.73	137.73	107.51	(-)30.22
25	41-सामुदायिक विकास	2515-197-01-01 स्थापना	906.12	0.00	(+)175.83	1081.95	1079.46	(-) 2.49
26		2515-197-18-01 स्थापना व्यय हेतु अनुदान	100.00	0.00	(+) 12.34	112.34	111.27	(-)1.07

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट -3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां बचतें कुल प्रावधानो में से ₹ 100 करोड़ से अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें/आधिक्य
	राजस्व प्रभारित							
1.	2049-ब्याज अदायगियां	28,838.11	1,895.17	30,733.28	30,601.90	131.38	134.89	(+) 3.51
	राजस्व दतमत							
2.	8-राजस्व	1,068.94	0	1,068.94	850.68	218.25	218.23	(-) 0.02
3.	9-वन	1,006.01	0	1,006.01	882.34	123.67	123.60	(-) 0.07
4.	12-अन्य कर	1,088.54	190.79	1,279.33	1,161.10	118.23	119.14	(+) 0.91
5.	14-बिक्री कर	1,533.47	0	1,533.47	968.79	564.69	564.69	0.00
6.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	24,429.16	1,312.04	25,741.20	25,361.98	379.22	132.58	(-)246.64
7.	16-पुलिस	8,095.05	414.67	8,509.72	7,907.96	601.76	609.37	(+) 7.61
8.	23-श्रम तथा रोजगार	1,430.23	180.00	1,610.23	1,360.77	249.46	249.37	(-) 0.09
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	39,354.29	2,289.29	41,643.58	37,362.42	4,281.16	3,481.00	(-)800.16
10.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	13,358.78	0	13,358.78	11,771.45	1,587.33	1,586.13	(-)1.20
11.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,159.05	182.83	1,341.88	609.77	732.11	716.51	(-)15.60
12.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,828.13	1,132.30	5,960.43	5,092.19	868.24	868.24	0.00
13.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	20,399.91	89.01	20,488.92	18,086.88	2,402.04	2,209.45	(-)192.59
14.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,383.33	2,569.48	13,952.81	12,890.79	1,062.03	1,061.70	(-)0.33
15.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	4,158.77	300.38	4,459.15	2,946.58	1,512.57	1,293.42	(-)219.15
16.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	604.00	165.85	769.85	605.97	163.88	163.88	0
17.	36- सहकारिता	1,686.51	0	1,686.51	1,241.83	444.68	444.65	(-) 0.03
18.	37-कृषि	4,785.44	0	4,785.44	3,571.63	1,213.81	1,213.79	(-) 0.02
19.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2,120.93	109.93	2,230.86	2,126.95	103.91	103.90	(-) 0.01
20.	41-सामुदायिक विकास	9,909.98	0	9,909.98	6,054.43	3,855.55	3,847.65	(-) 7.90
21.	46-सिंचाई	2,701.40	0	2,701.40	2,438.69	262.70	260.41	(-) 2.29
22.	50-ग्रामीण रोजगार	5,332.24	0	5,332.24	3,406.17	1,926.07	1,926.07	0.00
23.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	23,674.91	117.00	23,791.91	21,319.60	2,472.31	2,449.29	(-)23.02
	पूंजीगत दत्तमत्त							
24.	05-प्रशासनिक सेवाएँ	360.00	0	360.00	0	360.00	360.00	0.00
25.	19-लोक निर्माण कार्य	1,994.20	59.13	2,053.33	1,310.50	742.83	734.77	(-)8.06
26.	21-सड़कें एवं पुल	5,851.86	0	5,851.86	4,574.41	1,277.45	1,278.58	(+) 1.13
27.	22-क्षेत्र का विकास	254.51	0	254.51	141.37	113.14	113.10	(-) 0.04
28.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,230.44	405.15	1,635.59	1,072.28	563.31	564.54	(+) 1.23
29.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	862.12	600.04	1,462.16	743.29	718.88	717.87	(-)1.01
30.	27-पेयजल योजना	4,616.97	0	4,616.97	1,664.70	2,952.28	2,908.63	(-)43.65

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें/आधिक्य
31.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,549.82	1,290.34	2,840.16	1,952.44	887.72	890.51	(+) 2.79
32.	30- जनजाति क्षेत्र विकास	6,054.61	300.00	6,354.61	3,669.72	2,684.89	2,678.49	(-)6.40
33.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	858.27	1,340.00	2,198.27	371.22	1,827.05	1,827.05	0.00
34.	37-कृषि	335.00	0	335.00	189.47	145.56	145.56	0.00
35.	43-खनिज	620.30	0	620.30	412.00	208.30	208.30	0.00
36.	46-सिंचाई	3,373.79	0	3,373.79	2,230.99	1,542.90	1,543.15	(+) 0.25
37.	48- विद्युत्	1,690.74	0	1,690.74	733.01	957.73	957.73	0.00
38.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,762.68	410.00	7,172.68	4,026.70	3,145.98	3,142.93	(-)3.05
	कुल	**2,49,362.49**	**15,353.40**	**2,64,715.89**	**2,21,712.97**	**43,403.07**	**41,849.17**	**(-)1,553.90**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 92)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनाभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनाभ्यर्पित राशि
राजस्व दतमत				
1.	15-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	379.22	132.58	246.64
2.	17-कारागार	14.42	11.35	3.07
3.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4,281.16	3,481.00	800.16
4.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1,587.33	1,586.13	1.20
5	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	732.11	716.51	15.60
6.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,402.04	2,209.45	192.59
7.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,512.57	1,293.42	219.15
8.	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	7.79	4.25	3.54
9.	41-सामुदायिक विकास	3,855.55	3,847.65	7.90
10.	46-सिंचाई	262.70	260.41	2.29
11.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,472.31	2,449.29	23.02
पूंजीगत दतमत				
12.	16-पुलिस	63.34	48.95	14.39
13.	19-लोक निर्माण कार्य	742.83	734.77	8.06
14.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	718.88	717.87	1.01
15.	27-पेयजल योजना	2,952.28	2,908.63	43.65
16.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,684.89	2,678.49	6.40
17.	41-सामुदायिक विकास	11.68	9.97	1.71
18.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	3,145.98	3,142.93	3.05
	कुल	**27,827.08**	**26,233.65**	**1,593.43**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 96)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 1 करोड़ या अधिक का पूरा प्रावधान अनुप्रयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	सार्वजनिक ऋण	6004-09-101-02-13 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (एडीबी)	38.07	38.07	0.00
2.	5-प्रशासनिक सेवाएँ	4070-800-01-01 हेलीकाप्टर/हवाई जहाज संबंधी व्यय	360.00	0.00	0.00
3.	8-राजस्व	2029-103-07 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	1.00	0.75	0.00
4.	9-वन	4406-02-112-03-01 प्राकृतिक अनुभव केन्द्र-वन विभाग के माध्यम से	5.00	₹1000	0.00
5.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	4250-800-03 विभाग के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए निर्माण कार्य	1.85	2.00	0.00
6.	19-लोक निर्माण विभाग	4059-80-051-03-02 राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	11.08	2.00	0.00
7.		4210-03-101-01-90 निर्माण कार्य	2.30	0.15	0.00
8.	21-सड़कें एवं पुल	3054-04-105-01-01 महानगरों के अतिरिक्त शहरी सडकों का संधारण, जीर्णोधार एवं पुनरूद्धार	274.76	0.00	0.00
9.	22-क्षेत्र का विकास	4575-02-800-02-01 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन)	61.20	0.00	0.00
10.		4575-06-800-01 ज़िला परिषद के लिए (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	46.71	0.00	0.00
11.	23-श्रम एवं रोजगार	2230-03-101-04-01 कौशल संवर्धन	26.00	9.00	.00
12.		3475-191-02-01 विकास कार्य	12.34	₹2000	0.00
13.		3475-192-02-01 विकास कार्य	27.46	₹2000	0.00
14.	25-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	5475-190-05-01 राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड में निवेश	3.00	₹1000	0.00
15.	26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई	2210-04-800-01-01 आयुर्वेद विभाग	74.88	74.88	0.00
16.		2211-200-01 परंपरागत गर्भनिरोधक	14.00	0.00	0.00
17.		2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	47.61	38.85	0.00
18.		2211-800-10-01 मुख्यमंत्री चिंरजीवी ममता एक्सप्रेस	19.61	0.00	0.00
19.		4210-01-110-16-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (एनयूएचएम)	7.21	6.85	0.00
20.		4210-01-789-08-01 शुद्ध के लिये युद्ध अभियान - स्वाद्य सुरक्षा निदेशालय जयपुर	3.41	0.00	0.00
21.		4210-03-105-11-01 नये चिकित्सा महाविधालय हेतु पूंजीगत व्यय	118.15	118.15	0.00
22.		4210-03-105-13-01 चिकित्सा महाविधालय, बीकानेर	7.28	5.08	0.00
23.		4210-03-105-13-02 झालावाड़ अस्पताल और चिकित्सा महाविधालय	18.37	18.37	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
24.	26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई	4210-03-105-14-01 चिकित्सा महाविधालय, बीकानेर	1.74	1.80	0.00
25.		4210-03-105-15-06 नए चिकित्सा महाविधालय के लिए पूंजीगत व्यय	109.98	109.98	0.00
26.		4210-03-105-16-01 चिकित्सा महाविधालय, उदयपुर	4.35	₹2000	0.00
27.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-86 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	19.04	0.00	0.00
28.		4215-01-101-01-67 बोरावास मंडाना जल आपूर्ति योजनाएँ	10.76	0.00	0.00
29.		4215-01-101-11-12 शहरी जलप्रदाय योजना उदयपुर के लिए जयसमंद पेयजल संवर्धन योजना	4.57	₹1000	0.00
30.		4215-01-101-11-13 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	42.79	0.00	0.00
31.		4215-01-101-11-15 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 गांव एवं चूरू-बिसाऊ परियोजना की पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना (शहरी भाग)	17.25	0.00	0.00
32.		4215-01-102-01-12 जवाई-पाली-जालौर जल आपूर्ति योजना (जवाई -जोधपुर पाइपलाइन परियोजना) (नाबार्ड)	22.20	₹1000	0.00
33.		4215-01-102-01-20 फ्लोराइड कण्ट्रोल प्रोजेक्ट भिनाई -मसुदा - चरण- II	1.07	₹1000	0.00
34.		4215-01-102-01-61 गरडदा पेयजल परियोजना	30.92	0.00	0.00
35.		4215-01-102-01-70 नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएँ (आरआईडीएफ XXI)	26.50	0.00	0.00
36.		4215-01-102-01-73 नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएँ (आरआईडीएफ XXIV)	47.08	0.00	0.00
37.		4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियाँ	88.50	0.00	0.00
38.		4215-01-102-99-04 चम्बल- धौलपुर - भरतपुर जल आपूर्ति योजना	1.21	₹1000	0.00
39.		4215-01-102-99-05 बीसलपुर- दुदू- फुलेरा पेयजल परियोजना	10.60	₹1000	0.00
40.		4215-01-102-99-06 चूरू -झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	12.74	₹1000	0.00
41.		4215-01-102-99-08 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)	8.83	₹1000	0.00
42.		4215-01-102-99-10 क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर जवाजा	44.17	₹1000	0.00
43.		4215-01-102-99-11 गागरिन पेयजल परियोजना	12.74	₹1000	0.00
44.		4215-01-102-99-12 बारां क्लस्टर परियोजना	8.83	₹1000	0.00
45.		4215-01-102-99-13 चम्बल- भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	125.26	₹1000	0.00
46.		4215-01-102-99-14 चम्बल- भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम-चरण भाग-द्वितीय(नाबार्ड)	22.09	₹1000	0.00
47.		4215-01-102-99-15 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	9.75	₹1000	0.00
48.		4215-01-102-99-16 नर्मदा डी आर क्लस्टर (नाबार्ड)	17.13	₹1000	0.00
49.		4215-01-102-99-17 बाड़मेर जिले की शिव तहसील हेतु नर्मदा जल आपूर्ति योजना (नाबार्ड)	8.83	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
50.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-99-18 भीनमाल एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	26.50	₹1000	0.00
51.		4215-01-102-99-20 जवाई क्लस्टर परियोजना, भाग चतुर्थ	22.09	₹1000	0.00
52.		4215-01-102-99-23 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	8.83	₹1000	0.00
53.		4215-01-102-99-24 बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	26.50	₹1000	0.00
54.		4215-01-102-99-25 झुझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चूरू-बिसाऊ परियोजना	17.67	₹1000	0.00
55.		4215-01-102-99-26 बीसलपुर-चाकसू परियोजना	13.25	₹1000	0.00
56.		4215-01-102-99-27 बीसलपुर फागी परियोजना	4.42	₹1000	0.00
57.		4215-01-102-99-28 अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	6.63	₹1000	0.00
58.		4215-01-102-99-30 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	132.52	₹1000	0.00
59.		4215-01-102-99-31 पाली जिले की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों को जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी जल वितरण जलाशय से क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना .	13.25	₹1000	0.00
60.		4215-01-102-99-32 चंबल- भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना ।	47.79	₹1000	0.00
61.		4215-01-102-99-33 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	132.52	₹1000	0.00
62.		4215-01-102-99-35 बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे एवं डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के 108 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	26.50	₹1000	0.00
63.		4215-01-102-99-36 खाजूवाला विधान सभा की पेयजल परियोजना	22.09	₹1000	0.00
64.		4215-01-102-99-37 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग) पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना ,	8.83	₹1000	0.00
65.		4215-01-102-99-38 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे एवं 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	8.83	₹1000	0.00
66.		4215-01-102-99-39 सिरोही जिले के बत्तीशा नाला बांध से एचएफटीसी उपलब्ध कराने की परियोजना	8.83	₹1000	0.00
67.		4215-01-102-99-40 सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के 70 गांवों को जवाई बांध से एचएचटीसी उपलब्ध करना, बत्तीशा नाला बांध से एचएफटीसी प्रदान कराया जाना	8.83	₹1000	0.00
68.		4215-01-102-99-41 जोधपुर जिले की जल प्रदाय योजना,भेर- हरलाया (भाग I) से एचएफटीसी उपलब्ध कराये जाने की परियोजना	22.09	₹1000	0.00
69.		4215-01-102-99-42 चित्तौड़गढ़ जिले के भेंससरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	6.65	₹1000	0.00
70.		4215-01-102-99-43 चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना	39.75	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
71.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-99-44 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	26.50	₹1000	0.00
72.		4215-01-102-99-45 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन सरंचना एवं केकड़ी-सरवाड़ पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण	15.93	₹1000	0.00
73.		4215-01-102-99-46 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग – अ	10.51	₹1000	0.00
74.	28-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-08-03 राजीव गांधी जल संचय योजना	182.83	300.00	0.00
75.		2501-06-196-10-01 अनुदान (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना)	50.00	₹2000	0.00
76.		2515-196-05-01 कार्यकलाप सम्बन्धी	15.82	0.00	0.00
77.	29-नगरीय योजना एवं क्षेत्रीय विकास	2217-05-190-03-01 जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1.65	0.00	0.00
78.		2217-80-191-49-01 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रौशनी (सामान्य)	35.72	35.72	0.00
79.		2217-80-191-50-13 प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)	5.41	1.88	0.00
80.		2217-80-191-50-16 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	20.72	7.21	0.00
81.		2217-80-192-53-01 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रौशनी (सामान्य)	32.97	32.97	0.00
82.		2217-80-192-55-07 प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नेदानिक बुनियादी ढ़ाचा हेतु सहायता (सामान्य)	13.69	17.22	0.00
83.		2217-80-192-55-10 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	52.43	65.94	0.00
84.		2217-80-797-04-01 राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10)में अन्तरण(सामान्य)	50.00	68.69	0.00
85.		4217-60-051-04-01 टाउन हॉल ~~का~~ निर्माण – स्वायत शासन विभाग	2.75	0.00	0.00
86.		4217-60-051-08-01 राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना – एलएसजी के माध्यम से	50.00	0.00	0.00
87.		4217-60-051-10-01 स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0	37.87	48.71	0.00
88.		5055-800-03-01 परिवहन विभाग	1.37	1.37	0.00
89.		2202-01-796-16-01 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	1.90	₹1000	0.00
90.		2202-02-796-27-01 सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता	1.75	0.00	0.00
91.		2202-02-796-28-01 जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों में अध्ययन की सुविधा	17.50	₹2000	0.00
92.		2202-03-796-09 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान -अनुसूचित जनजातियों के लिए	2.41	1.79	0.00
93.		2203-796-09-01 शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम	3.00	0.00	0.00
94.		2210-04-796-01-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	14.70	14.70	0.00
95.		2211-796-07-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	9.34	7.22	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
96.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2211-796-15-01 मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस	3.85	0.00	0.00
97.		2217-80-191-49-03 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टीएसपी)	7.01	7.01	0.00
98.		2217-80-191-50-18 शहरी स्वास्थ्य और निदान केंद्रों के लिए अनुदान (टीएसपी)	4.07	1.41	0.00
99.		2217-80-192-53-03 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टीएसपी)	6.47	6.47	0.00
100.		2217-80-192-55-09 प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु सहायता	2.69	3.38	0.00
101.		2217-80-192-55-12 शहरी स्वास्थ्य और निदान केंद्रों के लिए अनुदान (टीएसपी)	10.29	12.94	0.00
102.		2217-797-04-03 राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10)में अन्तरण टीएसपी)	20.00	13.48	0.00
103.		2225-02-796-23-01 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत संचालित योजना	5.00	0.00	0.00
104.		2401-196-07-03 जल आयोजना हेतु अनुदान	204.00	0.00	0.00
105.		2401-196-08-32 कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान	18.00	0.00	0.00
106.		2401-196-08-34 भूमिहीन मजदूरों को सहायता	18.00	0.00	0.00
107.		2401-196-08-35 जैविक खेती के लिए सहायता	1.80	0.00	0.00
108.		2401-796-51-09 ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहायता	13.00	0.00	0.00
109.		2401-796-64-12 डेयरी विभाग के माध्यम से	4.50	0.00	0.00
110.		2401-796-64-13 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	3.60	0.00	0.00
111.		2403-796-17-01 पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाइल वेटेनरी यूनिट)	6.36	1.00	0.00
112.		2501-06-196-10-02 अनुदान	20.00	₹2000	0.00
113.		2515-196-05-02 कार्यात्मक संबंधी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	4.46	0.00	0.00
114.		2515-196-42-02 कार्यात्मक/गतिविधियाँ	9.10	7.00	0.00
115.		2515-198-34-02 कार्यात्मक/गतिविधियाँ	107.12	₹1000	0.00
116.		2700-80-796-01-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से	1.62	0.00	0.00
117.		2801-80-796-03-01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	86.79	₹1000	0.00
118.		2801-80-796-03-02 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	62.80	₹1000	0.00
119.		2801-80-796-03-03 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	80.58	₹1000	0.00
120.		2801-80-796-04-01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	3.36	₹1000	0.00
121.		2801-80-796-06-03 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2.38	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
122.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3054-04-796-01-01 महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण ,जीर्णोधार एवं पुनरुधार	53.92	0.00	0.00
123.		3454-02-796-02-36 स्टार्ट-अप्स	2.80	2.80	0.00
124.		3454-02-796-14-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	38.00	28.00	0.00
125.		3475-191-02-03 विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	2.42	₹2000	0.00
126.		3475-192-02-03 विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	5.39	₹2000	0.00
127.		4202-01-796-04-90 निर्माण कार्य	15.27	0.40	0.00
128.		4202-01-796-14-01 मॉडल स्कूल - निर्माण कार्य	4.40	₹1000	0.00
129.		4202-01-796-16-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - निर्माण कार्य	3.62	2.88	0.00
130.		4202-01-796-19-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण	4.05	₹1000	0.00
131.		4202-01-796-20-01 समग्र शिक्षा में निर्माण कार्यों पर व्यय	26.00	23.42	0.00
132.		4210-01-796-02-01 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ के माध्यम से	3.12	0.00	0.00
133.		4210-03-796-03-01 चिकित्सा महाविधालय, बीकानेर	2.97	2.97	0.00
134.		4210-03-796-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविधालय	3.61	3.61	0.00
135.		4210-03-796-06-01 चिकित्सा महाविधालय, उदयपुर	1.50	₹2000	0.00
136.		4210-03-796-12-01 न्यू पब्लिक हेल्थ कॉलेज	10.00	₹2000	0.00
137.		4210-03-796-09-02 नवीन चिकित्सा महाविधालयों के लिए पूंजीगत व्यय	16.50	27.26	0.00
138.		4215-01-796-01-81 गरदडा पेयजल परियोजना	5.82	0.00	0.00
139.		4215-01-796-01-93 नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएँ (आरआईडीएफ XXIV)	8.89	0.00	0.00
140.		4215-01-796-02-17 बोरावास-मंडाना जल प्रदाय योजना	2.03	0.00	0.00
141.		4215-01-796-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	3.60	0.00	0.00
142.		4215-01-796-02-65 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	8.05	0.00	0.00
143.		4215-01-796-02-67 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (शहरी भाग) की पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण,	3.25	0.00	0.00
144.		4215-01-796-04-03 बीसलपुर -दुदू- फुलेरा पेयजल परियोजना	1.99	₹1000	0.00
145.		4215-01-796-04-04 चूरू -झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	2.40	₹1000	0.00
146.		4215-01-796-04-06 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)	1.66	₹1000	0.00
147.		4215-01-796-04-08 क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा	8.31	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
148.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-01-796-04-09 गागरीन पेयजल परियोजना	2.40	₹1000	0.00
149.		4215-01-796-04-10 बारां क्लस्टर परियोजना	1.66	₹1000	0.00
150.		4215-01-796-04-11 चम्बल- भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	23.57	₹1000	0.00
151.		4215-01-796-04-12 चम्बल- धौलपुर - भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-II (नाबार्ड)	4.16	₹1000	0.00
152.		4215-01-796-04-13 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	1.83	₹1000	0.00
153.		4215-01-796-04-14 नर्मदा डीआर क्लस्टर (नाबार्ड)	3.22	₹1000	0.00
154.		4215-01-796-04-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील हेतु नर्मदा जल आपूर्ति योजना (नाबार्ड)	1.66	₹1000	0.00
155.		4215-01-796-04-16 भीनमाल एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	4.99	₹1000	0.00
156.		4215-01-796-04-18 जवाई क्लस्टर परियोजना, भाग IV	4.16	₹1000	0.00
157.		4215-01-796-04-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	1.66	₹1000	0.00
158.		4215-01-796-04-22 बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	4.99	₹1000	0.00
159.		4215-01-796-04-23 झुझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चूरू-बिसाऊ परियोजना	3.32	₹1000	0.00
160.		4215-01-796-04-24 बीसलपुर-चाकसू परियोजना	2.49	₹1000	0.00
161.		4215-01-796-04-26 अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	1.25	₹1000	0.00
162.		4215-01-796-04-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	24.93	₹1000	0.00
163.		4215-01-796-04-29 पाली जिले की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायत को जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी जल वितरण जलाशय से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	2.49	₹1000	0.00
164.		4215-01-796-04-30 चम्बल- भीलवाड़ा पेयजल परियोजना - प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिण्डोली-नैनवा पेयजल परियोजना	8.99	₹1000	0.00
165.		4215-01-796-04-31 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	24.93	₹1000	0.00
166.		4215-01-796-04-33 बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे एवं श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के 108 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	4.99	₹1000	0.00
167.		4215-01-796-04-34 बीकानेर जिले के खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना	4.16	₹1000	0.00
168.		4215-01-796-04-35 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.66	₹1000	0.00
169.		4215-01-796-04-36 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे एवं 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.66	₹1000	0.00
170.		4215-01-796-04-37 सिरोही जिले के बत्तीशा नाला बांध से एचएफटीसी उपलब्ध कराने के लिए परियोजना	1.66	₹1000	0.00
171.		4215-01-796-04-38 जिले की शिवगंज तहसील के 70 गांवों को जवाई बांध से एचएचटीसी उपलब्ध कराने हेतु	1.66	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
172.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-01-796-04-39 जोधपुर जिले की भेर हरलाया (भाग I) क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना से एचएफटीसी उपलब्ध कराने हेतु	4.16	₹1000	0.00
173.		4215-01-796-04-41 चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	4.75	₹1000	0.00
174.		4215-01-796-04-42 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना	4.99	₹1000	0.00
175.		4215-01-796-04-43 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन सरंचना एवं केकड़ी-सरवाड़ पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण	3.00	₹1000	0.00
176.		4215-01-796-04-44 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग – अ	1.98	₹1000	0.00
177.		4217-60-796-09-01 स्वायत शासन विभाग के माध्यम से	20.00	0.00	0.00
178.		4225-02-796-20-10 कार्यालय भवन का नवीनीकरण एवं निर्माण मय जनरेटर सेट	2.50	1.00	0.00
179.		4225-02-796-23-02 आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	0.00	0.00
180.		4236-02-796-02 आईसीडीएस मिशन मोड के अंतर्गत क्रेच निर्माण सहित आंगनबाडी केंद्रों का उन्नयन और रखरखाव	1.60	0.00	0.00
181.		4401-796-08 कृषक सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्र हेतु भवन निर्माण	9.00	0.00	0.00
182.		4403-796-04-01 नाबार्ड आरआईडीएफ टी-XXVII	2.00	0.00	0.00
183.		4403-796-06-01 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना	57.00	1.00	0.00
184.		4403-796-07-01 पशुपालन विभाग	1.00	0.00	0.00
185.		4406-02-796-05-01 वन विभाग के माध्यम से	2.00	₹1000	0.00
186.		4575-02-796-01-04 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन)	12.60	0.00	0.00
187.		4575-06-796-01 ज़िला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	9.63	0.00	0.00
188.		4700-44-796-01-01 निर्माण कार्य	110.00	100.00	0.00
189.		4853-01-796-04-02 खनन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	0.00	0.00
190.		5475-796-09-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	540.00	292.00	0.00
191.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2202-03-102-20-07 दिव्यांगजन विश्वविद्यालय	10.00	3.00	0.00
192.		2225-04-102-01-01 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु रोजगारोन्मुखी/स्व-रोजगार योजना	2.00	1.00	0.00
193.		2235-02-102-10-02 शिशुगृह/क्रेच का संचालन	1.20	1.00	0.00
194.		2235-02-103-21-01 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	1.38	1.17	0.00
195.		4235-02-800-10-01 लिफ्ट और रैंप आदि का निर्माण	2.00	₹ 1000	0.00
196.		4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन मोड के तहत आंगन बाड़ी केंद्र का निर्माण	5.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
197.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन मोड के तहत क्रेच निर्माण सहित आंगन बाड़ी केंद्र का उन्नयन और रखरखाव	5.00	₹ 1000	0.00
198.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-282-08-01 पुलिस महानिदेशक के माध्यम से	50.00	₹ 2000	0.00
199.		2245-02-282-08-02 महानिदेशक होम गार्ड के माध्यम से	50.00	₹ 2000	0.00
200.		2245-05-101-03-01 केंद्रीय हिस्सा	300.38	311.10	0.00
201.		2245-02-192-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों के लिए नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	2.00	₹ 2000	0.00
202.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता	6.00	₹ 2000	0.00
203.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों और शवों का निपटान	1.00	₹ 2000	0.00
204.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता आदि हटाने के लिए सहायता	1.00	₹ 2000	0.00
205.		2245-02-191-02-01 बाढ़ से प्रभावितों कार्यों के लिए नगर निगम को सहायता	1.00	₹ 2000	0.00
206.		2245-02-114-10-04 पाला	10.00	₹ 2000	0.00
207.		2245-02-114-10-05 शीत लहर	10.00	₹ 2000	0.00
208.		2245-02-114-11-01 कीट आक्रमण में व्यय	10.00	₹ 2000	0.00
209.		2245-02-114-09-04 पाला	10.00	₹ 2000	0.00
210.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी आदि की मरम्मत	10.00	₹ 2000	0.00
211.		2245-02-102-04-01 जन जल आपूर्ति	2.00	₹ 4000	0.00
212.		2245-02-102-04-02 पशुओं के लिए जल आपूर्ति	2.00	₹ 4000	0.00
213.		2245-02-104-02-01 आपदा प्रभावितों को चारे की आपूर्ति	2.00	₹ 2000	0.00
214.		2245-02-105-05-01 औषधियों और टीकों पर अतिरिक्त लागत	1.00	₹ 2000	0.00
215.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	2.00	0.80	0.00
216.		2245-02-101-16-02 विकलांग या दृष्टिहीन होने पर निःशुल्क राहत	1.00	₹ 2000	0.00
217.		2245-02-101-16-04 वृद्ध अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत	1.00	₹ 2000	0.00
218.		2245-02-101-16-07 जीवन बचाव हेतु नाव का किराया	2.00	₹ 4000	0.00
219.		2245-02-101-16-08 हवाई मार्ग से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति	1.00	₹ 2000	0.00
220.		2245-01-800-04-02 सम्बद्ध दलों /कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.00	0.40	0.00
221.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थान के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	0.40	0.00
222.		2245-01-105-04-01 औषधियों और टीकों पर अतिरिक्त लागत	2.00	₹ 2000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
223.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-27 कीट आक्रमण पर व्यय	10.00	₹ 2000	0.00
224.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	2.00	₹ 2000	0.00
225.		2245-01-102-11-02 शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति	1.20	₹ 4000	0.00
226.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जल आपूर्ति	1.00	₹ 2000	0.00
227.		2245-01-104-09-02 पशु आहार केंद्र	10.00	₹ 2000	0.00
228.		2245-01-101-14-02 वृद्ध अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत	1.00	₹ 2000	0.00
229.		2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति	14.00	₹ 4000	0.00
230.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	2047-800-02-01 राजस्व अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र(सी.ओ.इ. एवं आर.आर ए.)	9.86	1.74	0.00
231.		3454-02-203-01-32 सम्पर्क केन्द्र संचालन	2.72	0.92	0.00
232.		3454-02-203-09-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	162.00	136.00	0.00
233.		5475-800-08-25 वाई-फाई हॉटस्पॉट	5.10	0.00	0.00
234.		5475-800-22-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1940.00	704.00	0.00
235.		5475-800-23-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.50	0.00	0.00
236.	37-कृषि	2401-109-16-05 कृषि में ई-गवर्नेंस योजना	3.00	0.10	0.00
237.		2401-109-17-01 संचालन	5.00	₹ 3000	0.00
238.		2401-119-32 ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	70.00	0.00	0.00
239.		2401-119-36 सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	68.00	0.00	0.00
240.		2401-196-06-35 टिकाऊ कृषि मिशन - कृषि वानिकी	1.82	1.46	0.00
241.		2401-196-06-40 कृषि यंत्रों पर अनुदान	68.00	0.00	0.00
242.		2401-196-06-42 भूमिहीन श्रमिको को सहायता	68.00	0.00	0.00
243.		2401-196-06-43 जैविक खेती हेतु सहायता	6.80	0.00	0.00
244.		2401-800-02-01 सिंचाई जल का समुचित उपयोग	42.00	0.00	0.00
245.		2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	0.00	0.00
246.		2401-800-27-12 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	8.00	0.00	0.00
247.		2401-800-40-01 कृषि विभाग के माध्यम से	3.40	3.40	0.00
248.		4401-119-05-01 उद्यान विभाग के माध्यम से	3.45	0.75	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
249.	37-कृषि	4401-119-06-01 उद्यान विभाग के माध्यम से	3.45	0.00	0.00
250.		4401-800-02-01 भवन	2.10	2.10	0.00
251.		4401-800-02-05 किसानों हेतु सेवा केंद्र और ग्राम ज्ञान केंद्र भवन का निर्माण	36.00	0.00	0.00
252.		4401-800-03-04 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से	25.00	0.00	0.00
253.		4401-800-03-07 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	6.00	0.00	0.00
254.		4401-800-07-01 कृषि विभाग के माध्यम से	3.45	₹ 1000	0.00
255.	39- पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-101-29-01 पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (चल पशु चिकित्सा इकाई)	45.12	3.00	0.00
256.		4403-101-16-01 निर्माण कार्य	10.00	0.00	0.00
257.		4403-101-17-01 नाबार्ड आरआईडीएफ टी-XXVII	25.00	0.00	0.00
258.		4403-101-19-01 पशुपालन विभाग	2.50	0.00	0.00
259.	41-सामुदायिक विकास	2515-196-42-01 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	44.20	34.00	0.00
260.		2515-198-34-01 कार्यकलाप /गतिविधियाँ	543.53	₹ 1000	0.00
261.	42-उद्योग	2851-102-18-01 आयुक्त उद्योग विभाग	1.70	₹ 3500	0.00
262.	43-खनिज	4802-01-004-07-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं	5.00	0.00	0.00
263.	44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4058-103-01-02 आधुनिक मुद्रण मशीनरी	3.84	0.00	0.00
264.	46-सिंचाई	2700-05-101-03-01 अन्य रस्परस्राव व्यय - प्रतिबद्ध	1.50	1.50	0.00
265.		2700-80-001-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से	8.24	0.00	0.00
266.	50-ग्रामीण रोजगार	2505-02-101-02-01 सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी के लिए अनुदान	30.35	30.35	0.00
267.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-03-789-06 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान -अनुसूचित जातियों के लिए	3.37	2.51	0.00
268.		2203-789-08-01 शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम	4.50	0.00	0.00
269.		2210-04-789-01-01 आयुर्वेद विभाग	19.43	19.43	0.00
270.		2211-789-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	12.35	9.43	0.00
271.		2211-789-13-01 मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस	5.10	0.00	0.00
272.		2217-80-191-49-02 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एससीएसपी)	9.27	9.27	0.00
273.		2217-80-191-50-17 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	5.38	1.87	0.00
274.		2217-80-192-53-02 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एससीएसपी)	8.56	8.56	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
275.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष घटक योजना	2217-80-192-55-08 प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ (सामान्य), नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (एससीएसपी)	3.55	4.47	0.00
276.		2217-80-192-55-11 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	13.61	17.12	0.00
277.		2217-80-797-04-02 राष्ट्रीय शहरी विकास निधि (एससीएसपी) के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अंतरण	30.00	17.83	0.00
278.		2225-01-196-21-01 छात्रावासियो के लिए साइकिल वितरण योजना	1.50	1.50	0.00
279.		2401-196-07-37 कृषि यंत्रों पर अनुदान	14.00	0.00	0.00
280.		2401-196-07-39 भूमिहीन श्रमिको को सहायता	14.00	0.00	0.00
281.		2401-196-08-04 जल आयोजना हेतु अनुदान	54.00	0.00	0.00
282.		2401-789-02-10 ग्रीन हाउस के लिए अतिरिक्त सहायता	17.00	0.00	0.00
283.		2401-789-03-04 डेयरी विभाग के माध्यम से अनुदान	8.00	0.00	0.00
284.		2401-789-03-08 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	4.40	0.00	0.00
285.		2401-789-08-01 पशु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (चल पशु चिकित्सा इकाई)	12.84	0.00	0.00
286.		2501-06-196-10-03 अनुदान	30.00	₹ 2000	0.00
287.		2515-196-05-03 कार्यकलाप संबंधी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	5.74	0.00	0.00
288.		2515-196-42-03 कार्यकलाप /गतिविधियाँ	11.70	9.00	0.00
289.		2700-80-789-01-01 मुख्य अभियंता ,जल संसाधन (उत्तर),हनुमानगढ़ के माध्यम से	2.14	0.00	0.00
290.		2801-80-789-03-01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	111.58	₹ 1000	0.00
291.		2515-198-34-03 कार्यात्मक/गतिविधियाँ	142.82	₹ 1000	0.00
292.		2701-80-789-01-01 निर्माण कार्य	1.00	0.00	0.00
293.		2801-80-789-03-02 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	80.74	₹ 1000	0.00
294.		2801-80-789-03-03 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	103.60	₹ 1000	0.00
295.		2801-80-789-04-01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	4.32	₹ 1000	0.00
296.		2801-80-789-04-02 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	1.26	₹ 1000	0.00
297.		2801-80-789-06-03 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3.06	₹ 1000	0.00
298.		3054-04-789-01-01 महानगरों के अतिरिक्त,शहरी सड़कों का संधारण,जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार	71.32	0.00	0.00
299.		3454-02-789-01-36 स्टार्ट-अप्स	3.60	3.60	0.00
300.		3454-02-789-14-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	50.00	36.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
301.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष घटक योजना	3475-191-02-02 विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)	3.20	₹ 2000	0.00
302.		3475-192-02-02 विकास कार्य (अनुसूचित जाति के लिए)	7.13	₹ 2000	0.00
303.		4202-01-789-01-90 निर्माण कार्य	21.07	0.40	0.00
304.		4202-01-789-09-01 मॉडल स्कूल - निर्माण कार्य	5.80	₹ 1000	0.00
305.		4202-01-789-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - निर्माण कार्य	4.52	3.60	0.00
306.		4202-01-789-14-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	6.15	₹ 1000	0.00
307.		4202-01-789-15-01 समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य	34.00	30.10	0.00
308.		4202-02-789-02 भवन	2.00	1.00	0.00
309.		4210-01-789-07-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	1.91	1.67	0.00
310.		4210-03-789-03-01 चिकित्सा महाविधालय, बीकानेर	2.92	2.57	0.00
311.		4210-03-789-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविधालय	4.77	4.77	0.00
312.		4210-03-789-04-01 चिकित्सा महाविधालय , बीकानेर	1.22	1.25	0.00
313.		4210-03-789-06-1 चिकित्सा महाविधालय उदयपुर	1.50	₹ 2000	0.00
314.		4210-03-789-09-02 नए चिकित्सा महाविधालयों के लिए पूंजीगत व्यय	22.00	36.35	0.00
315.		4210-03-789-12-01 निदेशालय चिकित्सा शिक्षा	10.00	₹ 2000	0.00
316.		4215-01-789-01-86 गरदडा पेयजल परियोजना	8.06	0.00	0.00
317.		4215-01-789-02-17 बोरावास-मंडाना जल प्रदाय योजना	2.80	0.00	0.00
318.		4215-01-789-02-44 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से सहायता प्राप्त जल प्रदाय योजनाएँ	4.27	0.30	0.00
319.		4215-01-789-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	4.96	0.00	0.00
320.		4215-01-789-02-65 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	11.16	0.00	0.00
321.		4215-01-789-02-67 चूरू जिले की आपणी योजना की पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना प्रथम चरण (शहरी भाग)	4.50	0.00	0.00
322.		4215-01-789-03-03 बीसलपुर -दुदू- फुलेरा पेयजल परियोजना	2.76	₹1000	0.00
323.		4215-01-789-03-04 चूरू -झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	3.32	₹1000	0.00
324.		4215-01-789-03-06 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण - क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	2.30	₹1000	0.00
325.		4215-01-789-03-08 ब्यावर-जवाजा क्लस्टर वितरण	11.52	₹1000	0.00
326.		4215-01-789-03-09 गागरिन पेयजल परियोजना	3.32	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
327.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-03-10 बारां क्लस्टर परियोजना	2.30	₹1000	0.00
328.		4215-01-789-03-11 चम्बल- भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	32.66	₹1000	0.00
329.		4215-01-789-03-12 चम्बल- धौलपुर - भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)	5.76	₹1000	0.00
330.		4215-01-789-03-13 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)।	2.54	₹1000	0.00
331.		4215-01-789-03-14 नर्मदा डीआर क्लस्टर (नाबार्ड)	4.47	₹1000	0.00
332.		4215-01-789-03-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील हेतु नर्मदा जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)	2.30	₹1000	0.00
333.		4215-01-789-03-16 भीनमाल एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	6.91	₹1000	0.00
334.		4215-01-789-03-18 जवाई क्लस्टर परियोजना, भाग चतुर्थ	5.76	₹1000	0.00
335.		4215-01-789-03-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	2.30	₹1000	0.00
336.		4215-01-789-03-22 बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	6.91	₹1000	0.00
337.		4215-01-789-03-23 झुझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चूरू-बिसाऊ परियोजना	4.61	₹1000	0.00
338.		4215-01-789-03-24 बीसलपुर-चाकसू परियोजना	3.46	₹1000	0.00
339.		4215-01-789-03-25 बीसलपुर फागी परियोजना	1.15	₹1000	0.00
340.		4215-01-789-03-26 अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	1.73	₹1000	0.00
341.		4215-01-789-03-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	34.55	₹1000	0.00
342.		4215-01-789-03-29 जिला पाली की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायत को जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी जल वितरण जलाशय से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	3.45	₹1000	0.00
343.		4215-01-789-03-30 चम्बल- भीलवाड़ा पेयजल परियोजना - प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिण्डोली-नैनवा पेयजल परियोजना ।	12.46	₹1000	0.00
344.		4215-01-789-03-31 राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण	34.55	₹1000	0.00
345.		4215-01-789-03-33 बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ कस्बे एवं श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के 108 गांवों की क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना	6.91	₹1000	0.00
346.		4215-01-789-03-34 बीकानेर जिले की खाजूवाला विधान सभा की जल प्रदाय परियोजना	5.76	₹1000	0.00
347.		4215-01-789-03-35 चूरू जिले की आपणी योजना का प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (शहरी भाग) पुनः स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	2.30	₹1000	0.00
348.		4215-01-789-03-36 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे एवं 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	2.30	₹1000	0.00
349.		4215-01-789-03-38 बत्तीशा नाला बांध से एचएफटीसी उपलब्ध कराने हेतु, जवाई बांध से सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के 70 गांवों को एचएचटीसी प्रदान करने हेतु	2.30	₹1000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
350.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-03-39 जोधपुर जिले की भेर-हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एचएफटीसी उपलब्ध कराने की परियोजना	5.76	₹1000	0.00
351.		4215-01-789-03-40 चित्तौड़गढ़ जिले की भेंसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	1.73	₹1000	0.00
352.		4215-01-789-03-41 राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	10.37	₹1000	0.00
353.		4215-01-789-03-42 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	6.91	₹1000	0.00
354.		4215-01-789-03-43 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकड़ी का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण सरवाड पेयजल योजना	4.15	₹1000	0.00
355.		4215-01-789-03-44 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग – अ	2.74	₹1000	0.00
356.		4215-01-789-04-03 नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित पेयजल परियोजनाएँ (आरआईडीएफ XXIV)	12.27	0.00	0.00
357.		4217-60-789-09-01 स्वायत शासन विभाग के माध्यम से	30.00	0.00	0.00
358.		4236-02-789-01 आईसीडीएस मिशन मोड के तहत आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण	1.70	0.00	0.00
359.		4236-02-789-02 आईसीडीएस मिशन मोड के तहत क्रेच निर्माण सहित आंगनबाडी केंद्र का उन्नयन और रखरखाव	2.50	0.00	0.00
360.		4401-789-04 किसानो सेवा केंद्र और ग्राम ज्ञान केंद्र का भवन निर्माण	15.00	0.00	0.00
361.		4403-789-04-01 नाबार्ड आरआईडीएफ टी-XXVII	15.00	0.00	0.00
362.		4403-789-07-01 पशुपालन विभाग	1.50	0.00	0.00
363.		4406-02-789-07-01 वन विभाग के माध्यम से	3.00	₹1000	0.00
364.		4575-02-789-01-04 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (राष्ट्रीय रुर्बन मिशन)	16.20	0.00	0.00
365.		4575-06-789-01 ज़िला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)हेतु	12.38	0.00	0.00
366.		4853-01-789-02-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	0.00	0.00
367.		5475-789-09-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	770.00	404.00	0.00
368.		5475-789-10-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.50	0.00	0.00
		कुल	**110,149.96**		

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 98)

ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	शीर्ष	2022-23	2021-22	2020-21
1.	01-राज्य विधानमण्डल	2011-02-101-03 उपसभापति द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध	0.01	0.01	0.01
2.	02-मंत्रिपरिषद	2013-800-05 विमान किराया-प्रतिबद्ध	0.05	0.05	0.05
3.	26-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य और सफाई	2211-200-01 पारंपरिक गर्भनिरोधक	14.00	14.00	14.00
4.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-08 ग्रीष्म ऋतु आकस्मिकता	0.02	0.02	0.94
5.		4215-01-102-99-29 बीसलपुर -दूदू परियोजना के अंतर्गत 108 गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	0.88	6.49	0.95
6.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-796-14 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा यात्रा	0.02	0.02	0.02
7.		2401-796-64-13 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	3.60	3.60	4.17
8.		3425-01-796-04 औद्योगिक जागरूकता	0.02	0.02	0.03
9.		3425-01-796-05 सुरसेक / सेटकॉम नेटवर्क	0.02	0.02	0.01
10.		3425-01-796-06 जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.01
11.		4215-01-796-04-27 बीसलपुर -दुदू परियोजना के अंतर्गत 108 गांवों के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	0.17	1.52	0.25
12.		5054-03-796-15-01 सड़क सुरक्षा प्रबंधन	0.50	0.50	0.50
13.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-04-102-01-01 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु रोजगार उन्मुखी/ स्व-रोजगार सृजन योजना	2.00	2.00	2.00
14.		2225-80-190-02-01 राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड को अनुदान	0.13	0.25	0.25
15.		2235-02-196-18-03 पीपीपी योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन	0.02	0.02	0.02
16.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-101-14-01 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आनुग्रहिक राहत	0.20	0.20	0.20
17.		2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत	1.00	1.00	6.00
18.		2245-01-102-11-02 शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति	1.20	1.20	1.20
19.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जल आपूर्ति	1.00	1.00	1.00
20.		2245-01-105-04-01 औषधियों और टीकों पर अतिरिक्त लागत	2.00	2.00	2.00
21.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थान के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	1.00	1.00

क्र.सं.	अनुदान	शीर्ष	2022-23	2021-22	2020-21
22.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-101-16-08 आवश्यक वस्तुओं की हवाई मार्ग से आपूर्ति	1.00	1.00	1.00
23.		2245-02-104-02-01 आपदा प्रभावितों को चारा आपूर्ति	2.00	2.00	2.00
24.		2245-02-105-05-01 औषधियों और टीकों पर अतिरिक्त लागत	1.00	1.00	1.00
25.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी आदि की मरम्मत	10.00	10.00	6.00
26.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता आदि हटाने के लिए सहायता	1.00	1.00	1.00
27.		2245-02-191-02-01 बाढ़ प्रभावितों कार्यों के लिए नगर निगम को सहायता	1.00	1.00	1.00
28.		2245-02-192-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों के लिए नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	2.00	2.00	2.00
29.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	6.00	6.00	2.00
30.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों और शवों का निपटान	1.00	1.00	1.00
31.	37-कृषि	2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	17.50	17.50
32.	43-खनिज	4853-01-004-07-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं	5.00	5.00	5.00
33.	46-सिंचाई	4700-33-001-01-01 निर्माण कार्य	0.05	0.05	0.05
34.		4701-68-001-01 निर्देशन एवं प्रशासन	0.05	0.05	0.10
35.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना	2250-789-01-01 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	0.16	0.15	0.15
36.		2401-789-03-04 डेयरी विभाग के माध्यम से अनुदान	8.00	8.00	10.00
37.		2401-789-07-05 टिकाऊ कृषि मिशन - कृषि वानिकी (उद्यान विभाग के माध्यम से)	0.20	0.32	0.30
38.		2401-789-07-06 टिकाऊ कृषि मिशन - कृषि वानिकी (वन विभाग के माध्यम से)	0.20	0.42	0.30
39.		2810-789-02-01 जैव ईंधन प्राधिकरण-मुख्यालय	0.15	0.15	0.25
40.		3425-01-789-02 विज्ञान और समाज	0.05	0.05	0.01
41.		3425-01-789-04 औद्योगिक जागरूकता	0.04	0.04	0.03
42.		3425-01-789-05 सुरसेक / सेटकॉम नेटवर्क	0.04	0.04	0.01
43.		3425-01-789-06 जैव-प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.02
44.		4059-80-789-07-01 भवनों का निर्माण	0.39	0.44	0.22
45.		4202-02-789-02 भवन	2.00	2.00	4.15
46.		4210-03-789-04-01 चिकित्सा महाविधालय, बीकानेर	1.22	1.50	1.71

क्र.सं.	अनुदान	शीर्ष	2022-23	2021-22	2020-21
47.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना	4215-01-789-03-27 बीसलपुर -दुदू परियोजना के अंतर्गत 108 गांवों के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	0.23	1.99	0.55
48.		4802-02-789-01-01 राज्य उपक्रम विभाग के माध्यम से	0.15	0.35	0.35
		कुल	**88.29**	**97.99**	**92.31**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 99)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च-2023
1.	10-विविध सामान्य सेवाएँ	2041-101-03 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण	102.84	102.81	115.30	89.19	89.17
2.	14-बिक्री कर	2043-001-01-01 प्रधान कार्यालय – प्रतिबद्ध	18.06	18.06	26.62	67.82	67.82
3.	19-लोक निर्माण कार्य	2059-80-053-12 महानिरीक्षक, पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध	13.29	10.79	20.32	65.39	53.09
4.		4202-01-203-01-90 निर्माण कार्य	221.32	148.67	259.70	85.22	57.25
5.		4250-203-02-90 निर्माण कार्य	70.44	70.30	72.31	97.41	97.21
6.	20-आवास	2216-05-053-08 पुलिस विभाग का आवासीय भवन – प्रतिबद्ध	18.90	17.98	24.48	77.22	73.46
7.	22-क्षेत्र का विकास	4575-01-101-01-01 ज़िला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	16.88	10.78	16.88	100	63.87
8.	26-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य और सफाई	2211-105-03 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय	13.19	12.73	16.93	77.90	75.20
9.		4210-01-110-07 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य	13.82	13.71	21.13	65.40	64.90
10.		4210-03-105-07 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय- अन्य व्यय	72.86	49.46	89.67	81.20	55.20
11.		4210-03-105-25-01 क्षेत्रीय कैंसर संस्थान चिकित्सा महाविधालय , जोधपुर	32.00	25.00	32.00	100	78.10
12.		4210-03-105-27 स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	17.29	17.29	33.14	52.20	52.20
13.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-99 जल जीवन मिशन	53.27	53.21	56.35	94.53	94.42
14.	28-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-13 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	10.00	10.00	10.00	100	100
15.	29-नगर योजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि स संचालित योजनाएं	72.55	72.45	143.36	50.60	50.50
16.		2217-80-191-51 स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की प्रमुख मरम्मत/ नवीनीकरण/सुधार	25.83	25.83	41.21	62.70	62.70
17.		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान	356.22	355.83	690.19	51.60	51.50
18.		2217-80-192-55 केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसाओं से अंतरित अनुदानों से संचालित योजनाएँ	314.81	314.81	619.95	51.00	51.00
19.		2217-80-192-56 स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की प्रमुख मरम्मत नवीनीकरण/सुधार	38.74	38.71	61.82	62.70	62.70

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च-2023
20.	29-नगर योजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-051-01 स्मार्ट सिटी	121.58	121.58	162.79	74.70	74.70
21.		4217-60-051-09 अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0	65.62	65.62	65.62	100	100
22.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	2202-02-796-17 जनजाति कल्याण कोष (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से) के अंतर्गत संचालित योजनाएँ	88.47	72.97	124.46	71.10	58.60
23.		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान	69.99	69.90	135.44	51.70	51.60
24.		2225-02-796-16 बिरसरी जनजातीय क्षेत्र विकास (आदिवासी कल्याण निधि) के लिए विशिष्ट योजना के तहत कार्यक्रम	32.21	30.24	37.59	85.70	80.50
25.		2225-02-796-21 माडा क्षेत्र विकास(आदिवासी कल्याण कोष) के लिए विशिष्ट योजना के तहत कार्यक्रम	40.11	34.50	64.07	62.60	53.80
26.		2225-02-796-25 जनजाति उपयोजना हेतु विशिष्ट केन्द्रीय सहायता	69.98	69.98	89.98	77.80	77.80
27.		2235-60-796-06 जीवन दुर्घटना बीमा योजना	37.80	37.80	64.80	58.30	58.30
28.		2401-796-51 उद्यान विभाग के माध्यम से	31.27	28.10	36.25	86.20	77.50
29.		2401-796-81 सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान	11.00	11.00	11.68	94.20	94.20
30.		2425-796-35 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	48.42	25.67	48.42	100	53.00
31.		2425-796-42 कृषि ऋण माफी योजना	130.00	65.00	130.00	100	50
32.		2515-196-40 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	58.93	44.00	81.34	72.50	54.10
33.		2801-80-796-07 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता	13.75	13.75	13.75	100	100
34.		2801-80-796-12 राज्य सरकार से विद्युत वितरण निगमों को प्राप्य अनुदान (टैरिफ अनुदान)।	182.00	182.00	182.00	100	100
35.		4059-80-796-03 सामान्य भवन (जेल विभाग)	10.16	10.08	10.16	100	99.20
36.		4202-01-796-02 कॉलेज शिक्षा	38.50	23.17	41.69	92.30	55.60
37.		4210-01-796-11 प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत मिशन	18.24	18.24	18.24	100	100
38.		4210-03-796-01 अस्पताल और औषधालय- चिकित्सा शिक्षा	59.69	45.13	71.16	83.90	63.40
39.		4215-01-796-04 जल जीवन मिशन	13.92	13.91	14.68	94.80	94.80
40.		4225-02-796-29 जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	82.72	82.72	134.97	61.30	61.30
41.		4250-796-02 नवीन आईटीआई का भवन निर्माण	14.69	12.96	18.92	77.60	68.50
42.		4700-27-796-03 माही नहर प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण	49.54	42.21	54.05	91.70	78.10

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च-2023
43.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4700-45-796-01 निदेशक एवं प्रशासन	23.30	23.25	23.30	100	99.80
44.		5475-796-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	40.44	31.78	60.98	66.30	52.10
45.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-196-13 देवनारायण योजना (उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से)	24.31	23.91	36.21	67.10	66.00
46.		2235-02-196-05 संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	31.52	28.59	34.76	90.70	82.20
47.		2235-60-105-03 जीवन दुर्घटना बीमा योजना	196.48	196.27	333.52	58.90	58.80
48.		2235-60-800-02 आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से	27.38	24.79	37.28	73.40	66.50
49.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-09 अकाल के अंतर्गत चारा आपूर्ति	47.35	41.86	55.85	84.80	74.90
50.		2245-02-106-08 बाढ़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार	127.59	100.19	156.82	81.40	63.90
51.		2245-02-122-02 बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं निर्माण कार्यों के लिए सहायता	11.22	10.87	16.48	68.10	66.00
52.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	231.05	198.67	312.55	73.90	63.60
53.		5475-800-19 फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जोधपुर	41.48	40.34	45.34	91.50	88.90
54.	36-सहकारिता	2425-107-25 कोर बैंकिंग	15.17	15.17	15.17	100	100
55.		2425-107-29 कृषि ऋण माफी योजना	700	350	700	100	50
56.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	299.66	152.55	299.66	100	50.90
57.	37-कृषि	2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में परिवर्तन के लिए (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -वृहत सिंचाई)	113.68	113.12	165.45	68.70	68.40
58.		2401-119-47 सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान	100.78	100.78	101.55	99.20	99.20
59.	41-सामुदायिक विकास	2515-196-39 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	204.95	151.50	285.13	71.90	53.10
60.	46-सिंचाई	4701-63-001-01 निर्माण कार्य	40.37	39.97	42.33	95.40	94.40
61.		4701-73-001-01 निदेशन एवं प्रशासन	42.90	40.49	53.29	80.50	75.60
62.		4711-01-103-03 अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	12.47	10.82	14.77	84.40	73.20
63.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-56 स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों का नवीनीकरण/सुधार मरम्मत	10.06	10.06	16.05	62.70	62.70
64.		2225-01-789-27 काली बाई भील अध्ययनरत छात्रा स्कूटी योजना	20.97	20.97	20.98	100	100
65.		2235-60-789-06 जीवन दुर्घटना बीमा योजना	50.40	50.40	86.40	58.30	58.30
66.		2401-789-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	37.83	35.49	65.55	57.70	54.10

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च-2023
67.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2425-789-06 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	48.24	27.96	48.24	100	57.90
68.		2425-789-13 कृषि ऋण माफी योजना	170.00	85.00	170.00	100	50
69.		2515-196-41 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जातियों के लिए)	84.86	64.87	114.84	73.90	56.50
70.		4210-01-789-09 प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत मिशन	23.46	23.76	23.46	100	100
71.		4210-03-789-01 अस्पताल और औषधालय - चिकित्सा शिक्षा	75.92	64.64	102.81	73.80	62.90
72.		4215-01-789-03 जल जीवन मिशन	15.26	15.25	17.64	86.50	86.40
73.		4250-789-02 नवीन आईटीआई भवनों का निर्माण	26.28	26.27	31.27	84.00	84.00
74.		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	88.99	77.88	119.49	74.50	65.20
75.		5475-789-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	52.08	40.82	78.52	66.30	52.00
76.		5475-789-06 फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जोधपुर	38.90	22.73	39.19	99.30	58.00
		कुल	**5,384.52**	**4,370.58**	**7,152.69**		

परिशिष्ट-3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.4 पृष्ठ 102)

जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ

श्रेणी-अ योजनाएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2022-23	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	वास्तविक व्यय किया गया
01.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (29)	छात्राओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय (35)	0.03	0.03	0.00
02.	परिवार कल्याण विभाग (30)	श्रम केन्द्रों के विकास हेतु योजना (2369)	0.06	0.06	0.00
		किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु योजना (2372)	0.06	0.06	0.00
		सरकारी अस्पतालों में नवजात लड़कियों को बेबी किट का वितरण (2738)	0.03	0.03	0.00
03.	समेकित बल विकास सेवाएँ , जयपुर(42)	माता यशोदा पुरस्कार योजना (2272)	28.28	28.28	0.00
		इंदिरा महिला शक्ति योजना (2772)	0.02	0.02	0.00
04.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (43)	नारी निकेतन भवन (1228)	0.01	0.01	0.00
		अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण (3037)	0.02	0.02	0.00
		अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण (3040)	0.02	0.02	0.00
05.	महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर (56)	धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र (1765)	0.03	0.03	0.00
		वन स्टॉप सेंटर (2493)	0.06	0.06	0.00
		महिला शक्ति केंद्र (2702)	0.24	0.24	0.00
06.	सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, जयपुर (68)	संपर्क केन्द्र संचालन (2276)	400.03	352.03	0.00
07.	पुलिस विभाग, जयपुर (94)	निर्भया फंड द्वारा संचालित योजना (2867)	0.02	0.02	0.00
08.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जयपुर (178)	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	70.00	70.00	0.00
कुल			**498.91**	**450.91**	**0.00**

श्रेणी ब योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2022-23	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	वास्तविक व्यय किया गया
01.	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर (03)	साक्षर भारत अभियान (1047)	0.03	0.02	0.00
02.	एसपी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर (04)	तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	1,317.00	526.80	0.00
		राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना (2608)	413.50	124.05	0.00
		पीएमएसवाई के उन्नयन तहत चिकित्सा महाविधालय का चरण-III (2699)	0.03	0.01	0.00
03.	आरएनटी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, उदयपुर (06)	पीएमएसवाई के उन्नयन तहत चिकित्सा महाविधालय का चरण-III (2699)	735.03	345.46	0.00
04.	माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (13)	शैक्षणिक संस्थानों को सहायता (2955)	0.07	0.04	0.00
		शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना (2956)	0.02	0.01	0.00
05.	कृषि विभाग, जयपुर (18)	कृषि प्रदर्शनी (413)	100.00	30.00	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2022-23	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	वास्तविक व्यय किया गया
		जल प्रबंधन (428)	30,000.03	9,000.01	0.00
		कृषि विभाग के भवनों का निर्माण (1312)	300.00	90.00	0.00
		किसान सेवा केन्द्र /ग्राम ज्ञान केन्द्र का निर्माण (1671)	6,000.00	1,800.00	0.00
		कृषि में ई-गवर्नेंस योजना (2298)	300.00	90.00	0.00
		टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) 2551	300.00	90.00	0.00
		शून्य लागत आधारित कृषि (2740)	500.00	150.00	0.00
06.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	अस्पतालों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीकरण और उन्नयन (शहरी) 1243	312.33	149.91	0.00
		सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना (2318)	0.06	0.02	0.00
07.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (29)	प्राथमिक विद्यालय (2170)	0.02	0.01	0.00
08.	परिवार कल्याण विभाग, जयपुर (30)	परंपरागत गर्भनिरोधक (193)	1,400.00	672.00	0.00
		सीएम चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना (3017)	2,856.03	1,370.89	0.00
09.	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर (32)	राष्ट्रीय आयुष मिशन (194)	10,901.40	3,924.50	0.00
10.	जेएलएन चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, अजमेर (33)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से योजनाओं का संचालन (2929)	0.06	0.03	0.00
11.	आईसीडीएस, जयपुर (42)	पूरक आहार (391)	90,000.00	31,261.51	0.00
		राष्ट्रीय पोषण मिशन (2650)	21,555.40	14,817.18	0.00
12.	एसजेईडी, जयपुर (43)	स्वाधार-गृह के संचालन हेतु सहायता (2422)	138.00	41.40	0.00
13.	देवस्थान विभाग, उदयपुर (48)	तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण (401)	350.01	166.50	0.00
14.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (59)	अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (1058)	10.00	2.00	0.00
		भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन(1591)	0.10	0.03	0.00
15.	पर्यावरण विभाग, जयपुर (67)	पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम (727)	196.27	58.88	0.00
16.	डीओआईटी & सी, जयपुर (68)	वाई-फ़ाई हॉट स्पॉट (2106)	750.03	225.01	0.00
		जन सूचना पोर्टल (2750)	100.03	30.01	0.00
		राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (डीम्ड यूनिवर्सिटी) (3009)	0.09	0.03	0.00
17.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर (82)	विज्ञान और समाज (1437)	37.51	12.03	0.00
18.	श्रम विभाग, जयपुर (134)	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	9.01	4.51	0.00
		असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधा और सूचना केंद्र(2476)	4.63	2.32	0.00
19.	रोजगार सेवा विभाग एवं आरएमओएल (135)	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2777)	0.03	0.01	0.00
		संकल्प योजना (2778)	0.06	0.02	0.00
20.	पंचायत राज विभाग, जयपुर (139)	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2584)	6,500.00	2,925.00	0.00
21.	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान (140)	पीएमकेएसवाई वाटरशेड घटक (2388)	35,241.51	8,750.00	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2022-23	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	वास्तविक व्यय किया गया
22.	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मॉडल आईटीआई में उन्नयन. (2284)	50.00	12.50	0.00
		स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) (2727)	2,600.00	650.00	0.00
23.	निवेश संवर्धन ब्यूरो, जयपुर (180)	आईबीआईपी	1,300.00	70.00	0.00
24.	उद्योग विभाग, जयपुर (183)	एमएमएसवाई (2061)	0.03	0.01	0.00
25.	एसजीएसवाई अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (217)	आईजीपीआर एवं जीवीएस (1316)	74.48	22.34	0.00
26.	एसएपी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (218)	विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (537)	1,00,000.00	30,000.00	0.00
		स्वविवेक जिला विकास योजना (540)	15.00	4.50	0.00
		मेवात क्षेत्र विकास (544)	1,000.00	300.00	0.00
		डांग क्षेत्र विकास (546)	1,000.01	300.00	0.00
		मगरा क्षेत्र विकास (547)	1,000.01	300.00	0.00
		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (548)	6,921.50	2,076.45	0.00
		जिला नवाचार निधि (2827)	850.00	255.00	0.00
		महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (2893)	2,500.00	750.00	0.00
27.	एनआरएचएम, जयपुर (227)	एनयूएचएम (2209)	7,990.44	3,196.18	0.00
28.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर (242)	तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	2,675.04	802.52	0.00
29.	निदेशक, विशेष योग्यजन, जयपुर (244)	जिला पुनर्वास (336)	51.96	17.15	0.00
		पोलियो सुधार शिविर (340)	0.02	0.01	0.00
		अनुप्रति योजना (1384)	40.00	13.20	0.00
		विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण (2047)	200.01	66.00	0.00
		दृष्टिहीन शिक्षकों को प्रशिक्षण (2588)	2.00	0.66	0.00
		आस्था योजना (2744)	1.00	0.33	0.00
30.	बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर (259)	शिशु-गृह का संचालन (25430)	174.00	52.20	0.00
31.	मिड-डे मील, जयपुर (284)	राष्ट्रीय दुग्ध पोषण कार्यक्रम-एमडीएम (2670)	0.03	0.02	0.00
कुल			**3,38,773.82**	**1,15,549.25**	**0.00**

परिशिष्ट -3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.7; पृष्ठ 119)

2022-23 के दौरान पूंजीगत शीर्षों के तहत अनियमित बुकिंग

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	बजट शीर्ष	मूल प्रावधान	व्यय
1	16	4055-210-01-01-17	300.00	0.00
2	24	4202-01-203-09-01-17	7000.00	7000.00
3	24	4202-01-203-09-02-17	1000.00	600.00
4	24	4202-01-203-09-03-17	1250.00	6000.00
5	51	4202-04-789-02-01-17	5.00	0.00
6	30	4202-04-796-02-01-17	50.00	0.00
7	24	4202-04-800-03-01-17	903.00	0.00
8	24	4202-04-800-04-01-17	600.00	450.00
9	26	4210-03-105-13-02-17	1837.46	0.00
10	26	4210-03-105-13-02-18		
11	26	4210-03-105-15-04-17	343.47	206.07
12	26	4210-03-105-15-04-18		
13	26	4210-03-105-15-05-17	1800.02	1080.00
14	26	4210-03-105-15-05-18		
15	26	4210-03-105-15-06-17	0.02	0.00
16	26	4210-03-105-27-01-17	1500.00	2000.00
17	26	4210-03-105-27-02-17	100.00	85.00
18	51	4210-03-789-03-02-17	476.95	0.00
19	51	4210-03-789-03-02-18		
20	51	4210-03-789-05-04-17	89.15	66.86
21	30	4210-03-796-03-02-17	360.59	0.00
22	30	4210-03-796-03-02-18		
23	30	4210-03-796-05-04-17	67.42	50.55
24	30	4210-03-796-05-04-18		
25	39	4403-101-18-01-17	700.00	4333.20
26	39	4403-101-18-02-17	1700.00	1700.00
27	51	4403-789-05-01-17	1500.00	2300.00
28	51	4403-789-05-01-18		
29	51	4403-789-05-02-17	0.01	0.00
30	30	4403-796-05-01-17	0.01	600.00
31	37	4415-01-004-01-01-17	65.00	65.00
32	37	4415-01-277-01-02-17	1030.00	1030.00
33	37	4415-01-277-01-03-17	3382.00	3407.00
34	37	4415-01-277-01-04-17	750.00	67.00
35	37	4415-01-277-01-05-17	2040.00	2040.00
36	30	4415-01-796-01-01-17	0.01	0.00
37	29	4217-60-051-01-01-अजमेर स्मार्ट सिटी	10853.00	5426.50
38	29	4217-60-051-01-02-जयपुर स्मार्ट सिटी	10853.00	5426.50
39	29	4217-60-051-01-03-उदयपुर स्मार्ट सिटी	0.01	0.00
40	29	4217-60-051-01-04-कोटा स्मार्ट सिटी	10853.00	5426.50
		कुल	**61409.12**	**49360.18**

परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 128)

राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रक: कृषि		
1.	कृषि जनगणना और सांख्यिकी	कृषि विश्वविद्यालय	13.59
2.	कृषि विपणन	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	0.30
3.	खाद्य तेल-तिलहन (कृषोन्नति योजना)	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड	7.41
4.	खाद्य और पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.98
5.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	सहकारिता विभाग राजस्थान	3815.67
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय	0.25
7.	बीज और रोपण सामग्री पर प्रस्तुतीकरण	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेंसी	2.10
	नियंत्रक: वाणिज्य		
8.	निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर	3.56
	नियंत्रक: उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण		
9.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	1.56
	नियंत्रक: संस्कृति		
10.	शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएँ	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन	3.46
11.	कला संस्कृति विकास योजना	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन	5.74
12.	कला और संस्कृति का प्रचार और प्रसार (समर्थन और अकादमियाँ)	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर	13.93
	नियंत्रक: पर्यावरण और वन		
13.	स्थापना व्यय (ईएफ एंड सीसी)	राज्य वन विकास अभिकरण, राजस्थान	8.48
	नियंत्रक: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
14.	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन अभिकरण	416.96
15.	रक्त आधान सेवाएं	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	3.53
16.	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	38.41
	नियंत्रक: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
17.	प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम)	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर	5.40
	नियंत्रक : उद्योग		
18.	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	अन्य पंजीकृत समितियां एवं गैर-सरकारी संगठन	2.94
	नियंत्रक: श्रम और रोजगार		
19.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समितियाँ	0.01
	नियंत्रक: खनिज		
20.	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के तहत अन्वेषण गतिविधियाँ	निदेशालय खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर	6.88
	नियंत्रक: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय		
21.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर, राजस्थान	6,083.72
	नियंत्रक: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
22.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड	68.79
23.	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	10.77
24.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	2.50

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रकः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय		
25.	कौशल विकास	गैर-सरकारी संगठन	4.29
	नियंत्रकः कपड़ा मंत्रालय		
26.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड	1.24
	नियंत्रकःपंचायती राज		
27.	पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	1.88
	नियंत्रकः आयोजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
28.	अटल अभिनव मिशन	शैक्षणिक संस्थान (सरकारी), अन्य पंजीकृत समितियां और गैर-सरकारी संगठन	1.34
29.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	117.50
	नियंत्रकः सड़क परिवहन और राजमार्ग		
30.	सड़क समूह के अंतर्गत कार्य	उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू और सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एनएच **11**	300.34
31.	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर और एनजीओ	1.25
	नियंत्रकः ग्रामीण विकास		
32.	ग्रामीण विकास प्रबंधन में सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	पंचायत प्रशिक्षण केंद्र तथा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	0.25
33.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	6,811.37
	नियंत्रक : विज्ञान और प्रौद्योगिकी		
34.	नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन	0.16
35.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	नियंत्रक , महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं गैर-सरकारी संगठन	0.38
	नियंत्रकः सामाजिक न्याय और अधिकारिता		
36.	अटल वयो अभ्युदय योजना	गैर-सरकारी संगठन	1.22
37.	दीन दयाल अक्षम पुनर्वास योजना	गैर-सरकारी संगठन	2.39
38.	दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	गैर-सरकारी संगठन	4.86
39.	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा की योजना	गैर-सरकारी संगठन	2.22
	नियंत्रकः जल संसाधन		
40.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	18.57
41.	अटल भू जल योजना	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भूजल विभाग	171.76
	नियंत्रकः महिला एवं बाल विकास		
42.	सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिशु सदन प्रधानमंत्री मात वंदन योजना, जेंडर बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण आदि)	जिला कलेक्टर, सहायक निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक,महिला अधिकारिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	66.70
43.	संबल (वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस स्वयंसेवी महिला हेल्पलाइन स्वधार उज्जवल विधवा गृह आदि)	जिला कलेक्टर और कार्यक्रम अधिकारी वी वन स्टॉप सेंटर	1.68
	नियंत्रकः युवा मामले और खेल		
44.	खेलों के विकास के लिए खेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान राज्य खेल परिषद, जयपुर	13.69
45.	राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ	8.78
46.	एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत)।		4.42
		कुल	**18,059.23**

परिशिष्ट-4.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 132)

वर्ष 2022-23 तक के बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹लाख में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष/एसी बिल संख्या	वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राशि
1	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जालौर	2202 (2)	1990-91	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	0.30
2	निदेशक, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा राजसमन्द		1996-97	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	0.08
3	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202 (2)	1990-91	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	0.30
			1992-93		0.24
4	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	2029 (2)	2007-08	एजेएम् 089002	292.18
			2021-22	उप पंजीयक, राजस्व मंडल अजमेर	50.00
5	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245 (1)	2012-13	जिलाधीश एवं कलक्टर, अलवर	103.50
6	प्राचार्य, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4210 (1)	2021-22	आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	562.00
7	निदेशक, स्वान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	2853 (1)	2022-23	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), स्वान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	1.45
8	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051 (69)	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2.00
			2022-23	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	1078.04
9	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204 (6)	2021-22	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	4.30
			2022-23	7 राज. इंडेप कंपनी, एनसीसी जयपुर	1.21
				एनसीसी 1 अलवर	1.26
				कमांडिंग ऑफिसर 111 राज नेवल यूनिट एनसीसी, जयपुर	0.63
				एनसीसी 3 अलवर	2.17
10	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर	3425 (1)	2022-23	परियोजना निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर	0.37
	योग	**85**			**2,100.03**

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

31 मार्च 2023 तक निजी निक्षेप खातों में शेष राशि (₹ 100 करोड़ से अधिक) को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पी डी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (डीडीओ)	कोषालय का नाम और कोड	राशि
1	18698	निदेशक, जल जीवन मिशन, पीएचईडी, जयपुर	जयपुर शहर (18)	190.26
2	3398	श्रम आयुक्त, राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर		958.60
3	3476	प्राचार्य, एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर		101.38
4	5815	निदेशक, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम, जयपुर		177.20
5	18794	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जयपुर	जयपुर सचिवालय (21)	113.27
6	18820	निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर		121.14
7	18941	निदेशक, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम, जयपुर		194.00
8	3792	निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जयपुर		500.41
9	3798	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर		424.04
10	3824	वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनिवेश निगम लिमिटेड (रीको) , जयपुर		148.46
11	3959	प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर		220.98
12	3988	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर		314.75
13	3996	अध्यक्ष, युवा बोर्ड, जयपुर		289.86
14	4000	संयुक्त निदेशक, हायर एजुकेशन एकेडमी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जयपुर		228.23
15	4008	निदेशक, राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी, जयपुर		162.76
16	5303	निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत वित्तीय विकास निगम, जयपुर		478.76
17	5669	प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर		796.36
18	5756	प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर		306.84
19	592	प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर		747.39
20	6087	प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय उर्जा विकास निधि, जयपुर		231.07
21	6330	निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर		283.78
22	6625	प्रबंध निदेशक, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर		123.00
23	6897	आयुक्त, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, जयपुर		142.85
24	1001	आयुक्त, टीएडी, उदयपुर	उदयपुर शहर (38)	302.53
25	6215	खनन अभियंता, डीएमएफटी, उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण (41)	267.40
		कुल		**7,825.32**

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संधारित निजी निक्षेप खातों में "शून्य" शेष रखने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
1	7016	सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद	अजमेर (01)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
2	6337	अतिरिक्त, जिला. प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
3	5166	उप. निदेशक, डीडब्ल्यूडीए (आईसीडीएस)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
4	5033	प्राचार्य, शिक्षा एवं लोन स्कॉलर, राजऋषि कॉलेज	अलवर (02)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
5	5620	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
6	6338	अतिरिक्त, जिला. प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
7	479	नई पेंशन अंशदायी योजना (एनपीएस)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
8	6736	राजकीय महाविद्यालय, भास्करपाल नगर, अलवर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
9	169	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
10	18692	आरजीएचएस	बारां (04)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
11	1242	महाप्रबंधक, बारां नागरिक सहकारी बैंक		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
12	6149	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बारां		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
13	538	जिला महिला विकास अभिकरण		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
14	18692	आरजीएचएस	भरतपुर (07)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
15	6687	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), भरतपुर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
16	474	एचबीए एसबीबीजे		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
17	2284	परियोजना निदेशक , महिला अधिकारिता विभाग		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
18	6342	अतिरिक्त जिला प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
19	1883	कार्यक्रम निदेशक, आरएसएजीटी एवं आर. केंद्र		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
20	18692	आरजीएचएस	बूंदी (10)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
21	5494	निदेशक (आईसीडीएस), जिला महिला विकास अभिकरण ब्यूरो		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
22	6345	अतिरिक्त जिला प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
23	18748	विनायक विश्वविद्यालय, सिधमुख (चूरू)	चुरु (12)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
24	2932	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण (डीडब्ल्यूडीए)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
25	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	दौसा (13)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
26	6693	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), दौसा		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
27	3059	जिला लघु बचत अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
28	1771	उप. निदेशक, महिला विकास (डीडब्ल्यूडीए)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
29	3017	परियोजना निदेशक, आईसीडीएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
30	3799	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य हथकरघा सहकारी	जयपुर सचिवालय (21)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
31	3946	निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा (एनएसएस)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
32	6823	निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
33	5880	राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
34	476	न्यू एमसीए एसबीबीजे		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
35	6450	राज्य वन विकास एजेंसी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
36	3781	निदेशक/सचिव, विकास अध्ययन संस्थान		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

क्र.सं.	पीडी खाता संस्था	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
37	3937	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग	जयपुर सचिवालय (21)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
38	6761	शिव चरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
39	3762	सदस्य सचिव और निदेशक उद्योग इंटर्नशिप और प्रबंधन विकास संस्थान		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
40	6535	जिला परियोजना प्रबंधक, रास्पमिस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
41	6699	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) जालोर	जालौर (23)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
42	6701	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), झुंझुनू	झुंझुनू (25)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
43	1511	आयुक्त, नगर सुधार न्यास		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
44	1556	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण (डीडब्ल्यूडीए)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
45	18692	आरजीएचएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
46	18692	आरजीएचएस	नागौर (30)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
47	6705	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), नागौर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
48	3470	उप। निदेशक, जिला. महिला विकास अभिकरण (डीडब्ल्यूडीए)	प्रतापगढ़ (32)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
49	6368	अतिरिक्त जिला प्रो.को.	सिरोही(36)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
50	479	नई पेंशन योजना (एनपीएस)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
51	6711	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), सिरोही		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
52	5585	जिला आयुर्वेद अधिकारी	बीकानेर (09)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
53	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	चित्तौडगढ (11)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
54	1152	उप. निदेशक, महिला एवं बाल विकास		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
55	1205	परियोजना अधिकारी, जिला. महिला विभाग (डीडब्ल्यूडीए)		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
56	18692	आरजीएचएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
57	5823	राजकीय महाविद्यालय	जयपुर शहर (18)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
58	6453	संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जयपुर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
59	6697	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), जयपुर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
60	3489	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आरसीसी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
61	5619	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
62	3633	पुरातत्व एवं संग्रहालय		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
63	3495	अध्यक्ष, कोष टकसाल सहकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
64	6095	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
65	3497	कोषाध्यक्ष, सेटलमेंट सहकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
66	4144	एक्सईएन, पीएचईडी, जिला डिवीजन - II	जोधपुर शहर (26)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
67	6359	अतिरिक्त जिला प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
68	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
69	18692	आरजीएचएस	टौंक (37)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
70	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
71	4335	परियोजना निदेशक (डीडब्ल्यूडीए), जिला महिला विकास अभिकरण		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
72	473	एचबीए (पुराना 31.03.2004)	ब्यावर (06)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
73	474	एचबीए एसबीबीजे		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
74	18692	आरजीएचएस	ब्यावर (06)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
75	4671	उप. निदेशक (महिला एवं बाल विकास), आईसीडीएस डीडब्ल्यूडीए	झालावाड (24)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

क्र.सं.	पीडी खाता संस्था	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
76	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
77	4352	उप निदेशक, आईसीडीएस एवं परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण	करौली (28)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
78	6360	अतिरिक्त जिला प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
79	5688	जिला आयुर्वेद अधिकारी	कोटा (29)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
80	6361	अतिरिक्त जिला प्रो.को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
81	5596	जिला आयुर्वेद अधिकारी	राजसमन्द (33)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
82	18692	आरजीएचएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
83	479	नई पेंशन अंशदायी योजना (एनपीएस)	उदयपुर ग्रामीण (41)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
84	18692	आरजीएचएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
85	18692	आरजीएचएस	बाड़मेर (05)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
86	3375	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
87	6106	डीईओ, प्रारंभिक शिक्षा, बाड़मेर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
88	6662	परियोजना कार्यान्वयन इकाई आरयूआईडीपी, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़(17)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
89	2467	डीडब्ल्यूडीए		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
90	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
91	18692	आरजीएचएस	बांसवाडा (03)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
92	4997	परियोजना निदेशक, डी.यू.डी.ए.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
93	879	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग (डीडब्ल्यूडीए)	भीलवाडा (08)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
94	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
95	6905	आरयूआईडीपी, भीलवाड़ा		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
96	474	एचबीए एसबीबीजे	धौलपुर (14)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
97	6265	प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
98	6904	आरयूपी.डीपी, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर(16)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
99	1295	परियोजना अधिकारी (एसडब्ल्यूडीए) जिला महिला विकास अभिकरण		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
100	18692	आरजीएचएस		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
101	1722	उप निदेशक (सीडी), आईसीडीएस / जिला महिला विकास अभिकरण	सवाईमाधोपुर (34)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
102	6907	आरयूआईडीपी, सवाई माधोपुर		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
103	6710	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), सीकर	सीकर (35)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
104	1575	परियोजना निदेशक (डीडब्ल्यूडीए), जिला महिला विकास अभिकरण		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
105	475	एचबीए एचडीएफसी	उदयपुर सिटी (38)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
106	6370	अतिरिक्त, जिला प्रो. को.		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
107	4422	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	जैसलमेर (22)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
108	5591	जिला आयुर्वेद अधिकारी		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
109	6706	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), पाली	पाली (31)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
110	6903	आरयूआईडीपी, पाली		विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
111	2548	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी	डूंगरपुर (15)	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 135)

2021-2023 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम और पीडी खाता संख्या	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	2021-23 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताया गया कारण
01.	पीएस, भिनाय (367)	अजमेर (01)	0.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
02.	मोटर कॉन के ऋण का पुनर्भुगतान (477)		0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
03.	उप निदेशक, जिला. महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (आईसीडीएस) (5166)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
04.	सहायक निदेशक उद्यान (10)	अलवर (02)	0.83	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
05.	प्राचार्य, शिक्षा एवं लोन स्कॉलर, राजऋषि कॉलेज (5033)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
06.	परियोजना निदेशक, डी.यू.डी.ए. (4997)	बांसवाड़ा (03)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
07.	न्यू एमसीए, एसबीबीजे (476)	बारां (04)	0.38	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
08.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा एवं श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय (519)		19.64	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
09.	राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा (540)		22.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
10.	एचबीए, एसबीबीजे (474)	बाड़मेर (5)	0.04	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
11.	सचिव, यूटीआई, (शहरी) (5802)		0.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
12.	राजकीय महाविद्यालय, सिवाना (6068)		2.69	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
13.	डीईओ, प्रारंभिक शिक्षा, बाड़मेर (6106)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
14.	जिला कलेक्टर, बचत साख समिति (2965)	ब्यावर (06)	1.64	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
15.	एचबीए ऋण (पुराना 31.03.2004) (473)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
16.	कार्यक्रम निदेशक,आरएसएजीटी एवं आर. केंद्र (1883)	भरतपुर (07)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
17.	जिला कलेक्टर एवं कार्यकारी निदेशक, मत्स्य पालक विकास (2250)		0.18	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
18.	कार्यक्रम निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग (2284)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
19.	संभागीय एसएएनएस (5650)		0.05	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
20.	प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, आसींद (5868)	भीलवाडा (08)	16.38	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
21.	परियोजना निदेशक (3234)	बीकानेर (09)	0.68	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
22.	उप निदेशक, जिला. महिला विकास एजेंसी (3284)		4.90	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
23.	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग (3303)		49.79	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
24.	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (6723)		151.70	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
25.	वित्त नियंत्रक, विशेषाधिकारी बीकानेर विश्वविद्यालय (723)		14.60	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
26.	एचबीए, एसबीबीजे (474)	बूंदी (10)	3.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
27.	निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (5494)	बूंदी (10)	₹(-)0.39	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
28.	सहायक निदेशक, मत्स्य पालन विकास एजेंसी (1130)	चित्तौड़गढ़ (11)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
29.	उपखंड अधिकारी (एल ए) , बेगुन (1167)		25.38	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
30.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (1207)		2.05	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
31.	एच बी ए, एसबीबीजे. (474)		0.07	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
32.	यूटीआई (5822)		215.53	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
33.	उप वन संरक्षक (डीएफओ) (2870)	चुरू (12)	0.40	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
34.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (2932)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
35.	संभागीय एसएएनएस (5660)		0.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
36.	उप निदेशक, जिला। महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1771)	दौसा (13)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
37.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा एवं श्रम कल्याण अधिकारी (3089)		5.04	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
38.	प्राचार्य, राजकीय विज्ञानं एवं वाणिज्य महाविद्यालय (6060)		193.23	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
39.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (4989)	धौलपुर (14)	4.91	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम और पीडी खाता संख्या	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	2021-23 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताया गया कारण
40.	सहायक निदेशक, एफएफडीए, डूंगरपुर (2494)	डूंगरपुर(15)	1.24	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
41.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (2548)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
42.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा एवं श्रम कल्याण अधिकारी (2550)		16.69	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
43.	एचबीए, एचडीएफसी (475)		10.98	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
44.	कार्यक्रम अधिकारी (एसडब्ल्यूडीए), जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1295)	श्रीगंगानगर (16)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
45.	भूमि उपकरण अधिकारी एवं एसडीएम, श्री करणपुर (1308)		80.26	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
46.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		0.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
47.	जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (2467)	हनुमानगढ़ (17)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
48.	भूमि उपकरण अधिकारी एवं एसडीएम, नोहर (3133)		58.39	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
49.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		1.22	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
50.	महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य होटल निगम (3479)	जयपुर शहर (18)	0.12	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
51.	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आरआरसी (3489)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
52.	अध्यक्ष, कोष टकसाल सहकारी (3495)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
53.	अध्यक्ष, कोष टकसाल सहकारी (3497)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
54.	डीएफओ पूर्व (3499)		7.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
55.	पुरातत्व एवं संग्रहालय (3633)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
56.	31.03.2004 तक आवास ऋण का पुनर्भुगतान (3634)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
57.	एचडीएफसी के लिए एचबीए का पुनर्भुगतान (3637)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
58.	एसबीबीजे के लिए एचबीए का पुनर्भुगतान (3638)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
59.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण (551)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
60.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (6095)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
61.	बंदी कल्याण कोष, जिला करागृह, जयपुर (6943)		0.03	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
62.	एचबीए, एसबीबीजे (474)	जयपुर ग्रामीण (20)	0.21	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
63.	निदेशक, मत्स्य पालन विभाग (1244)	जयपुर सचिवालय (21)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
64.	सदस्य सचिव एवं निदेशक, इंड.इंटरशिप जहाज एवं प्रबंधन विकास संस्थान (3762)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
65.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य हथकरघा सहकारी समिति (3799)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
66.	सचिव, राजस्थान विद्युत नियम आयोग (3924)		1.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
67.	निदेशक/वरि. एओ, कॉलेज शिक्षा (एनएसएस) (3946)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
68.	संयुक्त निदेशक (जीआईए), कॉलेज शिक्षा (3974)		0.04	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
69.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (3976)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
70.	राजस्थान रोड इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड (आरआईडीसीओआर) (3987)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
71.	राजस्थान राहत कोष (3994)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
72.	निदेशक, एकीकृत बाल विकास विभाग (4005)		31.93	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
73.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग (4006)		4.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
74.	राजस्थान परियोजना विकास निधि, जयपुर (4013)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
75.	न्यू एमसीए, एसबीबीजे (476)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
76.	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी क्षेत्र (5640)		0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
77.	राज्य परियोजना, एफ. (5706)		16.08	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
78.	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (6090)		42.09	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
79.	राज्य वन विकास एजेंसी (6450)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
80.	जिला परियोजना प्रबंधक, आरएसीपीएमआईएस (6535)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
81.	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता. विभाग (4422)	जैसलमेर (22)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
82.	जिला. कलेक्टर (गैर सरकारी निधि), जैसलमेर (4423)		42.45	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
83.	उप निदेशक, पशुपालन (4425)		0.16	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
84.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (4426)		4.11	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम और पीडी खाता संख्या	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	2021-23 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताया गया कारण
85.	नियंत्रक (कलेक्टर) एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (4489)		0.17	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
86.	कृषि उपज मंडी समिति, सांचौर (1146)	जालौर (23)	0.66	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
87.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (4410)		3.15	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
88.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		0.12	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
89.	शिक्षा सहकारी (165)	झालावाड़ (24)	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
90.	सहायक निदेशक, बागवानी (4610)		0.38	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
91.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		1.25	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
92.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आरयूआईडीपी, झालावाड़ और झालरापाटन (6661)		15.15	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
93.	आयुक्त, नगर सुधार न्यास (1511)	झुंझुनू (25)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
94.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1556)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
95.	ओएसडी, राजस्थान खेल विश्वविद्यालय (5873)		3.21	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
96.	कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) (2090)	जोधपुर सिटी (26)	0.04	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
97.	परियोजना निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग (4104)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
98.	अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, जिला संभाग द्वितीय (4144)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
99.	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी (5642)		0.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
100.	प्रबंधक, एलआईसी, वन छावनी (2307)	कोटा (29)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
101.	कलेक्टर/उप.कले क्टर, रक्षा, रावतभाटा (4411)		1.67	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
102.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		0.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
103.	जोनल डिवीजन, संस्कृत शिक्षा अधिकारी (5639)		0.64	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
104.	निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (2555)	नागौर (30)	1.86	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
105.	सहायक श्रम आयुक्त, कर्मकार मुआवजा रजि. (2600)		22.99	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
106.	पीओ, जिला महिला विकास अभिकरण (2728)		0.69	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
107.	मीरा विश्वविद्यालय, मेड़ता सिटी (6279)		0.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
108.	अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर, सुमेरपुर (1779)	पाली (31)	0.17	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
109.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (3418)	प्रतापगढ़ (32)	170.34	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
110.	उप. निदेशक, जिला. महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (3470)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
111.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		1.24	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
112.	एचबीए, एसबीबीजे (474)	राजसमन्द (33)	3.79	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
113.	कर्मकार मुआवजा एवं श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद (5564)		34.29	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
114.	उप. निदेशक (सीडी), आईसीडीएस एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1722)	सवाई माधोपुर (34)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
115.	एचबीए ऋण (पुराना) 31.03.2004 (473)		31.49	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
116.	उपा निदेशक, आईसीडीएस एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1486)	सीकर (35)	7.83	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
117.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा अधिनियम (1487)		5.29	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
118.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डीडब्ल्यूडीए) (1575)		0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
119	एचबीए, एसबीबीजे (474)		0.48	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
120	निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (4809)	सिरोही (36)	₹(-)0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
121.	परियोजना निदेशक, डीआरडीए (टीएडी) (4736)		11.95	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
122.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		0.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
123.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आरयूआईडीपी, माउंट आबू (6659)		1.82	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
124.	अध्यक्ष, एफएफडीए (4231)	टोंक (37)	25.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
125.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आरयूआईडीपी, टोंक (6664)		5.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
126.	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी (5626)	उदयपुर सिटी	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम और पीडी खाता संख्या	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	2021-23 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताया गया कारण
127.	राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर (5767)	(38)	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
128.	एचबीए ऋण (पुराना 31.03.2004) (473)	एपीएओ नई दिल्ली (39)	1.28	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
129.	एचबीए, एसबीबीजे (474)		1.26	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
130.	एचबीए , एचडीएफसी (475)		6.09	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
131.	एचजेएचजे (5250)		0.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
132.	भूमि उपकरण अधिकारी एवं एसडीएम, श्री झाड़ोल (1009)	उदयपुर ग्रामीण (41)	19.41	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
133.	एचबीए ऋणों की वसूली - एसबीबीजे ((474)		0.03	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
	योग		**1,433.03**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट - 4.6

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 139)

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	5.25	5.25	100.00
2.	2700-मुख्य सिंचाई	1,485.53	1,882.31	78.92
3	2701-मध्यम सिंचाई	161.65	207.61	77.86
4	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	13.01	13.07	99.54
5	3452-पर्यटन	190.31	211.37	90.04
6	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28.43	32.46	87.58
7	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	1.19	1.19	100.00
8	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	17.36	34.16	50.82
9	4425- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8.40	12.04	69.77
10	4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	4.49	7.79	57.64
11	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,133.13	2,596.28	82.16
12	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	22.00	24.00	91.67
13	5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	8.77	8.77	100.00
14	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	371.71	598.44	62.11
	योग	**4,451.23**	**5,634.74**	

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1	0029-भू-राजस्व	274.47	484.01	56.71
2	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	67.98	67.98	100.00
3	0056- जेल	0.43	0.44	97.73
4	0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	3.29	6.38	51.57
5	0202-शिक्षा	71.86	130.27	55.16
6	0211-परिवार कल्याण	0.14	0.14	100.00
7	0217-शहरी विकास	61.45	61.45	100.00
8	0220-सूचना तथा प्रचार	0.11	0.11	100.00
9	0230-श्रम तथा रोजगार	634.44	655.82	96.74

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
10	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	89.83	90.98	98.74
11	0401 -फसल कृषि कर्म	7.78	8.36	93.06
12	0425- सहकारिता	18.38	22.29	82.46
13	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	11.45	11.61	98.62
14	0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1.94	2.43	79.84
15	0801- विद्युत	17.78	17.78	100.00
16	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	0.77	0.77	100.00
17	0852-उद्योग	0.68	0.68	100.00
18	1452-पर्यटन	2.61	2.61	100.00
19	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	328.81	359.78	91.39
	योग	**1,594.20**	**1,923.89**	

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 140)

अनुपयुक्त लघु शीर्ष प्रावधान में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान	उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अधिक उपयुक्त लघु शीर्ष
1.	3054- सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 01-जिला सड़कों का संधारण और जीर्णोद्धार 01-जिला सड़कें	68.52	3054-04 के अंतर्गत **105- रखरखाव एवं मरम्मत**
2.	3054- सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-ग्रामीण सड़कें 01-ग्रामीण सड़कों की मरम्मत	330.01	3054-04 के अंतर्गत **105- रखरखाव एवं मरम्मत**
3.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 01-स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	7.02	4210-02 के अंतर्गत **101- उप स्वास्थ्य केंद्र**
4.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएँ 02-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	27.78	4210-02 के अंतर्गत **103- उप स्वास्थ्य केंद्र**
5.	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	30.08	4210-02 के अंतर्गत **104-** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
6.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 01-स्थानीय निकायों आदि को सहायता 02-शहरी जनसहभागी योजना 17-प्रमुख निर्माण कार्य	3.44	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**
7.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 02-शहरी सड़कें और नालियां आदि (आरओबी) 07-विभिन्न शहरी निकायों के लिए 17-प्रमुख निर्माण कार्य	3.44	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**
8.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 06-अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 01-स्वायत शासन विभाग के माध्यम से 17-प्रमुख निर्माण कार्य	67.04	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**

क्र. सं.	बजट शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान	उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अधिक उपयुक्त लघु शीर्ष
9.	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03-पिछड़े वर्ग का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 01-नये छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	₹1000	4225-03 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
10.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय 03-पिछड़े वर्ग का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 02-आदर्श छात्रावास योजना के तहत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	2.00	4225-03 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
11.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय 03-पिछड़े वर्ग का कल्याण 800-अन्य व्यय 01- देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 03-देवनारायण आवासीय विद्यालय का निर्माण 17- प्रमुख निर्माण कार्य	45.00	4225-03 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
12.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 01-छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	5.00	4225-04 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
13.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01- अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 04-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	10.00	4225-04 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
14.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 04-वृद्धाश्रम का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	55.00	4235-02 के अंतर्गत **104- वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण**
15.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 10-विकलांग अधिनियम के तहत व्यक्तियों के लिए योजना 01-रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण 16-लघु निर्माण कार्य 17-प्रमुख निर्माण कार्य	2.00	4235-02 के अंतर्गत **101- विकलांगों का कल्याण**
16.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 11-पशुपालक/चरवाहों के बच्चों के लिए योजना 01-आवासीय विद्यालय भवन 17-प्रमुख निर्माण कार्य	₹1000	4235-02 के अंतर्गत **102- बाल कल्याण**

क्र. सं.	बजट शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान	उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अधिक उपयुक्त लघु शीर्ष
17.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजी परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 02-रेबारी और अन्य प्रवासी समुदायों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 90-निर्माण कार्य	1.21	4235-02 के अंतर्गत **102- बाल कल्याण**
18.	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 02-वन/केम्पा की विभिन्न योजनाओं के लिए 17-निर्माण कार्य	₹1000	4406-01 के अंतर्गत **101- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन**
19.	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03-लंबे पौधे की तैयारी 01-विकास कार्य 63-पोधारोपण	1.30	4406-01 के अंतर्गत **101- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन**
20.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम 01-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय	103.04	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**
21.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजी परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम 06-शहरी सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय	34.35	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**
22.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजी परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 11-नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आरआईडीएफ की सड़कें 20-नाबार्ड आरआईडीएफ XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना) 74-सड़कों और पुलों पर व्यय	6.96	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**
23.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर विक्रय विभाग 04-जिला तथा अन्य मार्गों पर 800-अन्य व्यय 11-नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आरटीआइ की सड़कें 20-नाबार्ड XXIV (सड़कों तथा अन्य मार्गों पर व्यय) 74-सड़कों एवं अन्य मार्गों पर व्यय	223.24	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**
	योग	**1,026.43**	

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ **अनुच्छेद** 4.12; **पृष्ठ 144**)

विभिन्न विभागों में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण

(**₹ लाख में**)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	चोरी/हानि के मामले		गबन /सरकारी सामग्री का दुरुपयोग		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	राजस्व	29	156.25	30	1,141.47	59	1,297.72
2	शिक्षा	76	123.73	61	5,293.07	137	5416.8
3	चिकित्सा	19	282.25	40	512.55	59	794.8
4	लोक निर्माण	3	1.41	16	462.33	19	463.74
5	जल संसाधन/सिंचाई	2	0.62	2	33.95	4	34.57
6	भूजल	4	6.21	1	1.58	5	7.79
8	आईजीएनपी	6	12.56	5	69.73	11	82.29
9	वन	3	26.42	2	77.32	5	103.74
10	पीएचईडी	185	193.21	16	80.42	201	273.63
11	न्याय	4	0.63	10	118.92	14	119.55
12	पुलिस	15	16.92	5	27.36	20	44.28
13	महिला एवं बाल विकास	0	0	3	6.05	3	6.05
14	स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान	2	4.61	7	382.31	9	386.92
15	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	67	1,144.37	57	1,309.03	124	2,453.4
16	विविध	26	121.48	36	993.92	62	1,115.4
	योग	**441**	**2,090.67**	**291**	**10,510.01**	**732**	**12,600.68**

परिशिष्ट –5.1

(संदर्भ अनुच्छेद 5.4; पृष्ठ 152 और 5.14.2.2; पृष्ठ 171)

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण					
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	संस्थापन का माह एवं वर्ष	तक के खातों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिसके लिए लेखे अंतिमीकृत/प्राप्त नहीं हुए	बकाया खातों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	**ऊर्जा और बिजली क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जून 2000	2022-23	शून्य	शून्य
2	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जून 2000	2022-23	शून्य	शून्य
3	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जून 2000	2022-23	शून्य	शून्य
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	जून 2000	2022-23	शून्य	शून्य
5	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	जुलाई 2000	2022-23	शून्य	शून्य
6	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	दिसम्बर-15	2022-23	शून्य	शून्य
7	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	अप्रैल-95	2021-22	2022-23	1
8	छबड़ा पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कंपनी)	नवम्बर-06	2022-23	शून्य	शून्य
9	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कंपनी)	नवम्बर-06	2022-23	शून्य	शून्य
10	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कंपनी)	नवम्बर-06	2022-23	शून्य	शून्य
11	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	अगस्त-08	2022-23	शून्य	शून्य
12	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	जुलाई-10	2022-23	शून्य	शून्य
13	राजस्थान सोलरपार्क विकास कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 7 की सहायक कंपनी)	नवम्बर-11	2021-22	2022-23	1
14	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (क्रम संख्या 18 की सहायक कंपनी)	जुलाई-08	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
15	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 14 का संयुक्त उद्यम)	सितम्बर-13	2022-23	शून्य	शून्य
16	सांगोद ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	फ़रवरी-21	2022-23	शून्य	शून्य
ख.	**उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
17	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	मार्च-69	2022-23	शून्य	शून्य

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण					
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	संस्थापन का माह एवं वर्ष	तक के खातों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिसके लिए लेखे अंतिमीकृत/प्राप्त नहीं हुए	बकाया खातों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड	मई-47	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
19	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	जून-61	2021-22	2022-23	1
20	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	मार्च-84	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
21	बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 18 की सहायक संयुक्त कंपनी)	जनवरी-07	2021-22	2022-23	1
22	राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	मार्च-22	2022-23	शून्य	शून्य
	वैधानिक निगम				
23	राजस्थान वित्तीय निगम	जनवरी-55	2022-23	शून्य	शून्य
ग.	**वित्त क्षेत्र (आबकारी एवं मदिरा सहित)**				
	सरकारी कंपनियाँ				
24	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	दिसम्बर-12	2022-23	शून्य	शून्य
25	राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड	फ़रवरी-22	2022-23	शून्य	शून्य
26	राजस्थान राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	फ़रवरी-05	2021-22	2022-23	1
27	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	जुलाई-56	2021-22	2022-23	1
घ.	**कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
28	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	मार्च-78	2021-22	2022-23	1
29	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	दिसम्बर-10	2016-17	2017-18 से 2022-23	6
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ				
30	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	अगस्त-69	2014-15	2015-16 से 2022-23	8
	वैधानिक निगम				
31	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम	दिसम्बर-57	2021-22	2022-23	1
ड़.	**संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
32	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	जून-65	2016-17	2017-18 से 2022-23	6

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण					
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	संस्थापन का माह एवं वर्ष	तक के खातों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिसके लिए लेखे अंतिमीकृत/प्राप्त नहीं हुए	बकाया खातों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	नवम्बर-78	2018-19	2019-20 से 2022-23	4
च.	**परिवहन क्षेत्र**				
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ				
34	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	दिसम्बर-06	2021-22	2022-23	1
	वैधानिक निगम				
35	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	अक्टूबर-64	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
छ.	**शहरी विकास क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
36	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जनवरी-10	2022-23	शून्य	शून्य
37	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	दिसम्बर-04	2022-23	शून्य	शून्य
ज.	**अन्य क्षेत्र**				
	सरकारी कंपनियाँ				
38	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	जून-13	2021-22	2022-23	1
39	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	फ़रवरी-79	2021-22	2022-23	1
40	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	अक्टूबर-10	2021-22	2022-23	1
41	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	मार्च-12	2022-23	शून्य	शून्य
42	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	मई-11	2021-22	2022-23	1
43	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	अगस्त-10	2021-22	2022-23	1
44	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	दिसम्बर-20	प्रथम वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ	2020-21 से 2022-23	3
45.	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड	अगस्त-22	प्रथम वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ	2022-23	1
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ				
46	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	जनवरी-84	2021-22	2022-23	1

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण					
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	संस्थापन का माह एवं वर्ष	तक के खातों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिसके लिए लेखे अंतिमीकृत/प्राप्त नहीं हुए	बकाया खातों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ				
47	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नवम्बर-16	प्रथम वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ	2019-20 से 2022-23	4
48	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	मार्च-16	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
49	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नवम्बर-16	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
50.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	मार्च-16	2021-22	2022-23	1
51.	कोटा बस सेवा लिमिटेड	अप्रैल-15	प्रथम वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ	2021-22 से 2022-23	2
					62

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ अनुच्छेद 5.4; पृष्ठ 152 तथा अनुच्छेद 5.5.1; पृष्ठ 154)

(₹ करोड़ में)

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम										
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम एवं प्रकार	नवीनतम अंतिम खातों की अवधि	वर्ष जिसमें खातों को अंतिम रूप दिया गया था	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि (-)	कुल लाभ (हानि) (-	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि (-)
क.	**ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र**									
	सरकारी कंपनियाँ									
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2023	-243.30	-2536.55	19222.42	11000.13	98.01	-19033.64	-30033.77
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2023	-732.67	-3698.56	23774.8	12036.35	3898.12	-20759.11	-32795.46
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2023	-2947.98	-5866.02	18634.56	10992.72	-3836.03	-27835.24	-38827.96
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	2023	-1552.24	-6277.59	18368.68	10631.74	29813.67	-3427.21	-14048.05
5.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2022-23	2023	1099.49	34.16	3643.25	4846.87	14057.23	3374.14	-1472.73
6.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2021-22	2023	36.53	26.83	107.30	12.94	253.01	253.01	240.07
7.	राजस्थान सोलरपार्क विकास कंपनी लिमिटेड	2021-22	2023	29.64	20.57	24.83	0.05	62.98	62.98	62.93
8.	छबड़ा पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	0.00*	0.00	0.00	0.05	-0.01	-0.01	-0.06
9.	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	0.00*	0.00	0.00	0.05	-0.01	-0.01	-0.06
10.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2022-23	2023	0.01	0.00	34.26	50.00	50.00	50.00	0.00
11.	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	-0.06	-0.29	0.00	0.05	-11.79	-11.79	-11.84
12.	सांगोद ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड (क्रम संख्या5 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	-0.10	-0.32	0.00	0.05	-0.29	-0.29	-0.34
13.	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	-0.01	-1.83	0.00	0.05	-24.01	-24.01	-24.06
14.	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कंपनी)	2022-23	2023	-92.56	-377.42	0.00	370.05	-2164.66	-2230.11	-2600.16
15.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (क्रम संख्या 21 की सहायक कंपनी)	2020-21	2023	0.01	0.01	0.00	67.08	65.42	65.42	-1.66
16.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 15 का संयुक्त उद्यम)	2022-23	2023	12.58	8.83	85.91	130.00	165.93	165.93	35.93

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम										
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम एवं प्रकार	नवीनतम अंतिम खातों की अवधि	वर्ष जिसमें खातों को अंतिम रूप दिया गया था	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि (-)	कुल लाभ (हानि) (-	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि (-)
	कुल क			**-4390.66**	**-18668.18**	**83896.01**	**50138.18**	**42427.57**	**-69349.94**	**-119477.22**
ख.	**उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र**									
	सरकारी कंपनियाँ									
17.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	5.56	5.27	56.90	6.96	-4.28	-12.77	-19.73
18.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	-2.68	-2.71	6.83	46.06	-2.13	-8.17	-54.23
19.	बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 21 की सहायक संयुक्त कंपनी)	2021-22	2022-23	214.24	14.61	1139.03	20.00	1494.53	75.63	55.63
20.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2022-23	2023	1017.85	752.06	1759.36	210.19	3949.99	3949.99	3739.80
21.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड	2020-21	2022-23	39.41	24.09	840.50	77.55	2369.97	2369.97	2292.42
22.	राजस्थान औद्योगिक गलियारा निगम लिमिटेड	2022-23	2023	0.33	0.25	0.00	10.00	10.25	10.25	0.25
	वैधानिक निगम									
23.	राजस्थान वित्तीय निगम	2022-23	2023	50.34	24.86	78.86	160.73	105.49	79.42	-81.31
	कुल ख			**1325.05**	**818.43**	**3881.48**	**531.49**	**7923.82**	**6464.32**	**5932.83**
ग.	**वित्त क्षेत्र(आबकारी एवं मदिरा सहित)**									
	सरकारी कंपनियाँ									
24.	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2022-23	2023	53.63	1.07	57.92	440.00	1212.23	462.23	22.23
25.	राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलिवरी लिमिटेड	2022-23	2023	-0.06	-0.05	0.08	5.00	4.95	4.95	-0.05
26.	राजस्थान राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	45.02	31.38	7493.60	2.00	136.30	136.30	134.30
27.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2021-22	2022-23	48.15	27.48	3172.35	180.39	486.37	486.21	305.82
	कुल ग			**146.74**	**59.88**	**10723.95**	**627.39**	**1839.85**	**1089.69**	**462.30**
घ.	**कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग क्षेत्र**									
28.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	28.14	17.79	275.28	7.59	165.38	165.38	157.79

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम										
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम एवं प्रकार	नवीनतम अंतिम खातों की अवधि	वर्ष जिसमें खातों को अंतिम रूप दिया गया था	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि (-)	कुल लाभ (हानि) (-	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि (-)
29.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	6.87	3.51	475.17	50.00	96.51	86.73	36.73
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ									
30.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-0.14	-1.46	0.00	6.01	-2.21	-48.82	-54.83
	वैधानिक निगम									
31.	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	34.35	19.14	108.88	7.85	728.38	408.10	400.24
	कुल घ			**69.22**	**38.98**	**859.33**	**71.45**	**988.06**	**611.38**	**539.93**
ड़.	**संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र**									
32.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2016-17	2023	-0.98	-1.03	2.09	2.16	-5.59	-7.59	-9.74
33.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	-8.20	-8.97	60.03	21.95	-119.54	-128.74	-150.69
	कुल ड़			**-9.18**	**-10.00**	**62.12**	**24.11**	**-125.13**	**-136.33**	**-160.43**
च.	**परिवहन क्षेत्र**									
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ									
34.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.03	0.03	0.00	4.49	-1.75	-1.75	-6.24
	वैधानिक निगम									
35.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	2022-23	46.73	-40.96	865.48	638.96	-3115.93	-4588.81	-5227.77
	कुल च			**46.76**	**-40.93**	**865.48**	**643.45**	**-3117.68**	**-4590.56**	**-5234.01**
छ.	**शहरी विकास क्षेत्र**									
	सरकारी कंपनियाँ									
36.	जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	2022-23	2023	176.77	143.30	25.45	2135.10	2263.20	1790.90	-344.20
37.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	2022-23	2023	2.04	1.12	104.44	324.96	1450.62	346.09	21.13
	कुल छ			**178.81**	**144.42**	**129.89**	**2460.06**	**3713.82**	**2136.99**	**-323.07**

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम										
क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम एवं प्रकार	नवीनतम अंतिम खातों की अवधि	वर्ष जिसमें खातों को अंतिम रूप दिया गया था	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि (-)	कुल लाभ (हानि) (-	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि (-)
ज.	**अन्य क्षेत्र**									
	सरकारी कंपनियाँ									
38.	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	3.28	2.28	4.89	1.00	8.65	8.65	7.65
39.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	242.82	4.32	1122.07	100.00	3257.86	250.90	150.90
40.	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2021-22	2022-23	38.64	28.08	195.77	5.00	137.03	137.03	132.03
41.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2022-23	2023	8.53	8.49	229.24	5.00	45.16	45.16	40.16
42.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	58.64	45.29	1460.66	5.00	107.73	106.37	101.37
43.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2021-22	2022-23	2.28	2.28	38.74	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ									
44	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023	-0.04	-0.04	0.00	1.27	-0.20	-0.20	-1.47
	कुल ज			**354.15**	**90.70**	**3051.37**	**117.32**	**3543.23**	**534.91**	**417.59**
	महायोग (3 निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ)			**-0.15**	**-1.47**	**0.00**	**11.77**	**-4.16**	**-50.77**	**-62.54**
	महायोग (3 सांविधिक निगम)			**131.42**	**3.04**	**1053.22**	**807.54**	**-2119.44**	**-3938.67**	**-4746.22**
	महायोग (44 सरकारी कंपनियाँ)			**-2279.11**	**-17566.70**	**103469.63**	**54613.45**	**57193.54**	**-63239.53**	**-117842.08**
झ	**सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ**									
45.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2022-23	0.31	1.05	0.00	200.00	202.34	202.34	2.34
46.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2022-23	-0.07	-0.06	0.00	200.00	208.17	208.17	8.17
47.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	-0.05	0.00	200.00	200.01	200.01	0.01
	योग झ			**0.24**	**0.94**	**0.00**	**600.00**	**610.52**	**610.52**	**10.52**
	महायोग (क से झ) (47 पीएसयु)			**-2278.87**	**-17565.76**	**103469.63**	**55213.45**	**57804.06**	**-62629.01**	**-117831.56**

परिशिष्ट-5.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.10.2; पृष्ठ 162)

31 मार्च 2023 तक ऋणात्मक निवल मूल्य वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम तथा प्रकार	नवीनतम अंतिमीकृत खातों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	संचित लाभ/हानि (-)	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि(-)
1	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	10992.72	-5866.02	-38827.96	-27,835.24	10992.72	-	-2947.98
2	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	12036.35	-3698.56	-32795.46	-20759.11	12036.35	-	-732.67
3	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	11000.13	-2536.55	-30033.77	-19033.64	11000.13	-	-243.3
4	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	638.96	-40.96	-5227.77	-4588.81	612.13	-	46.73
5	राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	10631.74	-6277.59	-14048.05	-3427.21	10631.74	-	-1552.24
6	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	2022-23	370.05	-377.42	-2600.16	-2230.11	0	-	-92.56
7	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	21.95	-8.97	-150.69	-128.74	21.95	-	-8.2
8	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	6.01	-1.46	-54.83	-48.82	6.01	-	-0.14
9	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2022-23	0.05	-1.83	-24.06	-24.01	0	-	-0.01
10	राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम	2021-22	0.05	2.28	-13.05	-13	0	-	2.28
11	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	6.96	5.27	-19.73	-12.77	6.64	-	5.56
12	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2022-23	0.05	-0.29	-11.84	-11.79	0	-	-0.06
13	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2016-17	2.16	-1.03	-9.75	-7.59	0	-	-0.98
14	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	46.06	-2.71	-54.23	-8.17	45.51	-	-2.68

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम तथा प्रकार	नवीनतम अंतिमीकृत खातों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	संचित लाभ/हानि (-)	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि(-)
15	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2021-22	4.49	0.03	-6.24	-1.75	4.49	-	0.03
16	सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड	2022-23	0.05	-0.32	-0.34	-0.29	0	-	-0.1
17	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	2022-23	0.05	0	-0.06	-0.01	0	-	0
18	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1.27	-0.04	-1.47	-0.2	1.27	-	-0.04
19	छबड़ा पावर लिमिटेड	2022-23	0.05	0	-0.06	-0.01	0.05	-	0
योग			**45759.15**	**-18806.17**	**-123879.52**	**-78131.27**	**45358.99**		**-5526.36**

परिशिष्ट-5.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.13.1; पृष्ठ 166)

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) का विवरण

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)
	क. सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम									
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,441.27	-2,545.41	-	3,044.25	1,384.10	219.94	-243.3	98.01	-
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,549.25	-1,973.26	-	3,760.40	3,098.78	121.35	-732.67	3898.12	34.66
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	1,513.59	-4,640.79	-	2,024.40	-1,502.17	-	-2947.98	-3836.03	-
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,410.18	46,941.71	7.26	2,945.34	41,276.11	7.14	-1552.24	29813.67	-
5.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1,281.77	15,481.59	8.28	998.76	14,827.14	6.74	1099.49	14057.23	7.82
6.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	27.57	227.47	12.12	36.53	253.01	14.44	36.53	253.01	14.44
7.	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	17.58	42.42	41.44	29.64	62.98	47.06	29.64	62.98	47.06
8.	छबड़ा पावर लिमिटेड	0	0	-	0	0	--	0	-0.01	-
9.	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	0	0	-	0	0	--	0	-0.01	-
10.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.08	50	0.16	2.89	50	5.78	0.01	50	0.02
11.	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	-0.06	-10.16	-	-1.11	-11.5	--	-0.06	-11.79	-
12.	सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड	-	-	-	-0.02	0.03	66.67	-0.1	-0.29	-
13.	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	-0.01	-20.4	-	-0.01	-22.18	--	-0.01	-24.01	-
14.	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	-94.21	-1337.28	-	-92.44	-1735.38	--	-92.56	-2164.66	-
15.	राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.02	65.41	0.03	0.02	65.41	0.03	0.01	65.42	0.02
16.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	15.74	152.26	10.34	15.74	152.26	10.34	12.58	165.93	7.58
17.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.44	-9.83	-	0.44	-9.83	-	5.56	-4.28	-
18.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-0.63	-0.95	-	-0.98	-1.65	-	-2.68	-2.13	-
19.	बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	207.3	1617.1	12.82	214.24	1494.53	14.33	214.24	1494.53	14.33
20.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	725.24	2646.26	27.41	791.99	3223.41	24.57	1017.85	3949.99	25.77
21.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड	177.25	2354.68	7.53	177.25	2354.68	7.53	39.41	2369.97	1.66
22.	राजस्थान वित्त निगम	35.02	196.96	17.78	38.76	120.53	32.16	50.34	105.49	47.72
23.	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	3.07	108.65	2.83	12.96	661.37	1.96	53.63	1212.23	4.42

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	विनियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)
24.	राजस्थान राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	44.61	105.13	42.43	45.02	136.3	33.03	45.02	136.3	33.03
25.	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	87.35	408.36	21.39	74.3	458.89	16.19	48.15	486.37	9.9
26.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	19.28	148.31	13	19.28	148.31	13	28.13	165.38	17.01
27.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	6.87	96.51	7.12	6.87	96.51	7.12	6.87	96.51	7.12
28.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-0.14	-2.21		-0.14	-2.21	--	-0.14	-2.21	-
29.	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम	116.84	632.71	18.47	34.35	728.38	4.72	34.35	728.38	4.72
30.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	-0.06	-2.55		-0.06	-2.55	--	-0.98	-5.59	-
31.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-6.72	-118.86		10.54	-96.77	--	-8.2	-119.54	-
32.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	0.04	-1.82		0.04	-1.78	--	0.03	-1.75	-
33.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	-72.75	-3,091.22		44.97	-3,118.20	--	46.73	-3115.93	-
34.	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-20.79	2,046.81	-1.02	-39.87	1,967.81	-2.03	176.77	2263.2	7.81
35.	राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.9	1,425.07	0.34	0.3	1,717.08	0.02	2.04	1450.62	0.14
36.	राजस्थान पुलिस अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2.6	6.47	40.19	2.6	6.47	40.19	3.28	8.65	37.92
37.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	263.65	2,976.53	8.86	263.65	2,976.53	8.86	242.82	3257.86	7.45
38.	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	40.2	95.95	41.9	19.58	110.86	17.66	38.64	137.03	28.2
39.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	6.14	31.26	19.64	5.47	36.67	14.92	8.53	45.16	18.89
40.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	12.99	63	20.62	21.79	67.4	32.33	58.64	107.73	54.43
41.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	1.54	-13		1.54	-13	--	2.28	-13	-
42	राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	0.33	10.25	3.22
43	राजस्थान फाइनेंसियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	-0.06	4.95	-
44	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	0.04	-0.89	--	0.04	-0.89	--	-0.04	-0.2	-
	योग क	**12,817.05**	**64,151.99**	**19.98**	**14,509.32**	**70,957.44**	**20.45**	**-2,279.12**	**57,193.54**	**-3.98**
ख .	**सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां**									
43.	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	8.65	--	0	8.65	--	0	0	-
44.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.54	204.45	0.26	0.54	204.45	0.26	0.31	202.34	0.15
45.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	208.23	--	-0.07	208.17	-0.03	-0.07	208.17	-
46.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	199.88	--	0	199.86	--	0	200.01	0
	योग ख	**0.54**	**621.21**	**0.09**	**0.47**	**621.13**	**0.08**	**0.24**	**610.52**	**0.04**
	महायोग	**12,817.59**	**64,773.20**	**19.79**	**14,509.79**	**71,578.57**	**20.27**	**-2,278.88**	**57,804.06**	**-3.94**

परिशिष्ट-5.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.13.2; पृष्ठ 168)

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षो के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल दर्शाने वाला विवरण जिसमें राज्य सरकार का प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश है

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम तथा प्रकार	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	175.73	-17,482.87	--	557.55	-16,629.25	--	-2536.55	-19033.64	--
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-660.75	-18,119.18	--	436.2	-17,323.05	--	-3698.56	-20759.11	--
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-1,731.68	-20,859.63	--	-1,465.34	-22,105.60	--	-5866.02	-27835.24	--
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-1,031.23	5,072.00	-20.33	-1,993.22	2,843.31	-70.1	-6277.59	-3427.21	--
5.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	105.39	3,366.68	3.13	-188.27	3,155.99	-5.97	34.16	3374.14	1.01
6.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	20.22	227.47	8.89	26.83	253.01	10.6	26.83	253.01	10.6
7.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0	50	0	0	50	0	0	50	0
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.12	-18.04	--	0.12	-18.04	--	5.27	-12.77	--
9.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-0.64	-4.47	--	-0.99	-5.46	--	-2.71	-8.17	--
10.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	530.91	2,646.26	20.06	602.26	3,223.41	18.68	752.06	3949.99	20.05
11.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड	137.35	2,354.68	5.83	137.35	2,354.68	5.83	24.09	2369.97	1.02
12.	राजस्थान वित्तीय निगम	-0.12	45.93	-0.26	11.14	54.56	20.42	24.86	79.42	31.30
13.	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2.18	108.65	2.01	3.4	161.37	2.11	1.07	462.23	0.23
14.	राजस्थान राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	30.85	105.13	29.34	31.38	136.3	23.02	31.38	136.3	23.02
15.	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	57.11	408.05	14	50.67	458.73	11.05	27.48	486.21	5.65
16.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	10.25	148.31	6.91	10.25	148.31	6.91	17.79	165.37	10.76
17.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.51	86.73	4.05	3.51	86.73	4.05	3.51	86.73	4.05
18.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-1.46	-48.82	--	-1.46	-48.82	--	-1.46	-48.82	--
19.	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम	81.75	345.12	23.69	19.14	408.09	4.69	19.14	408.1	4.69
20.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	-0.1	-6.55	--	-0.1	-6.55	--	-1.03	-7.59	--
21.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-6.76	-129.86	--	10.09	-119.77	--	-8.97	-128.74	--
22.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	0.04	-1.82	--	0.04	-1.78	--	0.03	-1.75	--
23.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	-217.06	-4,547.84	--	-43.24	-4,591.08	--	-40.96	-4588.81	--

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम तथा प्रकार	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)
24.	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-60.17	1,305.68	-4.61	-83.25	1,471.36	-5.66	143.3	1790.9	8
25.	राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.55	74.04	4.79	0.06	74.1	0.08	1.12	346.09	0.32
26.	राजस्थान पुलिस अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	1.88	6.47	29.06	1.88	6.47	29.06	2.28	8.65	26.36
27.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	3.6	246.58	1.46	3.6	246.58	1.46	4.32	250.9	1.72
28.	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	26.24	95.95	27.35	15.39	110.86	13.88	28.08	137.03	20.49
29.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	6.1	31.26	19.51	5.41	36.67	14.75	8.49	45.16	18.8
30.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	7.36	51.73	14.23	9.36	61.09	15.32	45.29	106.37	42.58
31.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	1.53	-13	--	1.53	-13	--	2.28	-13	--
32	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	0.03	-0.89	--	0.03	-0.89	--	-0.04	-0.2	--
33	राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	0.05	4.95	--
34	राजस्थान फाइनेंसियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**-2,504.27**	**-44,456.25**	**5.63**	**-1,838.68**	**-45,521.67**	**4.04**	**-17,231.10**	**-61,353.52**	**28.08**

परिशिष्ट-5.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.13.3; पृष्ठ 169 एवं 170)

वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ निवेश का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए धारणायें

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोई भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाए गए है। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[7] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर पीवी की प्राप्ति के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनायी गयी थी क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के हेतु सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता हैं एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण[8]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जन[9]
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=2+6	9=8*{1+(7/100)}	10={8*7/100}	11
1999-2000 तक	-	412.44	36.80	-	449.24	10.40	1,164.89	1,286.04	-	-
2000-01	1,286.04	383.14	-0.49	0.00	382.65	10.50	1,668.69	1,843.90	175.21	-57.52
2001-02	1,843.90	363.20	-3.34	0.00	359.86	10.50	2,203.76	2,435.16	231.40	-45.32

7. सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनो से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर=ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताए + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताए)/2]*100.
8. 2004-05 और 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ को 2011-12 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया, 2011-12 में प्राप्त ₹ 995 करोड़ को 2015-16 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ को 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान जीओआर के बकाया के विरुद्ध समायोजित किया गया।
9. वर्ष के लिए कुल अर्जन 32 एसपीएसई मै राज्य सरकार द्वारा धन निवेश किया गया था मै संबंधित हेतु शुद्ध अर्जनो के योग (लाभ/हानि) को दर्शाता है। तथापि, दो कंपनियां (आरवीयूएनएल और आरवीपीएनएल) और तीन राज्य डिस्कॉम (जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल) ने अपने वार्षिक लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये तथा आय और व्यय के अंतर को 'राजस्व गैप के विरुद्ध राज्य सरकार से प्राप्य आर्थिक सहायता' के रूप में दर्शाया जब तक उन्होंने क्रमशः 2008-09 से आगे एवं 2010-11 से लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धांतों पर अपने वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारभं नहीं किया। अतः इन पांच कंपनियों के लाभों/हानियों के संबंध में उस वर्ष से विचार गया जिसमें इन कंपनियों ने वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धांतों पर वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारभं किया।

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण[8]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जन[9]
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=2+6	9=8*{1+(7/100)}	10={8*7/100}	11
2002-03	2,435.16	344.48	-3.52	0.00	340.96	10.00	2,776.12	3,053.73	277.61	-17.91
2003-04	3,053.73	417.22	-0.84	0.00	416.38	9.60	3,470.11	3,803.25	333.14	12.23
2004-05	3,803.25	379.46	187.94	0.00	567.40	9.10	4,370.65	4,768.38	397.73	146.53
2005-06	4,768.38	645.49	144.49	0.00	789.98	8.20	5,558.36	6014.14	455.78	214.11
2006-07	6,014.14	695.30	149.61	0.00	844.91	8.30	6,859.05	7,428.35	569.30	267.36
2007-08	7,428.35	1,070.50	149.15	0.00	1,219.65	8.00	8,648.00	9,339.84	691.84	379.45
2008-09	9,339.84	1,339.87	249.31	0.00	1,589.18	7.70	10,929.02	11,770.56	841.54	-1,043.55
2009-10	11,770.56	1,299.56	169.28	0.00	1,468.84	7.70	13,239.40	14,258.84	1,019.44	-676.99
2010-11	14,258.84	1,744.24	-0.31	0.00	1,743.93	7.70	16,002.77	17,234.98	1,232.21	-21,058.37
2011-12	17,234.98	2,891.34	989.21	1,070.00	2,810.55	7.70	20,045.53	21,589.03	1,543.50	-19,168.65
2012-13	21,589.03	4,661.61	1,102.98	0.00	5,764.59	7.40	27,353.62	29,377.78	2,024.16	-11,773.13
2013-14	29,377.78	4,722.17	132.30	0.00	4,854.47	7.30	34,232.25	36,731.21	2,498.96	-15,413.39
2014-15	36,731.21	4,371.78	1,443.63	729.40	5,086.01	7.50	41,817.22	44,953.51	3,136.29	-14,866.61
2015-16	44,953.51	9,492.69	497.20	1,265.60	8,724.29	6.70	53,677.80	57,274.22	3,596.42	-12,222.56
2016-17	57,274.22	4,130.49	-811.32	0.00	3,319.17	7.60	60,593.39	65,198.49	4,605.10	-1,395.49
2017-18	65,198.49	3,850.42	427.68	0.00	4,278.10	7.30	69,476.59	74,548.38	5,071.79	2,057.58
2018-19	74,548.38	3,822.35	256.15	0.00	4,078.50	7.30	78,626.88	84,366.64	5,739.76	2,893.35
2019-20	84,366.64	2,095.49	155.51	0.00	2,251.00	7.10	86,617.64	92,767.49	6,149.85	3,550.08
2020-21	92,767.49	403.49	61.56	0.00	465.05	6.60	93,232.54	99,385.89	6,153.35	-2,504.27
2021-22	99,385.89	2,332.20	47.07	1,170.38	1,208.89	6.44	1,00,594.78	1,07,073.08	6,478.30	-1,838.68
2022-23	1,07,073.08	1,825.36	838.24	0.00	2,663.60	6.32	1,09,736.68	1,16,672.04	6,935.36	-17,231.10
योग		**53,694.29**	**6,218.29**	**4,235.38**	**55,677.20**					

परिशिष्ट-5.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.15.4; पृष्ठ 174)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण जहां प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2022-23
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23
3.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2022-23
4.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	2022-23
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड	2022-23
6.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड	2020-21
7.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2022-23
8.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19
9.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22
10.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21
11.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2021-22
12.	राजस्थान वित्तीय निगम	2022-23
13.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2020-21
14.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2021-22
15.	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22
16.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2022-23
17.	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2022-23
18.	राजस्थान फाइनेंसियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड	2022-23
19.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2021-22
20.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2021-22
21.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2021-22
22.	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2021-22
23.	बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2022-23

परिशिष्ट-5.8

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	
एएससीएल	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
एवीवीएनएल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
बांसवाड़ा टीपीसीएल	बांसवाड़ा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड
बाड़मेर टीपीसीएल	बाड़मेर थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड
बीएलएमसीएल	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड
सीपीएल	छबड़ा पावर लिमिटेड
डीजीपीएल	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड
जीएलपीएल	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
जेडीवीवीएनएल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेएमआरसीएल	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जेएससीएल	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
जेवीवीएनएल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केएससीएल	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
आरसीएसीएल	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड
आरइएक्ससीओ	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
आरएफसी	राजस्थान वित्तीय निगम
आरएफएसडीएल	राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड
आरआईसीडीसीएल	राजस्थान औद्योगिक कोरीडोर्स विकास निगम लिमिटेड
रीको	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
आरआईएसएल	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
आरजेवीएनएल	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड
आरएमएससीएल	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
आरपीआईडीसीएल	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
आरआरईसीएल	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरएसएआईसीएल	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
आरएसबीसीएल	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
आरएसडीसीएल	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
आरएसएफ एवं सीएससीएल	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	
आरएसएफडीसीएल	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
आरएसजीएल	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड
आरएसजीएसएमएल	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
आरएसएचसीएल	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड
आरएसएचडीसीएल	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
आरएसआईसीएल	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
आरएसएलडीसी	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
आरएसएमएमएल	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड
आरएसपीसीएल	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
आरएसपीएफ एवं एफएससीएल	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड
आरएसआरडीसीसीएल	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
आरएसआरटीसी	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
आरएसएससीएल	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
आरएसडब्लूसी	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
आरटीडीसीएल	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
आरयूडीडब्ल्यूएस एवं आईसीएल	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
आरयूवीएनएल	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
एसटीएसएल	सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड
यूएससीएल	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
केबीएसएल	कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड
इआरसीपीसीएल	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi